दशम माला, खण्ड 9, अंक 12

मंगलवार, 10 मार्च, 1992
20 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

No. 63
Date 4.2.93

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।]

लोक सभा

मंगलवार, 10 मार्च, 1992/20 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अलाभप्रद रेल लाइनें

[अनुवाद]

184. श्री नीतीश कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक अलाभप्रद रेल लाइन के कारण सरकार को कितना घाटा हुआ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इन अलाभप्रद रेल लाइनों के कारण कुल कितना वित्तीय घाटा होने का अनुमान है;

(ग) क्या इन रेल मार्गों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) लाभांश को छोड़कर, लगभग 114 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ) घाटे पर नियन्त्रण रखने के लिए यात्री गाड़ियों के स्थान पर मिश्रित गाड़ियां चलाना और "केवल एक इंजन" प्रणाली शुरू करना, कर्मचारियों में किफायत, बिना टिकट यात्रा की रोक-थाम, अलाभप्रद स्टेशनों और हाल्टों को बन्द करना या उन्हें ठेकेदार द्वारा परिचालित हाल्टों में बदलना, आदि विभिन्न उपाय किए गए हैं।

विवरण

(आंकड़े हजार रुपयों में)

अलाभप्रद शाखा लाइनों के संचालन पर लाभांश को छोड़कर होने वाले घाटे के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

मध्य रेलवे

क्र० सं०	शाखा लाइन का नाम	हानियां		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	छोटी लाइन धौंड—बारामती	27,36	31;59	31,78
2.	बड़ी लाइन—ऐट-कोंच	37,30	87;80	72,18
3.	छोटी लाइन—ग्वालियर-भिंड	1,16,11	1;16,11	1,78,97
4.	छोटी लाइन—ग्वालियर-श्योपुर कलां	3,04;77	8,04;77	5,67,42
5.	छोटी लाइन—धौलपुर-तांतपुर-सिरमुथा	92,88	92;88	1,66,14
6.	छोटी लाइन—नेरल-मथेरान	1,49,61	1;65,07	1,85,54

1	2	3	4	5
7.	छोटी लाइन—पचोरा-जामनेर	38,32	38,32	43,15
8.	छोटी लाइन—मिरज-कुर्डुवाडी-लातूर	2,26,44	1,95,49	2,87,25
	जोड़	9,92,79	9,81,53	15,32,44

पूर्व रेलवे

(आंकड़े हजार रुपयों में)

क० सं०	शाखा लाइन का नाम	हानियां		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	बड़ी लाइन—बख्तियारपुर-राजगीर	39,86	2,26	33,42
2.	बड़ी लाइन—दिलदार नगर-ताड़ीघाट	3,86	(लाभप्रद)	(लाभप्रद)
3.	बड़ी लाइन—भीमगढ़-पलास्थली	27,53	27,75	24,6०
4.	बड़ी लाइन—बारासात-हसनाबाद	1,42,77	1,18,41	2,35,05
5.	छोटी लाइन— शान्तिपुर-नवद्वीपघाट	18,03	20,25	17,26
6.	बड़ी लाइन—तीनपहाड़-राजमहल	14,55	12,50	13,90
7.	छोटी लाइन—बर्दवान-कटवा	61,06	66,30	66,67

1	2	3	4	5
8.	बड़ी लाइन—भागलपुर-मंदारहिल	19,90	36,94	69,47
9.	बड़ी लाइन—बरुईपुर-लक्ष्मीकांतपुर	1,27,70	1,12,78	97,23
10.	बड़ी लाइन—सोनारपुर-कैनिंग	75,58	79,77	47,02
11.	बड़ी लाइन—जमालपुर-मुंगेर	12,88	22,25	19,43
	जोड़	5,43,72	4,89,20	6,24,11

उत्तर रेलवे

		हानियां		(हजार रुपयों में)
क्र० सं०	शाखा लाइन का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	बड़ी लाइन—रोहतक-गोहाना	8,64	16,02	23,22
2.	बड़ी लाइन—बटाला-कादियां	50,37	52,38	56,73
3.	मीटर लाइन—गढ़ी हरसरू-फर्रुखनगर	8,96	6,33	9,85
4.	बड़ी लाइन—वेरका-डेरा बाबा नानक	2,15,52	2,34,46	2,47,95
5.	बड़ी लाइन—अमृतसर-अटारी	13,37	15,46	(लाभप्रद)

1	2	3	4	5
6.	मीटर लाइन—पीपाड़ रोड-बिलाड़ा	19,79	44,15	48,27
7.	मीटर लाइन—समदड़ी-मुनाबाव	3,33,90	2,16,17	2,42,12
8.	मीटर लाइन—बालोतरा-पचपदरा	43,84	40,73	52,61
9.	मीटर लाइन—राई का बाग-पोकरण	2,34,66	1,64,95	49,82
10.	छोटी लाइन कालका-शिमला	3,54,79	3,44,40	3,26,52
11.	मीटर लाइन—रतनगढ़-सरदार-शहर	5,51	(लाभप्रद)	(लाभप्रद)
12.	छोटी लाइन—पठानकोट-जोगिन्दर नगर	2,67,47	89,99	2,00,10
13.	बड़ी लाइन—फगवाड़ा-जेजों दोआबा	61,81	71,42	1,13,69
14.	बड़ी लाइन—बरहन-ऐटा	+7,32	(लाभप्रद)	2,88
15.	बड़ी लाइन—राजा-का-सहसपुर-संभल-हातिम सराय	5,16	23,58	27,06
16.	मीटर लाइन—मकराना-पर्वतसर	18,09	(लाभप्रद)	19,83
17.	मीटर लाइन तिलवाड़ा-जिलावड़ा फेयर	3,11	83	(लाभप्रद)
18.	मीटर लाइन—लालगढ़-श्री कोलायत जी	7,74	(लाभप्रद)	(लाभप्रद)
19.	मीटर लाइन रानीवाड़ा-भीलड़ी	51,15	1,48,58	1,01,37
20.	बड़ी लाइन—माधोपुर-पठानकोट	(लाभप्रद)	(लाभप्रद)	32,29
	जोड़	16,96,56	14,69,35	15,54,31

पूर्वोत्तर रेलवे

(हजार रुपयों में)

क्र० सं०	शाखा लाइन का नाम	हानियां		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	मीटर लाइन बनमंखी-बिहारीगंज	65,15	74,26	83,76
2.	मीटर लाइन सकरी-जयनगर	1,22,97	1,43,19	1,26,03
3.	मीटर लाइन नरकटियागंज-बगहा	88,50	96,50	82,81
4.	मीटर लाइन नरकटियागंज-भिखनाठोरी	55,88	67,94	73,59
5.	मीटर लाइन कप्तानगंज-छितौनी	1,53,24	72,90	68,29
6.	मीटर लाइन सलेमपुर-बरहज बाजार (बड़ी लाइन में बदली जा चुकी है)	35,38	49,70	34,99
7.	मीटर लाइन इन्दारा-दोहरीघाट	72,61	68,92	73,49
8.	मीटर लाइन माधोसिंह-चौलह	17,20	20,92	23,34
9.	मीटर लाइन मनकापुर-कटरा	55,97	62,93	70,92
10.	मीटर लाइन आनन्द नगर-नौतनवा	1,04,22	1,35,12	1,03,41

1	2	3	4	5
11.	मीटर लाइन गैंसरी-जरवा	32,17	36,35	1,06,31
12.	मीटर लाइन बुढवा-पीरीफाटा	37,96	52,72	51,57
13.	मीटर लाइन बुढवा-चन्दन चौकी	20,56	29,88	68,88
14.	मीटर लाइन शाहबाज नगर-ढकगंज	4,68	6,71	5,66
15.	मीटर लाइन काशीपुर-रामनगर	13,41	13,67	19,94
16.	मीटर लाइन मथुरा-वृन्दावन	19,25	18,22	22,10
17.	मीटर लाइन मंधना-ब्रह्मावर्त	5,89	9,61	12,51
18.	मीटर लाइन थाना बीहपुर-महादेवपुर घाट	1,52,73	85,29	67,75
	जोड़	9,67,72	10,44,83	10,95,35

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

(हजार रुपयों में)

क्र० सं०	शाखा लाइन का नाम	हानियां		
		1988-89	1989-90	1990-91
1.	छोटी लाइन न्यू जलपाई गुडी-दार्जिलिंग	48,00	34,59	50,31
2.	मीटर लाइन कटिहार-मनिहारी घाट	1,95,86	1,88,93	1,82,55

1	2	3	4	5
3.	मीटर लाइन कटिहार-जोगबनी	4,65,40	4,80,14	4,40,88
4.	बड़ी लाइन ओल्ड मालदा-सिहबाद	56,84	1,04,84	1,01,37
5.	बड़ी लाइन कटिहार-कुमेदपुर	3,14,91	2,44,07	1,48,48
6.	मीटर लाइन बारसोई-राधिकापुर	2,16,35	2,23,73	2,21,50
7.	मीटर लाइन अलीपुरद्वार-गितलदह	2,37,10	2,41,96	2,45,85
8.	मीटर लाइन रंगपाड़ा नार्थ-तेजपुर	1,44,29	1,03,48	1,24,24
9.	मीटर लाइन न्यू माल-चंगराबांधा	40,33	51,24	60,47
10.	मीटर लाइन लताबुड़ी-रामशाई	4,24	4,70	06-02-90 से गाड़ी का चालन बन्द कर दिया गया
11.	मीटर लाइन फकीराग्राम-धुबड़ी	2,57,06	1,29,21	1,06,30
12.	मीटर लाइन राधामात शाखा-अयन्ती	18,03	यह शाखा लाइन बन्द की जा चुकी है	
13.	मीटर लाइन करीमगंज-महिसासन	37,46	42,45	48,08
14.	मीटर लाइन बारवीग्राम-दुल्लाबाचेर्रा	55,66	59,43	62,97
15.	मीटर लाइन शिमलगुड़ी-नाजिरामोरा	20,68	8,48	24,86
16.	मीटर लाइन मरियानी-जोरहाट-नियामत घाट	22,51 (+)	0,64	27,38

1	2	3	4	5
17.	मीटर लाइन माकुम-डांगरी	48,16	28,07	58,82
18.	मीटर लाइन सिमालुगिरि-मोरनहाट	66,15	8,94	76,55
	जोड़ हानियां	22,48,98	19,53,63	19,88,81

दक्षिण रेलवे

(हजार रुपयों में)

क्र० सं०	शाखा लाइनों के नाम	हानियां		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	बड़ी लाइन — मेयवरम्पूर-नीलाम्बर	32,60	31,85	23,72
2.	मीटर लाइन—तिरुतुरैपूण्डी-पोइंट कालीमेड़	20,23	22,68	21,25
3.	मीटर लाइन - मेट्टुपालयम-उटकमंड	1,37,88	1,36,86	1,37,30
4.	मीटर लाइन—मदुरै-बोडिनायक्कनूर	52,97	55,21	51,70
5.	मीटर लाइन—चिकजाजपुर-चित्रदुर्ग	68,56	24,45	33,13
6.	मीटर लाइन—नंजनगुड-चामराज नगर	23,52	46,52	53,61

1	2	3	4	5
7.	मीटर लाइन —येतहुंका-बंगारपेट्टै	96,25	1,14,36	1,11,83
8.	मीटर लाइन—पेरालम-कारक्काल	8,97	9,50	27
9.	मीटर लाइन—मायुरम ट्रैनक्यूबार	1,50	12,26	14
10.	मीटर लाइन—तिरुनेलवेल्ली-तिरुचन्दूर	70,46	66,73	70,70
11.	मीटर लाइन—सागर-तालगुप्पा	26,71	25,78	28,00
12.	मीटर लाइन — विष्णुपुरम-पांडिचेरी	11,32	10,26	27,44
	जोड़	5,40,97	5,66,26	5,59,09

दक्षिण मध्य रेलवे

(हजार रुपयों में)

क्र० सं०	शाखा लाइनों के नाम	हानियां		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	मीटर लाइन—होसपेट-कोट्टुर	72,51	95,96	1,16,31
2.	मीटर लाइन—बंकमपेट-बोधन	11,68	8,83	11,64

1	2	3	4	5
3.	मीटर लाइन—बेल्लारी-रायदुर्ग	34,02	38,90	43,62
4.	बड़ी लाइन—गुडिवाडा-मछलीपटनम्	12,33	38,88	67,83
5.	मीटर लाइन—धुंडा रोड-स्वामीहल्ली	31,65	48,76	63,50
6.	मीटर लाइन—मुदखेड-अदिलाबाद	45,75 (+)	3,74	62,37
7.	मीटर लाइन—अलवाभर-डांडेली	33,27	38,89	25,46
8.	मीटर लाइन—गुंटूर-माचेर्ला	(लाभप्रद)	71,02	(लाभप्रद)
	जोड़	2,41,21	3,37,50	3,90,73

दक्षिण-पूर्व रेलवे

(आंकड़े हजार रुपयों में)

क० सं०	शाखा लाइन का नाम	हानियां		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	छोटी लाइन नौपाडा-गुनुपुर	41,02	68,72	74,55
2.	छोटी लाइन रुपसा-तालबंध	1,06,05	1,14,90	1.13,78

1	2	3	4	5
3.	छोटी लाइन पुरुलिया-कोटशिला और रांची-लोहारदगा	44,97	62,73	1,12,40
4.	छोटी लाइन रायपुर-धमतारी	1,29,88	1,60,93	1,75,99
5.	छोटी लाइन सतपुड़ा रेलवे	14,72,75	15,90,31	14,60,35
6.	बड़ी लाइन टाटा-बादामपहाड़	1,88,60	1,96,51	1,84,97
7.	बड़ी लाइन बोब्बिली-सालूर	24,02	30,01	(लाभप्रद)
8.	बड़ी लाइन बोंडामुंडा-नवगांव-पूर्णापानी	22,74	30,67	39,87
9.	बड़ी लाइन हटिया-नवगांव	61,04	74,05 (+)	21,12
10.	बड़ी लाइन खोरधा रोड-पुरी	23,31	(लाभप्रद)	62,70
11.	बड़ी लाइन कन्हन-रामटेक	6,43	6,32	(लाभप्रद)
	जोड़	21,20,81	23,34,65	22,03,49

पश्चिम रेलवे

(आंकड़े हजार रुपयों में)

क्र० सं०	शाखा लाइन का नाम	हानियां		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	छोटी लाइन बिल्लीमोरा-वघई	45,04	47,06	51,23

1	2	3	4	5
2.	छोटी लाइन पीपलोद-देवगढ़बारिया	1.11.76 से गाड़ी हटा ली गई।		
3.	छोटी लाइन भावनगर-तलाजा-महुवा	26.5.87 से बन्द कर दी गई।		
4.	छोटी लाइन जोरावर नगर-सायला	15.7.88 से बन्द कर दी गई।		
5.	छोटी लाइन मोरवी-घांटीला	19,4[illegible]	3,82	बन्द कर दी गई
6.	छोटी लाइन छुच्छपुरा-टंकाला	32,21	40,56	19,46
7.	छोटी लाइन कोसम्बा-उमरपाड़ा	52,10	67,83	42,64
8.	छोटी लाइन झगाडिया-नेत्रंग	27,66	31,32	19,04
9.	छोटी लाइन चोरंडा-मोतीकोरल	17,74	19,79	13,70
10.	छोटी लाइन समनी-दहेज	36,53	42,62	26,71
11.	छोटी लाइन गोधरा-लूनावाडा	39,55	47,89	29,73
12	छोटी लाइन चंपानेर-शिवराजपुर-पानीमाइनस	43,37	52,79	30,17
13.	छोटी लाइन डभोई-टिंबा-रोड	90,01	1,11,69	69,36
4.	छोटी लाइन भरुच-जंबूसर-कावी	72,92	88,83	76,39
15.	छोटी लाइन छोटा उदयपुर-जंबूसर	1,48,46	1,96,34	1,48,78
16.	छोटी लाइन अंकलेश्वर-राजपीपला	61,46	73,81	44,32
17.	छोटी लाइन चांदोद-मालसर	14,30	96,34	71,87

1	2	3	4	5
18.	छोटी लाइन नडियाद-भादरन	49,74	01,42	36,47
19.	छोटी लाइन नडियाद-कपड़वंज	46,87	56,62	31,69
20.	मीटर लाइन सांगानेर टाउन-टोडा राय सिंह	7[illegible],75	96,11	96,62
21.	मीटर लाइन गांधीधाम-न्यू कांडला	1,14,34	1,26,86	1,38,96
22.	मीटर लाइन मावली जंक्शन-बड़ी सादड़ी	1,65,08	1,83,31	1,89,16
23.	मीटर लाइन कुंकावाव-देरडी	3.5.74 से गाड़ियों का चालन बन्द कर दिया गया है।		
24.	मीटर लाइन बोटाद-जसदन	23.12.85 से गाड़ियों का चालन रद्द कर दिया गया है।		
25.	मीटर लाइन निगाला-महुवा-स्वामी नारायण	1.10.86 को बन्द कर दी गई।		
26.	मीटर लाइन सिहोर-पालिटाना	32,82	40,91	46,10
27.	मीटर लाइन ढूंगर जंक्शन-विक्टर	23.12.85 से गाड़ियों का चालन रद्द कर दिया गया है।		
28.	मीटर लाइन शापुर-सराडिया	भारी दरारों के कारण 21.6.83 से गाड़ी सेवाएं रद्द कर दी गई हैं।		
29.	मीटर लाइन कुंकावाव-जागासर	22.12.85 को बन्द कर दी गई।		
30.	मीटर लाइन थान-चोटिला	2.6.80 से गाड़ियों का चालन बन्द कर दिया गया है।		
31.	मीटर लाइन हडमतिया-जोडिया	11.7.79 से गाड़ियों का चालन बन्द कर दिया गया है।		
32.	मीटर लाइन खम्भालिया-सलाया	11.7.79 से गाड़ियों का चालन बन्द कर दिया गया है।		
33.	मीटर लाइन हारीज-चाणस्मा	18,77	16,60	2[illegible],67

1	2	3	4	5
34.	मीटर लाइन मेहसाणा-तारंगा हिल	32,85	34,89	40,59
35.	मीटर लाइन हिम्मत नगर-खेड ब्रह्मा	38,65	36,48	44,41
36.	बड़ी लाइन बोरियावी-वडताल-स्वामी नारायण	30,22	31,72	33,23
37.	बड़ी लाइन आणन्द-खंभात	85,55	91,38	1,15,40
38.	मीटर लाइन तलाजा-देलवाड़ा	लाभप्रद (+)	1,79,68	लाभप्रद
	जोड़ हानियां (हजारों रुपयों में)	13,91,44	15,17,86	14,36,70
	कुल जोड़ :			
	(क) हानियां	रु० 107 करोड़	रु० 107 करोड़	रु० 114 करोड़
	(ख) अलाभप्रद शाखा लाइनों की संख्या	141	136	120

नोट :—

"(+)" दर्शाता है कि कुछ आमदनी सकारात्मक है यद्यपि प्रतिफल की दर लाभांश की दर से कम है अतएव अलाभप्रद है। समग्र हानि की गणना करते समय ऐसी लाइनों को लेखे में ले लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने घाटा पहुंचाने वाली रेल रूटों के सुधार के लिए उठाए गए कुछ कदमों की जानकारी दी है। अलग-अलग रेल रूटों के अलाभप्रद होने का अलग-अलग कारण नहीं दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, घाटे में चलने का या रेल लाइनों के अलाभप्रद होने का कारण क्या है? उदाहरण के लिए, ईस्टर्न रेलवे के दानापुर डिवीजन में बख्तियारपुर-राजगीर रेल लाइन का इसमें जिक्र है, अलाभप्रद होने का। पर्यटन की दृष्टि से यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर राजगीर से गया तक, जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर का गैप है, जोड़ दिया जाता है, तो पूरा बुद्धिस्ट सर्किट पूरा हो जाता है, ऐसे ही कोई कदम आज उठाने से जो आज अलाभप्रद है, कल वायबल हो सकते है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार इस संबंध में स्थानीय लोगों के सुझाव या जनप्रतिनिधियों के सुझाव मांगना चाहेगी या अलाभप्रद रेल रूट को वायबल बनाने के लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहती है तथा इसके अलाभप्रद होने के कारण क्या है?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, रेल लाइनों के अलाभप्रद होने का कारण यातायात तथा संचालन संबंधी अन्य कई बातें हैं। जहां तक विशेषज्ञ समिति का संबंध है, रेलवे सुधार समिति द्वारा वर्ष 1983 में 136 ऐसी रेल लाइनों का पता लगाया है जोकि अलाभप्रद है और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने यह सिफारिश की है कि इन 136 अलाभप्रद रेल लाइनों में से, 40 बंद कर दी जानी चाहिए और रेल विभाग को राज्य सरकारों से बातचीत करनी चाहिए। यदि फिर भी घाटा होता है तो राज्य सरकार और रेल विभाग को 50:50 के आधार पर इसे वहन करना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्यवश राज्य सरकारों से नकारात्मक उत्तर मिला है। यह मामला आठवें वित्त आयोग को भी भेजा गया है और आठवें वित्त आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मंत्री महोदय से सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था, क्या लोकल रिप्रजेंटेटिव से या लोकल लोगों से सुझाव मांगना चाहती है? इसका कोई उत्तर नहीं आया। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, सुधार करने के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे रेल सेवा को बंद करते चले जाएंगे। वैसे ही रेल सेवा कम है और उसको समाप्त करते चले जा रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार की मंशा या सरकार का विचार इस प्रकार के रेल लाइनों को बंद करने की नैगेटिव एँप्रोच का तो नहीं है?

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, सरकार की कोई नैगेटिव एप्रोच नहीं है। सरकार का यह ध्येय नहीं है कि रेल लाइनों को समाप्त करे। सरकार का यही ध्येय है कि प्रजा के हित में सेवा करे।

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि कर्नाटक में दक्षिण मध्य रेलवे मण्डल की दोनों रेलवे लाइनें अर्थात होस्पेट से कोट्टूर तथा बेल्लारी से रायदुर्ग के बीच की मीटर

वेज लाइनों पर वर्ष 1990-91 के दौरान क्रमशः 1,61,031 रुपये तथा 43,062 रुपये का घाटा हुआ है अथवा नहीं। यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी मुझे यह आश्वासन देंगे कि होस्पेट से कुट्टूर के बीच की रेल लाइन को हरिहर से जोड़ दिया जाएगा जोकि निश्चित रूप से एक लाभप्रद इकाई होगी ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। यह बात मुख्य प्रश्न से ही सम्बन्धित होनी चाहिए।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, आप कृपया उत्तर को देखिए। उत्तर में पहले से ही यह उल्लेख किया गया है कि यह दोनों रेलवे लाइनें लाभप्रद नहीं हैं। इस प्रकार मैं ऐसी कोई बात नहीं पूछ रही हूं जोकि मुख्य प्रश्न के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। यदि कोट्टूर को हरिहर से जोड़ दिया जाता है तो यह अर्थसक्षम होगी क्योंकि अयस्क मंगलौर बंदरगाह अथवा करवार बंदरगाह पर भेजा जा सकता है। क्या माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि वे कोट्टूर से होस्पेट के बीच रेल लिंक स्थापित करायेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का संबंध है, इस मामले की हम जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अधिकांश अलाभकर जो रेलवेज हैं, उनमें छोटी लाइन की जो रेलवे है वहां सबसे ज्यादा घाटा होता है और इस बार मंत्री जी ने अपने रेल बजट में बहुत सी छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में कन्वर्ट करने का ऐलान किया है। मैं महसूस करता हूं कि उत्तर भारत की छोटी लाइनों को उसमें कम लिया गया है और विशेष तौर पर बिहार में एक बहुत बड़ा इलाका कोसी बेल्ट है, जिसमें छोटी लाइन के चलते बहुत घाटे में वे रेलवे चलता है। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा घाटा छोटी लाइन की रेलवेज पर होता है; क्या इसको स्पीड अप करने का सरकार का इरादा है और जो उत्तर भारत में भावना है कि इस इलाके में छोटी लाइनों को बड़ा करने में कम ध्यान दिया गया है, इस पर सरकार की क्या राय है ?

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, ये छोटी मीटर लाइन के जो आपरेशन रेश्यो हैं 170 परसेंट यह सत्य है कि नुकसान होता है। अब वहां तो नया कार्यक्रम दिया गया है 6000 किलोमीटर के परिवर्तन करने का, जिसके कारण हम विश्वास रखते हैं कि भविष्य में कुछ वृद्धि की तरफ हम चलेंगे।

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : महोदय, अलाभप्रद लाइनों के कारण रेलवे विभाग को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इन अलाभप्रद रेल मार्गों को सड़क परिवहन में परिवर्तित करके इस भारी हानि को कम किया जा सकता है। किसी मार्ग को लाभकारी बनाने के लिए उस पर कम से कम कितना प्रतिशत यातायात होना चाहिए ?

श्री मल्लिकार्जुन : जैसाकि सभा को पहले से ही सूचित किया जा चुका है, ऐसी अलाभप्रद

रेल लाइनों के कारण, इस वर्ष हमें लगभग 114 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारें इसमें हमें सहयोग दें। अब एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जब हमें ऐसी अलाभप्रद रेल लाइनों के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण त्याग देना चाहिए। इस संबंध में, राज्य सरकारों को आगे आना चाहिये। जब रेलवे सुधार समिति ने सिफारिश की थी हमने कुछ ऐसी रेल लाइनों को बंद करने और उन रास्तों को सड़क परिवहन से जोड़ने व उन पर नई बसें चलाने की दिशा में भरसक प्रयत्न किये। रेलवे विभाग तो कच्ची सड़कों को पक्की सड़कें बनाने के लिए भी तैयार है और इस कार्य के लिए रेलवे विभाग एक मुश्त खर्च करने को भी तैयार है। किन्तु अभी तक कोई भी राज्य सरकार आगे नहीं आई। किसी प्रकार अब यह निर्णय लिया गया है कि रेल मंत्री राज्यों के मुख्य मंत्रियों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करेंगे। हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि ऐसी अलाभकारी रेलवे लाइनों से छुटकारा पा सकें और इसके विपरीत सड़क परिवहन व्यवस्था को विकसित करेंगे जिससे इस देश के लोगों की सेवा कर सकें।

कश्मीर छोड़कर आए छात्रों का विश्वविद्यालयों में दाखिला

[हिन्दी]

*185. श्री स्वामी सुरेशानन्द :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कश्मीर छोड़कर आए छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए किन-किन विश्वविद्यालयों में दाखिले की सुविधा प्रदान की है;

(ख) ऐसे कितने छात्र इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं;

(ग) क्या किसी विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों को दाखिला देने से मना कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. केन्द्रीय सरकार और जम्मू व काश्मीर सरकार ने कश्मीर छोड़कर आए छात्रों को वैकल्पिक शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के उपाय किए हैं।

2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों में पिछले दो वर्षों के दौरान काश्मीर छोड़कर आये जितने छात्रों को प्रवेश दिया गया, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

	1990-91	1991-92
(I) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	127	224
(II) जामिया मिलिया इस्लामिया	100	105
(III) दिल्ली विश्वविद्यालय	95	14

3. इसके अतिरिक्त, इस विभाग ने 1990-91 के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर के लगभग 700 छात्रों के अन्य क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और इंजीनियरी कालेजों में स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान की।

4. जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार घाटी से लगभग 2,300 प्रवासी छात्रों को जम्मू डिविजन में स्थापित तीन शिविर कालेजों में प्रवेश दिया गया है और किसी भी प्रवासी छात्र को इन कालेजों में प्रवेश के लिए इन्कार नहीं किया गया है। अनेक प्रवासी छात्रों को जम्मू में अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में भी प्रवेश दिया गया है।

5. दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया ने सूचित किया है कि कश्मीर छोड़कर आये उन सभी छात्रों को, जो निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते थे, पिछले दो वर्ष के दौरान प्रवेश दिया गया था। 1991-92 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या को देखते हुए, विश्वविद्यालय को प्रवेश की उपलब्ध क्षमता के अनुसार ही प्रवेश देना पड़ा।

[हिन्दी]

श्री स्वामी सुरेशानन्द : मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें किन्हीं कारणों से प्रवेश नहीं मिल पाया है, उसमें क्या आर्थिक कारण हैं और यदि आर्थिक कारण हैं तो उन गरीब छात्रों के लिए सरकार क्या सोच रही है ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग विश्वविद्यालयों में अलग-अलग संख्या में छात्रों की भर्ती की गई है, जिसकी जानकारी दी गई है। केवल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति आई है, जिसमें 600 विद्यार्थियों ने प्रवेश चाहा था और 400 के करीब छात्रों के प्रवेश के लिए वहां पर साधन थे, लेकिन वस्तुतः उनमें से 250 के लगभग छात्र ही भर्ती होने आए।

जहां तक फाइनांशल एड का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस बारे में यह मंत्रालय कुछ नहीं कह सकता, यह कार्यक्षेत्र गृह विभाग का है और वे ही इस पर फैसला कर सकते हैं कि इन छात्रों को फाइनांशल असिस्टेंस देनी है या नहीं।

श्री सुरेशानन्द स्वामी : मान्यवर, जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो छात्र कश्मीर से आए हैं, उन्हें उनकी समकक्ष कक्षाओं में ही प्रवेश दिया गया है या उससे निचली कक्षाओं में प्रवेश दिया गया है। यदि ऐसा है तो इससे उन छात्रों को जो हानि होगी, उसके बारे में सरकार का क्या कहना है ?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रवेश तो पात्रता के मुताबिक ही दिया जाएगा। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अपने मापदंड हैं। उन मापदंडों के अनुसार ही वे जितने लोगों को और जिस कक्षा में एडमीशन दे सकते हैं, उन्होंने दिया है।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस : राज्य के कोटे के अनुसार केरल जैसे अन्य कई राज्यों से भी बहुत से छात्रों को रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, श्रीनगर में प्रवेश दिया गया है। सरकार से हमारी यह

निरंतर मांग रही है कि कुछ सीटें अन्य इंजिनियरिंग कालेजों को, सम्भवतः छात्रों के अपने ही राज्यों के कालेजों को, दे दी जाएं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कर दिया गया है अथवा नहीं।

श्री अर्जुन सिंह : जहां तक रीजनल इंजिनियरिंग कालेज श्रीनगर का संबंध है, राज्य में उत्पन्न समस्या के परिणामवश बहुत से छात्रों को वहां से जाना पड़ा। हमनें जम्मू में एक कैम्प कालेज खोला है जिसमें रीजनल इंजिनियरिंग कालेज श्रीनगर में अध्ययन करने वाले लगभग सभी छात्रों को प्रवेश दिया गया है। यदि इसके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे छात्र हैं, तो मैं माननीय सदस्य से इसके बारे में जानना चाहूंगा और हम अवश्य ही उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के संज्ञान में है कि जम्मू-कश्मीर में एम० ए० तक विश्वविद्यालय स्तर तक की पढ़ाई बिना फीस लिए होती है। जो लोग जम्मू-कश्मीर से माइग्रेट होकर आए हैं, वहां से निष्क्रमण कर गए हैं, उनकी दुश्वारियां और कठिनाइयां और बढ़ गई हैं। जब उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ गई हैं, ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ विश्वविद्यालयों में विशेष परिस्थिति में उनको दाखिला दिलाया जा रहा है ऐसी हालत में ऐसे विद्यार्थियों को जो वहां से माइग्रेट करके यहां आए हैं, उनको मुफ्त शिक्षा देने में सरकार को क्या कठिनाई है।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि इस विषय पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है और इस पर वे ही फैसला लेंगे।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने छात्र हैं जो धनाभाव के कारण यूनिवर्सिटीज में एडमीशन नहीं ले पाए हैं और ऐसे कितने छात्र हैं जिनको उस कोर्स में और उस कक्षा में एडमीशन नहीं मिल पाया है, जिसमें वे पढ़ते थे और ऐसे छात्रों को उसी कोर्स और उसी कक्षा में प्रवेश दिलाने के बारे में सरकार क्या कर रही है।

श्री अर्जुन सिंह : धनाभाव के बारे में तो मैंने उत्तर दे दिया है। जहां तक कक्षाओं में प्रवेश का सवाल है, विश्वविद्यालय के पात्रता के जो नियम हैं, उनके विपरीत एडमीशन देने के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रयास यही किया गया है कि जितने भी छात्र हैं, ज्यादा सहानुभूति दिखाकर उनको प्रवेश दिया जाए।

कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना

[अनुवाद]

186. डा० देवी प्रसाद पाल† :

श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता मेट्रो रेलपरियोजना की मूल योजना का ब्योरा क्या है;

(ख) इस परियोजना पर कार्य कब शुरू किया गया था;

(ग) अब तक कितनी लम्बी लाइन पूरी हो चुकी है;

(घ) क्या इसका निर्माण कार्य निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार चल रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस परियोजना को समय पर पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) इस परियोजना का कार्य निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दम दम जंक्शन से टालीगंज तक 16.45 कि० मी० की लम्बाई में मेट्रो रेलवे की व्यवस्था करना।

(ख) 1973.

(ग) 9.8 कि० मी०।

(घ) कार्य संशोधित अनुसूची के अनुसार चल रहा है और इस परियोजना को 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) कार्य-समापन संबंधी मूल अनुसूची में निम्नलिखित कारणों से संशोधन करना पड़ा था :—

(i) परियोजना के प्रारंभिक चरणों के दौरान पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध न होना।

(ii) राज्य सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब।

(iii) श्रमिक समस्याएं।

(iv) कुछ अन्य कारण जैसे स्थानीय प्राधिकारियों से सड़क यातायात ब्लाक प्राप्त करने में विलम्ब होना तथा पानी के पाइपों, सीवर लाइनों, बिजली/टेलीफोन केबलों, आदि जैसी भूमिगत जन-सुविधाओं को दूसरे स्थान पर अवस्थित करना।

(च) (i) इस परियोजना के लिए धन के आवंटन में समुचित वृद्धि की गई है।

(ii) श्रमिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

(iii) शेष भूखंडों को उपलब्ध कराने तथा अपेक्षित सड़क यातायात ब्लाकों की व्यवस्था करने के बारे में राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

डा० देबी प्रसाद पाल : मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब मेट्रो-रेलवे परियोजना का कार्य आरम्भ किया गया था, तो ऐसी धारणा थी कि भीड़-भाड़ वाले नगर कलकत्ता की

परिवहन व्यवस्था में इसका बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित हो जाएगा। इसे 1973 में प्रारम्भ किया गया था। लगभग 20 वर्ष बीतने वाले हैं। मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना के 16.45 कि० मी० कार्य में से केवल 9.8 कि० मी० कार्य ही पूरा हुआ है। उनके द्वारा बताये गए दो कारणों में से एक तो धनराशि की अपर्याप्त आपूर्ति और दूसरा श्रम संबंधी समस्या है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार को पर्याप्त धनराशि कब उपलब्ध कराई गई थी ? 1973 से लेकर यदि अभी तक भी ऐसा नहीं किया गया है, तो धनराशि को उपलब्ध न कराने के कारण इस समय लागत में कितनी वृद्धि हुई है। दूसरे उन्होंने कहा 1990 वर्ष में आठ माह से भी अधिक समय तक श्रम संबंधी समस्या के कारण समूची परियोजना शिथिल हो गई थी। इस श्रम समस्या के लिए कौन उत्तर दायी है।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह सत्य है कि यह परियोजना 1973 में प्रारम्भ हुई थी। इसकी अनुमानित लागत 140 करोड़ रुपये थी। लेकिन 1978 अथवा 1979 तक योजना आयोग ने अधिक धनराशि उपलब्ध नहीं की और केवल 68 करोड़ रुपये की धनराशि ही उपलब्ध करायी गई। जबकि इसका लागत 1330.8 करोड़ तक पहुंच चुकी है।

अब माननीय सदस्य श्रम संबंधी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं निसंदेह श्रम संबंधी समस्या ठेकेदारों के साथ थी न कि हमारे साथ। इसकी वजह से चार पांच महीने तक समस्या बनी रही। चल पूंजी में भी कुछ स्थिरता आ गई थी। लेकिन अब कोष की स्थिति में सुधार हुआ है और अब योजना आयोग धनराशि का आबंटन कर रहा है। उम्मीद है कि वर्ष 1995 तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी।

डा० देवी प्रसाद पाल : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि श्रम संबंधी समस्या के कारण चार-पांच माह के लिये कार्य रुक गया था और यह समस्या ठेकेदारों के साथ थी।

क्या यह सही है कि ठेकेदारों को कुछ कामगारों संबंधी श्रम समस्या के कारण किसी विशेष राजनैतिक दल द्वारा समूचा कार्य रोक दिया गया और सारा कामकाज रुक गया था। और आठ माह से भी अधिक समय तक काम रुक जाने के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई लागत कितनी है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह स्पष्ट है कि काम रुक जाने के कारण लागत बढ़ी है। काम खटाई में पड़ जाएगा। माननीय सदस्य की धारणा यह थी कि समस्या किसी राजनैतिक दल के कारण पैदा हुई थी। मैं इस पर बारीकी में नहीं जाना चाहता। और भी बहुत से पहलू हैं जिनका पता लगाया जाना है।

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि मूल परियोजना के तहत् क्या यह सही है कि उक्त रेल परियोजना 1978 तक पूर्ण होनी थी ? यदि हां, तो मूल परियोजना में 16.43 प्रतिशत रेलवे लाईन पर कुल कितना व्यय करना था और अब तक आप कुल कितना व्यय कर चुके हैं ? दूसरा, वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उस पर प्रति किलोमीटर कितना व्यय हो रहा है ? साथ ही साथ जो कारण आपने बताएं हैं इन कारणों का क्या पूर्व में आपने आंकलन नहीं किया था कि इस कार्य में यह-यह व्यवधान आयेंगे तथा इनको इस-इस तरह दूर किया जाएगा ? स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय, वित्तीय वर्ष का एलोकेशन 125 करोड़ है। इसको मिलाकर अगर हम देखेंगे तो अब तक 1064.5 करोड़ रुपया हम लोगों का इस पर खर्च हुआ है।

[अनुवाद]

श्री बसु देव आचार्य : ठेकेदार के साथ कुछ समस्या थी। ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने के लिए धन की कमी थी। चूंकि ठेकेदार के पास कार्य आरम्भ करने के लिए धन का अभाव था इसलिए ठेकेदार ने कार्य रोक दिया।

अब कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना को 1995 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। कलकत्ता मेट्रो रेल के लिए पहले जितना धन प्रदान किया गया था, वह पर्याप्त नहीं था। वह 130 करोड़ रुपये की राशि थी, जो पर्याप्त नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार पर्याप्त धन आवंटित करने का है ताकि कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना वर्ष 1995 तक पूरी हो जाए। यदि हां, तो कितने धन की जरूरत होगी? मेट्रो रेल लाईन को गरिया तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के मात्र दो भागों का ही जवाब दें। आपको प्रश्न के तीसरे भाग के जवाब देने की जरूरत नही है।

श्री मल्लिकार्जुन : वह जानने चाहते हैं कि क्या वर्ष 1995 के अन्त तक इसे हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं। हमें विश्वास है कि वर्ष 1995 के अन्त तक हम इसे पूरा कर लेंगे। आज भी हमारी एक समस्या है। राज्य सरकार ने दस भूखण्डों को अधिगृहित किया है और इन दस भूखण्डों में से 6 भूखण्ड अधिग्रहीत करने हैं और इनमें से छः के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। धन उपलब्ध हो जाएगा बशर्ते कि जो इसके लिए जरूरी शर्तें हैं वो पूरी कर ली जाएं। धन की कोई समस्या नहीं है। हम काम को जितना जल्दी संभव हो सके पूरा करना चाहते हैं जिससे कि लागत वृद्धि से बचा जा सके।

वे रेलवे लाईन का विस्तार टोलीगंज से गरिया तक चाहते हैं। यह संभव नहीं है क्योंकि वे पहले ही पर्याप्त समय ले चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब और 300 करोड़ रुपये अधिक खर्च। (व्यवधान)

श्री विजय नवल पाटील : पश्चिम बंगाल कलकत्ता मेट्रो रेल के लिए केन्द्रीय सरकार 100 प्रतिशत धन प्रदान कर रही है, लेकिन न्यू बम्बई, सी० आई० डी० सी० ओ० क्षेत्र के लिए···

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)**

श्री तरित बरण तोपदार : कलकत्ता मेट्रो रेल लाईन सहित विभिन्न विभागों या क्षेत्रों को धन मुहैया कराने के लिए रेलवे द्वारा किस नीति का अनुसरण किया जा रहा है?

श्री मल्लिकार्जुन : रेलवे की कोई नीति नहीं है, लेकिन हम योजना आयोग के पास जाते हैं। वह योजना आयोग है जो धन आवंटित करता है और योजना आयोग द्वारा आवंटित धन के आधार

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर हम विभिन्न कार्य शुरू करते हैं और इसमें मेट्रो रेलवे भी शामिल है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 187

श्री नीतीश कुमार : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता। प्रश्नकाल के दौरान सूचना प्राप्त करने के प्रश्न उठाए जा सकते हैं। आप कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्वेश्चन आॅवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। हम देखेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों से आशा की जाती है कि वे दर्शक दीर्घा की तरफ न देखें।

"वन रोपण कार्यक्रम"

187. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला†:

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलेपमेंट अथारिटी ने भारत में पेड़ों की संख्या को बढ़ाने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में इस योजना को शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत पेड़ उगाने वालों को क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क); (ख); (ग) तथा (घ) स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी (सीडा) की सहायता से चलाई जा रही सामाजिक वानिकी परियोजनाओं तथा प्रस्तावित "वृक्ष उगाने वालों की सहकारिताओं की परियोजना" के ब्यौरे सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में दिए गए हैं।

प्रस्तावित "वृक्ष उगाने वालों की सहकारिताओं की परियोजना" के अन्तर्गत वृक्ष उगाने वालों को प्रदान की जाने वाली सहायता, प्रोत्साहनों सहित, के ब्यौरे सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में दिए गए हैं।

विवरण-एक

सीडा द्वारा सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	परियोजना क्षेत्र	परियोजना की लागत (करोड़ रुपए में)	परियोजना की अवधि
चलाई जा रही परियोजनाएं				
1.	बिहार सामाजिकी वानिकी परियोजना चरण-II	बिहार (छोटा नागपुर तथा संथाल परगना)	63.85	1985-86 से 1991-92 तक
2.	उड़ीसा सामाजिक वानिकी परियोजना चरण-II	उड़ीसा	78.34	1988-89 से 1992-93 तक
3.	तमिलनाडु सामाजिक वानिकी परियोजना चरण-II	तामिलनाडु	85.40	1988-89 से 1992-93 तक
प्रस्तावित परियोजनाएं				
4.	समेकित परती भूमि विकास परियोजना	राजस्थान (डूंगरपुर जिला)	28.14	—
5.	वृक्ष उगाने वालों की सहकारी परियोजना	उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु	24.47	—
	(विचाराधीन हैं। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।)			

विवरण-दो

वृक्ष उगाने वालों की सहकारिताओं की परियोजना, जिसके लिए स्वीडिश इन्टरनेशनल अथारिटी (सीडा) से सहायता मांगी जा रही है, पर सीडा के प्राधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। परियोजना उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु में कार्यान्वित की जाएगी। प्रत्येक राज्य में 100 "वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियां" स्थापित की जाएंगी। समग्र रूप से इन सहकारी समितियों में 29,000 सदस्यों को शामिल किए जाने तथा 4430 हैक्टेयर निजी भूमि और 5250 हैक्टेयर सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किए जाने का प्रस्ताव है।

परियोजना में निजी वृक्ष उगाने वालों को मुख्य रूप से निम्नलिखित सहायता दी जाएगी :—

(i) उचित प्रजातियां उगाने के लिए बीजों की सप्लाई और आवश्यक निवेश।

(ii) रोपण विधि, मृदा तथा जल संरक्षण के लिए तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन,

कटाई तकनीक तथा अन्य ऐसी सहायता जिसकी वृक्ष/घास की खेती से आर्थिक प्रतिलाभ प्राप्त किए जाने के लिए आवश्यकता हो।

(iii) चारे और वृक्ष उत्पादों का प्रबंध और विपणन्।

(iv) ऊर्जा की बचत करने वाली युक्तियों, जैसे धुआं रहित चूल्हे, बायोगैस संयंत्र, सौर तथा पवन ऊर्जा प्रणालियों, का प्रयोग।

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वृक्षारोपण कार्य के लिए स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलेपमेंट आथारिटी द्वारा भारत को किन शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

श्री कमल नाथ : वृक्षारोपण सहकारी परियोजना, जिसके लिए स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलेपमेंट आथारिटी से सहायता प्राप्त की जा रही है वह कुल 24.47 करोड़ रुपये लागत की है और तीन राज्यों में, राजस्थान, तमिलनाडु और उड़ीसा में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रस्तावित परियोजना की अवधि 5 साल की है। प्रत्येक राज्य में 100 वृक्षारोपण सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इस प्रकार सहकारी समीतियों के कुल 29.000 सदस्य होंगे। और इसके अन्तर्गत 4430 हेक्टेयर गैर सरकारी भूमि और 5250 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

इस योजना के मुताबिक परियोजना का 75 प्रतिशत लागत अर्थात 24 करोड़ के लगभग मूल्य का खाद्य तेल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आयात किया जाएगा। इसका मुद्रीकरण किया जायेगा। इस मुद्रीकरण से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से इस परियोजना को धन दिया जाएगा।

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार अन्य देशों से भी वृक्षारोपण के लिए सहायता ले रही है। यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और वर्ष 1991 और 1992 के दौरान कितनी सहायता प्राप्त की गई। और इसमें कितनी धन राशि गुजरात में खर्च की गई।

श्री कमल नाथ : कतिपय परियोजनाएं हैं जिन पर बहस की जा रही है और विदेशी सहायता से जो वानिकी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वह है पं० बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान तमिलनाडु और उड़ीसा में चलायी जा रही हैं।

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : गुजरात के विषय में क्या विचार है?

एक माननीय सदस्य : उन्होंने गुजरात के विषय में पूछा है।

श्री कमल नाथ : उन्होंने अन्य परियोजनाओं के बारे में भी पूछा है और मैं अन्य परियोजनाओं के बारे में उत्तर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : और आप उनके प्रश्न का जवाब देंगे।

श्री कमल नाथ : मैं किसी और को नहीं बल्कि उन्हीं के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में भी कुछ परियोजनाएं हैं। ये अन्य परियोजनाएं हैं। यदि माननीय सदस्य कुछ और जानना चाहती हैं तो मैं उन्हें जानकारी उपलब्ध कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे उन्हें लिखित रूप में भेज सकते हैं।

श्री कमलनाथ : मैं उन्हें भेज दूंगा।

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : राजस्थान में पानी की अत्यधिक कमी को देखते हुए वृक्षारोपण के लिए क्या उपाय किए गए हैं और शुष्क जलवायु तथा पानी की कमी से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री कमल नाथ : विभिन्न वक्षारोपण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। और निश्चय ही पानी की स्थिति में इससे सुधार होगा।

जैसा कि मैंने अपने पूर्व जवाब में कहा है कि वृक्षारोपण सहकारी समीतियों और राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की जो भी परियोजनाएं हैं वे राजस्थान में भी कार्यान्वित की जाएंगी।

प्रयत्न यह है कि जन सामान्य की भी इसमें भागीदारी की जाए और खासकर गांवों के जन सामान्य की भागीदारी। इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बात है जन सामान्य की भागीदारी और हमें उम्मीद है कि इन परियोजनाओं की मदद से, जो अभी राजस्थान में चल रहा है, पानी की स्थिति में सुधार होगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : सर, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मार्फत आप यह प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, वह क्यों नहीं कर रही है ? स्टेट में नेशनल डेयरी टेवलपमेंट बोर्ड ट्री में आए, ये बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो जहां फारेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उनको यह काम क्यों नहीं देते हैं, इनको देने का क्या मतलब है ?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस एस०आई०डी०एच० की सहायता के बगैर भी वृक्षारोपण गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। कारण यह है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कारण इस कार्याक्रम की व्यावहारिकता संभव हो सकी है क्योंकि किसानों से उत्पादों की खरीद वही कर सकता है। यह सिर्फ वृक्षारोपण अथवा वृक्षों की रखवाली करने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि किसानों द्वारा इन वृक्षों से जो कुछ उत्पादन किया जाता है उसे सहकारी समीतियों की मदद से कैसे प्राप्त किया जाए। यह इस कार्यक्रम की व्यावहारिकता प्रदान करता है। जो इस वृक्षारोपण की एक समस्या है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर में बिहार को भी उसमें लेने का जो ऐलान किया है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन छोटा नागपुर क्षेत्र को ही आपने इस लक्ष्य में लिया। एक और क्षेत्र वनों और वृक्षों की दृष्टि से भी बिहार में अत्यन्त महत्वपूर्ण है—वह है पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण—जोकि हिमालय की तराई से ठीक सटे हुए हैं। वहां भी जंगलों की कटाई चोरी-छिपे और नेपाल राज्य से अंधाधुन्ध होती है जो परिणत होता है सूखे में। पर्यावरण की दृष्टि से वह एक कारण बनता है और बाढ़ का भी कारण बनता है जिसके कारण उत्तरी बिहार बहुत हद तक तबाह होता है। मेरे प्रश्न का "क" भाग यह है कि आपने बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिलों को इसमें क्यों नहीं लिया है ? दूसरी बात यह कि आपने वहां पर कई समितियों की ओर से कार्य करवाने की···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइए।

श्रीमती गिरिजा देवी : महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है उसको भी क्यों नहीं लिया गया है ? दूसरा प्रश्न यह है कि आप जब कई समितियों द्वारा करवाते हैं तो आपका उन समितियों पर क्या खर्च होता है ? आपकी सरकारी इस्टेबलिशमेंट--आफिसर्स, गाड़ी, मोटर, पैट्रोल— पर कितना खर्च होता है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उनके प्रश्न के पहले भाग का जवाब दीजिए।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : जहां तक उनके प्रश्न का दूसरा भाग है, मैं खासकर उसका उत्तर नहीं दे सकता हूं पर इतना जरूर माननीया सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए एक प्रोजेक्ट पोज किया गया है फ्रांस के साथ जो 50 करोड़ रुपये का है। हम फ्रांस से रेस्पांस अवेट कर रहे हैं। जहां तक प्रश्न है कि कितना खर्च होता है, जितनी सभी योजनाएं हैं, ये राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा की जाती हैं तो इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी शैलजा : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकती हूं कि क्या सरकार के पास इस योजना में महिलाओं तथा महिला संगठनों को शामिल करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ब्यौरा देने की कृपा करेंगे ?

श्री कमल नाथ : महोदय, इस सदन की दो माननीय सदस्यों द्वारा यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव यह है कि जब पौधों की छोटी अवस्था में उनकी देखभाल महिलाओं द्वारा की जानी चाहिए।

श्री कमल नाथ : हां, हमारी कोशिश है महिलाओं को शामिल करने की। महिलाओं को शामिल करने के लिए कई योजनाएं हैं। हमारे नर्सरी योजना आदि हैं। हमारा अनुभव यह है कि वे कार्यक्रम विशेष रूप से सफल रहे हैं जिनमें महिलाएं शामिल थीं। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा सम्भव हो सके उतना महिलाओं को इसमें शामिल किया जा सके। और उन सभी कार्यक्रमों को महत्व दिया जाएगा जिनमें महिलाओं की भागीदारी संभव हो सके।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा : मेरा प्रश्न यह है कि जो वन विभाग द्वारा वन लगाने का कार्यक्रम चलता है, उसमें जो पांच साल तक वन विभाग उसकी रक्षा करता है फिर उसको खुला छोड़ देता है, तब वह जंगल वापस खत्म हो जाते हैं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न यह है कि झाड़ लगाने के लिए परदेशी धन कहां से आएगा और उसका इस्तेमाल कैसे करना है।

श्री भेरू लाल मीणा : कुल मिलाकर बात यही है कि जंगल की रक्षा हो, जंगल ज्यादा हों।

इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जंगल लगाये जाते हैं पांच साल बाद उसको खुला छोड़ देते हैं और खुला छोड़ देने से वे फिर कट जाते हैं और उनको फिर से लगाते हैं। आप मेरी बात समझिए। वन लगाने की जो बात है उसको मजाक में टाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कर रहा हूं, ये कर रहे हैं। आप पूछिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं।

श्री भेरू लाल मीणा : जहां जंगल लगाए जाते हैं और उनके चारों ओर दीवारें लगाई जाती हैं। जंगल बढ़ जाते हैं तो उनको फिर खुला छोड़ देते हैं। वे फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर जंगल लगाये जाते हैं। इस तरह जंगल नष्ट होते रहे या वास्तव में उस जंगल को तैयार करना है।···(व्यवधान) गांवों के लोग खुद कहते हैं कि जो जंगल लगाए जाते हैं उनको काटना नहीं चाहिए। हम उसमें सहयोग करेंगे। (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने आपको टाइम दिया, उसका उपयोग कीजिये। मूल प्रश्न पूछिए। आप उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। आप प्रश्न पर आ जाइए। इस प्रकार से नहीं। आपने प्रश्न पढ़ा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भेरू लाल मीणा : मैंने यही प्रश्न पूछा है। आप अब जा कर।

नई पाठ्य पुस्तकें

*188. श्री दत्तात्रेय बंडारू† :

श्री अन्ना जोशी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अपनाए जाने के बाद किन-किन विषयों में संशोधित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप नई पाठ्यपुस्तकें शामिल नहीं की गई हैं;

(ख) इन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में अभी तक शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 19 6 के आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए रा०शै०अ०प्र०परि० द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (नेशनल करिक्यूलम फ्रेमवर्क) ने स्कूली शिक्षा के लिए अध्ययन की एक योजना की सिफारिश की है। योजना के अनुसार रा०शै०अ०प्र०परि० ने कक्षा—I और II के लिए पर्यावरण अध्ययन और विभिन्न स्तरों के लिए कार्य अनुभव, कला, शिक्षा और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के विषयों को छोड़कर सभी विषयों पर पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं।

फ्रेमवर्क में यह सुझाया गया है कि कक्षा—I और II में पर्यावरण अध्ययन में मुख्य बल बच्चों को केवल जानकारी देने पर नहीं बल्कि उनकी बुद्धि को पैदा करने, अपने पर्यावरण को देखने और खोज करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने पर होना चाहिए। कार्य अनुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यकलापोन्मुखी शैक्षिक कार्यक्रम हैं। चूंकि कार्यकलाप का आधार स्थानीय पर्यावरण को बनाना होता है और वे शिक्षुओं की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़े होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम के इन क्षेत्रों मे पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण की सिफारिश नहीं की गई है।

2. कालेज/विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यपुस्तकें निर्माण करने की कोई केन्द्रीकृत पद्धति नहीं है। प्रत्येक विश्वविद्यालय शैक्षिक रूप से स्वायत्त है और अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम स्वयं निर्धारित करता है। फिर भी प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को समाज के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने की एक योजना है। आयोग ने देश में सभी विश्वविद्यालयों को 27 विषयों पर माडल पाठ्यक्रम परिचालित किया है। यह विश्वविद्यालयों पर निर्भर करता है कि वे माडल पाठ्यक्रम को संशोधित करके या बिना संशोधन के अपनाएं।

दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति वर्ष 1986 में बनाई गई थी और 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। सामान्य कोर विषयों में भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन सांविधानिक वचनबद्धता, धर्मनिर्पेक्षवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामान्य समता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं को दूर करना और व्यावसायीकरण आदि शामिल हैं। इनके लिए एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ ने पाठ्यक्रम निर्धारित किए और पाठ्यचर्या निर्धारित करने के राज्य सरकारों के लिए मार्गनिर्देश तय किए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या देश में सभी राज्य सरकारें उन्हीं मार्गनिर्देशों को लागू कर रही हैं और पाठ्यक्रम निर्धारित कर रही हैं। मेरा विशेष मुद्दा यह है कि राज्यों में पर्यावरण संरक्षण और व्यावसायीकरण को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, दसवीं कक्षा तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा सी॰ए॰बी॰ द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था, उसके तहत एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ ने सी॰बी॰एस॰ई॰ के नियन्त्रण वाले स्कूलों के लिए पुस्तकें तैयार की हैं और स्कूलों में ये पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं।

जहां तक सभी राज्य सरकारों के लिए सुझाव सम्बन्धी सामान्य प्रश्न का संबंध है, हम उन पर इसे नहीं थोप सकते हैं। लेकिन एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ के मार्गनिर्देश उपलब्ध हैं और कुछ राज्यों ने उन्हें अपना लिया है और कुछ ने नहीं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, हमारा देश गांवों का देश है। पुस्तकों का अत्यधिक भार होने और विशेषरूप से प्रतिस्पर्धा के कारण पर्यावरणीय स्थिति की वजह से ग्रामीण लोग आगे नहीं आ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण लोगों की ओर विशेष ध्यान देगी, ताकि वे शहरी लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सकें क्योंकि आई॰ए॰एस॰ और आई॰पी॰एस॰ जैसी सेवाओं की परीक्षाओं में शहरी लोगों का प्रतिशत अधिक है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस शिक्षा नीति में ग्रामीण लोगों की ओर विशेष ध्यान देने की कोई विशिष्ट योजना है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, यह प्रश्न एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ से और एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰

द्वारा तैयार की गई पुस्तकों से सम्बन्धित है। पुस्तकें सी०ए०बी० द्वारा अनुमोदित किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई हैं। वे सी०बी०एस०ई० के सभी स्कूलों में लगाई गई हैं। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं जो स्कूल इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। वे राज्यों के बोर्डों के अन्तर्गत आते हैं। अब वे एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को इस्तेमाल करने और एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि हम इसके अतिरिक्त और कुछ कर सकते हैं। जहां तक ग्रामीण और शहरी बंटवारे का संबंध है, इस दूरी को पाटने के लिए स्कूल निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण घटक हैं और व्यापक अर्थों में विभाग इस मामले में हर संभव प्रयास कर रहा है।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, मेरे प्रश्न के तीन भाग हैं।

अध्यक्ष महोदय : खैर, आप ये मत कहिए तीन प्रश्न हैं।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, कराधान और अवमूल्यन के कारण महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकों का आयात असंभव हो गया है। अत: क्या सरकार के पास स्तरीय पुस्तकें लिखने के लिए भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना है ? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या सरकार का कुछ केंद्रीय निकाय बनाने का इरादा है ? जो सभी कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिए एक—समान स्तर की पाठ्यपुस्तकें सुलभ करा सके ? मेरे प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि क्या सरकार एक राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही पाठ्यक्रम रखने का प्रयास करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह पाठ्यक्रम के विषय में है उत्पादन के विषय में नहीं।

श्री अन्ना जोशी : पाठ्यक्रम का निर्णय होने पर ही पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्पादन के बारे में नहीं है। यह पुस्तकों की विषय वस्तु के बारे में है। खैर मन्त्री महोदय को उत्तर देने दो।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य अन्ना जोशी जी द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से तो इन्कार नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको इस सरकार में मेरे प्रभार तक ही सीमित रहना होगा। मैं आपको इस बात पर कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि वित्त मंत्रालय बाहर से पुस्तकें प्राप्त करने में किस तरह से हमारी सहायता कर सकता है।

श्री अन्ना जोशी : आप उन्हें सुझाव तो दे ही सकते हैं।

श्री अर्जुन सिंह : हम कोशिश करेंगे कि पुस्तकें सस्ती दरों पर उपलब्ध हों। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मन्त्री भी हमें अनुगृहीत करेंगे। जहां तक कि विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का प्रश्न है तो माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता के प्रति बहुत सचेत हैं। उनके पास शैक्षणिक पाठ्यक्रम पुस्तकों तथा पाठ्यक्रमों का निर्णय लेने का अपना तरीका है। जैसा कि मैंने वक्तव्य में ही उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभी भी एक ऐसी पद्धति तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय का कुछ न कुछ योगदान हो। लेकिन अन्तिम निर्णय स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय द्वारा ही लिया जाना होगा। यह हमारा काम नहीं है।

श्री अन्ना जोशी : कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिए पुस्तकें सुलभ कराने के लिए केन्द्रीय निकाय के बारे में क्या सोचा गया है ?

श्री अर्जुन सिंह : मैं समझता हूं कि इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन मैं यह नहीं

कह सकता हूं कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि मध्यप्रदेश शासन, उनकी अपनी पार्टी से प्रभावित संकुचित विचारधारा के अनुकूल मान्यता प्राप्त टेक्स्ट बुक में, उनके मजमून में, परिवर्तन करने का प्रयास कर रही है। यदि जानकारी है तो इस विषय में आपकी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष जी, कुछ प्रेस रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि मध्यप्रदेश शासन ने टेक्स्ट बुक्स में कुछ परिवर्तन करना तय किया है। हमने उनसे इस बारे में विभाग की ओर से जानकारी चाही कि वस्तुस्थिति क्या है। पहला टेलीग्राम हमने 4-12-1991 को भेजा, दूसरी चिट्ठी हमने 12-12-1991 को लिखी और उसके बाद 13-12-1991 तथा 14-12-1991 को फिर तार गए, फिर 24-2-1992 को एक तार भेजा गया लेकिन अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, हमें मालूम है कि केन्द्रीय सरकार को राज्यों या विश्वविद्यालयों पर पाठ्यक्रम नहीं थोपना चाहिए। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों अथवा विषयों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम निर्धारित करने में केन्द्रीय सरकार की संयोजक और मार्गदर्शक की भूमिका होती है। महोदय, अब हमारे देश में विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों के संबंध में काफी लम्बे समय से विवाद रहा है, विशेष रूप से इतिहास की पाठयपुस्तकों के संबंध में और यह आरोप लगाया गया है कि ऐसी बहुत-सी पाठ्य-पुस्तकें सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से भरी पड़ी हैं, जो हमारे देश की एकता और अखण्डता को नुकसान पहुंचा रही हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार देश में ऐसा यह बनाने की गंभीरता से सोच रही है, ताकि एन० सी० ई० आर० टी० इतिहास की आदर्श पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करें और सभी राज्य वास्तव में उन्हें अपनाएं तथा एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा रचित इतिहास की पुस्तकों के आदर्श, निर्धारित पाठ्यक्रम वास्तव में वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ समुचित रूप से किया जा रहा है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता को कद्र करता हूं और मुझे मालूम है कि राष्ट्र के सम्मुख मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों से विमुख करने के कई प्रयास किए गए···(व्यवधान)··· इसकी ओर राष्ट्र का ध्यान राष्ट्रीय एकता परिषद ने ही आकर्षित किया है और वास्तव में 1981 में पूरे देश में ऐसी पाठ्यपुस्तकों की पुनरीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद ने एक समिति गठित की थी। यह पुनरीक्षा 1985 में पूरी हुई। तब से कई पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अतः हमने जून, 1991 में फिर एक संचालन समिति नियुक्त की जो इस संबंध में राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं, और हम उससे उस परिप्रेक्ष्य में, जो कि राष्ट्रीय एकता परिषद पूरे देश के लिए आवश्यक समझती है, उसके लिए उन्हें पाठ्यपुस्तकें संशोधित करने की कोशिश करनी चाहिए अथवा पाठ्य-पुस्तकों का पुर्नमूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें धर्मनिरपेक्षता, सम्प्रदायिकता और राष्ट्रीय अखण्डता की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप बनाना चाहिए···(व्यवधान)···

श्री राम विलास पासवान : आप सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक क्यों नहीं बुलाते ?

श्री अर्जुन सिंह : मैंने सभी माननीय मुख्य मंत्रियों और संघ शासित क्षेत्रों को इस ९२ तक

ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पत्र लिखा है। जैसे ही मुझे मेरे पत्र का जवाब मिलेगा मैं निश्चित रूप से उपाय भी करूंगा।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों के लिए 27 विषयों पर आदर्श पाठ्यक्रम परिचालित किए हैं। मैं विश्वविद्यालयों का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने से सहमत हूं। महोदय लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित इस आदर्श परिपत्र को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके द्वारा परिचालित परिपत्र को स्वीकार करने के लिए विश्वविद्यालयों को राजी करेगा।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, हम उन्हें सहमत कराने के प्रयास जारी रहेंगे। परिणाम पूर्णतः हमारे हाथ में नहीं है।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे कौन से राज्य हैं जो राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों के अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार नहीं करवा रहे हैं? और इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें क्या हैं और विभिन्न राज्यों में उन सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया गया है।

श्री अर्जुन सिंह : जैसे कि मैंने श्री सेट जी से पहले बोलने वाले में माननीय सदस्य जी से कहा है, कि सन् 1985 में यह पुनरीक्षा पूरी हो गई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा इस मामले पर ध्यान दिए जाने के पश्चात् सन् 1981 में पुनरीक्षा आरम्भ हुई थी। तब से, जैसा कि मैंने कहा है, काफी संख्या में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और हमने एक स्थायी समिति नियुक्त की है जो कि चरण बद्ध रूप से करके सभी मुद्दों की जांच कर रही है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्र के व्यापक हित में सभी राज्य सरकारें उस मुद्दे का अनुसरण करेंगी जो राजनीतिक मुद्दा न होकर राष्ट्रीय मुद्दा है।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : लेकिन वे उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह। अभी तक केवल मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।···(व्यवधान)···

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, अपने वक्तव्य के दूसरे भाग में मंत्री जी ने कालेज और विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए जाने वाले कुछ आधारभूत परिवर्तनों के बारे में कहा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि यह कार्य किस प्रकार किया जाएगा जबकि उनकी नई शिक्षा नीति अभी भी पुनरीक्षाधीन है। राममूर्ति समिति के बारे में एक और समिति गठित कर दी गई है—रेड्डी समिति—हम नहीं जानते कि इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है अथवा नहीं। इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि नई शिक्षा नीति पर इन दो भिन्न भिन्न समितियों की सिफारिशें क्या हैं और क्या इन सिफारिशों पर विचार करने से पहले आधारभूत परिवर्तन किए जायेंगे।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह याद दिलाना चाहता हूं कि राममूर्ति समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई थी और उसने ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट को सी० ए० बी० में उनके विचार-विमर्श तथा उनके द्वारा रिपोर्ट

को अपनाने के लिए भेजा जाना है और जैसे ही यह हो जाएगा हम इसे सभा के सामने रख देंगे क्योंकि अन्तिम परिणाम इस विचार-विमर्श के बाद ही सामने आयेंगे। इस वक्तव्य में दिए गए आधार भूत परिवर्तनों का रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों का एक भाग है और यह प्रयत्न जारी रहेगा, निश्चय ही, इस शर्त पर कि विभिन्न विश्वविद्यालय किस बात पर सहमत हों।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महोदय, यह ज्ञात है कि पुस्तकों का प्रकाशन एक ही जगह से नहीं होता है और विश्वविद्यालय शैक्षिक रूप से पाठ्य पुस्तकों के अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह वास्तविकता है कि अनेक निम्न स्तर और खराब पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चव्हाण जी, यह प्रश्न पुस्तकों के प्रकाशन पर नहीं होकर पाठ्यक्रम पर है।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महोदय, विश्वविद्यालयों द्वारा निम्न स्तर पुस्तकों को निर्धारित किए जाने की दृष्टि से क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तकनीक परिषद् ने पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता को जांचने और निम्न स्तर की पाठ्य पुस्तकों पर पाबन्दी लगाने के लिए एक योजना बनाई है ?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, एन० सी० ई० आर० टी० केवल सेकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी स्तर तक की पुस्तकों से संबंध रखते हैं। जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है, मैंने पहले भी कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने इन मार्ग निर्देशों का अनुपालन करवाने के लिए विश्व-विद्यालयों को सहमत कर कहा है कि उनके द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें सही हैं, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त मैं नहीं समझता कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे इस तरीके से लागू कर सकती है जैसे कि आप कहते हैं कि हम इन पुस्तकों पर पाबन्दी लगा दें, जबकि मैं मानता हूं कि इस मामले पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और हम कुछ ऐसी प्रणाली तैयार करने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कर सकें।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय एकता के सिलसिले में मंत्री महोदय ने हाउस को बताया कि यह भिन्न-भिन्न कमेटियों की सिफारिशें राज्य सरकारों को देते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह यह महसूस नहीं करते हैं कि देश में और खास करके विद्यार्थियों में स्वदेशीपन, स्वराज्य और स्वावलम्बन की भावना को जगाने के लिए गांधी जी की किताबों से इस आदर्श को केन्द्र बिन्दु बनाकर बच्चों को देना चाहिए ? दूसरा यह कि हम डा० अम्बेडकर की जन्म-शती मना रहे हैं। क्या जातीयता को देश से खत्म करने के लिए डा० अम्बेडकर की एनीहिलेशन आफ कास्ट पर टैक्सट बुक बनाने के बारे में सरकार सोचेगी ?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं कि हमारे देश में बच्चों के लिए गांधी जी, अम्बेडकर जी और देश की अन्य विभूतियों, ने राष्ट्रीय एकता और समाज में समता को कायम करने के लिए प्रयास किये हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके सबके अध्ययन, उनकी जीवनी और उनके सब कामों के संबंध में पाठ्य पुस्तकों में प्रावधान होना चाहिए। मैं सदन को

यह बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रावधान किये भी गए हैं। ऐसा नहीं, उनको बिल्कुल अनदेखा रखा गया है, लेकिन यह बात जरूर है कि इन मामलों पर एक तरह से हमें केवल ध्यान केन्द्रित करने की ही जरूरत नहीं है, इसकी भावना को भी जागृत करने की भी जरूरत है। जिसमें केवल मेरा विभाग कामयाब नहीं हो सकता है, उसमें चारों तरफ से सभी माननीय सदस्यों को प्रयास करना होगा।

श्री रवि राय : उनके प्रश्न का दूसरा भाग······(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप उनका प्रश्न उनको पूछने दीजिए।

···(व्यवधान)···

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अम्बेडकर साहब के संबंध में अम्बेडकर सेन्टीनरी कमेटी में यह निर्णय हो गया था। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे। आलरेडी डिसीजन हो गया था कि पाठ्यक्रमों में अम्बेडकर साहब के विषय को जोड़ा जाएगा ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : इस तथ्य के बावजूद कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक रूप से स्वतंत्र हैं और वे अपनी पाठ्य पुस्तके स्वयं तैयार अथवा निर्धारित करते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह आवश्यक समझा कि उन्हें पाठ्यक्रमों की पुनंसंरचना के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए तथा वे इस बारे में विभिन्न विश्वविद्यालयों को सुझाव दे रहे थे।

मैं यह जानना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों में यह आवश्यक समझा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक योजना तैयार करनी चाहिए और आयोग की मांगों के अनुसार इन सुझावों को स्वीकार करने के संबंध में विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया थी ? क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक तंत्र बनाने पर भी विचार करेगा ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय हो सके ?

श्री अर्जुन सिंह : इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकलापों तथा उनके अधिकार के प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सत्ताइस विषयों पर आदर्श पाठ्यक्रम तैयार किए हैं और उन्हें सभी विश्वविद्यालयों में परिचालित किया है। यदि माननीय सदस्य प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हें वह सूचना पृथक रूप से दे सकता हूं।

मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस स्तर पर केवल इतना ही कर सकता है कि उन्होंने यह आदर्श पाठ्यक्रम तैयार कर दिए हैं और उसके लिए विश्वविद्यालयों को परामर्श दे दिया है तथा विश्वविद्यालयों के साथ विचार-विमर्श में इन आदर्श पाठ्यक्रमों ने उनको प्रभावित किया है और यह आवश्यकता महसूस की है कि इन आदर्श पाठ्यक्रमों को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस समय मैं नहीं समझता कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ और कर सकता है।

चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट

189. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन करने के लिए

अध्यापकों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न शिक्षक संघों ने समय समय पर चट्टोपाध्याय आयोग के संबंध में मांगें उठाई हैं । इनमें दो मुख्य मांगें रही हैं :

एकल चालू वेतनमान और मूल वेतन के 7.5% की दर से चिकित्सा भत्ता सरकार को एकल चालू वेतनमान की मांग स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे स्तर और कार्यक्षमता परप्रभाव पड़ेगा। वास्तविक जरूरत पर ध्यान दिए बिना वेतन के आधार पर चिकित्सा भत्ता देना अन्य बातों के साथ-साथ दूसरे सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतीत नहीं होता ।

तथापि चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1.1.86 से अपने नियंत्रणाधीन शिक्षकों को शिक्षण भत्ते सहित त्रिस्तरीय वेतनमान प्रदान किया है ।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के पश्चात् अध्यापकों की अन्य वे मांगें कौन-सी हैं जिन पर 1-1-1986 के बाद सरकार द्वारा विचार किया गया है ।

श्री अर्जुन सिंह : चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट पर सरकार का निर्णय और उसके क्रियान्वयन संबंधी दस्तावेज 2 मार्च, 1988 तथा 12 मई, 1988 को सभा पटल पर रखे गए थे ।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने में क्या क्या रुकावटें हैं जिसमें कोई वित्तीय कठिनाई नहीं है ?

श्री अर्जुन सिंह : ये सिफारिशें बहुत व्यापक सिफारिशें हैं और इसमें से जिसको भी लागू किया जा सकता है, पहले ही कर दिया गया है। अन्य सभी सिफारिशों पर भिन्न-भिन्न स्तरों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या मंत्री महोदय को जानकारी है, कल यानि सोमवार से चट्टोपाध्याय कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के विलम्ब के विरोध में गुजरात भर के सभी शिक्षक माध्यमिक, प्राइमरी और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हड़ताल पर हैं ।

अगर हैं तो इस सिफारिश को लागू करने के विलम्ब को दूर करने के सम्बन्ध में आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति गम्भीर है और इस वक्त हायर सैकेण्डरी के एगजाम भी चल रहे हैं और वहां पर सारे शिक्षक हड़ताल पर हैं, तो आप इन सिफारिशों को कब तक लागू करेंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इन सिफारिशों के लागू करने का अलग-अलग कार्य-क्षेत्र है, कहां पर कितना लागू हुआ है या नहीं हुआ है हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । मैं यह जरूर कह रहा हूं जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये अनुशंसाएं बहुत व्यापक हैं

इसलिए उन पर एक समयबद्ध तरीके से कार्यवाही नहीं हो सकती है और जिन पर हो सकती थी उन पर करके सदन को रिपोर्ट दी गई है, बाकी समस्याओं पर कार्यवाही चल रही है और मैं समझता हूं कि शिक्षकों को छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर अपनी कार्यवाही को सोचना चाहिए।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हरियाणा में रेल परियोजनाएं

[अनुवाद]

*190. श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में किन-किन रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में रेल विस्तार पर कितना खर्च किया गया ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) निम्नलिखित रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है :—

1. रोहतक-जाखल खंड पर दोहरी लाइन बिछाना;
2. अतिरिक्त थ्रूपुट/टर्मिनल सुविधाएं, जिनमें गढ़ी-हरसरू-खलीलपुर खंड पर दोहरी लाइन बिछाना शामिल है।

(ख) (ग) इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा इन्हें पूरा किए जाने का सम्भावित लक्ष्य नीचे दिया गया है :—

खंड का नाम	हुई प्रगति	पूरा किए जाने का लक्ष्य
1. रोहतक-जाखल खंड पर दोहरी लाइन बिछाना।	82%	92-93
2. अतिरिक्त थ्रूपुट/टर्मिनल सुविधाएं, जिनमें गढ़ी हरसरू-खलीलपुर खंड पर दोहरी लाइन बिछाना शामिल है।	82%	93-94

(घ) रेलों द्वारा हिसाब-किताब राज्यवार नहीं रखा जाता।

मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाईन में बदलना

[हिन्दी]

*192, श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी सरकार का वर्ष 1991-92 के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जिन लाइनों के आमान परिवर्तन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वे हैं : मनमाड-औरंगाबाद (114 कि० मी०), सलेमपुर-बरहज बाजार (22 कि० मी०), बैंगलूर-मैसूर (138 कि० मी०) और लालगढ़-सुरपुरा (50 कि० मी०) इनमें से, मनमाड-औरंगाबाद और सलेमपुर-बरहज बाजार लाइनें खोली जा चुकी हैं, बैंगलूर-मैसूर लाइन के कार्य में विलम्ब, कावेरी जल विवाद के कारण उत्पन्न कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति और लालगढ़-सुरपुरा लाइन के कार्य में विलम्ब बीकानेर में जन-आन्दोलन की वजह से हुआ है।

"एड्स" रोग के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

[अनुवाद]

*193. श्री ए० चार्ल्स :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस रिपोर्ट से अवगत है जिसमें इस शताब्दी के अन्त ह्यूमन इम्यून डेफिसिएन्सी वाइरस (एच० आई० वी०) रोग के व्यापक रूप से फैलने और भारत में "एड्स" रोग के फैलने के बारे में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस अभिशाप से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने 1987 से एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया। अब तक

निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गए हैं :—

(1) 35 शहरों में 67 निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए जोखिम का आचरण करने वाले समूहों की जांच करना।

(2) जोनल रक्त जांच केन्द्रों और निगरानी केन्द्रों में एच० आई० वी० जांच की सुविधाएं स्थापित करके रक्त और रक्त उत्पादों के जरिए होने वाले संचरण की रोकथाम।

(3) समाचार पत्रों और प्रचार माध्यमों के जरिए स्वास्थ्य शिक्षा।

(4) एड्स रोगियों की क्लिनिकल प्रबन्ध और 13 पता लगाए गए अस्पतालों में चिकित्सीय और परा-चिकित्सीय स्टाफ का प्रशिक्षण।

एड्स के निवारण और नियन्त्रण के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई थी और उसे विश्व बैंक को भेजा गया। इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए हाल में एक समझौता किया गया है। इस परियोजना पर 270 करोड़ रुपये (100 मिलियन अमरीकी डालर) का परिव्यय रखा जाएगा और इसे 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा जो अप्रैल, 1992 से शुरू होगी। इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (जो विश्व बैंक से सम्बद्ध उदार शर्तों पर ऋण देने वाली एक एजेंसी है) 229.5 करोड़ रुपये (85 मिलियन अमरीकी डालर) का परिव्यय प्रदान करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन 4.05 करोड़ रुपये (1.5 मिलियन अमरीकी डालर) की सहायता प्रदान करेगा और 36.45 करोड़ रुपये (13.5 मिलियन डालर) का शेष परियोजना परिव्यय भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों को परियोजना कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए नकद और वस्तुगत दोनों प्रकार की सहायता दी जाएगी। परियोजना कार्यकलाप निम्नलिखित क्षेत्रों में शुरू किए जाएंगे :—

—कंडोम को बढ़ावा देना।

—रक्त निरापदता।

—यौन संचारित रोग नियंत्रण।

—सूचना, शिक्षा और संचार।

—निगरानी।

—रोगी उपचार।

—कार्यक्रम प्रबन्ध।

रेल ठेके देने के बारे में मानदण्ड

*194. श्री राम निहोर राय :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे ठेके देने हेतु नये मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों हेतु कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समाज के किसी विशिष्ट वर्ग को ठेके देने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा कोटे का आरक्षण किया जाना न तो जनता के समग्र हित में है और न ही यह कोई स्वीकार्य नीति है।

गेहूं का आयात

[हिन्दी]

*195. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री प्रवीन डेका :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गेहूं आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन देशों से कितने-कितने मूल्य का कितना-कितना गेहूं आयात करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे देश के बाजार पर पड़ने वाले सम्भावित कुप्रभाव को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने और बाजार मूल्यों को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से सरकार ने एक मिलियन मीटरी टन गेहूं का आयात करने का निर्णय किया है। तथापि, आयात के लिए अभी तक किसी ठेके पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(घ) आयात से घरेलू बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

पारिस्थितिकी कार्य बल

[अनुवाद]

*196. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारिस्थितिकी कार्य बलों के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है और उनके कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बलों को देश भर में तैनात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये कहां-कहां तैनात किए जाएंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पारि-कृत्यक बल इस समय उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू व कश्मीर में कार्य कर रहे हैं। इनमें कर्मचारियों की कुल संख्या 1059 है।

इन कृत्यक बलों का गठन कठिन क्षेत्रों में पारि-विकास के कार्यों के लिए भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रायोगिक आधार पर किया गया है। इनके मुख्य कार्यों में नर्सरी उगाना, पौधरोपण करना, मृदा और आर्द्रता संरक्षण कार्यों जैसी पारि-विकास गतिविधियां शामिल हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान पारि-कृत्यक बलों की स्थापना केवल अभिनिर्धारित कठिन समस्या-ग्रस्त स्थानों में पारि-विकास कार्य करने के लिए की गई है।

स्वायत्त कालेज

[हिन्दी]

*197. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को स्वायत्त कालेजों की योजना के बारे मे जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक किन-किन राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों ने इस योजना के सम्बन्ध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है; और

(ग) कुल कितने कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा देने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में स्वायत्त कालेजों के विकास का प्रावधान है। इसके अनुसरण में, 1987 में वि०अ०आ० ने स्वायत्त कालेजों की योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश परिचालित किए और राज्य सरकारों को समय-समय पर पत्र लिखे, जिनमें उनसे योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयास करने का अनुरोध

किया गया था। अब तक 102 कालेजों को स्वायत्त कालेजों का स्तर प्रदान किया गया है। विभिन्न राज्यों में स्वायत्त कालेजों और विश्वविद्यालयों, जिनसे वे सम्बद्ध थे, की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

वि०अ०आ० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्वायत्त स्तर प्रदान करने के लिए 6 कालेजों के प्रस्तावों पर आयोग, विचार कर रहा है। आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्वायत्त कालेजों की योजना को जारी रखने का निर्णय किया है और उन सभी कालेजों को स्वायत्त स्तर प्रदान किया जाएगा जो निर्धारित मानदण्ड पूरा करते हैं।

विवरण

राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त कालेजों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	(1) आंध्र विश्वविद्यालय	7
	(2) नागार्जुन विश्वविद्यालय	2
	(3) उस्मानिया विश्वविद्यालय	6
	(4) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	1
गुजरात	(1) सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	1
	(2) गुजरात विश्वविद्यालय	1
मध्य प्रदेश	(1) रविशंकर विश्वविद्यालय	7
	(2) डा० हरि सिंह गौड़	2
	(3) देवी अहिल्या	2
	(4) भोपाल	1
	(5) गुरू घासी दास	5
	(6) जीवाजी	3
	(7) रानी दुर्गावती	5
	(8) विक्रम	1
	(9) अवधेश प्रताप सिंह	1
उड़ीसा	(1) सम्बलपुर विश्वविद्यालय	3
	(2) उत्कल विश्वविद्यालय	1
	(3) बेहरामपुर	1

1	2	3
राजस्थान	(1) राजस्थान विश्वविद्यालय	4
	(2) अजमेर विश्वविद्यालय	1
तमिलनाडु	(1) भारतियार विश्वविद्यालय	6
	(2) भारतीदासन	11
	(3) मद्रास	15
	(4) मदुरै कामराज	12
उत्तर प्रदेश	(1) इलाहाबाद	1
	(2) पूर्वांचल	1
		102

मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

*198. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम पर राज्यवार कितना व्यय किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) परिवार कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे हैं :

1. व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम ।

2. मुखीय पुनर्जलपूर्ण चिकित्सा कार्यक्रम ।

3. बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं में पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम और विटामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों मे होने वाली दृष्टि-विहीनता की रोकथाम ।

पिछले 3 वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रमों पर राज्य-वार व्यय संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है ।

(ख) और (ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत नियत किए गए लक्ष्य और हुई प्रगति का ब्योरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर व्यय

(लाख रुपये)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	297.52	487.42	412.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.42	23.29	20.29
3.	असम	137.43	124.21	215.46
4.	बिहार	254.10	406.81	527.59
5.	गोवा	3.07	7.98	5.47
6.	गुजरात	233.26	353.37	292.44
7.	हरियाणा	131.40	130.74	142.51
8.	हिमाचल प्रदेश	53.18	70.59	48.56
9.	जम्मू व कश्मीर	74.67	48.03	56.73
10.	कर्नाटक	246.40	270 49	308.71
11.	केरल	196.82	180.03	228.27
12.	मध्य प्रदेश	254.25	483.03	522 69
13.	महाराष्ट्र	464.23	544.43	620.19
14.	मणिपुर	17.76	35.52	29.86
15.	मेघालय	21.39	21.81	17.49
16.	मिजोरम	20.12	11.70	18.84
17.	नागालैंड	22.65	9.79	21.88

1		2	3	4
18.	उड़ीसा	216.07	262.22	255.62
19.	पंजाब	139.36	185.28	128.47
20.	राजस्थान	217.79	283.46	464.64
21.	सिक्किम	3.32	8.45	6.62
22.	तमिलनाडु	295.32	431.40	385.72
23.	त्रिपुरा	21.09	26.15	20.12
24.	उत्तर प्रदेश	804.20	878.45	1091.62
25.	पश्चिम बंगाल	341.76	291.29	343.82
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6.52	2.94	7.73
27.	चण्डीगढ़	6.16	5.66	6.19
28.	दादरा और नगर हवेली	2.37	1.79	4.17
29.	दमन और दीव	1.43	.52	1.58
30.	दिल्ली	28.64	34.33	53.28
31.	लक्षद्वीप	2.86	.81	.41
32.	पांडिचेरी	10.29	5.73	4.77
	कुल	4634.74	5576.72	6250.86

विवरण-II

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लक्ष्य और उपलब्धियां

(क) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम

सभी शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों अर्थात पोलियो, क्षय रोग, कुकुर खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, खसरे से प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित उपलब्धियों का ब्योरा लक्ष्यों के प्रतिशत के रूप में नीचे दिया गया है।—

एंटीजन	1988-89	1989-90	1990-91
बी०सी०जी०	79.2 प्रतिशत	1 6.03 प्रतिशत	102 32 प्रतिशत
डी०पी०टी०	79 61 प्रतिशत	99.21 प्रतिशत	99.50 प्रतिशत

ओ०पी०वी०	74.83 प्रतिशत	98.93 प्रतिशत	100.11 प्रतिशत
खसरा	55.17 प्रतिशत	83.08 प्रतिशत	90.22 प्रतिशत
गर्भवती महिलाओं को टी०टी० के टीके	65.16 प्रतिशत	70.43 प्रतिशत	73.56 प्रतिशत

(ख) रोग निरोधक योजनाएं

पिछले तीन वर्षों के दौरान रोग निरोधक स्कीमों के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार है :—

(लाभार्थियों की संख्या लाख में)

	1988-89		1989-90		1990-91	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
महिलाओं में पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम	216.90	207.88	216.90	197.48	202.39	181.82
बच्चों में पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम	344.50	214.76	293.50	220.97	345.07	220.22
बच्चों में विटामिन "ए" की कमी की रोकथाम*	295.00	407.72	239.90	381.94	294.82	370.45

*नोट—विटामिन "ए" की उपलब्धि खुराकों में है।

(ग) पुनर्जलपूरण चिकित्सा कार्यक्रम

चूंकि यह कार्यक्रम निवारक स्वरूप का नहीं हैं, इसलिए कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

नदी कार्य योजना

[अनुवाद]

*199. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री रवि राय :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की बड़ी नदियों के प्रदूषित भागों की सफाई करने के लिए

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पूरी परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में नदियों के ऐसे प्रदूषित भागों का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं पर आने वाले खर्च को राज्य सरकारें भी वहन करेंगी; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) (ख) (ग) और (घ) राष्ट्र की प्रमुख नदियों के घोर प्रदूषित क्षेत्रों के प्रदूषण दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना का प्रतिपादन किया जा रहा है। इस संबंध में विवरण तैयार किया जा रहा है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय नदी कार्य योजना को केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों के बीच कार्य की लागत के 50 : 50 के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

हिमालय का पारिस्थितकीय विनाश

*200. श्री समर कुमार मंडल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों से हिमालय के पारिस्थितिकीय-विनाश का पता लगा है;

(ख) शताब्दी के अन्त में हिमालय पर अनुमानतः कितना वन रहेगा;

(ग) हिमालय के ढलान वाले क्षेत्रों में वनों की कटाई के क्या कारण हैं; और

(घ) हिमालय के पारिस्थितिकीय विनाश को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) :(क) 1987-88 की अवधि से संबंधित उपग्रह प्रतिबिम्बिकी के दृश्य विवेचन के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किये गये वन आच्छादन के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश और असम को छोड़कर हिमालयी क्षेत्र में वन आच्छादन में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार, "देश के समग्र भू-क्षेत्र का कम से कम एक तिहाई हिस्सा वन अथवा वृक्ष आच्छादन के अन्तर्गत लाना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों मे, दो तिहाई क्षेत्र को इस प्रकार के आच्छादन के अन्तर्गत रखना उद्देश्य होना चाहिए, ताकि क्षरण और भूमि अवक्रमण को रोका जा सके तथा वहां की नाजुक पारि-प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

इस समय विभिन्न हिमालयी राज्यों/क्षेत्रों में वन आच्छादन जम्मू व कश्मीर में न्यूनतम

9.03 प्रतिशत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम 82.1 प्रतिशत के बीच है, जो कि पूरे हिमालयी क्षेत्र का औसत लगभग 39 प्रतिशत है। अतः इस शताब्दी के अन्त तक हिमालयी क्षेत्र में 66 प्रतिशत वन आच्छादन का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

(ग) राज्य वन रिपोर्ट, 1991 के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में वन आच्छादन में कमी कारण अरुणाचल प्रदेश में झूम खेती तथा जैविक दबाव की वजह से असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में घने वन क्षेत्र का अवक्रमण है।

(घ) हिमालयी पारि-प्रणाली के संरक्षण और वन-नाशन को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) वन भूमि के वनेतर प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल को रोकने के लिए 1980 में पारित वन (संरक्षण) अधिनियम को और कड़ा बनाने के लिए 1988 में उसमें संशोधन किया गया है।

(2) प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध और सतत विकास के लिए कारगर नीतियां तैयार करने के लिए जी० बी० पन्त हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान स्थापित किया गया है।

(3) हिमालयी क्षेत्र में एक समन्वित कार्योन्मुख अनुसंधान, विकास और विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(4) वनों के संरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं :—

(i) प्राकृतिक वनों को पूरी तरह कटाई न करना और जहां इस प्रकार की कटाई फसलों की बहाली और वन्य-वनवर्धन कार्यों के लिए अपरिहार्य हो, वहां इसे पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम 10 हेक्टेयर तथा मैदानी इलाकों में अधिकतम 25 हे० तक सीमित रखा जाना चाहिए।

(ii) पहाड़ियों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वृक्षों की कटाई पर कम से कम कुछ वर्षों के लिए प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

(iii) पहाड़ियों और पर्वतों में से ऐसे नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना, जहां वृक्षों की कटाई से सुरक्षा प्रदान करने तथा बड़े पैमाने पर तत्काल वनरोपण किये जाने की आवश्यकता है।

(iv) 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी सहित एक व्यापक वनरोपण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(v) अवक्रमित वनों के प्रबन्ध और विकास में तथा वनरोपण कार्यक्रम में लोगों की सक्रिय भागीदारी के सम्बन्ध में भारत सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।

आदिवासी संस्कृति

*201. श्री माग्ये गोवर्धन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) देश के आदिवासी अनुसंधान संस्थान का इस दिशा में क्या योगदान है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) संस्कृति विभाग ने आदिवासी और ग्रामीण कला और संस्कृति की प्रोन्नति और प्रसार की अपनी योजना के माध्यम से आदिवासी संस्कृति और विरासत के रक्षण और परीक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों तथा संस्थानों को वित्त-पोषित किया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण ललित कला अकादेमी, संगीत नाटक अकादेमी और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, सभी को आदिवासी संस्कृति और विरासत के परिरक्षण और प्रोन्नति का कार्य करते रहने का अधिकार दिया गया है ,

संस्कृति विभाग अपने कुल वार्षिक बजट आवंटन में से स्वायत्त संगठनों और व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को ऊपर बताए अनुसार निधियों का आवंटन करता है। वास्तविक रकम और अवधि प्रतिवर्ष अलग-अलग होती है और वह परियोजना विशेष और योजना, जिसके अधीन निधियां मांगी जाती हैं, पर निर्भर करती है।

(ग) आदिवासी अनुसंधान संस्थान मूलत: राज्य संस्थान हैं, जो कि केन्द्र-प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं ये संस्थान विभिन्न आदिवासी विकास कार्यक्रमों में अनुसंधान और मूल्यांकन करते हैं, विभिन्न समुदायों की आदिवासी संस्कृति और विरासत का अध्ययन करते हैं, संग्रहालयों में आदिवासी कला-तथ्यों का संकलन और परिरक्षण करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों में आदिवासी लोकाचार और संस्कृति के बारे में प्रचलित प्रथागत कानूनों में गवेषणात्मक अध्ययन भी करते हैं।

दक्षिण भारत में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

*202. श्री बी० कृष्णराव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से होकर जाने वाली रेलवे जोनों में इस समय कितने-कितने किलोमीटर रेल लाइन विद्युतीकृत हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का आठवीं योजना अवधि के दौरान कर्नाटक में कुछ रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1-3-1992 तक कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में क्रमश: ?1, 1176 और 634 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रेलवे के विद्युतीकरण के कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, रेणिगुंटा-गुंतकल-होसपेट और तोरणगल्लू-रणजीतपुरा शाखा लाइन के विद्युतीकरण को नये कार्य के रूप में रेलवे के 1992-93 के बजट प्रस्तावों में शामिल किया गया है, जिसका एक भाग, अर्थात् साकीबांदा-होसपेट खंड (120 मार्ग कि० मी०) कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसके अलावा बंगारपेट-बेंगलूरू खंड (70 मार्ग कि० मी०) के विद्युतीकरण का कार्य इस समय चल रहा है और इसके मार्च, 1992 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई

*203. श्री ताराचंद खंडेलवाल :

श्री जीवन शर्मा :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की आटा मिलों को रियायती मूल्यों पर भारी मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले छ: महीनों के दौरान आटा मिलों को सप्लाई की गई गेहूं की मात्रा का महीनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन आटा मिलों को किस मूल्य पर गेहूं की सप्लाई की गई;

(ङ) क्या रियायती मूल्यों पर प्राप्त गेहूं से निर्मित उत्पाद आटा मिलों द्वारा बाजार में ऊंचे मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) आटा मिलों द्वारा इतना अधिक लाभ कमाये जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) रोलर फ्लोर मिलों, आटा चक्कियों, नागरिक आपूर्ति निगमों, उपभोक्ता सहकारी समितियों, आदि के लिए गेहूं की बिक्री खुली थी। यह बिक्री राजसहायता प्राप्त दरों पर नहीं की गई थी। एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें रोलर फ्लोर मिलों को बेची गई गेहूं की मासवार मात्रा और दरों की स्थिति दी गई है।

(ङ) से (छ) इस समय गेहूं के पदार्थों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

विवरण

रोलर फ्लोर मिलों को सितम्बर, 1991 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान बेची गई मात्रा का राज्यवार और मासवार बताने वाला विवरण

(अनन्तिम) (आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/क्षेत्र का का नाम	सितम्बर, 1991 रोलर फ्लोर मिलों को बेची गई मात्रा	सितम्बर, 1991 दर प्रति क्वि०	अक्तूबर, 1991 रोलर फ्लोर मिलों को बेची गई मात्रा	अक्तूबर, 1991 दर प्रति क्वि०	नवम्बर, 1991 रोलर फ्लोर मिलों को बेची गई मात्रा	नवम्बर, 1991 दर प्रति क्वि०	दिसम्बर, 1991 रोलर फ्लोर मिलों को बेची गई मात्रा	दिसम्बर, 1991 दर प्रति क्वि०	जनवरी, 1992 रोलर फ्लोर मिलों को बेची गई मात्रा	जनवरी, 1992 दर प्रति क्वि०	फरवरी, 1992 रोलर फ्लोर मिलों को बेची गई मात्रा	फरवरी, 1992 दर प्रति क्वि०
1	[illegible]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	कोई बिक्री नहीं की गई		—	349	13.3	335	12.5	361	6.9	400	—	400
[illegible]	[illegible]	—वही—		8.3	339	16.3	345	20.5	351	13.8	400	2.4	400
[illegible]	[illegible]	—वही—		5.2	354	8.4	357	9.2	363	2.4	400	2.5	400
[illegible]	[illegible]	—वही—		24.5	343	0.4	349	42.7	354	13.8	420	22.4	420
5.	गुजरात	—वही—		10.4	339	4.5	345	11.8	351	5.2	415	8.0	415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	मध्य प्रदेश	—वही—		6.3	330	7.3	335	10.5	340	3.5	370	5.4	370
7.	तमिलनाडु	—वही—		10.1	354	15.4	360	26.6	360	4.1	470	10.0	470
8.	आंध्र प्रदेश	—वही—		7.0	348	7.6	354	14.1	360	2.6	460	0.5	460
9.	कर्नाटक	—वही—		7.2	357	5.7	363	19.5	369	7.2	470	11.0	470
10.	केरल	कोई बिक्री नहीं की गई		4.7	363	0.2	369	9.5	375	4.6	480	7.2	480
11.	उत्तर प्रदेश	—वही—		10.0	300	15.0	305	41.5	310	—	375	18.0	375
12.	राजस्थान	—वही—		1.1	320	3.0	325	3.8	330	1.8	365	1.5	365
13.	पंजाब	—वही—		—	300	1.0	305	15.6	310	4.8	320	4.2	320
14.	हरियाणा	—वही—		4.3	300	—	305	7.6	310	3.0	320	4.2	320
15.	हिमाचल प्रदेश	—वही—		2.0	337	0.9	312	1.7	317	1.3	325	0.4	325
16.	जम्मू तथा कश्मीर	—वही—		—	307	2.3	312	2.7	317	1.9	325	—	325
17.	दिल्ली	—वही—		7.0	316	12.6	321	15.2	326	5.5	370	9.5	370
18.	असम/उत्तर-पूर्वी सीमा	—वही—		—	354	—	360	—	366	—	400	—	400
				108.1		113.9		264.9		82.4		107.2	

नोट : अक्तूबर, 1991 में बिक्री शुरू की गई थी।

अरावली पर्वतमाला का पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन

*204. प्रो० रासा सिंह रावत :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए जापान और विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ की गई/की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(घ) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में हाल में जारी की गई अधिसूचना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। अरावली पहाड़ियों का अवक्रमण अत्यधिक जैवीय दबाव और पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिकूल क्रिया-कलापों के कारण हुआ है ।

इस संबंध में उठाए गए कदमों में पुनर्वास स्कीमें शामिल हैं जिनका उद्देश्य मृदा संरक्षण, जल संचयन, ईंधन की लकड़ी को पौधरोपण, फार्म वानिकी, सामुदायिक भूमि पर पौधरोपण तथा वन्य जीव वास स्थलों के सुधार के कार्यक्रमों के जरिए अवक्रमित वनों और परती भूमियों, चारागाहों आदि का पुनरुद्धार करना है ।

(ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है जिसमें जापान और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्कीमों के ब्यौरे दिए गए हैं ।

(घ) 9 जनवरी, 1992 को जारी की गई अधिसूचना में हरियाणा के गुड़गांवा जिले और राजस्थान के अलवर जिले में पड़ने वाले अरावली के हिस्सों को शामिल किया गया है और उसमें केन्द्र सरकार की पूर्व-अनुमति लिए बिना निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है :—

—किसी उद्योग की स्थापना करना;

—सभी खनन कार्य;

—पेड़ों को काटना;

—सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का अभयारण्य में पशुओं का प्रवेश;

—आवासीय यूनिटों के समूहों, फार्म हाउसों, सामुदायिक केन्द्रों आदि का निर्माण और विद्युतीकरण ।

विवरण

ऋण देने वाली एजेंसी	विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र एजेंसी	जापान/ओवरसीज इकोनामिक कारपोरेशन फण्ड
परियोजना का नाम	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना	अरावली पहाड़ियों पर वनरोपण
(क) शुरू होने की तारीख	अप्रैल, 1985	अप्रैल, 1992
(ख) पूरा होने की आकांक्षित तारीख	दिसम्बर 1990, जो मार्च, 1993 तक आगे बढ़ाई गई	मार्च, 1997
उद्देश्य	ईंधन की लकड़ी, छोटी-मोटी इमारती लकड़ी के पोलों और चारे के उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण रोजगार, अवक्रमित क्षेत्रों और परती भूमियों में वनरोपण मृदाक्षरण में कमी और वानिकी संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा भूमिहीन लोगों को भागीदारी के अवसर।	अरावली पहाड़ियों की पारिस्थितिकी स्तर का बहाली और ईंधन व चारे के लिए स्थानीय जरूरतों को पूरा करना।
निहित क्षेत्र	राजस्थान के 16 जिले	राजस्थान के 10 जिले
परियोजना लागत		
स्थानीय	391.9 मीलियन रुपये	शून्य
विदेशी	82.7 मीलियन डालर	9524 मीलियन येन (166.9 करोड़ रुपये)

कर्नाटक में आंगनबाड़ी केन्द्र

2098. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में बीदर के ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी श्री ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। बीदर जिले में पांच समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं। अर्थात

भाल्की, सन्थापुरा (औरड), हुमनाबाद, बीदर और बासवकल्याण, जिनमें क्रमश: 175, 174, 190, 263 और 200 आंगनवाड़ियां हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषध विक्रेताओं की मांगें

[हिन्दी]

2099. श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों के औषध विक्रेताओं ने सरकार के विचारार्थ एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

फार्मेसिस्टों का मांग पत्र	की गई कार्रवाई
1	2
1. फार्मेसिस्टों के लिए राष्ट्रीय वेतन की नीति	
(क) वेतनमान अन्य तकनीकी डिप्लोमा धारकों के समान दिए जाएं।	(क) इस मांग पर विचार किया गया लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।
(ख) पदोन्नति के अवसर अन्य तकनीकी डिप्लोमा धारकों के समान किए जाएं जिन्हें नए पद सृजित करके समूह "क" राजपत्रित पद तक बढ़ाया जाए। (ग) सभी क्षेत्रों में कार्यरत फार्मेसिस्टों के के लिए संयुक्त सेवा नियम; और	(ख) और (ग) फार्मेसिस्टों पर भर्ती विभिन्न एजेंसियों अर्थात केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की जाती है। इस प्रकार फार्मेसिस्टों का कोई संयुक्त संवर्ग नहीं है और फार्मेसिस्टों के लिए समान/राष्ट्रीय वेतन नीति अपनाना सम्भव नहीं है।
(घ) केन्द्र और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी निदेशालय का गठन।	(घ) चूंकि फार्मेसी के व्यवसाय और फार्मेसी प्रैक्टिस के विनियमन के लिए समुचित उपबन्ध करने हेतु फार्मेसी अधिनियम: 1948

1	2
	के अधीन भारतीय फर्मेसी परिषद का गठन किया गया है, इसलिए केन्द्र अथवा राज्य में अलग से फर्मेसी निदेशालय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. फार्मेसी अधिनियम की धारा, 42 का कड़ाई से कार्यान्वयन	2. राज्य सरकारों से समय-समय पर पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि वे फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 42 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें जिसके अधीन गैर-पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा फार्मेसी की प्रैक्टिस करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
3. बी० फार्मेसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा धारकों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना।	3. केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए दाखिले आदि से संबंधित आरक्षण नीति का अनुपालन किया जा रहा है और आरक्षण नहीं किया जा सकता।
4. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टोर-कीपर (फार्मेसिस्ट) के पद का सृजन करना।	4. चूंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए फेडरेशन को सलाह दी गई है कि वह इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाए।
5. औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची "ट" में किए गए संशोधन को लोप का लोप करना। फेडरेशन ने अनुरोध किया है कि औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची "ट" में किए गए संशोधन, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ताओं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सों आदि को औषधें जारी करने की अनुमति दी गई है, को वापस लिया जाए।	5. ग्रामीण क्षेत्र में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण इन श्रेणियों के परा-चिकित्सीय स्टाफ को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अधीन औषधें जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसलिए इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है।
6. औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली में संशोधन फेडरेशन ने अनुरोध किया है कि औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली में संशोधन	6. चूंकि औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली में व्यवस्था की गई है कि औषधों की

1	2
किया जाना चाहिए ताकि मेडिकल स्टोर खोलने और उदार शर्तों पर ऋण के लिए केवल पंजीकृत फार्मेसिस्टों को ही लाइसेंस मिल सकें।	बिक्री सक्षम व्यक्ति की वैयक्तिक देखरेख में की जाएगी, इसलिए नियमावली में ऐसे संशोधन करना जिसमें केवल पंजीकृत फार्मेसिस्ट ही खुदरा केमिस्ट दुकान खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे, असामयिक होगा।
7. उचित दरों पर अनिवार्य औषधों की उपलब्धता और सभी अस्पतालों में कोआपरेटिव फार्मेसी स्टोर खोलना।	7. चूंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए फेडरेशन को सलाह दी गई है कि वह इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाए।
8. राज्य सरकारों द्वारा राज्य फार्मेसी परिषदों के लिए फार्मेसिस्टों का नामांकन।	8. चूंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए फेडरेशन को सलाह दी गई है कि वह इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाए।
9. फार्मेसी व्यवसाय से संबंधित नीति संबंधी मामलों पर फार्मेसिस्टों की फेडरेशन से परामर्श करना।	9. चूंकि फार्मेसी व्यवसाय से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को भारतीय फार्मेसी परिषद और औषध नियंत्रक (भारत) सलाह देते हैं, इसलिए फेडरेशन से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सेवाएं

2100. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा खान-पान सेवाओं और रेस्तरांओं को चलाने हेतु नई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सेवाओं और रेस्तरांओं को निजी एजेंसियों को सौंपने हेतु निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अब एक नीतिगत निर्णय लिया गया है कि किसी नये खानपान/वेंडिंग यूनिट को विभागीय तौर पर नहीं चलाया जाएगा और मौजूदा विभागीय यूनिटों का चरणबद्ध आधार पर निजीकरण किया जाएगा।

(ख) और (ग) रेलों पर बहुत से स्टेशनों और गाड़ियों में खानपान सेवाएं पहले ही निजी लाइसेंसधारियों द्वारा चलायी जा रही हैं। बहरहाल, यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में खानपान सेवाएं चलाने के लिए केवल सुप्रसिद्ध और खानपान व्यवसाइयों का ही लाइसेंसधारी के रूप में चयन किया जाएगा।

कटक स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

[अनुवाद]

2101. श्री श्रीकान्त जेना :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कटक और निकटवर्ती स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उक्त स्टेशनों के रखरखाव पर पिछले तीन वर्षों में कितना व्यय किया गया है; और

(ग) उक्त स्टेशनों पर प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) रेलें अनुरक्षण से संबंधित खर्च स्टेशन-वार नहीं रखती हैं।

(ग) इन स्टेशनों पर सुलभ कराई गई सुविधाओं में उपयुक्त प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय/छतदार प्लेटफार्म, बैठने के लिए स्थान, पीने के पानी की सुविधाएं, बुकिंग खिड़कियां आदि शामिल हैं।

आन्ध्र प्रदेश में अस्पतालों का विकास

2102. श्री जे० चोक्का राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से दूसरे दर्जे के अस्पतालों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में दूसरे दर्जे के अस्पतालों, 50 पलंगों वाले क्षय रोग अस्पताल, 10 बेस अस्पतालों और एक चकबात राहत प्रशिक्षण केन्द्र के विकास के लिए 236.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार को प्राप्त हुई थी। विश्व बैंक से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर राज्य सरकार से परियोजना में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

एशियाई खेलों में कबड्डी को शामिल किया जाना

[हिन्दी]

2103. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार आगामी एशियाई खेलों में कबड्डी को पुनः शामिल करने के लिए पहल कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) एशियाई खेल, 1994 के लिए प्रतियोगिताओं की अनन्तिम सूची में कबड्डी शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) चूंकि एशियाई खेलों में विधाओं का चयन मेजबान देश द्वारा एशियाई ओलम्पिक परिषद के परामर्श से किया जाता है अतः इस बारे में सरकार दखल-अन्दाजी नहीं कर सकती। तथापि, भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन कबड्डी को शामिल करने के लिए एशिया ओलम्पिक परिषद से अभ्यावेदन कर रही है।

एफ० सी० आई० के डिपुओं में "हैंडलिंग" श्रमिकों की मजूरी

[अनुवाद]

2104. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० सी० आई० के कुछ डिपुओं में हैंडलिंग श्रमिकों को उन विभागीय कर्मचारियों (श्रमिकों) के बराबर मजूरी नहीं दी जाती जहां ठेका प्रणाली समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) जिन डिपुओं में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन ठेका श्रम प्रणाली समाप्त कर दी गई है वहां के कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम में विभागीय कर्मचारियों को देय वेतन के स्वतः ही हकदार नहीं बन जाते हैं।

(ग) ऐसे कुछेक डिपुओं में जहां ठेका श्रम प्रणाली समाप्त कर दी गई थी, भारतीय खाद्य निगम ने विभागीय प्रणाली आरम्भ करने के लिए मजदूर संघों के साथ करार किया है। अन्य डिपुओं के संबंध में यह मामला श्रम मंत्रालय को भेजा गया ताकि वे इस पर आगे विचार कर सकें।

केरल में रेलों का विकास

2105. श्री पी० सी० थामस :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण रेलवे की डिवीजन-वार आमदनी क्या रही;

(ख) दक्षिणी क्षेत्र में रेल के विकास कार्यों पर कितना निवेश किया गया है; और

(ग) केरल में जोनल रेलवे में 1992-93 और 1993-94 के दौरान शुरू की जाने वाली रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आय (यातायात से प्राप्तियां) का ब्यौरा मंडल-वार नहीं रखा जाता बहरहाल, दक्षिण रेलवे के समग्र आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	(करोड़ रुपयों में)
1988-89	632.71
1989-90	710.24
1990-91	822.58

(ख)

	(करोड़ रुपयों में)
1988-89	118.04
1989-90	134.39
1990-91	148.39

(ग) 1992-93 के लिए कोई बड़ी परियोजना अनुमोदित नहीं की गयी है। 1993-94 में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इन्दिरा गांधी चिकित्सा संस्थान, पटना

2106. श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना के इन्दिरा गांधी चिकित्सा संस्थान, को अपने हाथ में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यह अस्पताल कब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

दमा पर नियंत्रण के लिए जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधि

2107. श्री राम नाईक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद ने प्रारंभिक स्तर पर दमा रोग की जड़ी-बूटियों से निर्मित कोई औषधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो इस औषधि को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और इसे जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए है/उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने दमा पर वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं और यह पाया कि कुछ जड़ी-बूटी औषधों में इस प्रयोजन की चिकित्सीय क्षमताएं हैं। वे अध्ययन अभी पूरे किए जाने हैं।

अभिलेख संबंधी सामग्री को वापस लाना

2108. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को अभिलेखों को वापस लौटने के प्रस्ताव के संबंध में लन्दन स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल द्वारा देश में उनके शासन के दौरान हटाई गई सांस्कृतिक सम्पत्ति और अभिलेख संबंधी सामग्री की सूची तैयार की है;

(ग) क्या इस सम्पत्ति को वापस लाने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है; और

(घ) क्या गत पांच वर्षों के दौरान ऐसी सम्पत्ति की बहाली के लिए इन तीन देशों के साथ कोई बातचीत की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चुनिंदा दस्तावेजों की केवल माइक्रोफिल्म प्रतियां भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को दी जा रही हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सैरगाहों का विकास

2109. श्री हाराधन राय :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पर्यटन मंत्रालय से अण्डमान और निकोबार में सैरगाहों का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ विदेशी निवेश भी आमंत्रित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी नहीं। इस मंत्रालय को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में समुद्र तटों पर विश्राम ग्रहों का विकास किए जाने के संबंध में पर्यटन मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में रेल लाइनों का नवीकरण

2110. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जोनल रेलवे की रेल-लाइनों के नवीकरण के लिए पिछली पंचवर्षीय योजना हेतु आवंटित कार्य का एक बड़ा भाग अभी तक पूरा नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नव-साक्षरों और आदिवासियों के लिए शिक्षा

2111. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में नव-साक्षरों और आदिवासियों के लिए शिक्षा जारी रखने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) केरल सरकार द्वारा केरल साक्षरता समिति का गठन किया गया था और इसे राज्य व्यापी पूर्ण साक्षरता अभियान क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। इसने अप्रैल, 1991 में इसे पूरा कर लिया। जबकि पूर्ण साक्षरता अभियान को केन्द्रीय शिक्षा विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई, केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य में आदिवासियों के लिए एक अलग साक्षरता कार्यक्रम को सहायता दी गई।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 29 और 30 जनवरी

1992 को हुई अपनी बैठक में राज्य में उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के प्रस्ताव का 4.20 करोड़ रुपए के बजट सहित (जिसमें केन्द्र और राज्य का हिस्सा 2:1 के अनुपात में होगा) का अनुमोदन कर दिया गया। उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा में 12.22 लाख व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय को आदिवासियों के लिए उत्तर साक्षरता का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

बरेली-मुरादाबाद रेल लाइन को दोहरा करना

2112. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली-मुरादाबाद रेल लाइन को दोहरा करने काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ख) कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1993-94 के दौरान।

(ख) मुरादाबाद छोर से 19 कि०मी० लम्बी रेल लाइन खोल दी गई है तथा परियोजना के शेष टुकड़े में कार्य चल रहा है।

जखपुरा-बांसपानी रेल-लाइन

2113. श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जखपुरा-बांसपानी रेलवे के दूसरे और तीसरे चरणों के निर्माण कार्य को मंजूरी दी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए आबंटित किए गए धन के साथ अन्य ब्यौरा क्या है; और इस पर कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह लाइन, खनिज एवं धातु व्यापार निगम और भूतल परिवहन मंत्रालय के लिए एक एकल उपयोगकर्ता लाइन होगी। इस लाइन के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए उन्हें कहा गया है, उसके बाद निर्माण-कार्य शुरू किया जा सकता है।

मूरी और टाटा अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ियों के चलने का समय

2114. श्री राम विलास पासवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8101 मूरी एक्सप्रेस और 8102 डाउन टाटा अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ी के चलने की सूची में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने और यात्रियों को और अधिक सुविधाजनक समय उपलब्ध कराने के लिए।

कोंकण रेल परियोजना हेतु कर्नाटक सरकार का अंशदान

2115. श्रीमती बासवाराजेश्वरी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कोंकण रेल परियोजना में वर्ष 1991-92 के लिए अपनी ईक्विटी अंशदान की तीसरी किस्त दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और कर्नाटक सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी धन-राशि दी गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 30 करोड़ रुपये।

1990-91	:	15 करोड़ रुपये
जून, 91	:	5 करोड़ रुपये
अक्तूबर, 91	:	5 करोड़ रुपये
फरवरी, 92	:	5 करोड़ रुपये
जोड़	:	30 करोड़ रुपये

श्रमजीवी एक्सप्रेस में भोजन-यान

2116. श्री छेदी पासवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए श्रमजीवी एक्सप्रेस में भोजन-यान की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) श्रमजीवी एक्सप्रेस में पैन्ट्री यान सेवा शुरू करने के लिए संबंधित रेलवे को पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृह/अतिथि गृह सुविधाएं

2117. श्री बापू हरि चौरे :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे रेलवे स्टेशनों के नाम क्या-क्या हैं जहां रेलवे अधिकारियों द्वारा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने वाले पर्यटकों के लिए विश्राम कक्षों के अतिरिक्त विश्राम गृह/अतिथि गृह सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र और उड़ीसा में पर्यटकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हावड़ा और नई दिल्ली में एक-एक यात्री निवास की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर और उज्जैन में एक-एक यात्री निवास की मंजूरी दी गई है। यात्री निवासों की व्यवस्था करना तत्वत: यात्रियों को सुलभ कराई जाने वाली विश्राम कक्ष सुविधाओं का विस्तार ही है। दक्षिण पूर्व रेलवे पुरी तथा रांची में एक-एक अर्थात दो होटल भी चला रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की तंगी।

पेद्दापाली वाटनपेट रेलवे लाइन

2118. श्री धर्म भिक्षम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेड्डापाली-करीमनगर-पाटनचेरु रेलवे लाइन का बिछाया जाना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर काम कब से शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि पेड्डापल्ली से करीमनगर तक लाइन के निर्माण कार्य की योजना आयोग को भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई योजना आयोग के अनुमोदन और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

मध्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

2119. श्री सूरजभान् सोलंकी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु मध्य प्रदेश सरकार को कितनी राशि का अनुदान दिया गया है; और

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान प्राप्त तत्संबंधी लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश सरकार को रिलीज की गई धनराशि इस प्रकार है :—

	(लाख रुपये)
1985-86	3202.54
1986-87	3584.80
1987-88	2832.00
1988-89	3061.22
1989-90	3818.67

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सातवीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के तहत लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	नसबन्दी		आई०यू०डी० निवेशन		परम्परागत गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता		मुखसेव्य गोली उपयोगकर्ता	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1985-86	425000	359246	200000	193735	500000	573237	100000	84114
1986-87	450000	452723	220000	216147	580000	761480	100000	175781
1987-88	450000	318311	265000	233544	747000	692741	110000	131225
1988-89	400000	273584	251000	306712	961000	1002491	132000	191491
1989-90	350000	237386	300000	334171	1150000	1230744	200000	222042

राजधानी एक्सप्रेस को इलाहाबाद में रोकना

[अनुवाद]

2120. श्री शशि प्रकाश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के इलाहाबाद स्टेशन पर ठहराव को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कम लोकप्रियता के कारण 2301/2302 राजधानी एक्सप्रेस का 21/22.3.92 से इलाहाबाद में ठहराव समाप्त किया जा रहा है।

हाथियों की संख्या

2121. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाथियों की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) देश के विभिन्न भागों में रहने वाले हाथियों की संख्या कितनी है;

(घ) हाथियों की सुरक्षा के लिए क्या कारंवाई की जा रही है; और

(ङ) हाथियों की संख्या के संरक्षण के लिए तैयार की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में हाथियों की क्षेत्रवार प्राक्कलित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) हाथियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. हाथी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची—I में शामिल है तथा हाथी के शिकार और उसके एवं उसके दांत सहित उसके अन्य उत्पादों के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है।

2. भारतीय हाथी "वन्य प्राणीजात एवं वनस्पतिजात की संकट्टापन्न प्रजातियों के अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन" जिसका भारत सदस्य है, की परिशिष्ट—I में शामिल है। कन्वेंशन के उपबंधों के अन्तर्गत भारतीय हाथी दांत तथा उससे बनी वस्तुओं के अंतर-राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है।

3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ होने की छह माह की अवधि समाप्त होने की तिथि से आयातित हाथी दांत पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सके, यह अधिनियम 2 अक्तूबर, 1991 से लागू हो गया है।

4. निर्यात नीति के अन्तर्गत हाथी दांत तथा उससे बनी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

5. अवैध शिकार विरोधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

इस वर्ष से "हाथी परियोजना" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है तथा हाथियों और उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को सहायता के रूप में 83 लाख रुपये की राशि आबंटित कर दी गई है।

(क) "हाथी परियोजना" के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. सभी जीवित हाथियों और उनके वासस्थलों की सुरक्षा।

2. संयुक्त हाथी क्षेत्र के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए कारीडोर मुहैया कराना।

3. उपयुक्त पारि-विकास कार्यक्रमों के जरिए सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारना जिससे वनों पर उनकी निर्भरता को कम किया जा सके।

4. मिकेनिया तथा लेन्टाना जैसे खर-पतवारों को समाप्त करना तथा उपयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रमों के जरिए चारा वृक्षों की संख्या में वृद्धि करना।

5. पृथक-पृथक हाथियों के कारण स्थानीय लोगों को हो रही कठिनाइयों को कम करना।

6. हाथियों द्वारा पहुंचाई गई जान और माल की क्षति के लिए लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना।

7. अवैध शिकार विरोधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना।

8. पशु-चिकित्सा में सुधार करना तथा मवेशियों को संक्रामक रोग प्रतिरोधक टीके लगाना।

9. शिक्षा अभियान तथा विस्तार कार्यक्रमों के जरिए हाथियों के प्रति दया की भावना विकसित करना।

10. हाथियों और उनके वासस्थलों के प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना।

विवरण

भारत में हाथियों की क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या इस प्रकार है :

	क्षेत्र का नाम	हाथियों की अनुमानित संख्या
1.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा)	8525 से 11930
2.	उड़ीसा और बिहार	2,000 से 2,300
3.	उत्तर प्रदेश	550 से 700
4.	दक्षिणी क्षेत्र (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु)	6,000 से 7,150
	कुल	17,075 से 22,080

पुस्तकों की खरीद

[हिन्दी]

2122. श्री खारे लाल जाटव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 फरवरी, 1992 के दैनिक जागरण में "किताबों की खरीद में नियम ताक पर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार उनके द्वारा मामले की जांच-पड़ताल की गई है और उन्होंने पाया है कि खरीद की उचित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही किताबें खरीदी जा रही हैं।

निजी अस्पतालों द्वारा गरीबों को चिकित्सा देखभाल सुविधा

[अनुवाद]

2123. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

श्री पीयूष तीरकी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी संस्थानों द्वारा दिल्ली में गरीबों को उचित लागत पर, इन संस्थानों को चिकित्सा उपकरणों के आयात करने में रियायती दरों पर भूमि के आबंटन और शुल्क राहत के एवज में, चिकित्सा देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन संस्थानों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुविधा अन्य शहरों को भी उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) ऐसी प्राइवेट संस्थाओं द्वारा, जिनमें रियायती दरों पर भूमि दी गई है अथवा चिकित्सीय उपस्करों के आयात पर सीमाशुल्क में छूट दी गई है, गरीब रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नजदीक के सरकारी अस्पतालों से सम्बद्ध करने की एक योजना तैयार की गई है ताकि वे अस्पताल गरीब रोगियों को ऐसी संस्थाओं में भेज सकें। ऐसी प्राइवेट संस्थाओं के लिए उनके अनुमानित कार्यभार का 20 प्रतिशत रेफरल कोटा निर्धारित किया गया है और प्रत्येक संस्था को एक विशिष्ट सरकारी अस्पताल के साथ सम्बद्ध किया गया है ताकि वे गरीब रोगियों की विशिष्ट जांच के लिए वहां भेज सकें। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों और उनसे जुड़ी प्राइवेट संस्थाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) यह योजना अभी दिल्ली में परीक्षण के तौर पर चलाई जा रही है और दिल्ली में इसके कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर इसे अन्य राज्यों/संघ/राज्यक्षेत्रों में भी चलाया जाएगा।

विवरण

प्रमुख सरकारी अस्पतालों और ऐसी प्राइवेट संस्थाओं का विवरण, जिन्हें उनसे जोड़ने का प्रस्ताव है तथा जिन्हें प्रमुख उपस्करों पर सीमाशुल्क में छूट दी गई है

क्र० सं०	सरकारी अस्पताल का नाम	केट	एम० आर० आई०	एकोकार्डियोग्राफी	ट्रेड मिल
1	2	3	4	5	6
1.	लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल	दीवान चन्द अग्रवाल इमेजिंग रिसर्च सेंटर (60 रोगी प्रति माह)	दीवान चन्द अग्रवाल इमेजिंग रिसर्च सेंटर (10 रोगी प्रति माह)	नवीनचन्द नन्दा नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एको० (कार्डियोग्राफी एण्ड कार्डियक सेंटर (10 रोगी प्रतिमाह)	सर गंगाराम अस्पताल (10 रोगी प्रतिमाह
		बनवारी लाल चेरिटेबिल ट्रस्ट, 59 पंचकुइयां रोड (90 रोगी प्रतिमाह)		सर गंगाराम अस्पताल (20 रोगी प्रतिमाह)	
2.	गुरु तेग बहादुर अस्पताल	सेंट स्टीफन्स अस्पताल (30 रोगी प्रतिमाह) डा० आनन्द सी० टी० स्केन एण्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर, प्रीत विहार (20 रोगी प्रतिमाह)	एम० आर० आई० डायग्नौस्टिक सेंटर, बी-22 कैलाश कालोनी (2 रोगी प्रतिमाह)	नवीनचन्द नन्दा नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एकोकार्डियोग्राफी एण्ड कार्डियक सेंटर (20 रोगी प्रतिमाह)	सर गंगाराम अस्पताल (10 रोगी प्रतिमाह)

1	2	3	4	5	6
3.	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	दिल्ली स्कैन रिसर्च सेंटर (30 रोगी प्रतिमाह)	एम० आर० आई० डायग्नॉस्टिक सेंटर, बी-22 कैलाश कालोनी (3 रोगी प्रतिमाह)	नवीन चंद नन्दा नेशनल नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एकोकार्डियोगाफी एण्ड कार्डियक सेंटर (20 रोगी प्रतिमाह)	चौधरी ऐशी राम बत्रा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (10 रोगी प्रतिमाह)
4.	गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल	दिल्ली स्कैन रिसर्च सेंटर (40 रोगी प्रतिमाह)	एम० आर० आई० डायग्नॉस्टिक सेंटर, बी-22 कैलाश कालोनी		
5.	गुरु नानक आई सेंटर	दिल्ली स्कैन रिसर्च सेंटर (10 रोगी प्रतिमाह)	(10 रोगी प्रतिमाह)		
6.	सफदरजंग अस्पताल ×	चौधरी ऐशी राम बत्रा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (30 रोगी प्रतिमाह)	एम० आर० आई० डायग्नॉस्टिक एण्ड रिसर्च सेंटर (5 रोगी प्रतिमाह)	चौधरी ऐशी राम बत्रा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (20 रोगी प्रतिमाह)	चौधरी ऐशी राम बत्रा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (5 रोगी प्रतिमाह)
7.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	चौधरी ऐशी राम बत्रा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (30 रोगी प्रतिमाह)	एम० आर० आई० डायग्नॉस्टिक एण्ड रिसर्च सेंटर (5 रोगी प्रतिमाह)	चौधरी ऐशी राम बत्रा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (10 रोगी प्रतिमाह)	

1	2	3	4	5	6	7
8. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज अस्पताल	साउथ दिल्ली कैंसर डिटेक्शन सेंटर द्वारा एड्स डायग्नोस्टिक सेंटर (20 रोगी प्रतिमाह)				चौधरी ऐशी राम तथा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (10 रोगी प्रतिमाह)	
9. कलावती सरन बाल अस्पताल	दिल्ली स्कैन रिसर्च सेंटर (10 रोगी प्रतिमाह)			—	—	—

× उपर्युक्त के अतिरिक्त लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को प्रतिमाह 25 गामा स्कैन तथा 8 रेडियोथिरेपी रोगियों के लिए बत्रा अस्पताल के साथ सम्बद्ध किया जाना है।

सफदरजंग अस्पताल को प्रतिमाह 15 गामा स्कैन तथा 6 रेडियोथिरेपी रोगियों के लिए बत्रा अस्पताल के साथ सम्बद्ध किया जाना है।

जनजातीय क्षेत्रों में निरक्षरता का उन्मूलन

2124. श्री ललित उरांव :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जनजातीय बहुल क्षेत्रों में निरक्षरता उन्मूलन के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम तैयार किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को इसके लिए दी गई राशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन सी एजेन्सियों/स्वैच्छिक प्रतिष्ठानों के द्वारा इस अवधि में बिहार के जनजातीय बहुल वनांचल क्षेत्र (छोटा नागपुर-सन्थाल-परगना) में धन खर्च किया गया और खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1992-93 में इस कार्य के लिए बिहार सरकार को कितनी राशि प्रदान की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) पढ़ाई के बीच में छोड़ जाने वाले छात्रों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सहित शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की योजना तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15 से 35 आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, देश के निरक्षरता-उन्मूलन के एक व्यापक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। इन सभी कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निरक्षरों तथा महिलाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रारम्भिक शिक्षा की प्रोन्नति में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों को पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः विवरण I और II में दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने भी राज्य सेक्टर में इन कार्यक्रमों पर व्यय किया है। राज्य सेक्टर में प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रारम्भिक शिक्षा पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए खर्च को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः विवरण III और IV में दिए गए हैं।

(ग) वनांचल क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों के नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें प्रदान की गई अनुदान-राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण V पर दिया गया है।

(घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सेक्टर में कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता। प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की जरूरत के आधार पर ही अनुदान जारी किए जाते हैं। तदनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान, बिहार राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही निधियां प्रदान की जाएंगी।

विवरण-I

(रुपये लाखों में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम		केन्द्रीय सहायता की राशि	
			1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4[illegible]6.59	570.28	2275.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	86.45	42.38	15.18
3.	असम	238.38	256.10	181.82
4.	बिहार	454.22	677.36	760.93
5.	गोआ	11.26	65.47	5.47
6.	गुजरात	460.17	512.21	828.28
7.	हरियाणा	166.30	205.89	106.07
8.	हिमाचल प्रदेश	45.09	61.93	54.02
9.	जम्मू व कश्मीर	111.49	8.15	13.48
10.	कर्नाटक	488.86	393.17	1298.85
11.	केरल	210.33	421.91	353.11
12.	मध्य प्रदेश	563.61	726.81	1278.20
13.	महाराष्ट्र	667.43	665.40	906.20
14.	मणिपुर	84.92	81.50	22.13
15.	मेघालय	39.06	67.81	32.91
16.	मिजोराम	13.40	16.61	1[illegible].67
17.	नागालैंड	14.92	42.00	37.29
18.	उड़ीसा	216.60	493.27	609.91
19.	पंजाब	146.22	175.01	104.45
20.	राजस्थान	595.48	595.36	507.58
21.	सिक्किम	4.88	88.84	7.89

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	464.85	648.15	452.81
23.	त्रिपुरा	30.79	47.58	15.32
24.	उत्तर प्रदेश	1123.60	852.15	1228.81
25.	पश्चिम बंगाल	469.78	268.06	1586.58
	संघशासित क्षेत्र			
26.	अंडमान व नि० द्वीप समूह	11.86	16.00	19.38
27.	चण्डीगढ़	5.94	6.51	14.31
28.	दादरा व नागर हवेली	3.54	4.30	5.51
29.	दमन व दीव	0.79	0.73	0.66
30.	दिल्ली	92.19	214.85	299.29
31.	लक्षद्वीप	4.83	1.95	0.32
32	पाण्डिचेरी	18.50	50.37	40.13

विवरण-II

(रुपये लाखों में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई राशि 1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2422.24	2324 08	[illegible]932.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	74 81	46.76	82.16
3.	असम	468.13	1154.21	207.68
4.	बिहार	2637.71	1[illegible]52.07	2405.51
5.	गोवा	23.62	65.62	47.47
6.	गुजरात	248.02	829.07	579.82
7.	हरियाणा	320.92	148.62	86.56
8.	हिमाचल प्रदेश	417.91	465.77	303.36
9.	जम्मू व कश्मीर	567.87	174.70	0.67

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	911.44	541.16	724.50
11.	केरल	327.23	280 00	221.78
12.	मध्य प्रदेश	3094.23	1081.52	2477.04
13.	महाराष्ट्र	483.96	841.74	720.15
14.	मणिपुर	142.76	3.98	75.13
15.	मेघालय	—	—	100.49
16.	मिजोरम	27.95	10.94	42.43
17.	नागालैंड	56.76	42.98	5.85
18.	उड़ीसा	1832.92	1322.88	2210.94
19.	पंजाब	470.26	460.85	286.69
20.	राजस्थान	1666.26	2319.38	4166.74
21.	सिक्किम	44.56	—	16.36
22.	तमिलनाडु	1230.13	2026.98	547.61
23.	त्रिपुरा	—	76.12	7.70
24.	उत्तर प्रदेश	2849.49	3556.76	2331.85
25.	पश्चिम बंगाल	522.47	82.49	385.82
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंड० व नि० द्वीप समूह	—	8.27	—
27.	चंडीगढ़	2.83	2.89	5.64
28.	दादरा व नागर हवेली	—	—	4.14
29.	दमन व दीव	1.18	—	53.59
30.	दिल्ली	47.22	134.82	106.09
31.	लक्षद्वीप	—	—	10.72
32.	पांडिचेरी	27.23	20.32	—

विवरण-III

(रुपये लाखों में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	व्यय		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	276.00	304.00	319.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	65.00	75.00	68.53
3.	असम	143.00	237.00	156.00
4.	बिहार	658.00	875.00	1172.00
5.	गोवा	22.00	20.00	38.47
6.	गुजरात	196.00	200.00	224.72
7.	हरियाणा	7.00	59.00	—
8.	हिमाचल प्रदेश	21.00	50.00	43.55
9.	जम्मू व कश्मीर	46.00	44.00	50.00
10.	कर्नाटक	207.00	240.00	231.14
11.	केरल	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	215.00	344.00	187.24
13.	महाराष्ट्र	378.00	560.00	33.00
14.	मणिपुर	55.00	60.00	45.89
15.	नागालैंड	10.00	11.00	10.82
16.	उड़ीसा	95.00	100.00	144.09
17.	पंजाब	12.00	23.00	60.00
18.	राजस्थान	107.00	120.00	89.38
19.	सिक्किम	3.00	10.00	9.72
20.	मेघालय	28.00	35.00	67.00
21.	मिजोरम	7.00	15.00	68.00

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	222.00	422.00	420.91
23.	त्रिपुरा	20.00	56.00	45.76
24.	उत्तर प्रदेश	366.00	765.00	303.00
25.	पश्चिम बंगाल	138.00	363.00	425.00
	संघशासित क्षेत्र :			
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6.00	6.00	4.03
27.	चंडीगढ़	16.00	9.00	—
28.	दादरा व नागर हवेली	1.00	2.00	1.25
29.	दमन और दीव	2.00	2.00	1.80
30.	दिल्ली	3.00	40.00	14.09
31.	लक्षद्वीप	1.00	3.00	0.24
32.	पांडिचेरी	5.00	6.00	1.25

विवरण-IV

(रुपये लाखों में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	व्यय		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2812	6148	2606
2.	अरुणाचल प्रदेश	1095	1800	1045
3.	असम	3081	3564	4303
4.	बिहार	4133	9711	6584
5.	गोवा	142	210	182
6.	गुजरात	2085	2630	1841
7.	हरियाणा	1546	1881	1037

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	797	1107	1285
9.	जम्मू व कश्मीर	795	3080	2300
10.	कर्नाटक	881	1303	2341
11.	केरल	82	139	180
12.	मध्य प्रदेश	5733	6833	7038
13.	महाराष्ट्र	1975	2871	611
14.	मणिपुर	400	457	467
15.	मेघालय	595	786	764
16.	मिजोरम	230	322	317
17.	नागालैंड	276	286	335
18.	उड़ीसा	3170	3021	2357
19.	पंजाब	499	680	240
20.	राजस्थान	3443	5245	2229
21.	सिक्किम	568	568	568
22.	तमिलनाडु	3650	3199	3480
23.	त्रिपुरा	1478	1230	1800
24.	उत्तर प्रदेश	4569	10692	10546
25.	पश्चिम बंगाल	1187	1200	1849
	संघशासित क्षेत्र :			
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	426	456	284
27.	चंडीगढ़	153	177	110
28.	दादरा व नागर हवेली	60	57	64
29.	दमन व दीव	55	40	43
30.	दिल्ली	3654	3013	3059

1	2	3	4	5
31.	लक्षद्वीप	34	45	28
32.	पांडिचेरी	218	210	220

विवरण-V

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बिहार राज्य में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों की सूची

क्र०सं०	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	जिले का नाम	जारी की गई राशि
		1988-89	
1.	भारत विकास के लिए विकल्प	सिंहभूम	960000
		1989-90	
2.	प्रगतिशील युवा केन्द्र	गिरीडीह	153000
3.	नवभारत जागृति केन्द्र	हजारीबाग	180000
4.	जयप्रकाश युवा अनुसंधान केन्द्र	पलामू	320000
		1990-91	
5.	विकास भारती	गुमला	90000
6.	सन्त इग्नेटियस उच्च विद्यालय	गुमला	90000
7.	भारतीय कला मन्दिर	पलामू	180000
8.	जयप्रकाश युवा अनुसंधान केन्द्र	पलामू	440600
9.	जन विकास केन्द्र	रांची	66000
10.	जेवियर समाज सेवा संस्थान	रांची	267250
11.	भारत विकास के लिए विकल्प	सिंहभूम	1215000
12.	जेवियर चाइबासा	सिंहभूम	320000
13.	नवभारत जागृति केन्द्र	हजारीबाग	194400
		1991-92 (5-3-92 तक)	
14.	नवभारत जागृति केन्द्र	हजारीबाग	542000

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग सुविधायें

2125. श्री मन्दी येल्लैया :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध पार्किंग स्थल जनता की आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया गया है और यदि हां, तो कब और इसके लिए अनुमानतः कितने स्थान की आवश्यकता है;

(ग) अपेक्षित स्थान कब तक उपलब्ध कराया जाएगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में वाहन मालिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पिछले वर्ष किए गए सर्वेक्षण के आधार पर नई दिल्ली स्टेशन के पहाड़गंज साइड की ओर कारों की पार्किंग के लिए स्थान की कमी के अलावा, पार्किंग स्थान को पर्याप्त समझा जाता है, चूंकि पहाड़गंज साइड की ओर कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं है और न ही स्थान की आवश्यकता के बारे में कोई जायजा लिया गया है और न ही इसे कार पार्किंग के लिए उपलब्ध कराना व्यावहारिक है।

(घ) दरों की ग्रेड प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव है, जिसमें पार्किंग समय के बढ़ने के साथ-साथ दर भी बढ़ती जायेंगी।

विदर्भ क्षेत्र में एक्सिल एण्ड व्हील फैक्टरी

2126. श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई "एक्सिल एण्ड व्हील" फैक्टरी आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या विदर्भ इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन नागपुर से विदर्भ में उपयुक्त स्थल के चयन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विदर्भ में यह फैक्टरी खोलने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलईकुण्डे स्टेशन पर शेड

2127. श्री सत्य गोपाल मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलाई कुण्डे रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्वी रेलवे) पर जहां सीमेंट उतारी जाती है कोई शेड नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्टेशन पर शेड प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) कलाईकुण्डा स्थित माल साइडिंग का उपयोग ब्लाक रेकों को संभालने के लिए किया जाता है जहां से माल की उतराई सीधे परेषिती के वाहन में की जाती है इसलिए छतदार शेड की व्यवस्था आवश्यक नहीं समझी जाती।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रंगिया से मुरकांग तक तेज चलने वाली रेलगाड़ी को रद्द करना

2128. श्री बालिन कुली :

श्री प्रबीन डेका :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगिया से मुरकांग सेलक (असम) तक तेजगति से चलने वाली गाड़ी को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस गाड़ी को कब तक पुन: शुरू करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण 5713/5714 गुवाहाटी-रंगिया-मुरकांग सेलक अरुणाचल एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है और असम राज्य सरकार से सुरक्षा संबंधी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसे पुन: चला दिया जाएगा।

अध्ययन के लिए विदेश भेजे गए छात्र

[हिन्दी]

2129. गुलाम मोहम्मद खां :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रों को अध्ययन के लिए विदेश भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए छात्रों का चयन सरकार द्वारा किया जाता है अथवा निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अध्ययन के लिए देशवार कितने छात्र विदेश भेजे गए ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा एक देश से दूसरे देश के द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कार्यक्रमों के अंतर्गत, दूसरे देशों की सरकारों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इन मामलों में यह मंत्रालय, छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली सरकार के सहयोग से चयन करता है। इसके अलावा, कुछ देश, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान आदि भी स्वत: ही भारतीय राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं तथा छात्र सीधे ही उन्हें आवेदन करते हैं।

अध्ययन के लिए छात्रों को विदेश भेजने के लिए मंत्रालय ने जो मानदण्ड रखा हुआ है वह यह है कि छात्र छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले देश/एजेंसी द्वारा निर्धारित आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि, जैसी यथा सम्बन्धी अपेक्षाएं पूरी करता हो। विदेशों में अध्ययन के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए निम्नलिखित सामान्य मानदण्ड अपनाए जाते हैं :—

1. देश के अधिकतम हित को देखते हुए डाक्टोरल, पोस्टडाक्टोरल तथा विशिष्ट अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 60 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री की योग्यता की अपेक्षा करता है।

2. उन छात्रों पर, जो विदेशों में एक लम्बे समय तक रहे है तथा वहां से वापिस आने पर, भारत में तीन वर्ष तक नहीं रहे हैं, सामान्यत: छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में चयन इस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति, जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले देश/एजेंसी के शैक्षिक विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि भी होते हैं, के माध्यम से मंत्रालय स्वयं ही करता है। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने बताया है कि परिषद् यू०एस०एस०आर० हायर एण्ड सैकण्डरी स्पेशियलाइज्ड एजुकेशन मंत्रालय तथा भारतीय चिकित्सा परिषद के बीच सहमति ज्ञापन के अनुसरण में एक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार लेने के बाद ही छात्रों को छात्रवृत्ति आधार पर तत्कालीन यू० एस० एस० आर० भेजती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बताया है कि आयोग भी फ्रेंच, जर्मन तथा हंगेरियन; तीनों भाषाओं में उच्च अध्ययन के लिए छात्रों को, इन देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश भेजता है। इन छात्रों का चयन; एक विशेषज्ञ समिति, जिसमें सम्बद्ध भाषाओं के विशेषज्ञ होते हैं, की सहायता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। शिक्षा विभाग, भारतीय चिकित्सा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान, विदेश भेजे गए छात्रों का देशवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन-अधिसूचित खानाबदोश, अर्ध

खानाबदोश जाति, नव-बौद्ध सम्प्रदाय आदि के छात्रों के लिए विदेशी राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इनके लिए आवश्यक पात्रता कुछ मामलों में ग्रेजुएट स्तर पर कम से कम 60% अंक तथा अन्य मामलों में 50% अंक तथा 35 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है जिसमें, तीन वर्ष की छूट दी जा सकेगी। छात्रों का चयन, कल्याण मंत्रालय, एक चयन समिति के माध्यम से करता है। इस मंत्रालय ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान आगे अध्ययन के लिए लगभग 15 छात्रों को यू० के० तथा संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा प्रदत्त समानता-एवं-योग्यता सम्बन्धी एक अन्य छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छ: छात्रों को आस्ट्रेलिया भेजा गया।

विवरण

"अध्ययन के लिए विदेश भेजे गए छात्रों" के सम्बन्ध में दिनांक 10 मार्च, 1992 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2129 के उत्तर में छात्र-विवरण

क्र०सं०	देश का नाम	छात्रों की वर्षवार संख्या		
		1989	1990	1991
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रिया	1	2	—
2.	ग्रीस	2	—	—
3.	पुर्तगाल	—	—	2
4.	इटली	11	7	8
5.	नार्वे	7	2	5
6.	स्पेन	4	—	—
7.	यू०एस०ए०	27	[illegible]	3
8.	यू० के०	67	65	47
9.	कनाडा	8	14	21
10.	एफ०आर०जी०	12	13	15
11.	हंगरी	2	3	1
12.	चेकोस्लोवाकिया	1	1	1
13.	यूगोस्लाविया	—	1	2
14.	बुलगेरिया	2	1	1

1	2	3	4	5
15.	मंगोलिया	1	—	—
16.	पोलैंड	—	1	1
17.	आयरलैंड	—	—	2
18.	यू०एस०एस०आर०	72	50	—
19.	जापान	9	11	11
20.	चीन	12	11	3
21.	इंडोनेशिया	1	1	1
22.	टर्की	—	—	2
23.	न्यूजीलैंड	1	—	—
24.	फ्रांस	14	4	13

असम में वन अनुसंधान संस्थान

[अनुवाद]

2130. श्री उद्धव बर्मन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या संस्थान की स्थापना की जा चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु कोष

2131. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संकट के कारण पिछले कुछ वर्षों से रेलवे की आधुनिकीकरण संबंधी

योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण संबंधी योजनाओं की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे वित्तीय सहायता देने के लिए इस बीच किन्हीं उपायों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) आठवीं योजनावधि के दौरान रेलवे को कितनी धनराशि का आबंटन किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आधुनिकीकरण की योजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सीमित कर दी गई थीं, लेकिन ये बुरी तरह प्रभावित नहीं हुई थीं।

(ख) और (ग) रेलों के लिए योजना आबंटन जुटाए जा सकने वाले समग्र संसाधनों तथा विभिन्न क्षेत्रों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(घ) आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

हैदराबाद शहर की स्थापना संबंधी वार्षिक समारोह

2132. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद नगर की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आंध्र प्रदेश को धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हैदराबाद नगर की 400वीं वर्षगांठ मनाने के संबंध में 4.68 लाख रुपए की राशि "संस्कार" को और एक लाख रुपए की राशि अहल-ए-गोलकुंडा सोसाइटी को मंजूर की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न की दोहरी लाइसेंस नीति

[हिन्दी]

2133. कुमारी उमा भारती :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों की दोहरी लाइसेंस नीति के कार्यान्वयन में सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और आंकड़े क्या हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय महिला आयोग

[अनुवाद]

2134. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री सुधीर गिरि :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त आयोग को अन्तत: कब तक स्थापित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने पहले ही 31.1.92 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कर दिया है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

2136 श्री लाल बाबू राय :

डा॰ परशुराम गंगवार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी चीनी मिलों को लाभ हो रहा है और कितनी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की अधिकांश चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में, चीनी मिलों को लाभ प्रद बनाने के लिए उनके कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) सरकार चीनी मिलों के लाभ तथा घाटे से संबंधित हिसाब नहीं रखती है। गन्ना उपलब्धता के अतिरिक्त चीनी मिलों को लाभ या हानि के अनेक कारण हैं जिसमें मिल का आकार, अवस्था और प्लांट एवं मशीनरी की

स्थिति और तकनीकी तथा प्रबंधकीय दक्षता आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार चीनी फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण/विस्तार तथा गन्ना विकास योजनाओं के लिए रियायती ब्याज दरों पर चीनी विकास निधि से ऋण प्रदान करती है।

अखिल भारतीय पतंगबाजी प्रतियोगिता

2137. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1992 के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई अखिल भारतीय पतंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी ही प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) इस विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सिंजी

2138. श्री के० राममूर्ति टिंडिवनम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के दक्षिण अरकान जिले में सिंजी को राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को तमिलनाडु के दक्षिण अरकाट जिले में सिंजी नामक किसी स्थान की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, दक्षिण अरकाट जिले में जिंजी स्थित किला और उसके अन्दर के स्मारक पहले से ही केन्द्रीय संरक्षण के अन्तर्गत हैं। इनकी देखभाल और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जा रही है।

तोतरों का व्यापार

2139. प्रो० के० वी० थामस :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीतरों के व्यापार प्रर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तीतरों की लड़ाई का प्रदर्शन नियमित रूप से होता रहता है;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली में तीतरों की लड़ाई के प्रदर्शन और मृत एवं जीवित तीतरों का व्यापार होने की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जीवित और मृत तीतरों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) वन्यजीव सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1991 के तहत सभी जंगली पक्षियों और पशुओं के शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(2) दिल्ली के वन्यजीव प्राधिकारियों ने समय-समय पर तीतरों की अवैध बिक्री के कुछ मामले पकड़े हैं। दिल्ली के वन्यजीव प्राधिकारियों के पास जब कभी इस प्रकार की गतिविधियों की कोई सूचना पहुंचती है, तो वे छापे मारते हैं।

(3) जहां तक तीतरों की लड़ाई प्रदर्शित करने का प्रश्न है, इस प्रकार के प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम के अधीन होती है, जिसके तहत कार्रवाई दिल्ली जीवजन्तु क्रूरता निवारण संघ और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। उनको इस संबंध में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

करीमगंज में रेल उपरिपुल

2140. श्री द्वारका नाथ दास :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-सीमा रेलवे पर करीमगंज जंक्शन के चौराहे पर उपरिपुल न होने के कारण जनता को बहुत असुविधा हो रही है;

(ख) क्या वहां पर उपरिपुल का निर्माण के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) करीमगंज स्टेशन के समीप ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए मांग की गई है।

(ख) से (घ) बार्डर रोड टास्क फोर्स ने रेलवे से करीमगंज के समीप उनके द्वारा निर्माण किये जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बाई पास पर दो ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण करने का अनुरोध किया है। बार्डर रोड टास्क फोर्स के प्राधिकारियों और रेल अधिकारियों के संयुक्त रूप से प्रस्ताव

को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ऊपरी पुलों के निर्माण कार्य को "निक्षेप शर्तों" पर रेलों द्वारा शुरू किया जाएगा।

नौगढ़ रेलवे स्टेशन को नया नाम दिया जाना

[हिन्दी]

2141. श्री रामपाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में नौगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हनुमानगढ़-सूरतगढ़ छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2142. श्री मनफूल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनुमानगढ़-सूरतगढ़ कैनल लूप छोटी लाइन को उस क्षेत्र के उद्योग एवं अर्थव्यवस्था के संवर्धन हेतु बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) देश में एक ही आमान प्रणाली अपनाने के लिए इस लाइन को उन लाइनों में शामिल किया गया है जिनकी कार्य योजना के तहत पहिचान की गयी है।

कांडला-भटिंडा रेलवे लाइन

2143. श्री दिलीप भाई संघानी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला से भटिंडा तक रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस परियोजना के आसपास और मेड़ता रोड भाग के बीच आमान परिवर्तन

का कार्य प्रगति पर है। शेष खंड पर आमान परिवर्तन का कार्य यथा समय शुरू किया जाएगा।

रेलवे फाटकों पर उपरिपुल

[अनुवाद]

2144. श्री राम बदन :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रेलवे फाटकों पर उपरिपुलों के निर्माण की, विशेष रूप से उन पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अति व्यस्त रेलवे फाटकों पर निर्मित किए गए रेलवे पुलों की संख्या क्या है;

(घ) ऐसे रेलवे फाटकों की संख्या क्या है जहां उपरिपुल निर्माण को मंजूरी दे दी गई है तथा उन पर आने वाला अनुमानित व्यय कितना है; और

(ङ) उनके किस समय तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलवे उन्हीं समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण की योजना बनाती है जिनके लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियमानुसार ऐसे निर्माण कार्यों की लागत के हिस्से का वहन करने की स्वीकृति भेजते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किये जाते हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में 5.

(घ) उत्तर प्रदेश में 18 जिनकी अनुमानित लागत 69 करोड़ रु० है।

(ङ) इन पुलों का निर्माण कार्य पूरा किये जाने का समय उ० प्र० राज्य सरकार द्वारा पुलों के पहुंच मार्गों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने तथा इसके लिए धन आवंटित किए जाने पर निर्भर करेगा।

विजयवाड़ा डिवीजन में रेलवे स्टेशनों की आर्थिक व्यवहार्यता

2145. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे ने विजयवाड़ा डिवीजन में रेलवे स्टेशनों की आर्थिक व्यवहार्यता बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस डिवीजन के अन्तर्गत कौन-कौन से अलाभप्रद स्टेशन हैं; और

(ग) इन स्टेशनों को अर्थसक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। केवल हाल्ट स्टेशनों के लिए।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कम लोकप्रिय गाड़ियों के अलाभप्रद हाल्ट स्टेशनों पर ठहराव समाप्त करने जैसे कदम उठाने के बावजूद सभी हाल्ट स्टेशनों को अर्थक्षम बनाना सम्भव नहीं है।

विवरण

(ख) दक्षिण-मध्य रेलवे द्वारा गत वर्ष की गई समीक्षा के अनुसार 57 हाल्ट स्टेशनों में से 52 हाल्ट स्टेशन वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाए गए थे। इन अलाभप्रद हाल्टों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. तिम्मापुर
2. मल्लवरम्
3. चन्द्रम पालेम
4. गुडपर्ती
5. पेदब्रह्मदेवम
6. ब्रह्मणपुरम
7. केशवरम
8. ब्रह्मनगुडेम
9. मारमपल्ली
10. मक्षिवाडु
11. बादामपूड़ी
12. सीतमपेट
13. वीरवल्ली
14. पुरुषोत्तपटनम्
15. कोलनुकोंडा
16. मोरमपूडी
17. बलीवेरू
18. इपरूपलम्
19. कोत्तपंडिलापल्ली
20. चकीचेरला
21. नेल्लोर दक्षिण
22. तेन्नेरू
23. गुंटकोडूरु
24. पासलापूड़ी
25. कोहासकलावापूड़ी
26. वाडलेपाडु
27. आलपाडु
28. वेरूकुवाडा
9 लक्ष्मीनारायणपुरम
30. वेलपुरू
31 सत्यावाड़ा
3ɂ. बडसमन्नाडु

33. पेन्नाड अग्रहारम
34. सिद्धदेवनी चिक्काला
35. चितापारू
36. मेरिप्पाडा
37. पेनुमारू
38. नागार्जुन नगरम्
39. वेलपुर रोड
40. वेमलुरीपाडु
41. मंडापाडु
42. लिंगमगुंतला
43. कुचिपुडी
44. कूलिपल्ला
45. रेड्डिकुलम्
46. अनुपालेम
47. कामवेल्लि
48. तुम्मलचेरुवु
49. अंबापुरम
50. नडुकापी
51. कोंडापोल
52. सामर चेरला

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

[हिन्दी]

2146. श्री अरविन्द नेताम :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री अंबाचरा सामोपल्ली :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सम्पूर्ण देश में कितने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) ऐसे कार्यक्रमों का अलग-अलग ब्योरा क्या है जिन्हें पूर्ण रूप से केन्द्रीय सहायता से चलाया गया है और जिनमें आनुपातिक रूप से राज्य सरकार की भागीदारी है; और

(ग) क्या सरकार इन कार्यक्रमों की उपयोगिता पर निगरानी रखने के लिए इन कार्यक्रमों के बारे में आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारत सन् 2000 ईसवी तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य के लिए वचनबद्ध है। संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य विषय राज्य सूची में आता है। तथापि, प्रमुख रोगों पर काबू पाने तथा मृत्यु दर एवं रुग्णता दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन्हें केन्द्रीय सहायता से तैयार किया जाता है तथा चलाया जाता है। उनमें से ज्यादातर "केन्द्रीय प्रायोजित" कार्यक्रम हैं, कुछ शत-प्रतिशत तथा अन्य 50 प्रतिशत सहायता प्राप्त कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सहायता पैटर्न को दर्शाने वाला एक विवरण वर्ष 1990-91 के आवंटन सहित संलग्न है।

(ग) जी, हां।

विवरण

(लाख रुपये)

	कार्यक्रम का नाम	धन देने का तरीका	1990-91 के लिए आवंटन
1.	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (इसमें काला आजार और जापानी एन्सेफलाइटिस का नियंत्रण भी शामिल हैं)	50%	8200.00
2.	फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	50%	250.00
3.	कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	100%	2400.00
4.	क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	50%	1500.00
5.	दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	100%	600.00
6.	घलगंड नियंत्रण कार्यक्रम	पूर्णत: केन्द्रीय सहायता	450.00
7.	यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	—तदैव—	30.00
8.	एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	—तदैव—	350.00
9.	मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	—तदैव—	25.00
10.	मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम	—तदैव—	10.00
11.	कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	—तदैव—	2000.00
12.	गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम	58%	60.00
13.	अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम	100% (परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत)	900.00
14.	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (जिसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोग प्रतिरक्षण, रक्ताल्पता से बचाव, विटामिन "ए" की कमी आदि से बचाव शामिल हैं)	—तदैव—	6830.00

तारामनी में पी० जी० इन्स्टीट्यूट आफ बेसिक मेडिकल साइंसिज को उपहार के रूप में दी गई मशीनरी

[अनुवाद]

2147. डा० आर० श्रीधरन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश ओवरसीज डेवलपमेंट अथार्टी ने तमिलनाडु तारामनी में स्थित पी० जी० इन्स्टीट्यूट आफ बेसिक मेडिकल साइंसिज को वर्ष 1991 में उपहारों के रूप में मशीनरी दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) ब्रिटिश उच्चायोग (ब्रिटिश परिषद प्रभाग) से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार ओवरसीज डेवलपमेंट अथारिटी (यू० के०) ने तमिलनाडु के तारामनी में स्थित पी० जी० इन्स्टीट्यूट आफ बेसिक मेडिकल साइंसिज को वर्ष 1991 के दौरान विषाणुज यकृतशोथ परियोजना के चरण-II के अन्तर्गत निम्नलिखित उपकरण दिए थे :—

(क) डीप फ्रीजर (—70 डिग्री सेंटिग्रेड)

(ख) यू० वी० विजिबल रिकार्डिंग स्पेक्ट्रोफोमीटर

(ग) अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूज।

ग्राम स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम

[हिन्दी]

2148. श्री बलराज पासी :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री राम कृष्ण कुसमरिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्राम वासियों को ग्रामीण स्तर पर वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कोई कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को सामुदायिक भूमि तथा उनकी अपनी भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए

जा रहे कार्यकलापों में ग्रामीण वन लगाना, अन-पौधशालाएं स्थापित करना, वृक्ष उत्पादक सहकारिताएं तैयार करना, ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजनाएं चलाना, नहरों, रेल लाइनों तथा सड़क के किनारों पर पेड़ लगाना, और गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाएं शामिल हैं।

जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए महाराष्ट्र को सहायता

[अनुवाद]

2149. श्री राम कापसे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र को जनजातियों के स्वास्थ्य की देखरेख करने एवं चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितनी सहायता, जिलेवार दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारा देवी सिद्धार्थ) : संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र में प्रमुख स्वास्थ्य स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र को जनजातीय उप-योजना के लिए 87.60 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु चुने गए विद्यालय

2150. श्री चाइल्स जान अंजलोस :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटर शिक्षा तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अध्ययन कार्यक्रम हेतु केरल में कितने विद्यालयों का चयन किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 1990-91 के दौरान स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 से कार्यान्वित की जा रही स्कूली संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 तक केरल के लिए 104 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों का चयन किया गया है। वर्ष 1990-91 तक इस परियोजना के अन्तर्गत किसी नये स्कूल का चयन नहीं किया गया है : वर्ष 1990-91 में जहां वास्तव में संगणक लगाए गए हैं, राज्य के प्रमुख अधिकारी को प्रति स्कूल 3500/-रु० की दर से 95 स्कूलों के आकस्मिक अनुदान के भुगतान के लिए 3,32,500/-रु० की राशि रा० शै० अ० प्र० प० को संस्वीकृत की गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों द्वारा सेवाएं

2151. श्री एम० डेनिस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की सेवाएं अनिवार्य कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों तथा संघ/राज्य क्षेत्रों में यह योजना कार्यान्वित की गई है;

(ग) इस योजना को अन्य राज्यों तथा संघ/राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना को समान रूप से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने फरवरी, 1989 में आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सरकारी सेवा में आने वाले सभी डाक्टरों के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि वे बिना किसी अपवाद के 2 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करें। उक्त सिफारिश सभी संबंधितों को भेज दी गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्यों ने डाक्टरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया है—महाराष्ट्र तथा मेघालय राज्य चिकित्सा छात्रों से उपाधि ग्रहण करने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए बांड भरवाते हैं। ऐसी कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है जिसमें यह निर्धारित हो कि डाक्टरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना अनिवार्य है। तथापि, चिकित्सा छात्रों को ग्रामीण सेवाओं के प्रति उन्मुख करने के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा पुनरभिन्न विन्यास (रोम) योजना को देश में 1977 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था जिसमें ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सीधे प्रदान करने के लिए विभिन्न मेडिकल कालेज शामिल हैं। इस योजना के मुख्य सिद्धान्त भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों में भी समाविष्ट किए गए हैं तथा सभी मेडिकल कालेजों को इन विनियमों का कार्यान्वयन करना होता है। इस योजना को वर्ष 1990 में राज्यों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

विद्युत चालित इंजनों का आयात

2152. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीडिस-जर्मन फर्म से विद्युत चालित इंजनों को तत्काल खरीदने के लिए कोई क्रयादेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण योजनाएं

[हिन्दी]

2153. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को वन संरक्षण और पर्यावरण में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कोई योजना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन संरक्षण और पर्यावरण में सुधार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से इस प्रकार की कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन, केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से "जैविक हस्तक्षेप से वनों के संरक्षण के लिए अवसंरचना का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में तहत एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) इस स्कीम के तहत चालू वर्ष में बन्दूकों, राइफलों, वायरलेस सेटों, अग्निशमन उपकरणों की खरीद, पशुओं को रोकने के लिए खाइयों की खुदाई, अग्निरेखा के निर्माण और पटरियों तथा सीमा-रेखा के साथ-साथ हेज उगाने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को 43.25 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में निदेशक के पद का रिक्त रहना

[अनुवाद]

2154. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में 1970 से कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1970 के बाद से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में 1-11-1981 से 30-6-1983 तक एक पूर्णकालिक निदेशक रहा है।

(ख) एक नीति के तौर पर, वर्ष 1970 से 1980 तक निदेशक के पद का कार्यभार, मंत्रालय में संस्कृत शिक्षा के प्रभारी निदेशक/उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार को उनके अपने कार्यों के अलावा दिया जाता था। वर्ष 1983 से एक नये पूर्णकालिक पदधारी का चयन करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि निदेशक के पद का वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु आदि की मंत्रालय में समीक्षा तथा विचार किया जा रहा था। चूंकि इन मामलों को अब निपटा लिया गया है अत: पद को विज्ञापित करने के लिए श्रव्यदृश्य प्रचार निदेशालय को सूचित कर दिया गया है।

सवाई माधोपुर-जैसलमेर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

[हिन्दी]

2155. श्री रामनारायण बैरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सवाई माधोपुर-बाड़मेर-जैसलमेर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी कितना कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण सीमा संबंधी कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सवाई माधोपुर-जयपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य 1992-93 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शेष खंड पर कार्य शुरू किया जाएगा तथा इसे आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

(ख) और (ग) इस कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू करने तथा पूरा करने की योजना है।

प्रदूषण के विषय में न्यायालयों के निर्देश

[अनुवाद]

2156. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

डा० अमृत लाल कालिदास पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण के संबंध में समय-समय पर क्या निर्देश जारी किए गये हैं, और इन न्यायिक आदेशों के पालन हेतु इनकी जानकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिए जाने के सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : चूंकि प्रदूषण के अधिकांश मामलों में सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रधान पार्टी होते है, इसलिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश सीधे उन्हीं को जारी किए जाते है और इस प्रकार के निदेशों के अनुपालन के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा आवश्यक प्रशासनिक तंत्र और पर्याप्त वित्त प्रदान किए गए हैं।

न्यायालय के जिन मामलों से केन्द्र सरकार प्रमुख रूप से जुड़ी होती है और न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश जहां एक या एक से अधिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर लागू होते हैं, वहां केन्द्र सरकार नियमित निगरानी करके इस प्रकार के निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करती है।

बंगलौर विश्वविद्यालय का दर्जा

2157. श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा :

श्री डी० माडेगौडा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर विश्वविद्यालय को शहरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) बंगलौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्नाटक में पुलों के निर्माण हेतु प्रस्ताव

2158. श्री ओस्कार फर्नाण्डीज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान रेलवे वर्क्स कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के महत्वपूर्ण शहरों में रेलवे के अनेक ऊपरी/अधो पुलों का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित नये निर्माण कार्यों को 1992-93 के रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

1. बेंगलूर पूर्व-बैय्यप्पनाहल्ली-समपार सं० 138 के स्थान पर निचला सड़क पुल।

2. तानसांध्रा-येलहल्का-समपार सं० 7 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल।

3. व्हाइटफील्ड-समपार सं 132 पर ऊपरी सड़क पुल।

सोनीपत में रेल पुल

[हिन्दी]

2159. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के सोनीपत जिले में उस रेल पुल का निर्माण शुरू हो गया है जिसका शिलान्यास नवम्बर, 1991 में किया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इस पुल का निर्माण कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) रेलों द्वारा पुल खास का निर्माण कार्य तब शुरू किया जाएगा जब राज्य सरकार पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू करने की स्थिति में हो जाएगी जिसमें भूमि का अधिग्रहण और ढांचों को हटाना शामिल है।

आदिवासियों में शिक्षा

[अनुवाद]

2160. डा० असीम बाला :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार करने हेतु गत एक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार आदिवासी छात्रों के लिए पुस्तकों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद कराने का है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों पर कितनी धनराशि व्यय की गई और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित प्रत्येक राज्य में ये छात्रवृत्तियां कितने छात्रों को प्रदान की गयी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर राज्यों/संघशासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता देने से सम्बन्धित विवरण-I संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद और केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान में अन्यों के साथ-साथ प्रमुख आदिवासी भाषाओं में द्विभाषी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पुस्तकों सहित पाठ्य पुस्तकें, प्रवेशिकाएं और अन्य पठन सामग्री तैयार करने से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

(रु० लाखों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		निम्नलिखित के अन्तर्गत जारी की गई निधियां*			
		उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां	कन्या छात्रावास	बाल छात्रावास	आश्रम स्कूल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	50.67	40.309	33.125	30.00

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	17.125	—	—
3.	असम	10.56	15.00	15.00	—
4.	बिहार	29.45	17.13	43.34	—
5.	गोवा	—	—	—	—
6.	गुजरात	124.72	11.66	19.162	15.30
7.	हरियाणा	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1.12	—	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	6.944	—	—	—
10.	कर्नाटक	13.14	—	6.422	23.06
11.	केरल	40.54	17.98	10.275	17.48
12.	मध्य प्रदेश	16.00	63.875	28.744	—
13.	महाराष्ट्र	28.32	4.67	—	—
14.	मणिपुर	3.27	—	28.138	—
15.	मेघालय	4.52	5.00	6.00	—
16.	मिजोरम	13.84	—	—	—
17.	नागालैण्ड	74.32	—	—	—
18.	उड़ीसा	63.366	10.00	10.00	16.65
19.	पंजाब	—	—	—	—
20.	राजस्थान	65.10	17.12	17.12	—
21.	सिक्किम	0.29	12.841	17.125	36.52
22.	तमिलनाडु	12.83	4.102	8.562	20.41
23.	त्रिपुरा	0.82	3.127	6.00	7.00
24.	उत्तर प्रदेश	31.32	2.791	8.158	38.50
25.	पश्चिम बंगाल	26.36	18.00	14.69	—
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	3.525	4.281	—

1	2	3	4	5	6
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—
28.	दादर तथा नगर हवेली	—	29.203	5.718	—
29.	दमन और दीव	—	3.833	—	—
30.	दिल्ली	16.97	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	11.44	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—	—
	योग :	626.97	308.911	281.86	200.00

*राज्य सरकार द्वारा किया गया खर्च शामिल नहीं है।

विवरण-II

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		पुरस्कारों की संख्या	स्वीकृत राशि*
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2622	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	946	—
4.	बिहार	3256	—
5.	गोवा	43	0.97
6.	गुजरात	1743	8.00
7.	हरियाणा	619	1.91
8.	हिमाचल प्रदेश	188	—
9.	जम्मू और काश्मीर	288	—
10.	कर्नाटक	1699	—
11.	केरल	1342	4.30
12.	मध्य प्रदेश	2157	—

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	3315	27.40
14.	मणिपुर	78	—
15.	मेघालय	66	—
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैंड	33	—
18.	उड़ीसा	1237	—
19.	पंजाब	729	1.10
20.	राजस्थान	1438	6.88
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	2108	—
23.	त्रिपुरा	96	0.44
24.	उत्तर प्रदेश	5676	—
25.	पश्चिम बंगाल	2758	—
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	08	—
27.	चंडीगढ़	75	—
28.	दादर तथा नगर हवेली	05	0.25
29.	दमन और दीव	04	0.15
30.	दिल्ली	443	—
31.	लक्षद्वीप	01	0.04
32.	पांडिचेरी	27	0.43
	योग :	33000	51.87

*राज्य सरकार द्वारा किया गया खर्च शामिल नहीं है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलना

2161. श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारत सरकार पहले से ही अनौपचारिक शिक्षा की एक केन्द्र प्रायोजित योजना चला रही है जिसका कार्यान्वयन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत, बिना स्कूलों वाली बस्तियों के बच्चों, बीच में स्कूल छोड़ने वालों, लड़कियों और काम-काजी बच्चों जैसे बच्चों के लिए, जो किसी न किसी कारण से स्कूल में नहीं जाते या नहीं जा सकते, अनौपचारिक पद्धति के बराबर के स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है।

(ख) इस योजना में, शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के शहरी गन्दी बस्तियों वाले क्षेत्रों, पहाड़ी, रेगिस्तानों एवं जनजातीय इलाकों और कामकाजी बच्चों के बाहुल्य वाले क्षेत्र शामिल हैं।

इस योजना के अन्तर्गत, शिक्षुओं की सुविधानुसार एक स्थान व समय पर उनको आंशिक शिक्षा प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत, शिक्षुओं को अध्ययन-अध्यापन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती है। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सह-शिक्षा एवं बालिका केन्द्र चलाने के लिए क्रमशः 50:50 और 90:10 के अनुपात में केन्द्रीय सहायता प्रदान को जाती है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

फरवरी, 1992 के अंत तक, इस योजना के अन्तर्गत कुल 2.75 लाख केन्द्रों को संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी हैं।

(ग) (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत, स्कूल बीच में छोड़ने वाले, अपनी प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्तर की स्कूली शिक्षा को पूरा करने के लिए अपना नामांकन किसी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में करवा सकते हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

2162. श्री पी० जे० नारायणन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के क्या परिणाम निकले;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों को लाभ पहुंचा; और

(घ) क्या यह कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम के लिए की गई प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं :—

(1) इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या चिकित्सकों तथा परा-चिकित्सा कार्मिकों को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक ज्ञान तथा कौशलों में प्रशिक्षण देने के लिए 11 क्षेत्रीय केन्द्रों/मेडिकल कालेजों को विनिर्धारित किया गया है।

(II) मानसिक स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रीय सलाहकार ग्रुप की स्थापना अगस्त, 1988 में की गई।

(III) राज्य स्तर के योजनाकारों तथा प्रशासकों और चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कार्मिकों के लिए अनेक कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(IV) प्रशिक्षकों के लिए उनके क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या शुरू करने में सहायता करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(V) संसद द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 बनाया गया है। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत नियमों को दिसम्बर 1990 में अधिसूचित किया गया है।

(VI) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु सहायक सामग्री का विकास किया गया है और उसको सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया गया जो चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कार्मिकों के लिए दिशा-निर्देशों का काम करेगी।

(ग) इस संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जी, हां।

अहमदनगर में बर्थों का कोटा

2163. श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदनगर से पुणे और दिल्ली के लिए झेलम एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस में आरक्षित सीटों का कोटा क्या है;

(ख) क्या अहमदनगर से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों में वातानुकूलित शयनयान और द्वितीय श्रेणी के कोटे में वृद्धि करने की कोई मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन तीन गाड़ियों में अहमदनगर का कोटा बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियों में अहमदनगर स्टेशन पर निम्नलिखित कोटा उपलब्ध है।

	वातानुकूल 2-टियर	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
2627 कर्नाटक एक्सप्रेस	—	—	8
4677 झेलम एक्सप्रेस जम्मू तक	2	—	6
नयी दिल्ली तक	2	—	32
2701 गोवा एक्सप्रेस	—	2	2

अहमदनगर स्टेशन पर पुणे की ओर के लिए कोई कोटा नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) मौजूदा कोटा धारक स्टेशनों पर कोटे का पूरा-पूरा उपयोग किए जाने के कारण दिल्ली के लिए अहमदनगर स्टेशन पर कोटा बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

परती भूमि विकास योजनाएं

2164. श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री अवध कुमार पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित परती भूमि विकास योजना के अन्तर्गत कितने और कौन-कौन से जिले सम्मिलित किये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना के लिए प्रति वर्ष जिलावार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और किस सीमा तक उन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया;

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से जिले इस परियोजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम के अन्तर्गत लक्ष्यों सहित जिलेवार

ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। स्कीम का कार्यान्वयन वर्ष 1990-91 में शुरू किया गया था। परियोजनाओं के समग्र समापन पर ही वास्तविक उपलब्धियों का पता चल सकेगा।

(ग) स्कीम में लक्ष्यों को राज्यवार निर्धारित नहीं किया जाता है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	जिले	परियोजना-वार वास्तविक लक्ष्य (हैक्टेयर में)	अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर, चित्तूर तथा मेडक	1150	56.00
2.	—वही—	चित्तूर	13600	880.58
3.	—वही—	अनन्तपुर	5240	316.40
4.	असम	कामरूप, सोनीतपुर उत्तर लखीमपुर, नागोन, डिब्रूगढ़, सिल्चर, गोलाघाट	1200	48.47
5.	अरुणाचल प्रदेश	निचला सुबानसिरी	150	17.01
6.	बिहार	धनबाद	3300	248.36
7.	—वही—	पलामू	5180	282.61
8.	गुजरात	सुरेन्द्र नगर, जामनगर, जूनागढ़ तथा पंचमहल	1700	82.73
9.	—वही—	जामनगर	775	55.00
10.	—वही—	सुरेन्द्र नगर	600	19.26
11.	हरियाणा	अम्बाला	2676	267.60
12.	—वही—	सिरसा, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, करनाल, सोनीपत, पानीपत, जींद, गुड़गांव तथा यमुनानगर	6250	483.75

1	2	3	4	5
13.	—वही—	हिसार	3792	362.60
14.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	400	38.26
15.	—वही—	चम्बा, हमीरपुर तथा कांगड़ा	1400	51.00
16.	—वही—	मण्डी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, सिरमौर तथा सोलन	4501	355.00
17.	—वही—	कुल्लू, मण्डी तथा हमीरपुर	990	99.00
18.	—वही—	कांगड़ा	5295	456.00
19.	—वही—	चम्बा	150	5.69
20.	—वही—	कुल्लू	3534	317.54
21.	—वही—	लाहौर तथा स्पीति	880	60.52
22.	जम्मू और कश्मीर	डोडा	880	82.00
23.	—वही—	अनन्तनाग	7916	642.43
24.	—वही—	उधमपुर	125	22.68
25.	—वही—	जम्मू	1360	135.50
26.	कर्नाटक	बेल्लौरी	5000	381.98
27.	—वही—	टुमकुर	6780	436.20
28.	—वही—	कोलार	7100	477.30
29.	केरल	मल्लापुरम	2300	202.50
30.	महाराष्ट्र	पुणे	700	27.61
31.	मध्य प्रदेश	दतिया	258	15.00
32.	—वही—	इन्दौर	4000	171.59
33.	—वही—	नरसिंहपुर	590	26.40

111

1	2	3	4	5
34.	—वही—	दुर्ग	600	29.00
35.	—वही—	बेतुल	950	40.80
36.	—वही—	रायसेन	700	30.60
37.	वही—	सागर	500	23.40
38.	—वही—	राजनन्दगांव	250	22.86
39.	—वही—	छिन्दवाड़ा	2445	180.95
40.	—वही—	रायपुर	1035	71.67
41.	—वही—	टीकमगढ़	5400	395.00
42.	—वही—	होशंगाबाद	2650	216.20
43.	—वही—	खरगांव	3800	249.86
44.	—वही—	मंदसौर	1500	116.10
45.	—वही—	जबलपुर	2520	175.50
46.	—वही—	रतलाम	1500	118.50
47.	—वही—	बिलासपुर	810	64.63
48.	—वही—	खण्डवा	3200	215.70
49.	—वही—	झाबुआ	417	32.30
50.	मणिपुर	सेनापति और उखरूल	3410	32.30
51.	मेघालय	पूर्व खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां और पूर्वी तथा पश्चिमी गारो पहाड़ियां	11840	874.32
52.	मिजोरम	ऐजवाल	7100	520.38
53.	नागालैंड	कोहिमा	5344	745
54.	उड़ीसा	कालाहाण्डी	1198	78.02
55.	—वही—	सुन्दरगढ़	3988	382.46
56.	पंजाब	बैन (पूर्व तथा पश्चिम) नाकी तथा मिचवा सतलज जलाशय	5915	365.00

1	2	3	4	5
57,	राजस्थान	डूंगरपुर	3371	327.23
58.	—वही—	सीकर	2160	212.75
59.	—वही—	झुनझुनु	4800	461.11
60.	—वही—	बीकानेर तथा श्रीगंगानगर	3150	241.45
61.	—वही—	उदयपुर	7250	387.00
62.	—वही—	झालावाड़ा	10258	795.50
63.	—वही—	कोटा	4900	412.00
64.	—वही—	नागौर	3550	352.00
65.	सिक्किम	पूर्वी जिला	10425	468.30
66.	—वही—	दक्षिणी जिला	3065	203.57
67.	—वही—	पश्चिमी जिला	2806	180.95
68.	तमिलनाडु	नीलगिरि, कोयम्बत्तूर, पेरियार, अन्ना, मदुरै, कामराज तथा तिरुनेलवेल्ली, कन्याकुमारी	5000	287.00
69.	त्रिपुरा	उत्तरी जिला	960	61.80
70.	उत्तर प्रदेश	गढ़वाल तथा कुमाऊं	1060	98.50
71.	—वही—	देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी	1500	212.00
72	—वही—	देहरादून	250	54.68
73.	—वही—	झांसी	6606	391.85
74.	—वही—	टिहरी गढ़वाल	200	9.20
75.	—वही—	अल्मोड़ा	1962	129.29
76.	—वही—	जालौन	400	48.00
77.	—वही—	गढ़वाल	16	1.77

1	2	3	4	5
78.	—वही—	इटावा, मथुरा तथा उन्नाव	75	26.60
79.	—वही—	झांसी	5490	349.85
80.	पश्चिम बंगाल	पुर्णिया	2960	122.82
81.	—वही—	दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी	5770	411.00
82.	—वही—	बांकुरा	5975	423.65
83.	—वही—	मिदनापुर	8560	381.00
84.	—वही—	नादिया	30	5.65

पर्यावरणीय लेखा परीक्षा

2165. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में पर्यावरणीय लेखा परीक्षा कराने को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया चला रहा है, जिसके लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 अथवा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अथवा दोनों के तहत या परिसंकटमय (प्रबंध और सफाई) नियमावली, 1989 के तहत सहमति लेने की आवश्यकता हो, 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 1993 से हर वर्ष 15 मई को अथवा इससे पूर्व संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक पर्यावरणीय लेखा-जोखा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

वनरोपण के लिए निर्धारित लक्ष्य

[हिन्दी]

2166. श्री राजवीर सिंह :

श्री रतिलाल वर्मा :

श्री राम सागर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान राज्य-वार वन रोपण कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्यों को दिये गये अनुदान का पूरा उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985—90) के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण तथा वृक्षारोपण कार्यकलापों के राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। समग्र आधार पर पंचवर्षीय अवधि के 8.6 मिलियन हैक्टेयर लक्ष्य की तुलना में कुल उपलब्धि 8.8 मिलियन हैक्टेयर रही।

(घ) और (ङ) सातवीं योजना अवधि के दौरान वनरोपण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए राज्यवार परिव्यय और धनराशि का उपयोग संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

(हैक्टेयर क्षेत्र)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	750000.00	727579.[illegible]0
2.	अरुणाचल प्रदेश	31500.00	31276.50
3.	असम	110000.00	115107.00
4.	बिहार	700000.00	666970.50
5.	गोवा	16600.00	16879.00

1	2	3	4
6.	गुजरात	561550.00	740605.50
7.	हरियाणा	178750.00	159346.50
8.	हिमाचल प्रदेश	158750.00	164760.50
9.	जम्मू व कश्मीर	111350.00	113306.00
10.	कर्नाटक	655000.00	666984.50
11.	केरल	287500.00	310827.50
12.	मध्य प्रदेश	975000.00	997115.00
13.	महाराष्ट्र	722500.00	858193.00
14.	मणिपुर	42500.00	44162.50
15.	मेघालय	48750.00	57067.00
16.	मिजोरम	157650.00	102777.50
17.	नागालैण्ड	65500.00	82676.00
18.	उड़ीसा	637100.00	552234.50
19.	पंजाब	121350.00	132301.00
20.	राजस्थान	266000.00	284945.00
21.	सिक्किम	30100.00	30045.50
22.	तमिलनाडु	455000.00	429243.50
23.	त्रिपुरा	62500.00	63356.50
24.	उत्तर प्रदेश	1127500.00	1189689.00
25.	पश्चिम बंगाल	335000.00	303404.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	25750.00	26585.50
27.	चण्डीगढ़	810.00	727.50
28.	दादर व नगर हवेली	9250.00	8349.50
29.	दमन और दीव	1450.00	202.00
30.	दिल्ली	9250.00	10749.00
31.	लक्षद्वीप	168.00	296.50
32.	पाण्डिचेरी	2450.00	2777.00
	योग :	8656578.00	8885539.00

विवरण-II

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	परिव्यय	उपयोग
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	14643.85	14324.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	2419.85	1879.41
3.	असम	9056.50	8031.08
4.	बिहार	18794.32	21222.01
5.	गोवा	617.35	580.38
6.	गुजरात	15241.87	16131.35
7.	हरियाणा	7661.92	8345.19
8.	हिमाचल प्रदेश	9700.75	9066.47
9.	जम्मू व कश्मीर	4792.13	4784.17
10.	कर्नाटक	11069.09	13158.62
11.	केरल	9042.90	7738.37
12.	मध्य प्रदेश	20231.34	18930.48
13.	महाराष्ट्र	18282.62	17301.80
14.	मणिपुर	1948.85	1529.68
15.	मेघालय	3[illegible]33.10	2844.11
16.	मिजोरम	2601.10	2616.21
17.	नागालैण्ड	2150.35	1963.99
18.	उड़ीसा	10868.04	11315.96
19.	पंजाब	4047.40	4656.49
20.	राजस्थान	11925.52	14733.67
21.	सिक्किम	1159.60	1055.04
22.	तमिलनाडु	15266.30	14237.44

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	2180.75	2162.89
24.	उत्तर प्रदेश	29653.24	30817.49
25.	पश्चिम बंगाल	12139.37	11047.26
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	906.20	757.65
27.	चण्डीगढ़	123.95	109.15
28.	दादर व नगर हवेली	397.30	412.13
29.	दिल्ली	371.62	653.22
30.	दमण और दीव	142.50	112.51
31.	लक्षद्वीप	19.85	36.57
32.	पाण्डिचेरी	154.27	209.23
	योग :—	241033.80	242662.55

बच्चों के लिए नया टीका

[अनुवाद]

2167. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों की बीमारियों की रोकथाम के लिए नया टीका उपलब्ध कराया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नए टीके से किन-किन बीमारियों की रोकथाम की जा सकेगी तथा इसका अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का भारत में बच्चों के लिए इस नए टीके की सप्लाई करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी नहीं। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोग प्रतिरक्षण नीति के एक

अंग के रूप में डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस, क्षयरोग और पोलियो जैसे रोगों से बच्चों के बचाव के लिए डी० पी० टी०, बी० सी० जी०, ओ० पी० वी०, खसरे और डी० टी० टीकों के उपयोग करने का सुझाव दिया है।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

2168. श्री हरिन पाठक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सहायता बड़ौदा और राजकोट के भूतपूर्व टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ियों को दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं। तथापि, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष के अन्तर्गत दरिद्र अवस्था में रहने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ी वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

(ख) से (घ) राजकोट के टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी स्वर्गीय श्री के० एम० नकूम की विधवा श्रीमती रानीबेन के० नकूम जून, 1990 से 250/-रु० की मासिक पेंशन पा रही हैं। बड़ौदा अथवा राजकोट से कोई आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है।

दिल्ली तथा अन्य शहरों में वायु प्रदूषण

2169. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

डा० ए० के० पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर की वायु में दिसम्बर, 1990 और दिसम्बर, 1991 के दौरान सस्पेंडिड पार्टिकुलेट मैटर (एस० पी० एम०) की मात्रा, अलग-अलग कितनी-कितनी रही; और

(ख) इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए, कितनी राशि खर्च की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार, इन शहरों में, मद्रास को छोड़कर निलम्बित धूल कणों की मात्रा कुछ अधिक

है। ये मुख्यत: प्राकृतिक धूल भरी परिस्थितियों और यानीय यातायात की अधिकता के कारण है।

(ख) महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बारे में प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान 1.38 करोड़ की धनराशि वितरित की गई है।

प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) परिदेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं।

(3) परिदेशी गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

(5) उद्योगों के स्थान निर्धारण एवं प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(6) उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।

(7) उद्योगों को समयबद्ध आधार पर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(9) संबंधित अधिनियम के तहत दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(10) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत सभी वाहनों के लिए ठोस एवं व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किये गए हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को इन ठोस उत्सर्जन मानकों को 1 मार्च, 1990 से लागू करने की सलाह दी है।

(11) यानीय प्रदूषण के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(12) प्रत्येक मोटर वाहन निर्माता को उसके द्वारा बनाए गए वाहन का प्रोटोटाइप सरकार द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी से जांच कराने के लिए प्रस्तुत करना होता है तथा उत्पादन उत्सर्जन मानकों सहित नियमावली के उपबंधों के अनुरूप होने के बारे में एक प्रमाण पत्र देना होता है। यह उपबंध 1 अप्रैल, 1991 से लागू हो गया है।

(13) महानगरों में स्थानीय प्राधिकारियों से बड़े पैमाने पर वनरोपण करने का अनुरोध किया गया है, जैसा कि दिल्ली के आसपास पहले ही किया जा चुका है।

दिल्ली और गाजियाबाद स्टेशनों पर और अधिक प्लेटफार्म बनाने का प्रस्ताव

2170. श्री के० पो० सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य प्लेटफार्मों की तरह निजामुद्दीन के प्लेटफार्म सं० 8-9 में छत बढ़ाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली, दिल्ली, निजामुद्दीन और गाजियाबाद स्टेशनों पर और प्लेटफार्म बनाने की कोई योजना अथवा प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। कार्य 1992-93 में शुरू होने की संभावना है।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण और विस्तार

[हिन्दी]

2171. डा० रमेश चन्द तोमर :

श्री रतिलाल वर्मा :

श्री देवी बक्स सिंह :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण और विस्तार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने होस्टल बनाने का विचार है और उन पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस समय दिल्ली में कितने महिला होस्टल हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता योजना

के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों, लोक न्यासों, स्थानीय निकायों, महिला विकास निगमों, विश्वविद्यालयों, समाज कार्य स्कूलों/ कालिजों और जहां उपयुक्त स्वयंसेवी संगठन मौजूद न हों, वहां राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को भूमि की लागत के 90% तक तथा भवन निर्माण की लागत के 75% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बनी बनाई इमारतों के खरीद के लिए भी इस पद्धति पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी एकल कामकाजी महिलाएं, जिनकी समेकित मासिक आय 3,000 रु० से अधिक न हो, वे तीन वर्ष की अवधि तक होस्टल आवास पाने की पात्र हैं और यह अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई भी जा सकती है।

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए 5 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है। पहले से संस्वीकृत कामकाजी महिला होस्टलों के लिए अनुवर्ती किस्तें जारी करने के अलावा, वर्ष के दौरान 2500 कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने हेतु 50 नई परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

(घ) 129 बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्रों की सुविधाओं सहित 1593 कामकाजी महिलाओं के लिए 14 होस्टल दिल्ली में पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। उनमें से 12 होस्टल कार्यरत हैं।

खाद्यान्न खरीद लक्ष्य

[अनुवाद]

2172. श्री के० प्रधानी :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान खाद्यान्नों की खरीद का क्या लक्ष्य रखा गया था;

(ख) इस वर्ष के दौरान अभी तक खाद्यान्नों की कितनी मात्रा की खरीद की गई है; और

(ग) इस वर्ष के अन्त तक खाद्यान्नों की कितनी मात्रा की खरीद किये जाने की आशा है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) चूंकि केन्द्रीय पूल के लिए मूल्य समर्थन योजना के अधीन गेहूं, धान और मोटे अनाजों की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और मिल मालिकों/व्यापारियों द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा पर निर्भर करते हुए उनसे लेवी चावल की वसूली की जाती है, इसलिए खाद्यान्नों की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ख) वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1991-92 के दौरान 28 फरवरी, 1992 तक मूल्य समर्थन के अधीन 77.52 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली गई है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1991-92 में 5 मार्च, 1992 तक 87.20 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की जा चुकी है।

(ग) यद्यपि विपणन वर्ष 1991-92 में 8 मिलियन मीटरी टन से कम गेहूं की वसूली होने का अनुमान है, लेकिन चावल की अनुमानित वसूली की मात्रा बताना सम्भव नहीं है क्योंकि चावल की वसूली अभी भी की जा रही है।

स्वास्थ्य केन्द्र

2173. श्री वी० धनंजय कुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में जिला-वार कितने स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ख) उन केन्द्रों में दवाइयों की उपलब्धता की क्या स्थिति है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वाहनों द्वारा फैलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण

2174. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री 19 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहनों द्वारा फैलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के संबंध में जस्टिस एस० एन० सैकिया की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं समिति ने अपनी-अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेशों में इस समिति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम रेल लाइन का विद्युतीकरण

2175. श्री के० वी० आर० चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम की रेल लाइन का विद्युतीकरण के किए जाने की स्वीकृति दे दी गई है और इसका निर्माण कार्य 1992-93 के दौरान आरम्भ किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड के विद्युतीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव को 1992-93 के रेल बजट में शामिल किया गया है।

(ख) विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड के विद्युतीकरण की इस योजना में सामलकोट-काकीनाडा के बीच 366 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण भी शामिल है। इस कार्य की अनुमानित लागत 210.08 करोड़ रुपये है।

रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर भीख मांगना

2176. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने की प्रथा को रोकने का कोई विचार है;

(ख) क्या सरकार को रेलगड़ियों में भीख मांगने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर भिखारियों को घुसने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) गाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगना, रेल अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, रेलवे अधिनियम, 1989 में दंड में वृद्धि कर दी गई है। गाड़ियों में भीख मांगने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। गाड़ियों में और स्टेशनों पर भिखारियों को पकड़ने के लिए रेलवे के वाणिज्यिक कर्मचारियों, रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मियों द्वारा मिल करके नियमित और अचानक जांच की जाती है, इस तरह से पकड़े गए भिखारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

फरोके-नीलम्बुर रेल लाईन

2177. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में फरोके-नीलम्बुर रेलवे लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक चिकित्सा और योग का विकास

2178. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्राकृतिक चिकित्सा और योग के विकास हेतु एक पृथक निदेशालय की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्वदेशी इंजनों की प्रौद्योगिकी में सुधार

2179. श्री अमल दत्त :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुणवत्ता एवं मात्रा के संदर्भ में विद्युत इंजनों के उत्पादन की घरेलू क्षमता क्या है;

(ख) क्या उत्पाद की प्रौद्योगिकी में सुधार करने के साथ-साथ उत्पादन की प्रक्रिया में भी सुधार करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्युत इंजनों को उन्नत बनाने के लिए किसी नई प्रौद्योगिकी का आयात किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी की प्रकृति क्या है तथा इसे किस प्रकार से अपनाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 3900 अश्व शक्ति वाले और 1960 की पुरानी प्रौद्योगिकी के बिजली रेल इंजनों का देश मे निर्माण किया जा रहा है। चितरंजन रेल इंजन कारखाने की वर्तमान निर्माण क्षमता 100 बिजली रेल इंजन प्रति वर्ष है। इस क्षमता को बढ़ाकर, प्रति वर्ष 120 रेल इंजन किया जा रहा है। इसके अलावा, इस क्षमता को बढ़ाकर प्रति वर्ष 150 रेल इंजन तक करने के प्रस्ताव को 1992-93 के बजट-प्रस्तावों में शामिल किया गया है।

चितरंजन रेल इंजन कारखाने ने जिस तरह के विद्युत रेल इंजन तैयार किए हैं, उसी तरह के 35 रेल इंजनों के निर्माण के लिए सि-म्बर, 198 मे भेल' को आर्डर दिया गया था। इस ठेके के तहत प्राप्त रेल इंजनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1988-9	—	5 अदद
1989-90	—	6 अदद
1990-91	—	5 अदद
1991-2	—	7 अदद

(फरवरी, 1992 तक)

(ख) और (ग) जी, हां। यह एक सतत् प्रक्रिया है। बहरहाल, पिछले कुछ वर्षों के दौरान

प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्य इस प्रकार हैं :—

(i) हिताची-जापान से प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के तहत उच्च शक्ति (840 अश्व शक्ति) वाली और उच्च श्रेणी की विद्युतरोधी क्षमता वाली कर्षण मोटरों का निर्माण। उत्पादन की प्रक्रिया को अपग्रेड करने के लिए, समनुरूपी आधुनिक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।

(ii) काप्टन से ढके कंडक्टरों का इस्तेमाल करके, निर्वात दाब संसेचन प्रक्रिया और टी० आई० जी० ब्रमाई प्रक्रिया को अपनाकर, मौजूदा टी० ए० ओ०-659 (770 अश्व शक्ति) कर्षण मोटरों की प्रौद्योगिकी को, जिसे अल्सथम से प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के तहत, पहले (सातवें दशक की समाप्ति और आठवें दशक के शुरू में) स्थापित किया गया था, भी उन्नत किया गया है।

(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका के राकवेल से प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के तहत, ढलवां इस्पात की बोगियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी को भी उन्नत किया जा रहा है।

(iv) उच्च रफ्तार वाले पैसेंजर रेल इंजनों के लिए बोगियों के अभिकल्प को उन्नत किया गया है। शताब्दी एक्सप्रेस की फैबरिकेटिड बोगियों का अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा तैयार किए गए अभिकल्प के अनुसार, चितरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा निर्माण किया गया है। ताकि उन्हें 140 कि० मी० प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जा सके।

(v) चितरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा 5000 अश्व शक्ति वाले बिजली रेल इंजन (मौजूदा 3900 अश्व शक्ति वाले रेल इंजन के बजाय) के प्रोटोटाइप का विकास किया जा रहा है। उन्नत किस्म के रेल इंजन के प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए, बोगियों, 5400 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर और सम्बद्ध उपस्कर के अभिकल्प और विकास का कार्य हाथ में है।

(vi) बेहतर आसंजन के लिए, इलेक्ट्रानिक स्लिप संसूचन युक्त थाइरिस्टर कंट्रोल के इस्तेमाल की भी योजना बनाई जा रही है।

(घ) और (ङ) बिजली रेल इंजनों की नई प्रौद्योगिकी, जो स्वदेश में उपलब्ध नहीं है, का आयात करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, रेल इंजनों की अश्व शक्ति और रफ्तार क्षमता को उन्नत किया जा सके। भारतीय रेलों ने इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) थाइरिस्टर कन्वर्टर और माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल से युक्त 6000 अश्व शक्ति वाले 18 प्रोटोटाइप माल-गाड़ी बिजली रेल इंजन प्राप्त किए गए हैं। ये तीन डिजाइन के हैं (जापान से 2 डिजाइन के 12 रेल इंजन तथा स्वीडन से एक डिजाइन के 6 रेल इंजन के प्रोटोटाइप) और इनका सेवा परीक्षण किया जा रहा है।

(ii) एशियाई विकास बैंक और निर्यात-आयात बैंक से प्राप्त ऋण से वित्तपोषित और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के तहत अत्याधुनिक ऊर्जा-कुशल 3 फेज ड्राइव, उन्नत जी० टी० ओ० थाइरिस्टर और माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल से युक्त 6000 अश्व शक्ति वाले रेल

इंजनों (मालगाड़ी के लिए 20 इंजन और उच्च रफ्तार वाली गाड़ी के लिए 10 रेल इंजन) के आयात के लिए निविदा तैयार की जा रही है।

ऐसा इस उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि प्रौद्योगिकी को आत्मसात करके, 6000 अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों का स्वदेश में शृंखलाबद्ध निर्माण शुरू किया जा सके।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

2180. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने-कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं;

(ख) किसी भी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय विशेषकर पटना, बोध गया और रांची विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह : (क) से (घ) इस समय देश में कुल 147 विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 10 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जो निम्नलिखित हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

(2) उत्तर प्रदेश में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

(3) दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय

(4) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद विश्वविद्यालय

(5) दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

(6) मेघालय में उत्तर-पूर्वीय पर्वतीय विश्वविद्यालय

(7) पांडिचेरी में पांडिचेरी विश्वविद्यालय

(8) पश्चिम बंगाल में विश्व-भारती

(9) दिल्ली में जामिया-मिलिया इस्लामिया

(10) दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय

असम में सिल्चर में तथा नागलैंड में लुमामी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कानून लागू कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार की नीति यह है कि राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों की उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, स्वयं ही विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए। एक नीति के रूप में, केन्द्रीय सरकार नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का समर्थन नहीं करती है। फिर भी, केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए या किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विचारधाराओं को ध्यान में रखकर, विद्यमान 10 केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे।

उपर्युक्त नीति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

दिल्ली प्रशासन में आरक्षित पदों को भरना

2181. श्री पीयूष तीरकी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने में अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी अफसरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेशनों पर स्टालों का आवंटन

2182. श्री रतिलाल वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान बम्बई, बड़ोदरा, दिल्ली, गाजियाबाद और लखनऊ रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर कितने स्टाल आबंटित किए गए;

(ख) क्या उक्त स्टालों के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मैसर्स हिमाचल प्रदेश हार्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को दिल्ली तथा नई दिल्ली में एक-एक अर्थात् दो जूस स्टाल आबंटित किए गए थे। इस प्रकार के स्टालों के लिए सरकारी उपक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

[अनुवाद]

2183. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में, श्रेणीवार, कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने कर्मचारी हैं;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में आरक्षण सम्बन्धी प्रतिशतता में यदि कोई कमी हुई है तो इसका ब्योरा क्या है; और

(घ) पिछले बकाया आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) :

(क)	श्रेणी "क"	211
	श्रेणी "ख"	270
	श्रेणी "ग"	316
	श्रेणी "घ"	227

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(ख)	श्रेणी "क"	14	08
	श्रेणी "ख"	26	04
	श्रेणी "ग"	79	09
	श्रेणी "घ"	95	19
(ग)	श्रेणी "क"	—	7.5
	श्रेणी "ख"	3.94	5.8
	श्रेणी "ग"	5.88	4.57
	श्रेणी "घ"	—	—

(घ) सरकार ने विशेष भर्ती अभियान के तहत पीछे से चली आ रही रिक्तियों को 31-3-1992 तक भरने का लक्ष्य रखा है और इस मंत्रालय ने इस बारे में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

हैदराबाद में पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना

2184. श्री प्रफुल पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से हैदराबाद में एक पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस बारे में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पर्यावरणीय सुरक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय समस्याओं और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था करना और उसको बढ़ावा देना है।

राज्यों में समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के तहत गांव

[हिन्दी]

2185. श्री राम टहल चौधरी :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री काशी राम राणा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के प्रत्येक जिले में समेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत चुने गये गांवों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) उनका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत पिछले एक वर्ष के दौरान इन गांवों को कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई की गई; उसका राज्यवार विवरण दें ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना विवरण-I के रूप में संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंचांग वर्ष 1991 के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेशों को समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल इलाकों में वितरण करने के लिए मुहैया की गई गेहूं और चावल की मात्रा की स्थिति दी गई है।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य का नाम		जिला	पहचान किए गए गांवों की संख्या
1	2		3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	श्रीकाकुलम	348
		2.	विजयनगरम	46
		3.	विशाखापत्तनम	456
		4.	ईस्ट गोदावरी	599
		5.	वेस्ट गोदावरी	108
		6.	खम्माम	896
		7.	वारांगल	254
		8.	अदिलाबाद	576
			जोड़	6700
2.	असम	1.	कोकराझार	868
		2.	धुबरी	277
		3.	गोलपाड़ा	346
		4.	बारपेटा	176
		5.	नालबाड़ी	201
		6.	कामरूप	40
		7.	कामरूप	396
		8.	नागांव	267
		9.	दरंगी	876
		10.	सोनीतपुर	165
		11.	जोरहाट	46
		12.	जोरहाट	107
		13.	गोलाघाट	41

1	2	3	4
		14. शिवसागर	30
		15. डिब्रूगढ़	215
		16. डिब्रूगढ़	86
		17. लखीमपुर	272
		18. लखीमपुर	637
		19. कछार	37
		जोड़	4583
3.	बिहार	1. रांची	2050
		2. गुमला	1398
		3. लोहारडेगा	240
		4. पालामऊ	996
		5. वेस्ट सिंहभूम	2816
		6. ईस्ट सिंहभूम	1756
		7. दुमका	4102
		8. साहबगंज	1901
		9. गोड्डा	1990
		जोड़	17249
4.	गुजरात	1. साबरकंठा	527
		2. पंचमहल	1229
		3. बड़ोदरा	921
		4. भड़ोच	841
		5. सूरत-I	624
		6. सूरत-II	603
		7. वलसाड	727

1	2	3		4
		8.	डांग्स	311
		9.	बनासकांठा	178
			जोड़	6861
5.	हिमाचल प्रदेश	1.	चम्बा	61
		2.	चम्बा	112
		3.	किन्नौर	77
		4.	लाहौल और स्पीति	235
			जोड़	485
6.	कर्नाटक	1.	मैसूर	542
		2.	माडीकेरी	236
		3.	दक्षिण कन्नड़	376
		4.	दक्षिण कन्नड़	257
		5.	चिकमंगलूर	170
			जोड़	1581
7.	केरल	1.	कान्नानोर	25
		2.	वयानाड	25
		3.	त्रिवेन्द्रम	25
		4.	पाल घाट	[illegible]
		5.	मालापुरा	32
		6.	इडुक्का	51
		7.	कोट्टायम	15
			जोड़	176

1	2	3		4
8.	मध्य प्रदेश	1.	झबुआ	1360
		2.	धार	1400
		3.	खारगोन	1559
		4.	खंडवा	356
		5.	बस्तर	3731
		6.	रायपुर	745
		7.	दुर्ग	383
		8.	राजनन्दगांव	668
		9.	सरगुजा	2463
		10.	बिलासपुर	1327
		11.	राजगढ़	1414
		12.	मांडला	2180
		13.	बालाघाट	496
		14.	सियोनी	1038
		15.	छिन्दवाड़ा	1344
		16.	जबलपुर	401
		17.	सिधी	896
		18.	शाहडोल	1475+389=1864
		19.	बेतूल	1083
		20.	रतलाम	521
		21.	देवास	251
		22.	मोरेना	224
		23.	होशंगाबाद	501
			जोड़	26031
9.	महाराष्ट्र	1.	थाने	1135
		2.	नासिक	825
		3.	पुने	988

1	2	3		4
		4.	जलगाँव	63
		5.	अहमदनगर	106
		6.	पुणे	128
		7.	नांदेड	185
		8.	अमरावती	144
		9.	यवतमाल	334
		10.	गढ़चिरोली	1406
		11.	चन्द्रपुर	182
			जोड़	6491
10.	मणिपुर	1.	चांडेल	321
		2.	उखरुल	288
		3.	चुराचान्दपुर	437
		4.	सेनापति	503
		5.	तमेंगलोंग	211
			जोड़	1710
11.	उड़ीसा	1.	बालासोर	146
		2.	फुलबनी	2497
		3.	गंजम	1332
		4.	कालाहांडी	767
		5.	क्योंझर	1616
		6.	कोरापुट	6350
		7.	मयूरभंज	4001
		8.	सम्बलपुर	510
		9.	सुन्दरगढ़	1724
			जोड़	18943

1	2	3		4
12.	राजस्थान	1.	उदयपुर	1489
		2.	बांसवाड़ा	1445
		3.	चित्तौड़गढ़	490
		4.	डूंगरपुर	832
		5.	सिरोही	80
			जोड़	4336
13.	तमिलनाडु	1.	सालेम	136
		2.	साउथ अरकाट	50
		3.	नार्थ अरकाट	60
		4.	धर्मपुरी	40
		5.	तिरुचिरापल्ली	5
			जोड़	291
14.	सिक्किम	1.	ईस्ट	34
		2.	साउथ	10
		3.	वेस्ट	18
		4.	नार्थ	48
			जोड़	102
15.	त्रिपुरा	1.	वेस्ट त्रिपुरा	128
		2.	साउथ त्रिपुरा	193
		3.	नार्थ त्रिपुरा	151
			जोड़	472
16.	उत्तर प्रदेश	1.	लखीमपुर खीरी	41

1	2	3		4
17.	पश्चिम बंगाल	1.	पुरुलिया	910
		2.	बांकुरा	747
		3.	बीरभूम	232
		4.	मालदा	441
		5.	दार्जिलिंग	136
		6.	जलपाईगुड़ी	315
		7.	वेस्ट दीनाजपुर	564
		8.	मेदिनीपुर	2042
		9.	मुर्शिदाबाद	56
		10.	बर्दवान	168
		11.	24 परगना	33
		12.	हुगली	178
			जोड़	5822
18.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1.	निकोबार	171
19.	दमन और दीव	1.	दमन	21

विवरण-II

मीटरी टन

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम		जनवरी-मार्च 1991	अप्रैल-दिसम्बर 1991	जोड़
1	2		3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	बे	1426	2922	4348
		षा	36730	92617	129247
2.	असम	बे	उ० न०	120	120
		षा	3066	9745	12811

1	2	3		4	5
3.	बिहार	गे	20292	53070	73362
		धा	5303	23959	29262
4.	गुजरात	गे	44107	108189	152296
		धा	19406	81682	101088
5.	हिमाचल प्रदेश	गे	834	5403	6237
		धा	100	1346	1446
6.	कर्नाटक	गे	4516	13327	17843
		धा	15768	49562	65330
7.	केरल	गे	1851	5654	7505
		धा	2888	8771	11659
8.	मध्य प्रदेश	गे	33756	108932	142688
		धा	19966	86080	106046
9.	महाराष्ट्र	गे	15689	56948	72637
		धा	9354	33522	42876
10.	मणिपुर	गे	—	—	—
		धा	5347	20132	25479
11.	उड़ीसा	गे	10424	29066	39490
		धा	34466	104689	139155
12.	राजस्थान	गे	30480	75516	105996
		धा	2539	9720	12259
13.	सिक्किम	गे	250	1807	1557
		धा	2968	19293	22261
14.	तमिलनाडु	गे	उ० न०	उ० न०	उ० न०
		धा	उ० न०	उ० न०	उ० न०
15.	त्रिपुरा	गे	—	—	—
		धा	11676	38467	50143
16.	उत्तर प्रदेश	गे	10	161	171
		धा	—	—	—
17.	पश्चिम बंगाल	गे	15314	38221	53535
		धा	5805	18494	24299

1	2		3	4	5
18.	अंडमान और निकोबार	गे	उ० न०	उ० न०	उ० न०
		चा	उ० न०	उ० न०	उ० न०
19.	दमन और दीव	गे	उ० न०	उ० न०	उ० न०
		चा	उ० न०	369	369
20	अरुणाचल प्रदेश	गे	1794	5555	7349
		चा	22102	64289	86391
21.	मेघालय	गे	6260	23358	29618
		चा	22603	85843	108446
22.	मिजोरम	गे	2688	11345	14033
		चा	23052	63847	86899
23.	नागालैंड	गे	13208	61177	74385
		चा	27437	102775	130212
24.	नागर और नगर	गे	उ० न०	उ० न०	उ० न०
		चा	उ० न०	299	299
25.	लक्षद्वीप	गे	34	21	55
		चा	2674	2883	5557

गे—गेहूं

चा—चावल

उ० न०—उपलब्ध नहीं

वन अग्निशमन केन्द्र

2186. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्व बैंक की सहायता से चल रहे वन अग्निशमन केन्द्रों को बन्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र विशेषकर उत्तर प्रदेश में बन्द किए जाने की सम्भावना है और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को विश्व बैंक की सहायता से इन केन्द्रों के लिए खरीदे गए वन अग्निशमन उपकरणों और अचल सम्पत्ति के बारे में कौन-कौन से दिशानिदेश जारी किए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से देश में कोई दावानल शमन केन्द्र नहीं चलाया जा रहा है।

रेलवे हाल्टों को स्टेशनों में बदलना

2187. डा० परशुराम गंगवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे हाल्टों को स्टेशनों में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) सभी हाल्ट स्टेशनों को फ्लैग स्टेशनों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, किसी हाल्ट को बदलने के बारे में विनिर्दिष्ट मांग प्राप्त होने पर प्रस्ताव की जांच की जाती है और वित्तीय रूप से इसकी व्यावहारिकता तथा यातायात के औचित्य के आधार पर निर्णय लिया जाता है। निम्नलिखित हाल्टों को फ्लैग स्टेशन में बदलने के बारे में निर्णय लिया गया है :—

रेलवे	हाल्ट स्टेशन के नाम
पूर्व	बिशरपाड़ा—कोडलिया।
उत्तर	विवेक विहार, मोटरा तथा कलबां।
पूर्वोत्तर रेलवे	खुशालनगर, दालछपरा, जलालपुर पनवारा, मोतिहारी कोर्ट, जयमूर्तिनगर तथा प्रमिनिया।

मुम्बई और बिहार के बीच सुपर-फास्ट रेलगाड़ी

2188. श्री आर्च फर्नांन्डीज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई और बिहार के बीच चलने वाली गाड़ियों में कोई वृद्धि करने अथवा इस मार्ग पर एक सुपर-फास्ट रेलगाड़ी प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां और संसाधनों की तंगी।

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवन का निर्माण

[अनुवाद]

2189. श्री डी० डी० खनोरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर और योल स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के लिए अपने भवनों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका निर्माण कब तक होने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पालमपुर में केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन के निर्माण के लिए प्रारम्भिक प्राक्कलन एम० ई० एस० से प्राप्त हो चुका है और यह जांच के अधीन है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने दिनांक 5-6-1990 को योल में केन्द्रीय विद्यालय के लिए स्कूल भवन के निर्माण के लिए 87.23 लाख रुपये मंजूर किया है।

दो या तीन वर्षों के पहले निर्माण कार्य के पूरा होने की आशा नहीं है।

सहकारी चीनी मिलों को सहायता

2190. श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में कुछ सहकारी चीनी मिलों को धनराशि के अभाव में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीनी मिलों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) चीनी फैक्ट्रियां को दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धनराशि की व्यवस्था स्वयं करनी होती है। चीनी फैक्ट्रियों को कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए सरकार द्वारा कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

हरियाणा और राजस्थान में विकास कार्यों पर प्रतिबन्ध

2191. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के गुड़गांव जिले और राजस्थान के अलवर जिले, जो कि

अरावली पर्वतमाला के भाग हैं, में चल रहे विकास कार्यों को रोक देने की अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या फरीदाबाद, जो कि अरावली पर्वतमाला का ही भाग है, को भी इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार ने हरियाणा के गुड़गांव जिले और राजस्थान के अलवर जिले, जो अरावली पहाड़ी के भाग हैं, में कतिपय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की है।

(ख) और (ग) इस अधिसूचना में समूची अरावली पहाड़ी शामिल नहीं है। अधिसूचित क्षेत्रों को भूमि का विकास करने वालों द्वारा अव्यवस्थित क्रियाकलापों से इस क्षेत्र को पहुंचाई गई व्यापक क्षति के आधार पर शामिल किया गया है। इन भूमि विकास करने वालों के खिलाफ शिकायत और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। भूमि का सीमांकन करना एक जटिल कार्य है। अत: गुड़गांव और अलवर में की जाने वाली कार्रवाई की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना को फिलहाल इन दो जिलों तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।

प्रवासी पक्षी

[हिन्दी]

2192. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतकाल के दौरान भारत के कई स्थानों में प्रवासी पक्षी शरण के लिए आते हैं;

(ख) क्या इस वर्ष प्रवासी पक्षियों की संख्या कम रही;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अधिक संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाने और झील के आस-पास के पर्यावरण में सुधार करने के लिए पक्षिविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास के क्षेत्र में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष भारत पहुंचने वाली विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, साईबेरियाई सारस के मामले में चालू वर्ष के दौरान जाड़े के मौसम में राजस्थान में भरतपुर के केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में 6 पक्षियों के पहुंचने की खबर है जबकि पिछले वर्ष 10 पक्षी पहुंचे थे।

(ग) जाड़े के मौसम में केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचने वाले साईबेरियाई सारसों की संख्या में कमी होने के सम्भावित कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) साइबेरिया में इसकी प्रजनन भूमियों में इस प्रजाति के कम प्रजनन सहित प्रतिकूल परिस्थितियां।

(2) भारत आने और वापस जाने की लम्बी यात्रा के दौरान इस पक्षी के शिकार किए जाने तथा अन्य प्रकार के खतरे।

(3) केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में सूखे के दौरान यह पक्षी किसी अन्य नम भूमि को जाड़ों में रहने के लिए उपयोग में लाता होगा।

(ख) अधिक से अधिक प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में प्रवासी पक्षियों की बहुत-सी संकटापन्न प्रजातियों को शामिल किया गया है, इस प्रकार उनको अधिकतम सम्भव कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। उक्त अधिनियम के तहत वन्यजीवों के शिकार करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

(2) भारत प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन (सी० एम० एस०) का एक सदस्य है जिसके तहत जिन देशों में संकटापन्न प्रवासी पक्षी जाते हैं उनके लिए इन पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

(3) जिन नम भूमियों में प्रवासी पक्षी रहते हैं और उनके आस-पास के क्षेत्रों को राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। सूखे के मौसम के दौरान जल आपूर्ति की वृद्धि के उपायों सहित इन सुरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(4) बहुत-सी महत्वपूर्ण नम भूमियों को, जिनमें प्रवासी पक्षी बार-बार आते हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों" के रूप में घोषित किया गया है ताकि उनका संरक्षण और विकास किया जा सके। कुछ नम भूमियों को खास कर जल पक्षी के वास-स्थलों को रामसर कन्वेशन, जिसका भारत सदस्य है, के तहत अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नम-भूमि घोषित किया गया है।

(5) वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेशन, जिसका भारत एक पक्षकार है, के तहत संकटापन्न प्रवासी पक्षियों और उनके उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निषिद्ध है।

(6) भारत सरकार नम भूमियों की पारिस्थितिकी और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान प्रायोजित करती रही है उपर्युक्त विषयों के संबंध में अध्ययन और अनुसंधान आयोजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई है।

अस्पतालों में सघन चिकित्सा यूनिट

[अनुवाद]

2193. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सघन चिकित्सा यूनिटों वाले अस्पताल केवल महानगरों में ही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का अन्य शहरों में भी अस्पतालों में सघन चिकित्सा यूनिटें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खेल टीमों के विदेश दौरे पर व्यय

2194. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारतीय हाकी, क्रिकेट और एथलेटिक्स टीमों के विदेशी दौरों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) भारतीय क्रिकेट टीम के आस्ट्रेलिया के चालू दौरे पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ग) उक्त दौरों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) भारतीय क्रिकेट टीम के आस्ट्रेलिया के दौरे को बिना सरकारी खर्च के आधार पर मंजूरी दी गई थी तथा इस दौरे के लिए कोई विदेशी मुद्रा जारी नहीं की गई थी । भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आस्ट्रेलिया बोर्ड भारतीय बोर्ड को पूरे आस्ट्रेलियाई दौरे के लिए 3,40,000 आस्ट्रेलियाई डालर की गारंटी राशि अदा करेगा ।

औषधालयों के जरिए दवाओं की आपूर्ति

2195. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्यरत औषधालय लाभार्थियों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लिखी गई औषधियों की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं तथा उनके बदले उन्हें अन्य ब्रांड की औषधियों की आपूर्ति करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में आदेशों का ब्यौरा क्या है तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लिखी गई औषधियों की ही आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या औषधालयों में दवाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं हैं और लाभार्थियों को ये दवाएं या तो बाजार से खरीदनी होती हैं अथवा औषधालयों में इनके आने तक इनका इन्तजार करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इन औषधालयों को दवाओं की घटिया आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गत 12 महीनों के दौरान दवाओं की प्राप्ति/इलाज में हुए विलम्ब के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मूलरी में शामिल दवाइयों को डिस्पेंसरी में स्टॉक किया जाता है तथा रासायनिक नाम के अन्तर्गत उनकी तत्काल आपूर्ति रोगियों को कर दी जाती है। विशेषज्ञों द्वारा अनिवार्य बताई गई नॉन-लिस्टेड-दवाइयों को ब्रांड नाम के अधीन स्थानीय औषध विक्रेताओं से प्राप्त किया जाता है तथा उनकी आपूर्ति रोगियों को कर दी जाती है।

(ख) दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थानीय औषध विक्रेताओं को नियुक्त किया गया है जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय रोगियों को दवाइयों की आपूर्ति करते हैं।

(ग) औषधालयों में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। औषधालयों में उपलब्ध दवाइयों की आपूर्ति रोगियों को तत्काल कर दी जाती है। उन्हें बाजार से दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ती। आपातकाल में, औषधालय के प्रभारी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी करने पर रोगी स्थानीय विक्रेताओं से दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) उपर्युक्त 'ग' में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अप्रैल, 1991 में स्थानीय औषध विक्रेताओं की नियुक्ति के बाद केवल दो शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी जांच की जा रही है।

केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

2196. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर संबंधी राष्ट्रीय आयोग के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशों को लागू कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय

विद्यालयों में शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में किसी राष्ट्रीय आयोग का गठन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में "रेक प्वाइन्ट"

[हिन्दी]

2197. श्री सत्यनारायण जाटिया :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं :जहां पर "रेक प्वाइन्ट" स्थापित किए जाने की मांग की गई है;

(ख) उन "रेक प्वाइन्टों" तथा अर्द्ध "रेक प्वाइन्टों" के नाम क्या हैं जो विगत में संचालित थे लेकिन अब उन्हें रद्द कर दिया गया है तथा प्रत्येक "रेक प्वाइन्ट" के रद्द किये जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मध्य प्रदेश में चंदिया, विश्रामपुर; कुम्हारी, जयरामनगर, रूपौंद मांडर, तिलदा, दाधापारा, भिलाई, मेघनगर, रतलाम, तथा विक्रमनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त रेक स्थलों की मांग की गई है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कोई रेक स्थल/अर्द्ध रेक स्थल रद्द नहीं किया गया है

(ग) धन की उपलब्धता तथा यातायात की मात्रा को देखते हुए टर्मिनल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

पर्यावरण संबंधी कानूनों के उल्लंघन की स्वैच्छिक स्वीकृति

[अनुवाद]

2198. श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों के उल्लंघन की स्वेच्छा स्वीकृति के संबंध में किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार ने पर्यावरणीय लेखा-जोखा की एक स्कीम को अन्तिम रूप दिया है।

(ख) से (घ) प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया चला आ रहा है, जिसके लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 अथवा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अथवा दोनों के तहत या परिसंकटमय (प्रबंध और सम्भलाई) नियमावली, 1989 के तहत सहमति लेने की आवश्यकता हो, 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 1993 से हर वर्ष 15 मई को अथवा इससे पूर्व संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक पर्यावरणीय लेखा-जोखा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

झंझारपुर स्टेशन के निकट पुल

[हिन्दी]

2199. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में मधुबनी जिले में झंझारपुर रेलवे स्टेशन के निकट कमला स्नान रेलवे क्रासिंग पर ऊपरि पुल के निर्माण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी कार्यक्रम

[अनुवाद]

2200. श्री शंकरराव काले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महाराष्ट्र में जिलावार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये और उसमें कितनी उपलब्धि हुई;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कौन-कौन-सी योजनाएं बनायी गई; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित करने का विचार है और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में नमक उत्पादकों की शिकायतें

2202. डा० सुधीर राय :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरुमुगनेरी, तमिलनाडु स्थित "स्मॉल स्केल साल्ट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन" से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने नमक के परिवहन के लिए वैगन उपलब्ध कराने से संबंधित उनकी शिकायत को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि यह संचलन फुटकर में होता है जिसमें यानान्तरण अंतर्ग्रस्त है इसलिए इसकी क्षमता सीमित है। समग्र तंगियों के बावजूद माल डिब्बों की सप्लाई में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली और फरीदाबाद के बीच शटल गाड़ी

2203. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री एस० एम० बेकारिया :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और फरीदाबाद के बीच नई शटल रेल गाड़ी चलाए जाने और दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों से नई गाड़ियां चलाये जाने की अथवा फरीदाबाद तथा पलवल से दैनिक यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इन स्थानों पर लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों को रोकने की मांग लम्बे समय से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक चलाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 29-1-92 से शकूरबस्ती नयी दिल्ली और बल्लभगढ़ (फरीदाबाद को भी सेवित करने वाली) के बीच एक जोड़ी बिजली गाड़ी चलाई गई है। इसी प्रकार 24-2-92 से शकूर-बस्ती/दिल्ली/नई दिल्ली और गाजियाबाद के बीच छः बिजली गाड़ियां चलाई गई हैं। 1-7-1992 से फरीदाबाद स्टेशन पर 6032 जम्मू तवी-मद्रास एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था की जा रही है।

बंध्याकरण ऑपरेशन

2204. डा० वसन्त पवार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान देश में पुरुष और महिलाओं के अनुमानतः कितने बंध्याकरण ऑपरेशन किए गए;

(ख) कितने मामलों में जटिलताएं पैदा होने के समाचार है तथा प्रभावित व्यक्तियों को कुल कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) इन जटिलताओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) 1990-91 के दौरान देश में की गई पुरुष और महिला नसबंदी की अनंतिम संख्या क्रमश: 264,982 और 3,867,648 है ।

(ख) नसबंदी मामलों में जटिलताएं छोटी से लेकर बड़ी किस्म तक विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं और इस कारण ऐसे रोगियों की संख्या की मानीटरिंग केन्द्र सरकार द्वारा नहीं हो रही है । नसबंदी आपरेशनों के उपरांत होने वाली जटिलताओं के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता । नसबंदी के कारण होने वाली मृत्यु के लिए ही क्षतिपूर्ति की जाती है ।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे जटिल मामलों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करें । नसबंदी आपरेशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये बातें शामिल हैं : (I) अपेक्षित प्रशिक्षण कौशल प्रदान करने के लिए केन्द्रीय लेपरोस्कोपिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना, (II) पुरुष और महिला नसबंदी के मानकों में प्रशिक्षण देने के लिए प्रमुख राज्यों में उत्कृष्ट केन्द्र खोलना तथा (III) स्वीकारकर्ताओं के उपयुक्त चयन के मामले में समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी करना कि नसबंदी आपरेशनों के पहले या उसके दौरान एहतियात बरता जाए और आपरेशन के बाद की अनुवर्ती परिचर्या पर विवरण दिए जाएं ।

केन्द्रीय विद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय

2205. प्रो० सावित्री लक्ष्मण :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कहां खोले जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 12-1-1992 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों के सृजन का अनुमोदन किया है बशर्ते कि संस्वीकृत बजट प्राक्कलन में खर्च की पूर्ति हो जाए ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

नोएडा के साथ रेल सम्पर्क

[हिन्दी]

2206. श्री जनार्दन मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोएडा प्राधिकरण ने उनके मंत्रालय से नोएडा को दिल्ली तथा देश के अन्य भागों से जोड़ने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव पर कब तक विचार किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आनन्द विहार में एक नया रेलवे टर्मिनल बनाने की योजना है और उससे आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी।

इस टर्मिनल के पूरा किए जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह संसाधनों की उपलब्धता तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया के पूरा होने पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिशुगृह खोलने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

2207. श्रीमती भावना चिखलिया :

डा० रमेशचन्द्र तोमर :

श्री रतिलाल वर्मा :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में शिशुगृह खोलने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसी किसी योजना पर विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस मामले की जांच की जाएगी।

चीनी विकास कोष

2208. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी विकास कोष में इस समय कितनी धनराशि है;

(ख) पिछली तीन कटाई के दौरान इस कोष में कुल कितनी धनराशि जोड़ी गई;

(ग) इस कोष में राज्यवार योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन सालों में ऋण की कुल कितनी राशि राज्यवार स्वीकृत और वितरित हुई;

(ङ) क्या एस०डी०एफ० ऋण की स्वीकृति न होने के संबंध में महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से आये हुए कितने ऋण निवेदन-पत्र स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हुए हैं और विलम्ब के कारण क्या हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) भारत में किसी भी चीनी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर 14/- रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से इस समय उपकर एकत्रित किया जाता है। 31 दिसम्बर, 1991 को स्थिति के अनुसार चीनी फैक्ट्रियों से कुल 1073.95 करोड़ रुपये के उपकर की राशि एकत्रित कर ली गई थी जिसमें से 1.3.1992 को स्थिति के अनुसार 1021.00 करोड़ रुपये की राशि चीनी विकास निधि में अन्तरित कर दी गई है।

(ख) 1988-89 से 1990-91 की अवधि के दौरान चीनी फैक्ट्रियों से चीनी उपकर के रूप में कुल 418.68 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की गई थी। वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	उपकर के रूप में एकत्रित की गई धनराशि
	(करोड़ रुपये में)
1988-89	133.51
1989-90	137.38
1990-91	147.79
जोड़ :	418.68

(ग) एक ब्यौरा विवरण 1 के रूप में संलग्न है जिसमें 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान चीनी उपकर के रूप में एकत्रित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(घ) एक ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है जिसमें 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के दौरान चीनी विकास निधि से मंजूर और वितरित किए गए (राज्यवार) ऋणों की कुल राशि का ब्यौरा दिया गया है।

(ङ) और (च) 29.2.1992 को स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में स्थित 97 चीनी प्रतिष्ठानों से प्राप्त हुए आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं। गन्ने के लिए अतीत में लिए गये

ऋणों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना/दस्तावेज, उपयोगिता प्रमाण पत्र/परिणाम रिपोर्ट आदि भेजने जैसी औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण इन आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जा सका था। इन चीनी प्रतिष्ठानों को औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी गई है।

विवरण-I

(हजार रुपये में)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
गुजरात	8,60,40	9,47,96	8,83,54
उत्तर प्रदेश	38,06,57	36,83,17	39,73,28
महाराष्ट्र	40,87,25	42,32,07	51,97,18
कर्नाटक	11,48,26	10,90,66	10,31,60
पश्चिम बंगाल	2,87	2,24	2,13
उड़ीसा	37,02	14,34	5,07
चण्डीगढ़	3,06,49	3,62,38	4,25,96
केरल	15,37	20,92	11,40
तमिलनाडु	12,24,00	15,91,81	14,74,63
नई दिल्ली	3,78,38	4,65,20	3,95,28
गोवा	13,05	11,29	13,52
आन्ध्र प्रदेश	8,37,82	7,05,63	7,97,15
मध्य प्रदेश	1,27,67	89,78	25,09
राजस्थान	9,21	17,94	22,46
बिहार	4,73,65	4,81,69	4,30,62
मेघालय	23,04	20,69	20,15
	1,33,51,35	1,37,37,77	1,47,78,83

विवरण-II

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1988-89		1989-90		1990-91		जोड़	
	मंजूर की गई	वितरित की गई	मंजूर की गई	वितरित की गई	मंजूर की गई	वितरित की गई	मंजूर की गई	वितरित की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	729.03	267.71	536.99	759.87	216.00	633.98	1481.62	1661.66
असम	—	29.89	—	20.79	—	26.99	—	77.67
बिहार	393.78	194.58	508.64	509.20	102.12	33.34	1004.54	737.12
गुजरात	258.65	39.81	130.48	82.49	684.00	345.09	1100.13	467.39
हरियाणा	—	378.55	334.62	526.49	—	104.51	334.62	1009.55
कर्नाटक	1485.70	468.40	1273.14	314.61	57.50	—	2816.34	783.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	—	—	362.77	94.22	435.00	310.74	797.77	404.96
महाराष्ट्र	2053.64	1269.27	4138.30	1908.94	2379.68	3108.065	8571.62	6286.275
उत्तर प्रदेश	5814.65	2937.72	5627.73	5876.19	3752.87	3510.34	15195.25	12324.25
तमिलनाडु	584.24	365.34	612.62	1362.83	370.00	1020.41	1566.86	12748.58
पंजाब	1195.40	531.73	1093.08	800.57	100.00	524.27	2388.48	1856.57
पांडिचेरी	—	—	85.54	—	—	40.13	85.54	40.13
जोड़	12542.69	6483.00	14703.91	12256.20	8096.17	9657.865	35342.27	28397.065

महाराष्ट्र में वन-क्षेत्र

[हिन्दी]

2209. श्री विलासराव नागनाथराव गुन्डेवार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में, विशेषतः परभनी और नान्देड़ जिलों में कुल कितना वन-क्षेत्र है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के वन-क्षेत्र में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में वन-क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 1987-89 की अवधि से संबंधित भू-उपग्रह प्रतिबिम्बकी के दृश्य विवेचन के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा किए गए वन आच्छादन के अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार महाराष्ट्र में वास्तविक वन आच्छादन 44,058 वर्ग कि० मी० है। परभनी और नान्देड़ जिलों में क्रमशः 51 और 913 वर्ग-किलोमीटर क्षेत्र में वन है।

(ख) महाराष्ट्र में 1987-89 की मूल्यांकन अवधि के दौरान 1985-87 की पूर्व मूल्यांकन अवधि की तुलना में वास्तविक वन आच्छादन में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए राज्य में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत फार्म वानिकी और सामाजिक वानिकी सहित वनरोपण का एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने पर प्रतिबन्ध है।

(ग) पर्यवेक्षकों और फील्ड कर्मचारियों द्वारा वन क्षेत्रों की गहन गश्त लगाई जाती है। 8 सतर्कता कक्ष खोले गए हैं और प्रत्येक वन प्रभाग को चलते-फिरते दस्ते प्रदान किए गए हैं।

राजकुमार मिल्स पर उपरि पुल

2211. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजकुमार मिल्स (इंदौर) उपरि पुल के [illegible] नों को

को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) इसके निर्माण कार्य के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उक्त ऊपरी सड़क पुल के पहुंच मार्गों के नक्शों में परिवर्तन किए जाने के कारण, पुल की अनुमानित लागत एक करोड़ रुपये से बढ़कर 7.36 करोड़ रुपये हो गई है। संशोधित अनुमान तैयार किया गया है। अनुमान स्वीकृत हो जाने और राज्य सरकार द्वारा पुल के पहुंच मार्गों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाने पर रेलों द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

गोआ में खेलों के विकास हेतु सहायता देना

[अनुवाद]

2212. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गोआ में खेलकूद के विकास हेतु स्वीकृत राशि का वर्षवार और योजनावार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : "राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान" की योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान खेलों के विकास के लिए गोआ सरकार को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :—

1988-89	1,24,56,000/- रुपए
1989-90	31,17,825/- रुपए
1890-91	69,43,000/- रुपए

विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कालेज, बंगलौर का नवीकरण

2213. श्री सी० पाटेगौडा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कालेज, बंगलौर के नवीकरण के लिए सहायता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या सरकार ने इस सहायता को देना मंजूर कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता मंजूर की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कालेज, बंगलौर को अनुदान

संस्वीकृत किए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत अनुदान को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1989-90 से 1991-92 तक विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कालेज, बंगलौर को दिया गया अनुदान

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	क्षेत्र	वर्ष	संस्वीकृत राशि)
1.	ट्रान्सपोर्टेशन इंजीनियरी	1989-90	10.00
2.	—वही	1991-92	12.00
3.	माइक्रोप्रोसेसर एप्लीकेशन	1990.91	5.00
4.	संगणक विज्ञान	1991-92	10 00
5.	सामग्री विज्ञान	1991-92	7.50
6.	अनुसंधान और विकास	1990-91	8.00
7.	माप प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण	1990-91	7.50
8.	माइक्रोप्रोसेसर प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण	1990-91	7.50
9.	संगणक पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ करना	1990-91	6.00
10.	पुस्तकालय सूचना केन्द्र का आधुनिकीकरण	1991-92	5.00
11.	सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण	1991-92	10.00
12.	माप-पद्धति प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण (यांत्रिक इंजीनियरी)	1991-92	10.00
13.	इलैक्ट्रोनिक्स प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण	1991-92	10.00

मध्य प्रदेश में नये उत्पादन एकक

2214. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान विभिन्न रेलवे उत्पादन एककों का कार्य-निष्पादन क्या-क्या रहा है;

(ख) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान कुछ नये रेलवे उत्पादन एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का मध्य प्रदेश में ऐसे किसी एकक की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस राज्य में इस प्रयोजन हेतु किन स्थानों का पता लगाया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1990-91 और 1991-92 (फरवरी, 1992 तक) के दौरान विभिन्न रेलवे उत्पादन इकाइयों के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेलवे उत्पादन इकाइयां	मदें	1990-91		1991-92 (फरवरी, 1992 तक)	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1. चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन (पश्चिम बंगाल)	बिजली और डीजल रेल इंजन	144	154	138	145
2. डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी, (उत्तर प्रदेश)	डीजल रेल इंजन	140	147	136	136
3. सवारी डिब्बा कारखाना, पैरम्बूर, मद्रास (तमिलनाडु)	सवारी डिब्बे	1006	1013	904	944
4. रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला, (पंजाब)	सवारी डिब्बे	600	600	685	827
5. डीजल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला, (पंजाब)					
चरण-I	पुर्जे (उत्पादन लाख रुपये में)	2795.2	3404.80	3805.61	4473.83
चरण-II	रेल इंजन पुनर्निर्माण	24	26	44	48
	पॉवर पैक	—	5	—	4
6. पहिया एवं धुरा संयंत्र बेंगलूर, (कर्नाटक)	पहिया सेट	27000	23137	28417	29743

रेल लाइन का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

2215. श्री साईमन मरांडी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईंधन पर बढ़ते हुए खर्च को ध्यान में रखते हुए 1995 तक भाप के इंजनों को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन मार्गों से भाप के इंजन हटाए जाने की सम्भावना है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कौन-कौन से नये मार्गों पर विद्युत इंजन शुरू किए जाने तथा कौन से मार्गों से भाप के इंजन पूर्णतया हटा लिए जाने की सम्भावना है;

(घ) बिहार में अब तक कितने मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है तथा दिसम्बर, 1992 तक कितने और मार्गों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) व्यापक स्तर पर रेल लाइनों के प्रस्तावित विद्युतीकरण को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भाप रेल इंजनों को वर्ष 2000 तक सेवा से हटा दिए जाने की सम्भावना है।

(ख) भाप रेल इंजनों को सेवा से हटाना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है, जो कोयला पट्टी से दूर हों, सूखे से प्रभावित हों, जहां लम्बी दूरी की पैसेंजर गाड़ियां चलती हों और जहां परिचालनिक आवश्यकता, आदि के कारण ऐसा करना जरूरी हो। भाप रेल इंजनों को सेवा से हटाने के लिए किन्हीं विशिष्ट मार्गों की पहचान नहीं की गई है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) विद्युत-सप्लाई की कमी के कारण, विद्युतीकरण के काम में तेजी लाने में कोई रुकावट आने की सम्भावना नहीं है क्योंकि विद्युत कर्षण के लिए रेलों की खपत, कुल राष्ट्रीय खपत के 2.5 प्रतिशत से भी कम है।

विवरण

(ग) 1991-92 के दौरान जिन खंडों को ऊर्जित करके योजना बनाई गई थी, वे इस प्रकार है :—

	खंड का नाम	मार्ग किलोमीटर
1.	हरदा-भुसावल (इटारसी-भुसावल का भाग)	235
2.	बोलाई-भोपाल (भोपाल-नागदा का भाग)	105
3.	भंडारा रोड-नागपुर (दुर्ग-नागपुर का भाग)	64
4.	मुलानूर-बेंगलूर (जोलारपेट्टै-बेंगलूर का भाग)	117
5.	दिवा-पनवेल	24
6.	काजीपेट-असेर (काजीपेट-सनतनगर का भाग)	62
7.	सेलम-ईरोड (जोलारपेट्टै-ईरोड का भाग)	68
	जोड़	675

विद्युतीकरण के बाद, धीरे-धीरे बिजली रेल इंजन चलाए जाएंगे।

(घ) बिहार राज्य में 31-3-1991 को जिन मार्गों का विद्युतीकरण कर दिया गया था, वे इस प्रकार हैं :—

(i) ट्रंक मार्ग

I. सेवराजा-गया-धनबाद-कुमारटुबी मार्ग जो हावड़ा-मुगलसराय खंड का एक भाग है।

II. चाकुलिया-बरईकेला मार्ग जो हावड़ा-नागपुर खंड का एक भाग है।

(ii) मुख्य लाइनें जिनमें शाखा लाइनें शामिल हैं

1. बीरमडीह-सिनी, कांडिया-गोमबारिया लाइन जो आसनसोल-टाटानगर खंड का एक भाग है।

2. राजखरसवां-डोंगापोसी-बड़ाबिल लाइन जो राजखरसवां-डोंगापोसी-बड़ाजामदा, पाथापहाड़-देवझर खंड का एक भाग है।

3. भोजूडीह-बोकारो लाइन जो बोकारो-आद्रा-खड़गपुर खंड का एक भाग है।

4. तुपकाडीह-तलगाड़िया, बोकारो-बोकारो स्टील सिटी, बोकारो-गुमिया।

5. चन्द्रापुरा काम्पलेक्स।

(iii) ऐसे मार्ग जिनका दिसम्बर, 1992 तक विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव है—कोई नहीं।

(iv) चल रहे कार्य

बिहार राज्य में पड़ने वाले निम्नलिखित खंडों पर 726 मार्ग किलोमीटर में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है :—

खंड	मार्ग कि० मी०	बिहार राज्य में पड़ने वाले मार्ग कि० मी०
सोननगर-पतरातू-गुमिया	363	363
सीतारामपुर-झाझा	154	138
बोकारो स्टील सिटी-मुरी-हटिया-बोंडामुंडा-बरसुआन और बिमलगढ़/किरिपुरू	398	224
		725

(v) नये प्रस्ताव

1992-93 के रेल बजट में बिहार राज्य में पड़ने वाले 425 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किए गए हैं :—

	खंड	मार्ग कि० मी०	बिहार राज्य में पड़ने वाले मार्ग कि० मी०
1.	ओमादोवा-मोहुदा	22	22
2.	चांडिल-मुरी-बरकाकाना	119	95
3.	झाझा-मुगलसराय जिसमें रामपुर डुमरा गढ़हरा बरौनी शामिल है।	408	308
			425

रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों का ठेका

[अनुवाद]

2216. श्री कृपासिन्धु भोई :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कंपनी को लगभग 3 प्रतिशत की रायल्टी के भुगतान पर रेलवे के अधिकतर बुक स्टालों के ठेके दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन बुक स्टालों को स्वयं चलाने अथवा उन्हें अन्य प्राथमिकता वाली श्रेणियों को आवंटित करने अथवा वर्तमान ठेके की समयावधि पूरी होने पर इनके लिए निविदाएं आमंत्रित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह असामयिक है क्योंकि वर्तमान ठेका 31-12-93 तक वैध है।

कानपुर और झांसी के बीच रेल लाइन को दोहरा करना

[हिन्दी]

2217. श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और झांसी के बीच रेल लाइन को दोहरा करने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) इस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कानपुर-झांसी खंड का दोहरीकरण कोई अनुमोदित कार्य नहीं है।

विक्रमशिला एक्सप्रेस का देरी से चलना

2218. श्री ब्रह्मानंद मंडल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान दिल्ली में ब्रह्मपुत्र रेलगाड़ी और मगध व विक्रमशिला एक्सप्रेस के विलम्ब से आने का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार का विचार रेलगाड़ियों के समय में वक्त की पाबंदी बनाए रखने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिसम्बर '91, जनवरी और फरवरी, 1992 के दौरान ब्रह्मपुत्र मेल दिल्ली स्टेशन पर 59 दिन और मगध एवं विक्रमशिला एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन पर 47 दिन विलम्ब से पहुंची।

(ख) कमियां समाप्त करने के लिए रेलों के नियन्त्रण के अन्तर्गत कड़ी नजर तथा चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाती है।

पर्यावरण और वृक्षारोपण परियोजनाएं

2219. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के पास पर्यावरण और वृक्षारोपण की लम्बित पड़ी परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ख) इन्हें स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें कारणों सहित लम्बित परियोजनाओं के नामों की सूची दी गई है।

(ग) ऐसे सभी मामलों में अधिकतम तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय ले लिए जाते हैं जिनके साथ अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े और कार्ययोजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। यह बात लम्बित परियोजनाओं पर भी लागू होती है।

विवरण

पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित परियोजनाओं की सूची (29-2-1991 के अनुसार)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	मंत्रालय को पहली बार भेजने की तारीख	लम्बित पड़ी होने के कारण
1	2	3	4
1.	खनन परियोजनाएं :		
	आंध्र प्रदेश		
1.	रामागुंडम शाफ्ट ब्लाक-I सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एस०सी०सी०एम०)	16-10-89	अपेक्षित पर्यावरणीय और कार्य योजनाओं की या तो प्रतीक्षा है या परियोजना प्राधिकारियों से हाल ही में प्राप्त हुई है।
2.	घरेल खुली खदान परियोजनाएं एस०सी०सी०एल०	09.08.90	—वही—
3.	मेडापल्ली खुली खदान परियोजना एस०सी०सी०एल०	09-01-91	—वही—
4.	एस०सी०सी०एल० की कोतम खनी परियोजना	01-02-92	—वही—

1	2	3	4
5.	एस०सी०सी०एल० की पदमावती खानी परियोजना	01-02-92	—वही—
	बिहार :		
6.	राजरप्पा खुली खदान परियोजना केन्द्रीय कोल-फील्ड्स लि० (सी०सी०एल०)	13-5-88	—वही—
7.	अमझोरे खान परियोजना पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि० (पी०पी०सी०एल०)	15-3-88	—वही—
8.	नोआमुंडी आयरन ओर माइन्स, मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० (टिसको)	7-3-90	—वही—
9.	टोपा (पुनर्गठन) खुली खदान परियोजना, सी०सी०एल०	3-12-90	—वही—
10.	के०डी०. हेसालांग परियोजना, सी०सी०एल०	1-12-91	—वही—
11.	उरीमरी खुली खदान परियोजना सी०सी०एल०	1-12-91	—वही—
12.	चुरी अन्डर ग्राउण्ड परियोजना सी०सी०एल०	1-11-91	—वही—
13.	चापरी-हिन्दुस्तान कॉपर लि० की चापरी-सिद्धेश्वर खान परियोजना	27.1.92	—वही—
14.	केदला-झारखरी परियोजना सी०सी०एल०	3-12-92	—वही—
	मध्य प्रदेश:		
15.	रोघाट आयरन ओर परियोजना, भिलाई इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०)	8.6.97	—वही—

1	2	3	4
16.	दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लि० की शीतलधारा अण्डर ग्राउण्ड खान (एस०ई०सी०एल०)	1-11-90	—वही—
17.	डिपोजिट नम्बर 10/11 ए और 11 की बैला डिलर आयरन और परियोजना, एन०एम०डी०सी०	1-2-92	—वही—
	महाराष्ट्र :		
18.	पिम्पलगांव कुनी खदान परियोजना; एस०सी०एल०	8-2-90	—वही—
	राजस्थान :		
19.	सलादीपुरा पाइराइट्स खनन परियोजना; पी०पी०सी०एल०	16-9-88	—वही—
	उड़ीसा :		
20.	एक्सपेंशन ऑफ इंटिग्रेटिड एल्युमिनियम काम्पलैक्स; नालको	23-12-91	—वही—
21.	तल्चर एंड हवूलवेरा यू/जी माइन आफ एस०ई०सी०एल०	23-1-92	—वही—
	पश्चिम बंगाल :		
22.	बनबाद ओ०पी०सी०; ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०)	28-2-91	—वही—
23.	चिनाकुरी I एंड II माइन, ई०सी०एल०	18-11-89	—वही—
24.	जम्मू और कश्मीर खनिज विकास निगम लि० (पंचल जिला, ऊधमपुर के पास) की पंचल बेन्टोनाइट परियोजना	1-5-90	—वही—

1	2	3	4
	ताप विद्युत परियोजनाएं :		
	दिल्ली :		
25.	बवाना गैस बेस्ड (टी०पी०एस०) दिल्ली	अक्तूबर, 1992	—वही—
26.	आई०पी० पावर प्लांट (आर एंड एम कार्यक्रम)	जनवरी, 1991	—वही—
	गुजरात :		
27.	कैपिटिव पावर प्लांट आफ जी०एस०एफ०सी०, गुजरात	जनवरी, 1991	—वही—
	हरियाणा :		
28.	कैपिटव पावर प्लांट आफ मारुति उद्योग लि०, 20 मे०वा०, हरियाणा	जून, 1991	—वही—
	कर्नाटक :		
29.	कैप्टिव पाव प्लांट (डी०जी० सैट) आफ के०आई०सी०ओ०एम० 48.5 मे०वा०, कर्नाटक	जनवरी, 1991	—वही—
	केरल :		
30.	कयाकुलम सुपर ताप विद्युत परियोजना 2 × 210 मे०वा० एन०टी०पी०सी०, केरल	जुलाई, 1991 में पुन: खोली गई	—वही—
	राजस्थान :		
31.	धौलपुर ताप विद्युत स्टेशन, 3 × 250 मे०वा० आर०एस०ई०बी० राजस्थान	मई, 1991	—वही—

1	2	3	4
	तमिलनाडु :		
32.	तमिलनाडु इंडस्ट्रीज कैप्टिव पावर कं० लि०, 1×210 मे०वा०, तमिलनाडु	जनवरी, 1991 में पुन: खोली गई	—वही—
	औद्योगिक परियोजनायें :		
	आंध्र प्रदेश :		
33.	हैदराबाद में सरकारी टकसाल	9-9-91	—वही—
	असम :		
34.	लक्का में एल०पी०जी० रिकवरी सुविधाएं	9.4.91	—वही—
	गुजरात :		
35.	भारतीय तेल निगम कं० गुजरात तेल शोधनालय का विस्तार	20-9-91	—वही—
	हरियाणा :		
36.	कृषक भारत कोआपरेटिव लि० की पलवल में उर्वरक परियोजना	13-2-91	—वही—
37.	मारुति उद्योग लि० का विस्तार	अगस्त, 1991	—वही—
38.	हरियाणा में नई तेल शोधन शाला	20-9-91	—वही—
	जम्मू एवं कश्मीर :		
39.	पंथाल में डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट परियोजना	19-9-91	—वही—
	कर्नाटक :		
40.	मंगलोर में पेनेटीवेशन संबंध कुद्रेमुख आयरन आयर कं० लि०	अक्तूबर, 1990	—वही—

1	2	3	4
41.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कं० द्वारा मंगलौर में एल०पी०जी० भंडारण की सुविधाएं	7-2-91	—वही—
	मध्य प्रदेश :		
42.	भिलाई स्टील का विस्तार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	मई, 1989	—वही—
	महाराष्ट्र :		
43.	यू०एस०ए०आर० में एल०पी०जी० रिकवरी क्षेत्र	14-8-91	—वही—
44.	जी०ए०आई०एल० द्वारा बम्बई में प्राकृतिक गैस	18-1-92	—वही—
	उड़ीसा :		
45.	राउरकेला संयंत्र का आधुनिकरण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	मार्च, 1991	—वही—
46.	तालचर उर्वरक संयंत्र का आधुनिकरण पुनर्वास भारतीय उर्वरक निगम	अक्तूबर, 1991	—वही—
	राजस्थान :		
47.	सलादीपुरा में फास्फैटिक उर्वरक परियोजना, पी०सी०सी०एल०	20-3-91	—वही—
	तमिलनाडु :		
48.	सलेम इस्पात संयंत्र विस्तार, एस०ए०आई०एल०	जुलाई, 1089	—वही—
	उत्तर प्रदेश :		
49.	औरेया में गैस क्रेकर परिसर, भारतीय गैस प्राधिकरण लि०	अक्तूबर, 1989	—वही—

1	2	3	4
50.	एन्टीबायोटिक यूनिट में डी०जी० सेटों की स्थापना, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लि०, ऋषिकेश	अप्रैल, 1990	—वही—
51.	मैसर्स रोड मास्टर इंडस्ट्रीज, ऋषिकेश द्वारा इस्पात संयंत्र का विस्तार	27.3.91	—वही—
52.	छोटे जेनेरेटर्स एवं बहु-उद्देशीय इंजन मैसर्स बिरला यामाहा, देहरादून	20-12-91	—वही—
	पश्चिम बंगाल :		
53.	आई०आई०एस०सी०ओ०, बर्नपुर का आधुनिकीकरण भारतीय इस्पात प्राधिकरण, लिमिटेड	मई, 1988	वही—
	अन्य :		
54.	एच०बी०जी० पाईपलाइन का उन्नयन—भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड	7-3-91	—वही—
55.	हजीरा गैस ट्रंक पाइपलाइन में द्वितीय बेस एवं तट से दूर की सुविधाओं में विस्तार ओ०एन०जी०सी०	जुलाई, 1991	—वही—
56.	दिल्ली से मारुति उद्योग लि० तक पाइपलाइन—जी०ए०आई०एल०	18-9-91	—वही—
57.	आर-15, ढांचा-ओ०एन०जी० सी०	18-1-92	—वही—
	नदी घाटी परियोजनायें :		
58.	राथाम्बू जल विद्युत परियोजना (सिक्किम)	अगस्त, 1991	—वही—

1	2	3	4
59.	कच्छ ब्यारांच परियोजना (गुजरात)	फरवरी, 1990	—वही—
60.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना (मध्य प्रदेश)	अगस्त, 1991	—वही—
61.	आमरानी परियोजना (उ॰प्र॰)	अप्रैल, 1989	—वही—
62.	उकाई ककरापार आधुनिकीकरण परियोजना (गुजरात)	जनवरी, 1991	—वही—
63.	मोंगरा परियोजना (म॰प्र॰)	जनवरी, 1991	—वही—
5. परमाणु ऊर्जा परियोजना :			
64.	रावतभाटा में, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट 5—8, (राजस्थान)	20-9-89	—वही—
65.	एन॰एफ॰सी॰ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में नया यूरेनियम ईंधन संयोजन संयंत्र (आंध्र प्रदेश)	26-11-90	—वही—
66.	छत्रपुर (गंजाम), उड़ीसा के उड़ीसा सैंड काम्पलैक्स नया थोरियम संयंत्र (उड़ीसा)	नवम्बर, 1991	—वही—
6. अन्य परियोजनायें :			
	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह :		
67.	पोर्टब्लेयर में बर्थ नं॰ 3 तथा 4 हैडो का निर्माण	16-9-91	—वही—
68.	कारनिकोबार द्वीप समूह के मसलक्का एवं टी टाप में पैसेंजर हाल एवं कार्गो शेड का निर्माण	7-11-91	—वही—

1	2	3	4
69.	कछाल में पोर्ट कंट्रोल टावर एवं स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण	7-11-91	—वही
70.	टेरेसा में पोर्ट कंट्रोल टावर, पैसेन्जर-व-कार्गो शेड और आपरेशनल स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	7-11-91	—वही—
71.	चौरा में पोर्ट कंट्रोल टावर, पैसेन्जर व कार्गो शेड एवं आपरेशनल स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	7-11-91	—वही—
72.	अबरडीन में रैम्प एवं पोर्ट ब्लेयर में जेटी का निर्माण	5-12-91	—वही—
73.	पोर्ट ब्लेयर में दो नम्बर ट्रान्सिट गोदाम का निर्माण एवं चट्टाम कोजवे तक क्षेत्र का विकास	19-12-91	—वही—
74.	पोर्ट ब्लेयर में फीनिक्स बे में पैसेंजर हाल एवं टिकट काउन्टर का निर्माण	20-12-91	—वही—
75.	होप टाउन में खतरनाक कार्गो शेड, रैम्प, सम्प एवं पम्प हाउस एवं वर्कशाप भवनों का निर्माण	21-1-92	—वही—
76.	पोर्ट ब्लेयर के हैडो में गोदाम का निर्माण	13-1-92	—वही—
	आंध्र प्रदेश :		
7 .	सामलकोट में एफ०सी०आई० के गोदाम का निर्माण	16-1-91	—वही—
78.	तुगलकाबाद में इन्लैण्ड कान्टेनर डिपो का स्थान निर्धारण	8-10-91	—वही—
	जम्मू एवं कश्मीर :		
79.	जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल में अनाज गोदाम	4-9-90	—वही—

1	2	3	4
	केरल :		
80.	वट्टापल्लई मे मत्स्य बंदरगाह का निर्माण	जनवरी, 92	—वही—
	कर्नाटक :		
81.	कर्नाटक के बलारी में अनाज गोदाम का निर्माण	11-11-91	—वही—
	उड़ीसा :		
82.	पारादीप बन्दरगाह में कोयले की उठाई-धराई की सुविधाएं	22-11-90	—वही—
	प० बंगाल :		
83.	कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की थाम यातायात प्रबन्ध प्रणाली	11-11-91	—वही—

वनरोपण परियोजना :

6-2-92 को पश्चिम बंगाल से प्राप्त केवल एक परियोजना लम्बित है।

केरल को उबले हुए चावल की सप्लाई

[अनुवाद]

2220. श्री के० मुरलीधरन :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को 1991-92 के दौरान और आज तक सप्लाई किए गये कुल चावल में कितने प्रतिशत उबला हुआ चावल था;

(ख) क्या सरकार को घटिया किस्म के चावल की सप्लाइ के बारे मे केरल सरकार की कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) केरल को 1991-92 के दौरान (फरवरी, 1992 तक) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कुल सप्लाई किए गए चावल का लगभग 63 प्रतिशत भाग सेला चावल के रूप मे मुहैया किया गया था।

(ख) केरल सरकार से खराब किस्म के चावल की आपूर्ति करने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में रेलवे परियोजनाएं

2221. श्री मोहन रावले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की उन रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1992-93 के रेल बजट में शामिल की गई महाराष्ट्र की प्रमुख रेल परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	कार्य का विवरण	लागत (करोड़ रुपयों में)
1.	पनवेल-करजत-नई बड़ी लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण	5.50
2.	दौंड-बारामती-बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन	12.50
3.	बम्बई-भुसावल-सूक्ष्मतरंग उपस्कर सम्पर्क आच्छादन	23.54
4.	मिरज-लोंडा-बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन (अंशतः महाराष्ट्र में)	122.00
5.	गोंदिया-चांदा फोर्ड-बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन	170.22
6.	मैरीन लाइन्स-कर्षण सब-स्टेशन	9.35

जापान के लिए एम० एस० एस० छात्रों का चयन

2222. डा० रवि मल्लू :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भेजने के लिए एम० एस० एस० के छात्रों एवम् "टीम लीडर" के चयन के मामले में भारी असंतोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत थोक/फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले

2223. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1990 और 1991 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गये और क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) अपमिश्रण रोकने के लिए उक्त कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1990 और 1991 के दौरान थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों की संख्या और उनके विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्रवाई इस प्रकार है :—

वर्ष	थोक-विक्रेता	खुदरा-विक्रेता
1990	13	84
1991	12	44

खाद्य अपमिश्रण पर कारगर निगरानी रखने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में पर्याप्त उपबंध मौजूद हैं।

इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान, शिलांग

2224. श्री पीटर जी० मरबनियांग :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में शिलांग में इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो रोगियों के उपचार के लिए कौन-कौन से विभाग उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) इस संस्थान में अर्हताप्राप्त कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने और कार्य करने की अनिच्छा तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण आवश्यक सुविधाएं विकसित करना संभव नहीं हुआ है।

राजस्थान में मुक्त विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

2225. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान में एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राजस्थान सरकार ने 1987 में कोटा में एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया था राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य में दूसरा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नये परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन

2226. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये परिवार नियोजन कार्यक्रम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या प्रोत्साहन देने की संभावना है;

(ख) क्या उक्त प्रोत्साहन केवल कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को ही उपलब्ध किये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों, विशेषकर दो पुत्रियों वाले कर्मचारियों को भी उतना ही प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) तीन या कम बच्चों के बाद नसबंदी करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी (पुरुष अथवा स्त्री) वैयक्तिक वेतन के रूप में एक विशेष वेतनवृद्धि पाने के हकदार हैं, जो उनकी भावी वेतनवृद्धियों में समायोजित नहीं होगी। उन्हें भवन-निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर में 1/2 प्रतिशत की छूट तथा पुरुष कर्मचारी को छह दिन की तथा महिला कर्मचारी को चौदह दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाती है। नए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन मंजूर करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

जन स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्नातकोत्तर संस्थानों की स्थापना करना

[अनुवाद]

2227. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० सी० एम० एस० आर० और आई० सी० एम० आर० द्वारा तैयार की गई

रिपोर्ट "सभी के लिए स्वास्थ्य एक वैकल्पिक योजना" में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्नातकोत्तर संस्थाएं स्थापित करने पर जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी संस्थाएं स्थापित करने के प्रस्ताव आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में की गई कारंवाई सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि क्षेत्रीय आधार पर स्नातकोत्तर जनस्वास्थ्य संस्थाओं की एक श्रृंखला की स्थापना की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में विश्व बैंक सहायता से जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जा रही हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है। अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन-स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता को भी सुदृढ़ किया जा रहा है और उसका नवीकरण किया जा रहा है। देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों द्वारा सामुदायिक और निवारक आयुर्विज्ञान में डिग्रियां/डिप्लोमे प्रदान किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेलवे ऊपरिपुलों का निर्माण

2228. श्री के० वी० तंग्काबालू :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे कितने रेलवे फाटक हैं जहां ऊपरिपुल नहीं हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रेलवे फाटकों पर कितने ऊपरिपुल बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुगम और तेज परिवहन की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी रेलवे फाटकों पर ऊपरिपुल बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 366 अदद।

(ख) 1992-93 के दौरान ऐसे 42 ऊपरी/निचले सड़क पुलों पर निर्माण कार्य योजना/ निर्माण के विभिन्न चरणों में होगा।

(ग) और (घ) भूतल परिवहन मंत्रालय के अनुमोदन से संबद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित करने और राज्य सरकारों द्वारा नियमानुसार अपने हिस्से की लागत वहन करने की लिखित सहमति दे दिए जाने पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण से सम्बंधित प्रस्ताव रेलों के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।

आद्रा डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में नैमित्तिक श्रमिक

2229. श्री बसुदेव आचार्य :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत आद्रा डिवीजन में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने लोगों को नैमित्तिक श्रमिक के रूप में भर्ती किया गया ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में चिकित्सा, अनुसंधान संस्थान की स्थापना

2230. श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विकास करने और किसी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में अथवा इसके आस-पास एक स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान खोलने के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था। विभिन्न अन्य राज्यों से प्राप्त इसी तरह के अनुरोधों के आधार पर ऐसे प्रस्तावों पर सिफारिशें करने के लिए अगस्त, 1990 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने विभिन्न राज्यों, जिसमें पश्चिम बंगाल शामिल नहीं था, में 5 मेडिकल कालेजों का दर्जा बढ़ाने के लिए सिफारिशें की थीं। सरकार ने इस संबंध में संसाधनों की उपलब्धता, ऐसी किसी स्कीम के सम्भावित प्रभाव तथा केन्द्रीय सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी सहित मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरान्त आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को शामिल न करने का निर्णय लिया है।

सांस्कृतिक विकास परियोजनाओं हेतु सहायता

2231. श्री सुधीर गिरि :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को सांस्कृतिक विकास परियोजनाओं के लिए राज्यवार और परियोजनावार कितनी राशि की सहायता दी गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ऐसी कितनी परियोजनाएं प्रस्तुत की गईं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अब तक कितनी धनराशि मंजूर की जा चुकी है और वास्तव में कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इस प्रयोजन के लिए किसी भी राज्य सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई है।

(ख) वर्ष 1989 और 1991 के दौरान केवल दो।

(ग) कोई राशि मंजूर नहीं की गई है, क्योंकि संस्कृति विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जा सके।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार के लिए परीक्षा

[हिन्दी]

2232. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा गत दो वर्षों के दौरान अनुकम्पा के आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए बोर्डवार कितनी परीक्षाएं आयोजित कीं;

(ख) उन सफल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक रोजगार नहीं दिया गया है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां रेलों द्वारा ही की जाती हैं, रेल भर्ती बोर्डों द्वारा नहीं।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में दस्तावेजों की माइक्रो फिल्म बनाना

[अनुवाद]

2233. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमुख समाचार पत्रों को बाउन्ड करके उनकी माइक्रो फिल्म बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की, बाइन्डिंग करके इनकी माइक्रोफिल्म बनाने के चयन का मापदंड क्या है; और

(ग) क्या समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा दुर्लभ दस्तावेजों की माइक्रोफिल्म बनाने के लिए पुस्तकालय की अपनी परियोजनाएं है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : क) राष्ट्रीय पुस्तकालय म केवल अंग्रेजी और बंगला के प्रमुख समाचार पत्रों की जिल्द बांधी जा रही है। सामग्री [illegible] आधार पर सीमित माइक्रोफिल्म भी बनाई जाती है।

(ख) दुर्लभता, अन्तर्वस्तु का महत्व, परिचालन की सीमा, सामग्री की दशा मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं।

(ग) जी नहीं।

अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव

2234. श्री बी० एम० सी० बालयोगी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डा०बी०आर० अम्बेडकर के जन्मशती वर्ष में उनके नाम पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों के लिए कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों और प्राइवेट शिक्षा संस्थानों ने उपर्युक्त शिक्षा संस्थान शुरू करने हेतु विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार की भूमि को आबंटित करने का आग्रह किया है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) डा० बी० आर० अम्बेडकर के नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खेलकूद का विकास

2235. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में खेलकूद का विकास करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ये कौन-कौन से प्रस्ताव हैं और ये प्रस्ताव कब मिले थे; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण रेल परियोजना

2236. श्री एम० रमन्ना राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल परियोजना के केरल सेक्शन में रेल लाइनों और पुलों का आयोजित निर्माण कब शुरू होगा;

(ख) इस सेक्शन में रेल लाइनों और पुलों को दोहरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ग) पूरी परियोजना की अब तक की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केरल सरकार ने परियोजना लागत में अपने हिस्से का अंशदान दे दिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोंकण रेलवे लाइन का कोई भाग केरल से होकर नहीं गुजरता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रोहा और मंगलोर के बीच सरेखण के साथ-साथ कार्य शुरू हो गया है। मंगलोर से उडुपी (70 कि मी०) तथा रोहा से दसगांव (45 कि० मी०) खंडों को जून, 1992 तक खोल दिए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) केरल सरकार ने 1990-91 के लिए अपने पूरे हिस्से की 6 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है तथा 1991-92 के लिए अभी तक 6 करोड़ रुपये की राशि में से 3 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है।

खेल सम्बन्धी आधारभूत सुविधाएं

2237. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 17 दिसम्बर, 199. के अतारांकित प्रश्न संख्या 4136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में दी जाने वाली खेल सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं तथा तत्सम्बन्धी निर्धारित मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आधारभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में कालेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है और शेष प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) खेल राज्य का विषय है। यह राज्य सरकार का मुख्य दायित्व है कि वह अपने राज्य में खेल की बुनियादी सुविधाएं सृजित करें। केन्द्र सरकार सहायता की अनुमोदित पद्धति के अनुसार विभाग की विभिन्न खेलों की बुनियादी सुविधाओं की योजनाओं के अन्तर्गत खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाती है।

(ख) इस प्रयोजनार्थ कोई निश्चित धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। खेलों की बुनियादी सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों आदि से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग देय

केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, जो विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है, उन्हें 1989-90 से 1991-92 (28-2-1992 तक) के दौरान विश्वविद्यालयों और कालेजों से 1253 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 948 प्रस्तावों पर विचार किया गया है और 398 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। शेष प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाए गए।

जिन आवेदन पत्रों पर अभी तक विचार नहीं किया गया है उन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित अनुमोदन समिति द्वारा अगली बैठक में विचार किया जाना सम्भावित है।

बाल संरक्षण सेवाओं के लिए राष्ट्रीय निधि

2238. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय निधि स्थापित करने के बारे में अनेक संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस निधि की स्थापना हेतु कौन-से ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय भाषाओं में विदेशी पुस्तकों का प्रकाशन

2239. श्री हरिकिशोर सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा के लिए उपयोगी, विशेषकर विदेशी मूल की पाठ्य-पुस्तकों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जहां तक स्कूल-स्तर की पाठ्यपुस्तकों का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं

प्रशिक्षण परिषद और राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदें भारतीय स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तकें तैयार करती हैं। जहां तक विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकों का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले ही देशभर में छात्रों तथा शिक्षकों को उचित मूल्य पर स्वीकार्य स्तर की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पाठ्यपुस्तकों, विषयोन्मुख पूरक पठन-सामग्री तथा संदर्भ पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये पुस्तकें अंग्रेजी, हिन्दी या आठवीं अनुसूची में यथा सूचीबद्ध किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, देश के अनेक प्रकाशक शैक्षिक पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। उन्हें जहां आवश्यक हो विदेशी पुस्तकों के भारतीय संस्करण प्रकाशित करने के लिए विदेशी प्रकाशकों के साथ करार करने की स्वतन्त्रता होती है। साथ-साथ ही सरकार के पास भारतीय मूल की पुस्तकों की तुलना में विदेशी मूल की शैक्षिक पुस्तकों को विशेषरूप से प्रोन्नत करने की कोई नीति नहीं है।

चीनी का उत्पादन

[हिन्दी]

2240. श्री नवल किशोर राय :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1989-90, 1990-91 और 19991.92 के दौरान चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) चीनी का उत्पादन तथा मूल्य निर्धारण हेतु सरकार ने क्या दिशा-निर्देश दिए हैं;

(ग) महाराष्ट्र और बिहार में प्रति एकड़ गन्ना उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार चीनी के दाम घटाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) देश में चीनी वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 (15-2-92 तक) के दौरान चीनी का कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :—

चीनी वर्ष	चीनी उत्पादन (लाख टन)
1989-90	109.89
1990-91	120.47
1991-92 (15-2-92 तक)	66.73 (अनन्तिम)

(ख) चीनी फैक्ट्रियों को भारतीय चीनी मानकों की विशिष्टियों के अनुरूप चीनी का उत्पादन करना अपेक्षित होता है। लेवी चीनी की क्षेत्रीय एक्स फैक्ट्री कीमतों का निर्धारण आवश्यक वस्तु

अधिनियम, 1955 की धारा 3 (3-सी) के उपबन्धों के तहत प्रति वर्ष किया जाता है।

(ग) 1990-91 मौसम के दौरान महाराष्ट्र और बिहार में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन क्रमश: 35.0 टन तथा 21.2 टन था।

(घ) 1991-92 मौसम के लिए 21-1-1992 को अधिसूचित की गई लेवी चीनी की क्षेत्रीय एक्स फैक्ट्री कीमतों को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इनका निर्धारण 1991-92 मौसम के लिए गन्ने की सांविधिक न्यूनतम कीमत और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा सिफारिश किए गए मानदंडों के अनुसार निर्धारित की गई रूपान्तरण लागत को ध्यान में रखकर किया गया है।

दिल्ली में बाबा साहिब डा० बी० आर० अम्बेडकर अस्पताल

2241. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बाबा साहिब डा० बी० आर० अम्बेडकर अस्पताल की आधारशिला रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अस्पताल के निर्माण कार्य के बारे में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(घ) अस्पताल में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस अस्ताल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों हेतु अलग ओ० पी० डी० ब्लाकों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) अस्पताल की चहारदीवारी बनाई जा चुकी है। अस्पताल परियोजना के लिए नियुक्त वास्तुकार ने चिकित्सा कार्यक्रम सहित इस परियोजना के प्रारम्भिक नक्शे, जो कि दिल्ली प्रशासन द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किए जा चुके हैं, प्रस्तुत कर दिए हैं। पैनल ब्यौरे वाले नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस परियोजना पर 50.55 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) इस परियोजना के वर्ष 1996 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है।

(घ) इस अस्पताल द्वारा बहिरंग रोगी, अन्तरंग रोगी और 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस अस्पताल में सहायक नैदानिक सुविधाओं सहित कार्य-चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, विकलांग चिकित्सा, नेत्र-रोग चिकित्सा, कान-नाक-गला, बाल-रोग चिकित्सा, प्रसूति व स्त्री रोग चिकित्सा आदि सभी महत्वपूर्ण विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जलन व प्लास्टिक सर्जरी, तंत्रिका शल्य चिकित्सा और हृदय रोग विज्ञान आदि के अति विशिष्टताओं वाले विभागों को भी शामिल किए जाने का विचार किया गया है।

(ङ) के० स० स्वा० यो० के लाभार्थियों के लिए एक अलग बहिरंग रोगी विभाग बनाने पर

विचार नहीं किया गया है। तथापि, के० स० स्वा० यो० के लाभार्थी भी इस अस्पताल में उपचार के पात्र होंगे।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

[अनुवाद]

2242. श्री चित्त बसु :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नवीनतम पुस्तकें खरीदना बन्द कर दिया है जिससे शोध छात्रों को भारी असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुर विश्वविद्यालय को अनुदान

2243. श्री याइमा सिंह युमनाम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मणिपुर सरकार से मणिपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अनुदान राशि देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) मणिपुर सरकार ने 8वीं योजना में मणिपुर विश्वविद्यालय के विकास के लिए 18.35 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी थी। राज्य विश्वविद्यालयों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकार का है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुस्तकों और पत्रिकाओं और उपस्कर की खरीद, स्टाफ की नियुक्ति, शैक्षिक भवनों और छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान करता है। विश्वविद्यालय के विकास के स्तर, अनुसंधान परिणामों के अनुसार इसकी शैक्षिक उपलब्धियों, शिक्षण में नवाचारों, उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों को शुरू करने इत्यादि को ध्यान में रखकर सहायता की मात्रा निर्धारित की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने 8वीं योजना में

मणिपुर विश्वविद्यालय के विकास के लिए 1.35 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है।

निर्मली-फारबेसगंज रेल मार्ग को पुनः गाड़ियां चलाने योग्य बनाया जाना

[हिन्दी]

2244. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्मली फारबेसगंज रेल लाइन काफी लम्बे समय से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ख) क्या सरकार का इस रेल लाइन पर पुनः गाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है तथा तत्संबंधी अन्य ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) निर्मली-फारबिसगंज रेल लाइन अस्तित्व में नहीं है, कोसी नदी के जल फैलाव के कारण निर्मली और फारबिसगंज के बीच रेल लाइन को भारी क्षति पहुंची थी। इस समय केवल सरायगढ़ और फारबिसगंज के बीच मीटर लाइन सम्पर्क विद्यमान है तथा निर्मली-सरायगढ़ सम्पर्क को पुनः चालू नहीं किया जा सका क्योंकि इन स्टेशनों के बीच कोसी नदी बहती है। इस टुकड़े में इस नदी की स्थिति अनिश्चित है तथा इस खंड को पुनः चालू करना निर्माण और अनुरक्षण दोनों की लागतों को देखते हुए बहुत ही खर्चीला होगा।

बिहार में समेकित बाल विकास योजना

2245. श्री सुखदेव पासवान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में समेकित बाल विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु, जिलेवार, निश्चित किए किए गए लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्योरा क्या है; और

(ख) यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हों, तो उन्हें प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) बिहार में समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। बिहार में 1990-91 के दौरान आई० सी० डी० एस० के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य का जिलेवार ब्योरा निम्नानुसार है :—

	जिले का नाम	1991-92 के दौरान निर्धारित लक्ष्य
1	2	3
1.	औरंगाबाद	1
2.	बेगुसराय	1

1	2	3
3.	भोजपुर	1
4.	पश्चिम चम्पारण	1
5.	दरभंगा	1
6.	गया	1
7.	गोड्डा	1
8.	गुमला	2
9.	गोपालगंज	1
10.	हजारीबाग	1
11.	कटिहार	1
12.	लोहारडगा	1
13.	मुंगेर	1
14.	मुजफ्फरपुर	1
15.	नालंदा	1
16.	नवादा	2
17.	पालमू	4
18.	पटना	1
19.	पुर्णिया	1
20.	रांची	3
21.	रोहतास	1
22.	सहरसा	2
23.	साहिबगंज	2
24.	समस्तीपुर	1
25.	सिंहभूम	4
26.	सीतामढ़ी	1
27.	सीवान	1

1	2	3
28.	वैशाली	1
29.	संथाल परगना	3
30.	जहानाबाद	1
	जोड़	43

सिकन्दराबाद-काजीपेट लाइन का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

2246. श्री के० योक्का राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद से काजीपेट रेल लाइन का विद्युतीकरण इस समय किस चरण पर है; और

(ख) उक्त योजना की अनुमानित लागत क्या है और इसे कब तक पूरा कर दिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) काजीपेट-घानपुर खंड (18 मार्च कि० मी०) को ऊर्जित किया जा चुका है। घानपुर-अलेर खंड पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने वाला है। शेष खंड पर कार्य भिन्न-भिन्न चरणों में चल रहा है।

(ख) अनुमानित लागत—71.01 करोड़ रुपये

पूरा होने की सम्भावित तिथि सितम्बर, 1993।

सिकन्दराबाद-गुंतकल रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना तथा दोहरा करना

2247. श्री के० योक्का राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सिकन्दराबाद से गुंतकल की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा इस मार्ग पर इसके समानान्तर एक और लाइन बिछाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी, तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बोलाराम-सिकन्दराबाद-

दोर्णाचलम तथा गुंटूर-गुंतकल-कल्लूरु छोटी लाइन खंडों जिसमें सिकन्दराबाद से गुंतकल तक का खंड शामिल है, को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के कार्य को 451.40 करोड़ रुपये की लागत पर 1992-93 के बजट में शामिल करने का प्रस्ताव है।

आगरा में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

2248. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगरा में पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के विभिन्न रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने और सौन्दर्यकरण करने की कोई योजना इसके अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र की दृष्टि से तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) पर्यटन संबंधी मांगों सहित यात्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगरा के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य पहले ही शुरू कर दिये गये हैं। आगरा फोर्ट स्टेशन, आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुने गए स्टेशनों में से एक है जिस पर 68.84 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। इससे संबंधित निर्माण कार्य 1992 में पूरा हो जाने की आशा है। आगरा कैंट और राजा-की-मंडी में भी विभिन्न अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यात्री यातायात में वृद्धि होने पर और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली

[अनुवाद]

2249. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के डिपो में जहां वर्ष में 240 दिन से अधिक काम होता है, ठेका प्रणाली जारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कसौटी अपनाई गई है :—

(1) ऐसे डिपो जहां प्रतिदिन 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारी लगाए गए थे।

(2) ऐसे डिपो जहां पिछले तीन वर्षों के लिए एक पंचांग वर्ष में कार्य की अवधि 240 दिन अथवा उससे अधिक थी।

उपर्युक्त कसौटी के आधार पर श्रम मंत्रालय ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन अधिसूचनाएं जारी की हैं जिनके अनुसार भारतीय खाद्य निगम के के अधिकांश डिपुओं में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। शेष कुछेक डिपुओं के संबंध में मंत्रालय अपनी राय बना रहा है।

भारतीय खाद्य निगम में उत्पादकता पर आधारित बोनस की अदायगी

2250. श्री मृत्युञ्जय नायक :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस के अतिरिक्त अनुग्रह बोनस का भी भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रख-रखाव कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) जी, नहीं। निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए अनुग्रह प्रोत्साहन के अलावा उत्पादकता पर आधारित प्रोत्साहन का भुगतान करने से संबंधित अपने प्रस्ताव के बारे में सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने की प्रत्याशा में उत्पादकता पर आधारित प्रोत्साहन के प्रति केवल पेशगी भुगतान किया है।

(ग) उत्पादकता पर आधारित प्रोत्साहन के प्रति पेशगी भुगतान विभागीय हैंडलिंग मजदूरों कामगारों को भी दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नागपुर-गोंदिया स्थानीय रेलगाड़ी को डोंगरगढ़ तक चलाना

2251. श्री राम नाईक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर गोंदिया स्थानीय रेलगाड़ी को डोंगरगढ़ तक चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

2252. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार पृथक-पृथक कितनी अनुदान सहायता मंजूर की तथा कितनी जारी की; और

(ख) आवंटित तथा जारी की गई धनराशि में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों को वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर अनुदान न देकर पंचवर्षीय योजना के आधार पर संस्वीकृत करता है। विश्व० अन० आयोग द्वारा सातवीं योजना के दौरान बिहार में विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित अनुसार अनुदान संस्वीकृत तथा दिया गया :—

रु० लाख में

विश्वविद्यालय	संस्वीकृत अनुदान	दिया गया अनुदान
पटना	180.50	89.45
बिहार	171.70	125.30
भागलपुर	198.37	128.63
रांची	236.42	99.48
के० एस० डी० संस्कृत	72.62	20.60
मगध	171.00	127.90
एल० एन० मिथिला	72.67	57.20

अनुदान का आबंटन मुख्यतः भवन, पुस्तकों और पत्रिकाओं, उपकरण और स्टाफ की नियुक्ति के लिए किया गया था। वि० अ० आ० ने पुस्तकों, पत्रिकाओं और उपकरण के लिए 100% अनुदान प्रदान किया। भवन के लिए अनुदान साझेदारी के आधार पर दिया गया था तथा स्टाफ के लिए अनुदान इस शर्त पर दिया गया था कि योजनावधि के समाप्त होने के पश्चात् स्टाफ की देख-रेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार/विश्वविद्यालय उठायेगा। विश्व० अनु० आयोग ने सूचित किया है कि पुस्तकों, पत्रिकाओं व उपकरण के लिए अधिकतर अनुदान दिया जा चुका है परन्तु भवन के लिए पूर्ण अनुदान देना संभव नहीं है क्योंकि राज्य सरकार अपना बराबर का योगदान नहीं दे सकती।

इसी प्रकार कुछ मामलों में राज्य सरकार द्वारा भविष्य में जिम्मेवारी लेने हेतु सहमति न मिलने के कारण स्टाफ की नियुक्ति के लिए अनुदान नहीं दिया गया है।

वर्धमान-आसनसोल स्टेशन पर उपरिपुल

2254. श्री हाराधन राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्धमान और आसनसोल मध्य महत्वपूर्ण रेल फाटकों (लेवल क्रासिंग) पर उपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्तावों को वार्षिक योजना में तभी शामिल किया जाता है जब राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार उन्हें प्रायोजित किया जाता है। पानागढ़ में समपार सं० 101/एस० पी० एल० के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा अभी इन अनुमानों को स्वीकार किया जाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अपकार गार्डन के समीप बी० एन० आर० पुल

2255. श्री हाराधन राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपकार गार्डन के निकट बी० एन० आर० पुल का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के साथ प्रारम्भिक कार्यों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद इस कार्य को 1993-94 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

2256. श्री हाराधन राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1991 में सीतारामपुर के पास कोई मालगाड़ी पटरी से उतरी थी;

(ख) क्या पटरी से उतरने के कारणों की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) दुर्घटना माल डिब्बों में अधिक भार लादने के कारण हुई। परेषिती पर पैनल भाड़ा लगाया गया है।

पालाक्कड़ और तिरुवनंतपुरम मंडल में वैगनों की कमी

2257. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के पालाक्कड़ और तिरुवनंतपुरम मंडल में वैगनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मंडल में और अधिक वैगनों की व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ब्लाक रेकों के संचलन की मांग पूरी करने के लिए माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल फुटकर यातायात के मामले में, माल डिब्बों के मांग-पत्र और सप्लाई के बीच अन्तर पड़ जाता है। ब्लाक रेकों की संरचना के कारण, फुटकर माल डिब्बों की मांग पीछे रखनी पड़ी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महादीया नगर के निकट रेल दुर्घटना

2258. श्री राम विलास पासवान :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1991 में बिहार में महादीया नगर (गढ़वा जिला) के निकट 2 डाउन सी० सी० बी० यात्री गाड़ी की एक बड़ी दुर्घटना घटी थी;

(ग) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को कुछ क्षतिपूर्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई और परिवारों की संख्या क्या थी तथा यह राशि किन्हें दी गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में खेलों के विकास का प्रस्ताव

[हिन्दी]

2259. श्री छेदी पासवान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार में खेलों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे

2260. श्री छेदी पासवान :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ग्रांड कोर्ड लाइन मार्ग में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वहां चलने वाली प्रत्येक 2311/2312/,2381/2382 और 2815/2816 रेलगाड़ियों के दूसरे दर्जे के जनरल कम्पार्टमेंट में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन गाड़ियों में स्थान उपलब्ध न होने के कारण।

राजकोट-त्रिवेन्द्रम और अहमदाबाद-कोचीन एक्सप्रेस की बारम्बारता

[अनुवाद]

2261. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 2603 राजकोट-त्रिवेन्द्रम और 2637 अहमदाबाद-कोचीन एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 2603/2604 तिरुवनंतपुरम-राजकोट और 2637/2638 कोचीन-अहमदाबाद के फेरे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 1-7-92 से तिरुवनंतपुरम और गांधीधाम के बीच सप्ताह में एक बार चलने वाली एक नई गाड़ी चलाने का विनिश्चय किया गया है। यह गाड़ी 2603/2604 और 2637/2638 एक्सप्रेस गाड़ियों के समय के अनुसार इन्हीं खंडों पर चलेगी।

गोधरा के लिए आरक्षण कोटा

2262. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम रेलवे पर गोधरा जंक्शन पर दक्षिण की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दक्षिण के लिए गोधरा से होकर कोई गाड़ी नहीं गुजरती है। मौजूदा कोटा धारक स्टेशनों पर कोटे का पूरा-पूरा उपयोग किए जाने के कारण इस स्टेशन पर दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों में बड़ोदरा से कोटा आबंटित करना व्यावहारिक नहीं है।

आंखों के लिए होम्योपैथिक दवाई

2263. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंख के उपयोग के लिए एक होम्योपैथी दवाई, जिस पर भारतीय औषधि नियंत्रक द्वारा इसकी घटिया किस्म होने के कारण वर्ष 1989 में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, को पुन: भारत में लाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दवाइयों के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयात की अनुमति तभी दी जाती है जब आयात खेप से लिए गए नमूने परीक्षण में पूरे उतरते हैं और कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

रणदिया में उपरिपुल

2264. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुर्दा रोड मंडल में भद्रख और बौंदपुर स्टेशनों के बीच रणदिया में रेलवे फाटक पर यातायात के भारी घनत्व को देखते हुए उपरिपुल के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) इस तरह के निर्माण कार्यों के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाने के बाद रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं तथा नक्शों और अनुमानों को संयुक्त रूप से अंतिम रूप दिया जाता है। रेलों को अभी तक वांछित सुविधा के लिए राज्य सरकार से ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

[हिन्दी]

2265. श्री सूरजभान सोलंकी :

श्री योगानन्द सरस्वती :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले गए; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले जाते हैं न कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में 73! प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य था लेकिन 6?7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए धनराशि राज्य क्षेत्र बजट तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को योजना आयोग द्वारा सीधे ही रिलीज की जाती है, जो उन्हें खोलने के लिए उत्तरदायी हैं।

रेलगाड़ियों में चोरी

[अनुवाद]

2266. श्री राम विलास पासवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलती रेलगाड़ियों में वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 1991 के अन्त तक कितने प्रतिशत अधिक चोरियां हुई; और

(ख) इन घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 1991 में चलती गाड़ियों में चोरी/उठाईगीरी में 1.73 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) रेल सम्पत्ति की चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं :—

1. बहुमूल्य और महत्त्वपूर्ण परेषणों को ले जाने वाली गाड़ियों का यथा सम्भव मार्गरक्षण।

2. यार्डों और अन्य भेद्य क्षेत्रों/खंडों में गश्त तेज करना।

3. खास किस्मों में खड़े परेषणों, जिनकी चोरी आदि होने की सम्भावना रहती है, के स्टाक का जायजा लेने के लिए अन्तर्बदल स्थलों पर संयुक्त जांच।

4. भेद्य खंडों में यथा सम्भव रेलवे सुरक्षा बल की सशस्त्र टुकड़ियां तैनात/नियुक्त करना।

5. अपराधियों को पकड़ने की दृष्टि से, अपराध आसूचना एकत्र करने के लिए सादे कपड़े में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी भी तैनात किए जाते हैं।

6. भेद्य क्षेत्रों में गश्त के लिए उपलब्धता के अनुसार कुत्ता दस्ते तैनात किए जाते हैं।

7. चुराई गई सम्पत्ति के अपराधियों तथा प्रापकों को पकड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच निकट सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

औषधि नियंत्रण संगठनों को सुदृढ़ बनाना

2267. श्री राजेश कुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने औषधि उद्योग के त्वरित विस्तार को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत औषधि नियंत्रण संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रयोगशाला कलकत्ता और सेंट्रल इण्डियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी, गाजियाबाद को सहायक प्रयोगशालाओं के रूप में सुसज्जित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सरकार ने मुख्यालयों, अंचलों, पोत पत्तनों में केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ करने तथा जांच प्रयोगशालाओं के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है।

(ख) जी, हां।

भारतीय खाद्य निगम का अंशदान

2268. श्री के० योक्का राव :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम अपने खाद्यान्नों के व्यापार से केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व में अंशदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऊपरी प्रभारों सहित चावल और गेहूं की प्रति क्विंटल निर्गम दरों का ब्यौरा और वर्तमान खरीद की स्थिति क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1991-92 के दौरान 77.52 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली गई है। केन्द्रीय पूल के लिए वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1991-92 के दौरान 4 मार्च 1992 तक 86.99 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली कर ली गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 28 दिसम्बर, 1991 से प्रभावी गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) 280 रु० प्रति क्विंटल है और साधारण, बढ़िया और उत्तम किस्मों के चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमश: 377.00, 437.00 और 458.00 रुपये प्रति क्विंटल है। 1991-92 के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रति क्विंटल प्रासंगिक प्रभार निम्नानुसार हैं।

वसूली संबंधी प्रासंगिक प्रभार	रुपये
गेहूं	55.81
चावल	23.73
धान	44.79
वितरण लागत	82.98
बफर स्टाक रखने की लागत	81.38

शीतल पेयों में बी० वी० ओ० का प्रयोग

[हिन्दी]

2269. श्री वाऊ दयाल जोशी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसना, ओरेंज और लिम्का जैसे शीतल पेयों को उनमें ब्रोमीनयुक्त वनस्पति तेल मिलाकर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपचारात्मक कार्यवाही कर रही है; और

(ग) उपभोक्ताओं को ऐसे छलकपट से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों तथा फल उत्पाद आदेश, 1955 के अन्तर्गत मृदु पेयों में ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल का प्रयोग अनुमत्य नहीं है। नमूने नियमित रूप से उठाये जाते हैं तथा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान फल उत्पाद आदेश के तहत एकत्र किए गए नमूनों में से किसी में भी ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल नहीं पाया गया।

रेलगाड़ियों में खाद्य-पदार्थों की कीमतें

2270. श्री नीतीश कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में रेलों में बिक्री किए जाने वाले खाद्य पदार्थों तथा ठंडे पेयों की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण क्या है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान रेलों के खान-पान प्रबंधन विभाग को हुए घाटे अथवा लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घाटे को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सामग्री की लागत को देखते हुए जनवरी, 1992 में चाय/कॉफी, भोजन तथा नाश्ते की कीमतों में वृद्धि की गई थी।

(ख) 1990-91 के दौरान रेलों के खान-पान विभागों को 108.67 लाख रुपये का लाभ हुआ था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में भारतीय प्रबन्ध संस्थान

[अनुवाद]

2271. प्रो० के० वी० थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल में भारतीय प्रबन्ध संस्थान स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस भारतीय प्रबन्ध संस्थान में किन-किन विषयों को पढ़ाये जाने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केरल सरकार ने, राज्य के राज्य में एक भारतीय प्रबन्ध संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव, उन विशिष्टताओं को विकसित किए जाने की प्रवृत्ति से किया है जो ग्रामीण श्रम, स्वास्थ्य सेवाओं, वृक्षारोपण, मत्स्य विज्ञान, लघु उद्योग,

स्व-रोजगार आदि सहित असंगठित, ग्रामीण और गैर-सम्मिलित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ग) राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार वित्तीय बाधाओं के कारण आठवीं योजना के दौरान, नया भारतीय प्रबन्ध संस्थान स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, राज्य सरकार की वित्तीय सहभागिता की सीमा और किस प्रकार निधियां एकत्र की जाएंगी, इससे अवगत कराया जाए ताकि केन्द्रीय योगदान की सम्भावना की जांच की जा सके।

वनरोपण हेतु दी गई धनराशि का उपयोग

2272. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री अन्ना जोशी :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को वनरोपण के लिए दी जाने वाली धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने ऐसे मामले सरकार की जानकारी में आए हैं जिनमें इस धनराशि का दुरुपयोग हुआ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य सरकारें क्षेत्रीय स्तर पर वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों की अनुवीक्षा करती हैं। केन्द्र की ओर से पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उपलब्धियों की अनुवीक्षा करते हैं। कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकारों को अनुवीक्षा कार्य-तंत्र को सुदृढ़ करने तथा वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों का स्थितिवार ब्यौरे तैयार करने और इस जानकारी को जन-प्रतिनिधियों तथा जनसाधारण तक पहुंचाने की सलाह दी गई है। विगत वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक वृक्षारोपण कार्य की नमूना जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

हावड़ा स्थित रेलयात्री निवास

2273. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हावड़ा के रेलयात्री निवास को बेचने/पट्टे पर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त यात्री निवास का समुचित उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए

गए हैं, या उठाने का विचार है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केवल सदाशयी यात्रियों को ही रेल यात्री निवास का उपयोग करने की अनुमति है। ऐसे यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं पर सतत निगरानी रखी जाती है और इनमें सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं। यह एक चालू और सतत प्रक्रिया है।

उड़ीसा जाने वाली गाड़ियों में सुविधाएं

2274. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा जाने वाली गाड़ियों में विशेषत: नीलांचल एक्सप्रेस तथा उत्कल एक्सप्रेस में यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या इन गाड़ियों में जो भोजन दिया जाता है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उड़ीसा को जाने वाली गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों में मौजूदा मानदण्डों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(ख) कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ग) खान-पान सेवाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों में मानक कच्चे माल और आधुनिक रसोईघर उपकरणों का उपयोग करना, खान-पान कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, बार-बार निरीक्षण करना, आदि शामिल है।

खड़गपुर-खुर्दा रोड रेलमार्ग

2275. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर-खुर्दा रोड रेलमार्ग के विद्युतीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा, इसकी अनुमानित लागत तथा इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) खड़गपुर-भालतेक खंड, जिसका एक भाग खड़गपुर-खोरधा रोड खंड भी है, के विद्युतीकरण के लिए लागत एवं व्यावहारिकता सर्वेक्षण से सम्बन्धित प्रस्ताव को 1992-93 के रेल बजट में शामिल किया गया है ताकि इस कार्य की

अर्थ-क्षमता का पता लगाया जा सके। बहरहाल, इस संबंध में अन्तिम निर्णय, अध्ययन के परिणामों, संसाधनों की उपलब्धता और उच्च घनत्व वाले अन्य मार्गों के विद्युतीकरण की तुलनात्मक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

"रेलवे सुरक्षा निधि" से उड़ीसा के लिए धन का आवंटन

2276. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान उड़ीसा को रेलवे सुरक्षा कार्य निधि से कितनी राशि दी गई थी;

(ख) उसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इस धन से जिन योजनाओं को शुरू किया गया उनके नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल संरक्षा निर्माण कार्य निधि से राज्य सरकारों को उनके महालेखाकारों के माध्यम से प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत करने पर धनराशि दी जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा को कोई धनराशि नहीं दी गई थी।

(ग) इसका संबंध उड़ीसा राज्य सरकार से है।

बाल साहित्य के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

2277. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बाल साहित्य के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) जी, हां।

(ख) जहां तक सम्भव हो एक स्थान पर बाल साहित्य के शीघ्र तथा संतुलित विकास की प्रोन्नति से सम्बद्ध स्वदेशी तथा विदेशी सामग्री, विशेषज्ञता और जानकारी को यथा सम्भव एक ही स्थान पर प्रकाशकों, लेखकों, चित्रकारों, तथा बाल साहित्य में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराना ही राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है।

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत को सौंपी गई है जो एक परियोजना तैयार कर रहे हैं। न्यास द्वारा ब्यौरे तैयार कर लिए जाने के बाद ही इस केन्द्र को स्थापित करने में लगने वाले संभावित समय की जानकारी मिल सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में शिक्षकों की कमी

[हिन्दी]

2278. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने शिक्षकों की भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली प्रशासन तथा अन्य प्रमुख स्थानीय निकायों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्थिति नीचे दी गई है :—

दिल्ली प्रशासन

स्थान-वार और श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

जिले का नाम	प्रधानाचार्य	उप-प्रधानाचार्य	पी० जी० टी०	टी० जी० टी०	एस० टी०	विविध श्रेणी
पश्चिम	18	27	123	169	206	163
दक्षिण	7	6	56	139	75	94
पूर्व	4	27	129	91	107	137
मध्य	04	11	10	33	14	60
उत्तर	26	15	158	418	158	215
	79	86	476	1250	560	669

दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत शिक्षकों की संख्या लगभग 32,000 है, जिसमें से 3,120 पद रिक्त हैं। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि प्रधानाचार्यों के पद की डी० पी० सी० पहले ही आयोजित कर ली गई है। प्रधानाचार्यों के पदों की सीधी भर्ती के कोटे को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजा गया है और संघ लोक सेवा आयोग ने 23 उम्मीदवारों की सिफारिश की है।

इसके अतिरिक्त एम० सी० डी० के प्राथमिक शिक्षकों में से 1000 शिक्षकों को पदोन्नत किया गया है। एम० सी० डी० को उन्हें तत्काल कार्यमुक्त करने के लिए कहा गया है। 473 टी० जी० टी०/भाषा शिक्षक विभिन्न जिलों को भेजे गए हैं। शेष पद अब विज्ञापित किए गए हैं।

दिल्ली नगर निगम

दि० न० नि० के अन्तर्गत स्थानवार प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या नीचे दी गई है :—

नजफगढ़	55
साऊथ	58
शाहदरा नार्थ	43
शाहदरा साऊथ	37
नई दिल्ली	07
	200

संगीत शिक्षक, कला शिक्षक, शारीरिक शिक्षा, शिक्षक आदि के कोई पद रिक्त नहीं पड़े हैं।

कर्मचारी चयन आयोग ने जनवरी, 1992 में लगभग 1450 शिक्षकों का एक पैनल भेजा था। जिनमें से लगभग 1200 शिक्षकों ने नियुक्ति स्वीकार की है और उन्हें विभिन्न स्कूलों में तैनात किया गया है। दि० न० नि० के अन्तर्गत कुल लगभग 18000 शिक्षक हैं जिनमें से केवल 200 पद रिक्त पड़े हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका

न० दि० न०नि० के अन्तर्गत केवल प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (विज्ञान—"क") के पद रिक्त पड़े हैं। जिसके लिए रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के नाम अब न० दि० न० नि० को प्राप्त हो चुके हैं।

टेंटों में स्कूल चलाना

2279. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन अभी भी अनेक स्कूल टेन्ट में चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम द्वारा ऐसे कुल कितने स्कूल चलाए जा रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त स्कूलों के लिए पक्के भवन बनाने हेतु सरकार ने क्या योजनाएं तैयार की हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा तम्बुओं में चलाए जा रहे स्कूलों की स्थानवार संख्या नीचे दी गई है :—

दिल्ली प्रशासन

उत्तर जिला	पूर्व जिला	पश्चिम जिला	दक्षिण जिला	मध्य जिला	कुल
07	22	09	06	—	44

क्षेत्रवार निर्माणाधीन भवन और वे जो निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं की संख्या नीचे दी गई है :—

निर्माणाधीन	पूर्व जिला	उत्तर जिला	मध्य जिला	दक्षिण जिला	पश्चिम जिला	कुल
	04	02	01	02	01	10
प्रस्तावित	11	14	01	05	08	39

दिल्ली नगर निगम

	क्षेत्र/स्थान	तम्बुओं में चल रहे स्कूलों की संख्या
1.	शाह० नार्थ	9
2.	सिविल लाइन्स	3
3.	करोलबाग	1
4.	पश्चिम	9
5.	सदर पहाड़गंज	2
6.	नई दिल्ली	5
7.	दक्षिण	7
8.	नजफगढ़	15
9.	शाह० साउथ	6
10.	उत्तर-पश्चिम (रोहिणी)	9
	कुल	6

उनके स्कूलों के पक्के भवनों के निर्माण के लिए दिल्ली प्रशासन ने 17 करोड़ की राशि प्रदत्त की है। जबकि एम० सी० डी० ने 1992-93 के लिए 16 करोड़ रुपये प्रदत्त किए हैं।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

2280. श्री डी० एल० शर्मा प्रेम :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 में विभिन्न रेल मार्गों के विद्युतीकरण के परियोजना-वार लक्ष्य क्या निर्धारित किये गये थे और उनकी क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ख) इस परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति न होने का अगर कोई कारण है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1991-92 के दौरान विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य और अब तक की गई प्रगति का परियोजना-वार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	खंड का नाम	लक्ष्य मार्ग कि० मी०	पहले ही अर्जित (मार्ग कि० मी०)
1.	हर्दा-भुसावल (इटारसी-भुसावल का भाग)	235	235
2.	बोलाई-भोपाल (भोपाल-नागदा का भाग)	105	64
3.	भंडारा रोड-नागपुर (दुर्ग-नागपुर का भाग)	64	64
4.	सेलम-ईरोड (जोलारपेट्टै-ईरोड का भाग)	68	—
5.	मुलानूर-बेंगलूर (जोलारपेट्टै-बेंगलूर का भाग)	1 7	47
6.	काजीपेट-आलेर (काजीपेट-सनतनगर का भाग)	62	18
7.	दिवा-पनवेल	24	24
	जोड़	675	452

शेष 223 मार्ग कि० मी० को 31 मार्च, 92 तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नौगढ़ स्टेशन का विस्तार

2281. श्री रामपाल सिंह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे के नौगढ़ स्टेशन के विस्तार और सौन्दर्यकरण के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कैन्सर के उपचार हेतु आयुर्वेदिक औषधि

2282. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्सर के उपचार हेतु किसी आयुर्वेदिक औषधि का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सामान्य जनता को लाभान्वित करने हेतु उस औषधि की प्रभावोत्पादकता का परीक्षण करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) आयुर्वेदिक चिकित्सक कैंसर के उपचार में विभिन्न आयुर्वेदिक मिश्रणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने कुछ अध्ययन किए हैं और कुछ एकल औषधों का एकस्वाधिकार लिया है तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को उनके वाणिज्यिक उपयोग करने का कार्य सौंपा है। यद्यपि ऐसे भी मामले हुए हैं जहां आराम मिला है फिर भी किसी विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किसी खास आयुर्वेदिक मिश्रण की प्रभावकारिता के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य देहरादून

[अनुवाद]

2283. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य, देहरादून में व वन्यजीवों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाएं हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस अभयारण्य के विकास में सहायता देने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार को इस राष्ट्रीय उद्यान में चोरी-छिपे शिकार को रोकने और अग्नि सुरक्षा उपायों सहित सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(2) इस उद्यान में पाई जाने वाली बाघ, तेंदुआ, हाथी और भालू जैसी वन्यजीवों की अनेक परिसंकटमय प्रजातियां, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के भाग-2 में शामिल हैं और इसलिए इन्हें कानून के अन्तर्गत अधिकतम संरक्षण मिलता है। उक्त अधिनियम के तहत वन्यजीवों की सभी प्रजातियों का शिकार निषिद्ध है।

(3) उद्यान में नाजुक क्षेत्रों में गश्त लगाई जाती हैं और महत्वपूर्ण प्रवेश स्थलों पर चैक-पोस्ट बनाए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण खेल-कूद केन्द्र

[हिन्दी]

2284. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

श्री तेजनारायण सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में जिलेवार कितने ग्रामीण खेल-कूद केन्द्र हैं;

(ख) प्रत्येक ग्रामीण खेल-कूद केन्द्र के अन्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतें तथा आबादी आती हैं; और

(ग) "राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत जिलेवार दी गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक

22३5. श्रीमती शीला गौतम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनानी चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कितने स्नातकोत्तर चिकित्सकों ने डिग्रियां प्राप्त कीं और उनका महाविद्यालयवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पद्धति के अन्तर्गत उपरोक्त अवधि के दौरान स्नातक चिकित्सकों की महाविद्यालय वार एवं वर्षवार, संख्या कितनी-कितनी रही ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) विवरण I और II संलग्न हैं ।

विवरण-I

वर्ष 1986-87, 19887-88 और 1988-89 के दौरान यूनानी चिकित्सा पद्धति में अर्हता-प्राप्त स्नातकोत्तर डाक्टरों की वर्षवार और कालेजवार संख्या

क्रम संख्या	कालेज का नाम	स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त डाक्टरों की संख्या 1986-87,	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
1.	सरकारी निजामिया तिब्बिया कालेज, चारमीनार, हैदराबाद-500002,	—	2	10
2.	अजमल खां तिब्बिया कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	+	2	*

नोट :—

— = शून्य

\+ = सूचना अप्राप्त

विवरण-II

वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान यूनानी चिकित्सा पद्धति के अर्हता प्राप्त स्नातक डाक्टरों की वर्षवार और कालेजवार संख्या

क्रम संख्या	कालेज का नाम	डिग्री पाठ्यक्रम अर्हताप्राप्त डाक्टरों की संख्या 1986-87,	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
1.	सरकारी निजामिया तिब्बिया कालेज, चारमीनार, हैदराबाद-500002	56	68	44

1	2	3	4	5
2.	डा० अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, पार्क रोड, कुरनूल-518001	20	30	+
3.	सरकारी तिब्बिया कालेज, कदमकुआं, पटना-800003	24	+	+
4.	सरकारी यूनानी मेडिकल कालेज, बंगलौर-560089	7	10	6
5.	सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कालेज, गणपति नाका, बुरहानपुर, जिला-खंडवा-450331	23	22	24
6.	अंजुमन खरीफल इस्लाम तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल नागपाड़ा बम्बई-400008	24	37	44
7.	मोहमेदिया तिब्बिया कालेज, मालेगांव, जिला-नासिक-423203	27	35	26
8.	राजस्थान तिब्बिया कालेज, 11/4636, हल्दीपुरा चौकी रामचन्द्र जी, जयपुर-302003	33	+	+
9.	राजपूताना यूनानी तिब्बिया कालेज, झाबान, जयपुर-302003	38	4	+
10.	जुबेदिया यूनानी कालेज, झालोन गेट बारी, जोधपुर-342001	24	18	+
11.	सरकारी भारतीय चिकित्सा पद्धति कालेज (यूनानी) अरूम्बाकम, मद्रास-600029	+	14	9
12.	तकमील-उत-तिब्बिया कालेज, हकीम अब्दुल अजीज रोड, झोवाई टोला, लखनऊ-226003	+	+	+
13.	यूनानी मेडिकल कालेज, हिम्मतगंज, इलाहाबाद;	3	6	+

1	2	3	4	5
14.	अजमल खान तिब्बिया कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	44	+	+
15.	आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कालेज, करौल बाग, नई दिल्ली-110005	23	24	29
16.	हमदर्द तिब्बिया कालेज। हमदर्द नगर, पो० आ, पुष्पा भवन, नई दिल्ली-110062	29	30	26

नोट : + = अप्राप्त

× = कोई परीक्षा नहीं ली गई।

खोई हुई वस्तुओं के लिए मुआवजा

2286. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में भारतीय रेल ने खोई हुई/क्षतिग्रस्त वस्तुओं के दावों पर कितनी राशि दी;

(ख) इसी अवधि के दौरान लावारिस वस्तुओं की बिक्री से कितनी आय हुई;

(ग) क्या इन वस्तुओं के खोने या क्षतिग्रस्त होने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कलइ॰ वर्ष ,४ के दौरान 23.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

(ख) 2.37 करोड़ रुपये।

(ग) जी हां।

(घ) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है जिसमें सेवा से हटाया

जाना, निम्न ग्रेड में पदावनति, वेतन वृद्धि का रोका जाना आदि शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अनुदान

228?. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक और होस्टल का निर्माण करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अनुदान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार VIII वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छात्रावास के निर्माण लिए अब तक निम्नलिखित अनुदान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आबंटित किए गए हैं।

(i) पुरुषों और महिलाओं के लिए छात्रावास	—	140.00 लाख रु०
(ii) चिकित्सा छात्रों के लिए छात्रावास	—	100.00 लाख रु०

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना

[अनुवाद]

2288. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है :—

(i) साफ्ट-वेयर अनुप्रयोग में वाणिज्यिक व्यवहार्य कम्पनियों को संवर्धित करने के लिए अध्यापन तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा संबद्ध संकाय को, संगणकीकरण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक रूप से संचालित अपने-अपने उद्यम स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए।

(ii) भा० प्रो० संस्थानों जैसी पात्र उन्नत संसूचना पद्धति के संस्थानों को स्थापित करने के लिए, संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए शैक्षिक संस्थानों में लगभग 15 विद्यमान प्रमुख केन्द्रों को स्तरोन्नत करने, और लगभग 100 विश्वविद्यालयों तथा अन्य अध्यापन के केन्द्रों में न्यूनतम संगणक संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, तीन वर्षों की अवधि के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएं। यह निवेश लाभान्वितों —वर्तमान तथा सम्भाव्य, से पांच वर्षों में वसूल किया जाए।

(iii) संगणक सुविधाओं में निवेश के लिए कर लाभ उपलब्ध कराए जाएं जैसा कि आर० एस० डी० व्यय में लागू है।

(iv) एक नया पाठ्यक्रम-बी० सी० ए० (संगणक-अनुप्रयोग) और अन्य धाराओं के डिग्री-धारियों के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ करना

(v) एक स्वायत्त शीर्ष निकाय गठित किया जाना चाहिए जो संगणक जनशक्ति के विकास हेतु मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करेगा। इस शीर्ष निकाय का संगणक-शिक्षा में मानकों की सुरक्षा के लिए संगणक-शिक्षा हेतु एक प्रत्यायन बोर्ड होना चाहिए।

एक स्थायी शीर्ष निकाय गठित किए जाने तक एक अन्तरिम समिति तत्काल गठित की जानी चाहिए।

(vi) अन्य स्थानीय अथवा एन० आर० आई० सहभागिता संगणक जनशक्ति के विकास के लिए निजी संस्थाओं, सहयोगी कालेजों को प्रोत्साहित करना।

(vii) सभी औपचारिक संगणक शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में ही होनी चाहिए।

(ग) सरकार सिफारिशों की जांच कर रही है।

दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच तेज गति वाली रेलगाड़ी

2289. श्री माणे गोवर्धन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और भुवनेश्वर/पुरी के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी।

पर्यावरण और वनरोपण कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक की सहायता

[हिन्दी]

2290. श्री खारे लाल जाटव :

श्री एस० बी० बी० एस० मूर्ति :

श्री धर्म भिक्षम :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पर्यावरण और वनरोपण कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके आवंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या "बी० एस० पी० नेचर पार्क" के लिए ऐसा कोई आवंटन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व बैंक की सहायता से भारत में कार्यान्वित की जा रही पर्यावरण और वनीकरण की परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विवरण

परियोजनाएं	गुजरात	हिमाचल प्रदेश	कर्नाटक	केरल	राजस्थान	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
	विश्व बैंक की सहायता प्राप्त पर्यावरण और वनीकरण परियोजनाएं								
औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण*									
सामाजिक वानिकी	61.7 मिलियन डालर	24.3 मिलियन डालर	27.00 मिलियन डालर	31.8 मिलियन डालर	16.6 मिलियन डालर	—	—	—	60.9 मिलियन डालर
गंगा कार्य योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	एस० डी० आर० 25.00 मिलियन

*औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के लिए विश्व बैंक से 155.6 मिलियन डालर की सहायता मिली है। परियोजना का प्रमुख घटक उद्योगों के प्रदूषण क्षेत्रों को बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए ऋण की व्यवस्था करना है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत बनाने के लिए 10.4 मिलियन डालर की राशि प्रदान की गई है। आवेदनों के बारे में निर्णय लेने से पूर्व ब्यौरों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से चर्चा की जा रही है।

मऊ में रेल आरक्षण कोटा

2291. श्री राम बदन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मऊ जंक्शन पर प्रत्येक रेलगाड़ी के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान इस कोटे में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गाड़ी सं०		वर्ग	वर्षवार कोटा		
			1989	1990	1991
1		2	3	4	5
2925	बम्बई-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस	II शायिकाएं	2	2	2
9023	बम्बई-फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस	II शायिकाएं	6	6	2
9019	बम्बई-देहरादून एक्सप्रेस	I वर्ग	—	—	2
		II शायिकाएं	8	8	6
99	इंदौर-भोपाल पैसेंजर	II शायिकाएं	2	2	2
2971	बम्बई-जम्मू एक्सप्रेस	II शायिकाएं	8	8	8
9020	देहरादून-बम्बई एक्सप्रेस	II शायिकाएं	2	2	2
9672	अंबाला-अजमेर फास्ट पैसेंजर/एक्सप्रेस				
	उदयपुर तक	I वर्ग	2	2	2
		II शायिकाएं	3	3	3
	अजमेर तक	I वर्ग	2	2	2
		II शायिकाएं	2	2	8
		II सीटें	4	4	—
	जोधपुर तक	II शायिकाएं	6	6	6
		II सीटें	25	25	25

1		2	3	4	5
7570	काचेगुडा-जयपुर एक्सप्रेस	I दर्जा	2	2	2
		II शायिकाएं	10	10	10
74/9616	इंदौर-अहमदाबाद कोच	I दर्जा	2	2	2
		II शायिकाएं	8	8	7
581	अजमेर काचेगुडा पैसेंजर	II शायिकाएं	2	2	2
7569	जयपुर-काचेगुडा एक्सप्रेस	II शायिकाएं	2	2	2
8233	नर्मदा एक्सप्रेस	II शायिकाएं	2	2	2
9062	इंदौर बम्बई एक्सप्रेस	I दर्जा	2	2	—
		वातानुकूल शयनयान	—	—	2
		II शायिकाएं	12	12	14
4067	इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस	II शायिकाएं	14	14	20
1172	इंदौर-हावड़ा एक्सप्रेस	II शायिकाएं	4	4	4
7082	इंदौर-कोचीन एक्सप्रेस	II शायिकाएं	4	4	4
1038	फिरोजपुर-बम्बई पंजाब मेल	II शायिकाएं	4	4	4
4678	जम्मू-पुणे झेलम एक्सप्रेस	II शायिकाएं	6	6	6

प्रमस्तिष्कीय मलेरिया

[अनुवाद]

2292. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

श्री गुरुदास कामत :

श्री पी० सी० चाकों :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1992 के इण्डियन एक्सप्रेस में "सेरिब्रल मलेरिया मैनिफेस्टिड इन कैपीटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह बीमारी मद्रास और देश के अन्य भागों में भी फैल गई है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सरकार 15 फरवरी, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार से अवगत है। 10-11 फरवरी, 1992 को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में "गम्भीर मलेरिया का उपचार" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। सम्पूर्ण देश के संदर्भ में चिकित्सकों और मलेरिया विशेषज्ञों के बीच प्रमस्तिष्क-मलेरिया तथा पी० फैल्सीपेरम की अन्य जटिलताओं पर चर्चा हुई।

(ग) मद्रास सहित पूरे देश से इस रोग की सूचना मिल रही है।

(घ) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेरिया की घटना सम्बन्धी राज्यवार विवरण संलग्न है।

मलेरिया के प्रकोप की रोकथाम और उसे सीमित करने के लिए प्रस्तावित कदम इस प्रकार है :—

(1) एंटी-वैक्टर उपाय

(क) रासायनिक तरीके

—जनजातीय क्षेत्रों में सिंथेटिक पायरेथ्रॉयड्स का छिड़काव।

—अन्य क्षेत्रों में डी० डी० टी०/बी० एच० सी०/एम० ए० एल० का छिड़काव।

—शहरी क्षेत्रों में लार्वारोधी तरीके।

(ख) जीववैज्ञानिक तरीके

—जहां व्यवहार्य हो वहां लार्वा-भक्षी मछलियां छोड़ी जाएं।

—जीवनाशी दवा का प्रयोग .

(2) परजीवीरोधी उपाय

—रोग का पता लगाकर उपचार करना।

(3) रसायनसिक्त मच्छरदानियों के प्रयोग से वैयक्तिक आधार पर संरक्षण।

(4) जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम के लिए विभिन्न उपचारी तरीकों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर जनजातीय मलेरिया की रोकथाम का अभियान चलाना।

विवरण

मानपविक रोग से सम्बन्धित स्थिति

क्र० सं०	राज्य का नाम	1989			1990 (अनन्तिम)			1991 (अनन्तिम)		
		पॉजिटिव रोगी	पी० फैल्सीपेटम रोगी	मृत्यु	पॉजिटिव रोगी	पी० फैल्सीपेटम रोगी	मृत्यु	पॉजिटिव रोगी	पी० फैल्सीपेटम रोगी	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	82,510	32,815	2	1,04,483	41,659	5	75,793	30,322	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	20,865	2,725	—	18,227	2,205	1	4,262	429	अप्राप्त
3.	असम	62,274	39,757	6	60,282	34,033	16	80,640	53,528	9
4.	बिहार	40,001	27,710	13	27,827	17,315	2	24,158	13,161	अप्राप्त
5.	गोवा	4,495	588	—	4,890	871	1	2,681	438	शून्य
6.	गुजरात	5,98,658	1,84,137	60	5,15,926	1,42,391	84	3,92,756	1,17,281	10
7.	हरियाणा	23,711	678	—	50,381	3,616	—	23,936	1,130	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	8,589	14	—	14,379	30	—	19,696	12	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	जम्मू व कश्मीर	3,068	101	—	5,481	223	—	4,608	10	शून्य
10.	कर्नाटक	1,06,683	29,420	—	74,012	23,209	—	31,985	6,768	8
11.	केरल	6,126	157	1	6,411	2[illegible]9	1	5,596	212	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	2,32,886	1,04,811	16	2,24,502	1,09,477	3	96,871	53,720	26
13.	महाराष्ट्र	1,22,314	37,724	8	1,13,226	35,596	6	1,27,861	43,910	7
14.	मणिपुर	957	396	2	601	275	—	566	281	शून्य
15.	मेघालय	10,701	7,767	—	8,207	5,691	—	5,445	4,148	शून्य
16.	मिजोरम	18,517	9,708	17	13,825	6,125	8	7,161	4,322	10
17.	नागालैंड	3,051	843	—	1,603	332	—	1,886	433	शून्य
18.	उड़ीसा	2,60,815	2,23,364	118	2,37,994	2,01,218	147	2,76,802	2,31,257	15
19.	पंजाब	32,146	833	2	29,336	579	—	35,640	365	शून्य
20.	राजस्थान	1,12,316	24,069	1	85,864	19,479	65	63,022	10,638	अप्राप्त
21.	सिक्किम	30	5	—	17	4	—	26	4	शून्य
22.	तमिलनाडु	90,478	4,244	—	1,20,029	7,039	—	1,20,591	8,611	शून्य
23.	त्रिपुरा	5,991	1,726	5	6,633	5,068	4	2,805	1,487	अप्राप्त
24.	उत्तर प्रदेश	1,01,815	6601	—	1,03,222	7,645	—	98,109	8,668	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	पश्चिम बंगाल	[illegible]8,822	5,820	16	27,531	3,690	4	25,874	5,072	अप्राप्त
26.	अण्डमान और निको० द्वीप समूह	[illegible]55	560	1	2,391	427	—	1,[illegible]0	243	शून्य
27.	चंडीगढ़	15,405	5	—	26,813	94	—	25,62[illegible]	31	शून्य
28.	दादरा और नागर हवेली	4,74[illegible]	68	—	5,015	189	—	2,947	53	शून्य
29.	दमन और दीव	78[illegible]	46	—	801	55	—	1,010	33	शून्य
30.	दिल्ली	10,761	32	—	12,044	89	—	8,491	24	शून्य
3[illegible].	लक्षद्वीप	4	शून्य	—	6	शून्य	—	4	—	अप्राप्त
32.	पांडिचेरी	[illegible]	1	—	389	1	—	450	1	अप्राप्त
3[illegible]	कोयला क्षेत्र	[illegible]04	12	—	97	5	1	12	4	शून्य
	योग :—	2[illegible]2[illegible]09 अथवा 20 लाख	7,46,286 अथवा 7.5 लाख	268	19,01,887 अथवा 19 लाख	6,69,439 अथवा 6.7 लाख	348	15,81,762 अथवा 16 लाख	5,96,597 अथवा 6 लाख	86

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बन्द

2293. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 फरवरी, 1992 को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बन्द रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने वि० अनु० आ० (संशोधन) विधेयक, 1991 के विरोध में 13 फरवरी, 1992 को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को बन्द किए जाने का आह्वान किया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, जबकि विश्वविद्यालय बन्द नहीं किए गए थे, अधिकांश कर्मचारियों ने आह्वान की प्रतिक्रिया दिखाई। 1 विधेयक, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों तथा वेतनमान निर्धारित करने के लिए, वि० अनु०आ० को अधिकार प्रदान करना है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के समनुरूप कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में एकरूपता लाने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए वि० अनु० आ० से कहा है।

विजयवाड़ा डिवीजन में गाड़ियों का "हाल्ट" रद्द किया जाना

2294. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के मोरमपुडी कोलनुकोंडा स्टेशनों पर यात्री गाड़ियों और विजयवाड़ा डिवीजन के तेनाली स्टेशन पर जी० टी० एक्सप्रेस गाड़ी का "हाल्ट" रद्द किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुंटूर जिले के यात्रियों को सुविधा के लिए तेनाली जंक्शन पर जी० टी० एक्सप्रेस और नवजीवन एक्सप्रेस गाड़ियों का "हाल्ट" बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) कम लोकप्रिय होने और परिचालनिक अनावश्यकता के कारण।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुना और इटावा के बीच रेल मार्ग में परिवर्तन

[हिन्दी]

2295. श्री अरविन्द नेताम :

श्री योगानन्द सरस्वती :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माणाधीन गुना-शिवपुरी-ग्वालियर-भिंड तथा इटावा रेल लाइन पर मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करने के लिए उसका भिंड तथा ग्वालियर के बीच मार्ग परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव सरकार को पुनः विचार हेतु प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जानी है तथा प्रस्तावित मार्ग परिवर्तन पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव को सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिया गया है। मार्ग परिवर्तन पर 55.00 लाख रुपये की लागत आएगी।

गोधरा मक्सी रेलवे लाइन

2296. श्री अरविन्द नेताम :

श्री योगानन्द सरस्वती :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोधरा-दाहोद-इन्दौर-मक्सी रेलवे लाइन के विस्तार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इसके लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है और निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 297.14 करोड़ रुपये।

(ग) 11 करोड़ रुपये। देवास-मक्सी खंड पर प्रगति 14 प्रतिशत है।

(घ) आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

इन्दौर-पीठामपुर रेलवे लाइन को बदलना

2297. श्री अरविन्द नेताम :

श्री योगानन्द सरस्वती :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इन्दौर-मऊ-पीठामपुर रेलवे लाइन को उस क्षेत्र की मांग को देखते हुए बड़ी रेलवे लाइन में बदलने का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्लूकोज मामला

[अनुवाद]

2298. श्री बलराज पासी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 3 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1872 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ग्लूकोज के मामले में कराई गई जांच की रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए अधिकारियों को आरोप पत्र दिए जा रहे हैं।

गर्मी की छुट्टियों के दौरान विशेष रेलगाड़ियां

2299. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्री डी० माडे गौडा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी गर्मी की छुट्टियों में चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों का जोनवार ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सभी रेलों के विभिन्न मार्गों पर लगभग 1150 विशेष गाड़ियां चलाने की योजना है।

कर्नाटक में रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलना और उनका विद्युतीकरण

2300. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में निकट भविष्य में बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित की जाने वाली और विद्युतीकरण किए जाने वाली रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनकी अनुमानित लागत क्या है और प्रत्येक परियोजना हेतु कितना धन आवंटित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	प्रत्याशित लागत	1992-93 के दौरान परिव्यय
1. आमान परिवर्तन	(करोड़ रुपयों में)	(करोड़ रुपयों में)
1. (क) चालू काम मैसूर-बेंगलूर (138.25 कि॰ मी॰)	102.56	8.0
(ख) नए काम		
(i) बेंगलूर-हुबली (469 कि॰ मी॰)	235.00	62.0
(ii) मिरज-लोंडा (188 कि॰ मी॰)	122.00	1.0
(iii) होसपेट-हुबली-गोवा (लिंक फिंगर्स सहित) (489 कि॰ मी॰)	312.00	1.0
2. विद्युतीकरण नए काम		
रेनिगुंटा-गुंतकल-हासपेट और तोरणगल्लू-रंजीतपुरा ब्रांच लाइन (448 कि॰ मी॰) (कर्नाटक में इसका एक भाग ही है)	177.02	7.0

केरल में रेल लाइन

2301. श्री चाइल्ड खान अंबलोम :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कौन-कौन सी रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं;

(ख) इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इस प्रकार है :—

	परियोजना का नाम	प्रगति	लक्ष्य तिथि
1.	नयी लाइन		
	1. अलेप्पी-कायमकुलम	86%	31-3-92
	2. त्रिचूर-गुरुवायूर	86%	31-3-92
2.	दोहरीकरण		
	1. कायनकुलम-कोल्लम	30%	लक्ष्य तिथि आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
	2. काल्लम-तिरुवनंतपुरम	कुछ नहीं	

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

2302. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान खाद्यान्नों और खाद्य तेलों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) खाद्यान्नों और खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए गत तीन महीने के दौरान सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जनवरी, 1992 के अन्त में खाद्यान्नों (दालों को छोड़कर) और खाद्य तेलों के थोक मूल्यों के सूचकांक में जुलाई, 1991 से प्रारम्भ पिछले 6 महीनों की तुलना में क्रमशः 26.4 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) खाद्यान्नों के मूल्यों पर दबाव के समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के गेहूं और चावल के

मासिक आवंटनों को बढ़ा दिया है और खुली बिक्री के लिए गेहूं और चावल की अतिरिक्त मात्राएं निर्मुक्त की हैं तथा एक मिलियन मीटरी टन गेहूं का आयात करने का भी निर्णय किया है।

जहां तक खाद्य तेलों का सम्बन्ध है, खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपायों के अलावा, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से एक्सिम स्क्रिप्स के प्रति पामोलीन का आयात करने की भी इजाजत दी गई है। राज्य सरकारों को भी उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा से पामोलीन तेल का आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र

2303. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण हेतु किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिले-वार कितनी भूमि को वन भूमि के अन्तर्गत लाया गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) उत्तर प्रदेश में वनों के संरक्षण के लिए क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किये जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) जैसी कि रिपोर्ट मिली है उत्तर प्रदेश राज्य में 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत पिछले तीन सालों के दौरान किए गए वनरोपण का वर्ष-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत किए गये वनरोपण को दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्र हेक्टेयर में)
(पौधे लाखों में)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91	
	क्षेत्र	क्षेत्र	निजी भूमि पर पौध वितरण	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
उत्तर प्रदेश	272991.00	275012.50	3122.84	61083.62

टिप्पणी : 1990-91 से लक्ष्यों और उपलब्धियों का हिसाब दो पैरामीटरों अर्थात (क) निजी भूमि पर रोपण के लिए पौध वितरण, (ख) वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि के क्षेत्र आच्छादन पर लगाया जा रहा है।

आयुर्वेद तथा संस्कृत महाविद्यालय

[अनुवाद]

2304. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न संस्कृत महाविद्यालयों के अन्तर्गत आयुर्वेद महाविद्यालयों तथा संस्कृत महाविद्यालयों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) उनके विकास हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वि० अनु० आ० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जैसा कि नीचे दर्शाया गया है ऐसे तीन संस्कृत महाविद्यालय हैं जिनके साथ संस्कृत व आयुर्वेदिक कालेज सम्बद्ध है तथा दो सम-विश्वविद्यालय हैं—

संस्कृत विश्वविद्यालय

1. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

2. के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

3. श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी।

सम विश्वविद्यालय

1. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति।

2. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।

उपरोल्लिखित तीन संस्कृत विश्वविद्यालयों से 615 संस्कृत कालेज व 4 आयुर्वेदिक कालेज सम्बद्ध हैं। सम्बद्ध कालेजों के नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित "भारतीय विश्व-विद्यालयों की पुस्तिका" में दिए गये हैं, जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। कालेजों की स्थापना सामान्यतः स्वैच्छिक एजेंसियां न्यास या राज्य-सरकारें करती हैं व इनकी विकास आवश्यकताएं इन एजेंसियों द्वारा पूरी की जाती हैं। वि० अनु० आ०, वि० वि० अनु० अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन अनुरक्षित कालेजों की सूची में शामिल सभी योग्य कालेजों को विकास अनुदान प्रदान करता है। आयोग ने ओरियन्टल कालेजों को, यदि वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, तो उन्हें सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। आवश्यक कारंवाई हेतु आयोग के निर्णय को सभी कुलपतियों के ध्यान में लाया गया है।

स्कूलों तथा कालेजों में योगासन पाठ्यक्रम

2305. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार

विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु सभी स्कूलों तथा कालेजों में योगासन पाठ्यक्रम को अनिवार्य बनाने का है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : जी नहीं इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तपेदिक की दवाइयों की कीमतें

2306. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तपेदिक के मरीजों की, राज्य-वार, संख्या कितनी है;

(ख) क्या तपेदिक की दवाइयों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसको नियन्त्रित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) देश में क्षय रोगियों की राज्यवार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं को उचित दामों पर जीवन रक्षक औषधों को पर्याप्त मात्रा में तथा आसानी से उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना सरकार का प्रयास रहा है। वैसे निवेशों विशेषतया आयातित प्रकृति के निवेशों की बढ़ती हुई लागत की स्थिति में यदि औषधों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है तो उनकी कीमतों में कुछ वृद्धि अपरिहार्य है। मई 1991 से क्षय-रोधी औषधों की कीमतों को 15-25 प्रतिशत बढ़ाकर संशोधित किया गया है ताकि विनिमय दर के समाशोधन के कारण निवेश लागतों में वृद्धि के लिए निर्माताओं को मुआवजा दिया जा सके। इन औषध योगों की कीमत एक सूत्र के अनुसार और नियत प्रतिमानों के आधार पर औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1987 के उपबन्धों के अनुसार और बी० आई० सी० पी० जो औद्योगिकीय लागतों और कीमतों के बारे में सरकार का एक विशेषज्ञ निकाय है, की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात नियत की जाती हैं। यह व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि कीमतों को बढ़ाने की अनुमति निवेश लागतों में वास्तविक वृद्धि से सम्बन्धित हो।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	1991 की जनगणना के अनुसार आबादी (लाख में)	अनुमानित रोगी (लाख में)
1	2	3	4
राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	663.00	9.94
2.	असम	223.00	3.34

1	2	3	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	9.00	0.13
4.	बिहार	863.00	12.94
5.	गुजरात	412.00	6.18
6.	हरियाणा	163.00	2.44
7.	हिमाचल प्रदेश	57.00	0.76
8.	जम्मू और कश्मीर	77.00	1.15
9.	कर्नाटक	448.00	6.72
10.	केरल	290.00	4.35
11.	मध्य प्रदेश	661.00	9.91
12.	महाराष्ट्र	787.00	11.80
13.	मणिपुर	18.00	0.27
14.	मेघालय	18.00	0.27
15.	मिजोरम	7.00	0.10
16.	नागालैंड	12.00	0.18
17.	उड़ीसा	136.00	4.72
18.	पंजाब	202.00	3.03
19.	राजस्थान	339.00	6.58
20.	सिक्किम	4.00	0.06
21.	तमिलनाडु	556.00	8.34
22.	त्रिपुरा	27.00	0.40
23.	उत्तर प्रदेश	1388.00	20.82
24.	पश्चिम बंगाल	680.00	10.20
25.	गोवा	12.00	0.18
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान व नि० द्वीप समूह	3.00	0.04
2.	चण्डीगढ़	6.00	0.09

1	2	3	4
3.	दादरा व नागर हवेली	1.00	0.02
4.	दिल्ली	94.00	1.41
5.	दमण व दीव	1.00	0.02
6.	लक्षद्वीप	0.50	0.01
7.	पाण्डिचेरी	8.00	0.12
	योग	8489.00	126.52

राष्ट्रीय उद्यान

2307. श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन उद्यानों के रख-रखाव और विकास के लिए राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार कितने राष्ट्रीय उद्यान खोलने का विचार है और वे उद्यान कहां-कहां होंगे ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या और उनके विकास के लिए राज्यवार, दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों को स्थापित करने की शक्तियां और दायित्व राज्य सरकारों का है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या	सातवीं योजना में दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	133.18

1	2	3	4
3.	असम	2	134.61
4.	बिहार	2	91.57
5.	गोवा	1	25.64
6.	गुजरात	4	58.117
7.	हरियाणा	1	—
8.	हिमाचल प्रदेश	2	80.23
9.	जम्मू व कश्मीर	4	21.01
10.	कर्नाटक	5	138.99
11.	केरल	3	107.868
12.	मध्य प्रदेश	11	237.72
13.	महाराष्ट्र	5	104.76
14.	मणिपुर	2	36.64
15.	मेघालय	2	28.285
16.	मिजोराम	2	—
17.	नागालैंड	—	—
18.	उड़ीसा	2	93.71
19.	पंजाब	—	—
20.	राजस्थान	3	321.61
21	सिक्किम	1	37.74
22.	तमिलनाडु	4	130.41
23.	त्रिपुरा	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	7	188.55
25.	पश्चिम बंगाल	3	115.15
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6	19.205
		75	

केन्द्रीय आयोजित स्कीम के तहत "बाघ परियोजना" और "राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता"।

बालेश्वर नीलगिरी सेक्शन पर यात्रियों की आवा-जाही

[हिन्दी]

2308. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन सामग्री और धातुओं की ढुलाई हेतु बालेश्वर रेलवे स्टेशन से नीलगिरी तक रेलवे लाइन है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां यात्रियों के आने जाने के लिए यह लाइन खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश

[अनुवाद]

2309. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में "एम० एम० यू० विवर्स अप फॉर शो डाउन विद गवर्नमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए 50% सीटें आरक्षित करने के फैसले के सम्बन्ध में एक समाचार "ए० एम० यू० विवर्स अप फॉर शो डाउन विद गवर्नमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 28. 1. 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) और (ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट ने 20. 8. 1989 को हुई अपनी

बैठक में कक्षा XI, डिग्री पाठ्यक्रमों, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए योग्यता के आधार पर 50% सीटें आरक्षित करने की तयाबजी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया। चूंकि यह संकल्प अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, जिसमें यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय किसी भी लिंग तथा किसी भी जाति, धर्म, मत अथवा वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा, अतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(6) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को संकल्प के रद्द करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विश्वविद्यालय से कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

वनों में आग

[हिन्दी]

2310. श्री रामलखन सिंह यादव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार वनों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इसके कारण राज्य-वार कुल कितने वन क्षेत्र का नुकसान हुआ; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) "वनों को जैवीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए आधार-भूत ढांचे का विकास" नामक स्कीम के तहत राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को अग्नि शमन उपकरण खरीदने, वायरलेस सेट लगाने और फायर-लाइनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी का चावल लेना

2311. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को उत्तर प्रदेश मे बरेली में कतिपय स्थानों पर लेवी का चावल उठाने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने लेवी चावल की सुपुर्दगी की प्रणाली को 24.11.91 को बदल दिया है। इसके अतिरिक्त

मिल मालिकों द्वारा पेश किया गया स्टाक भी विहित ढेर के आकार के अनुरूप नहीं था। पेश किया गया कुछ स्टाक विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं था।

(ग) परिवर्तित प्रणाली के अनुसार सुपुर्दगियां प्राप्त करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ की पुन: तैनाती करने सहित आवश्यक प्रबंध किए गए हैं जिसके फलस्वरूप लेवी चावल के उठान में पर्याप्त सुधार हुआ है।

केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों पर न्यायाधिकरण क्षेत्राधिकार

[अनुवाद]

2312. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अन्तर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक सोसाइटी होने के नाते, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में स्वत: नहीं आता है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम—1985 की धारा 14 (2) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन निगमों/सोसाइटियों का, ऐसे निकायों के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के संबंध में, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अतिरिक्त कार्य-भार सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है।

औषधालयों को सायंकाल खुला रखना

2313. श्री लाल बाबू राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ औषधालयों को सायंकाल को खुला रखने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय

सरकार स्वास्थ्य योजना के 11 औषधालय जिनमें बहुत बड़ी संख्या में रोगी आते हैं, दोपहर बाद रोगियों को पूरी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

अब लागू किए जा रहे संशोधित समय के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 41 औषधालय (जिनमें दो पारियों के 11 औषधालय शामिल हैं) 2 बजे सांय से 9.00 बजे सांय तक दोपहर की पारी में खोले जाएगे।

शारीरिक व्यायाम के संबंध में युवाओं के लिए कार्यक्रम

2314. श्री पी० ओ० नारायणन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल पर आधारित कोई ऐसा कार्यक्रम निर्धारित किया है जिसके अन्तर्गत युवाओं को शारीरिक व्यायाम के अभ्यास की आदत डाली जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। शारीरिक व्यायाम में युवाओं को शामिल करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेल परियोजना विकास क्षेत्र, खेल छात्रावास, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता, एस० ए० जी० योजनाएं जैसी विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार के जरिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और जिला प्रशिक्षण केन्द्रों की योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। भारतीयम की योजना अर्थात् वृहत शारीरिक व्यायाम कार्यक्रम भी स्कूल क्षेत्र में संचालित की जा रही है। इस योजना में अब तक कुल 47,51,000 छात्रों तथा 42,800 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

गुजरात में पुरातात्विक महत्व के स्थल

2315. श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में हाल ही में पुरातात्विक महत्व के कई स्थलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इन स्थलों की सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई प्रारम्भिक खुदाई के फलस्वरूप, गुजरात राज्य में हाल ही मे कुछ स्थल पाए गए हैं, जो प्रागैतिहासिक, ताम्र-पाषण ऐतिहासिक और मध्ययुगीन काल के है जिनमें विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन और पुरावशेष प्राप्त हुए हैं।

तथापि, इन स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का नहीं समझा गया है, इसलिए केन्द्रीय सरकार उनका संरक्षण करने में असमर्थ है।

महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु योजनाएं

2316. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार तथा संघ शासित क्षेत्र-वार क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन योजनाओं के लिए निकायों की कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा, क्या है तथा अब तक उन पर राज्य-वार एवं संघ शासित-क्षेत्र-वार का कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाली महिलाओं एवं बच्चों की राज्यवार तथा जिले-वार संख्या क्या है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ङ) महिला एवं बाल विकास के लिए कुछ मुख्य कार्यक्रमों जैसे समेकित बाल विकास सेवाएं (आई० सी० डी० एस०) 3-5 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल पूर्व बच्चों के लिए बालवाड़ी और दिवस देखभाल केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार कार्यक्रम; कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र; ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०); महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (एस० टी० ई० पी०); महिलाओं के लिए रोजगार और आयोत्पादक प्रशिक्षण-सह-रोजगार-सह-उत्पादन एककों की स्थापना; अल्पावास गृह, सर्वव्यापक रोगप्रतिरोधन कार्यक्रम; मातृ और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम; और जीवन रक्षक घोल पिलाने (ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी) जैसे कार्यक्रमों के अलावा हाल ही में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :

1. किशोर लड़कियों के लिए योजना

समेकित बाल विकास सेवा ढांचे का इस्तेमाल करते हुए किशोर लड़कियों के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है। इस योजना का संकेन्द्रण स्कूल छोड़ चुकी 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोर लड़कियों पर होगा और इसके अन्तर्गत किशोरियों की पोषाहार, स्वास्थ्य, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा, साक्षरता, मनोरंजन और कौशल विकास की जरूरतों को पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को सुरक्षित मातृत्व के लिए तैयार करना और सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उनके सामर्थ्य का प्रयोग करना है।

किशोर लड़कियों के लिए यह योजना विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 507 ब्लॉकों में संस्वीकृत की गई है।

योजनाओं के बारे में राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग :

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31.1.92 को किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ आयोग, महिलाओं के लिए उपलब्ध सांविधिक और विधिक सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और प्रबोधन करेगा, वर्तमान कानूनों की संवीक्षा करेगा और जहां आवश्यक हो, उनमें संशोधनों का सुझाव देगा। यह शिकायतों की जांच भी करेगा तथा महिला अधिकारों की वंचना संबंधी मामलों में असहाय महिलाओं को कानूनी अथवा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वप्रेरणा से कारंवाई करेगा। आयोग महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए सभी कानूनों के समुचित कार्यान्वान का प्रबोधन करेगा ताकि महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त हो सके तथा राष्ट्र के विकास में वे समान भागीदार बन सकें।

विवरण

किशोर लड़कियों के लिए योजनाएं

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	कवर किए गए ब्लॉकों की सं०	1991-92 के दौरान संस्वीकृत राशि (केन्द्र का अंश-लाखों में)	योजना के चालू हो जाने पर कवर किए जाने वाले लाभप्राप्त-कर्ताओं की अनुमानित संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	23	25.30	23000
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1.10	1000
3.	असम	10	11.00	10000
4.	बिहार	74	81.40	74000
5.	गोआ	1	1.10	1000
6.	गुजरात	4	4.40	4000
7.	हरियाणा	4	4.40	4000
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1.10	1000
9.	जम्मू और काश्मीर	2	2.20	2000
10.	कर्नाटक	23	25.30	23000
11.	मध्य प्रदेश	48	52.80	48000
12.	केरल	13	14.30	13000

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	29	31.90	29000
14.	मणिपुर	1	1.10	1000
15.	मेघालय	1	1.10	1000
16.	मिजोरम	1	1.10	1000
17.	नागालैंड	1	1.10	1000
18.	उड़ीसा	10	11.00	11000
19.	पंजाब	3	3.30	3000
20.	राजस्थान	24	26.40	24000
21.	तमिलनाडु	25	27.50	25000
22.	सिक्किम	1	1.10	1000
23.	त्रिपुरा	1	1.10	1000
24.	उत्तर प्रदेश	99	108.90	99000
25.	पश्चिम बंगाल	41	45.10	41000
26.	अंडमान और निकोबार	1	1.10	11000
27.	चण्डीगढ़	1	1.10	1000
28.	दादर और नागर हवेली	1	1.10	1000
29.	दमन और दियू	1	1.10	1000
30.	दिल्ली	3	3.30	3000
31.	लक्षद्वीप	1	1.10	1000
32.	पांडिचेरी	11	1.10	1000
	कुल	450	495.00	450000

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1.	आंध्र प्रदेश	14	15.40	14000
2.	उड़ीसा	14	15.40	14000
	कुल	28	30.80	28000

1	2	3	4	5
	यू० एस० ऐड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
1.	महाराष्ट्र	10	11.00	10000
2.	गुजरात	11	12.10	11000
	कुल	21	23.10	21000
	एस० आई० डी० ए० से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
1.	तमिलनाडु	8	8.80	8000
	कुल योग	507	5?7.70	507000

दहेज की बुराइयों के संबंध में कार्यशाला

2317. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला और बाल विकास विभाग द्वारा दहेज की बुराइयों के बारे में कोई कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) कार्यशालाओं में दिए गए सुझावों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (घ) इस विभाग के अन्तर्गत आने वाले चार अधिनियमों के पुनरीक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा 12-13 जनवरी, 1991 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम के संदर्भ में कार्यशाला में की गई सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ दहेज की परिभाषा को बदलना; विवाह के खर्च और अतिथियों की संख्या सीमित करना; महिलाओं के लिए उत्तराधिकार के समान अधिकार दिलाना; विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण; विवाहों से आर्थिक पहलू को विलग करना; उपहारों की सूची बनाने का अनिवार्य प्रावधान; आरोप-पत्र और शवपरीक्षण (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना; दहेज मृत्यु के मामले में जब तक कि निर्णय हो जाए, तब तक अभियुक्त को पुनर्विवाह की अनुमति न देना; जांच कार्य में महिला पुलिस अधिकारियों को शामिल करना; दहेज निषेध अधिकारियों का स्वयंसेवी संगठनों से घनिष्ट का संबंध रखना; तथा दहेज संबंधी मामले निपटाने के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना करना शामिल है सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

विकलांगों के लिए मुफ्त पास

[हिन्दी]

231 . श्री बलराज पासी :

श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त रेल पास दिये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग, मंदबुद्धि, पूर्णत: बधिर और मूक तथा नेत्रहीन व्यक्ति पहले से ही विशिष्ट रियायतों के पात्र हैं। व्यापक जटिलताओं के कारण इसमें और अधिक रियायत देना व्यावहारिक नहीं है।

सरडिया-जूनागढ़ सेक्शन को पुन: चालू करना

[अनुवाद]

2319. श्री हरिभाई पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में सरडिया-जूनागढ़ रेल लाइन को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस लाइन पर स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक कस्बों की सुविधा हेतु उक्त लाइन को पुन: कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भारी दरारों तथा पुलों को पहुंची भारी क्षति के कारण सरडिया-जूनागढ़ खंड का शाहपुर-सरडिया भाग बन्द कर दिया गया है। लाइन के अलाभप्रद होने, पर्याप्त सड़क परिवहन सेवाओं की उपलब्धता तथा मरम्मत पर होने वाले खर्च की लागत अधिक होने के कारण इस खंड को पुन: चालू करने का प्रस्ताव नहीं है।

ताजमहल को प्रदूषण से बचाने की योजना

2320. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री प्रताप राव बी० भोंसले :

श्री सुधीर गिरि :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल को पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाने हेतु वरदराजन समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद भी ताज अपनी चमक खो रहा है और दिन-प्रतिदिन पीला पड़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आगरा के ताजमहल को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने हेतु कोई सकारात्मक योजना सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए पहले ही उपाय किए जा चुके हैं।

(घ) विवरण निम्न प्रकार है :—

(i) 1981 में दो थर्मल पावर संयंत्रों को बन्द कर दिया गया है।

(ii) आगरा के रेलवे स्टेशन यार्ड में डीजल का प्रयोग आरम्भ कर दिया गया है।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने वृक्षारोपण द्वारा ताजमहल के आस-पास हरी पट्टी बिछा दी है।

(iv) राज्य सरकार आगरा में प्रदूषण-स्तर पर निगरानी रखे हुए है।

(v) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार ताजमहल के आस-पास वायुमण्डल पर निगरानी रखे हुए है ताकि सल्फर डाई-आक्साइड, छितरे हुए कण-पदार्थों तथा अन्य प्रदूषकों के साथ साथ मौसम संबंधी आंकड़ों के स्तरों का मूल्यांकन कर सके, जिससे आवश्यकतानुसार उपचारी उपाय कर सके तथा तदनुसार आवधिक रासायनिक उपचार एवं परिरक्षण किया जा रहा है।

(vi) पर्यावरण विभाग, भारत सरकार ने अपनी दिनांक 3 मई, 1983 को अधिसूचना के तहत ताजमहल के चारों ओर एक भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित किया है, जहां प्रदूषण फैलाने वाले किसी उद्योग को चलाने की अनुमति नहीं है।

(ii) आगरा स्थित उद्योगों में फर्नेस तेल और डीजल जेनरेटरों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है। जाड़े की रात्रियों में फाउन्ड्रियों को चलाने की अनुमति नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल पासों की अवैध रूप से बिक्री

2322. श्री पी० एम० सईद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में फ्री रेल पासों की बिक्री से संबंधित घोटाले का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, हाल ही में 6-2-1992 को पश्चिम रेलवे के रेल सुरक्षा बल ने एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो अजमेर स्टेशन पर मुफ्त रेलवे पासों की बिक्री करता था इस संबंध में, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक रेलवे कर्मचारी सहित तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। एक रेलवे कर्मचारी, जो अब सेवानिवृत्त हो गया है और जिसकी इस मामले में तलाश थी, फरार है। रेलवे सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत 6-2-1992 को अजमेर में एक मामला दर्ज किया गया है।

(ग) सर्व संबंधित को निदेश दिया गया है कि वे पास बुकों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखें और आवधिक जांच करते रहें। पास बुकों में कुछ नम्बर गुम पाए जाने की स्थिति में सर्वसंबंधित को इसकी सूचना दे दी जाती है ताकि इनका दुरुपयोग न हो।

विजयवाड़ा में मेंढकों और अन्य जानवरों की हत्या

2324. श्री गुरुदास कामत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक दिन हजारों मेंढकों की हत्या की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इन जानवरों के संरक्षण के लिए विजयवाड़ा में विशेषरूप से क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) आन्ध्र प्रदेश के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने सूचित किया है कि राज्य में हाल में मेंढकों को बड़े पैमाने पर मारे जाने या अवैध रूप से पकड़े जाने की कोई घटना सामने नहीं आई है।

(ख) राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, शिक्षा, अनुसंधान तथा संख्या प्रबन्ध को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए वन्य-पशुओं के शिकार पर अधिनियम की धारा-11 और 12 के तहत प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

2. अधिनियम की अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के भाग-2 में शामिल वन्यजीवों के व्यापार पर प्रतिबन्ध है। बकाया प्रजातियों का व्यापार इस प्रयोजन के लिए दिए गए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार कड़ाई से विनियमित किया जाता है। मेंढक, अधिनियम की अनुसूची-4 में शामिल है।

3. मेंढकों और उनके अंगों का निर्यात निषिद्ध है।

4. पादपों और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे निर्मित चीजों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जंगली वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध मे कन्वेंशन के उपबंधों के तहत विनियमित किया जाता है।

5. चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

6. जंगली वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए देश के भौगोलिक क्षेत्र के 4.2 प्रतिशत हिस्से में 413 वन्यजीव अभयारण्यों और 75 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7. बाघों और हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें लागू की जा रही है।

8. चोरी-छिपे शिकार करने वालों और अवैध व्यापार करने वालों के बारे में आसूचना प्राप्त करने के लिए नकद पुरस्कार की एक प्रणाली शुरू की गई है।

9. आन्ध्र प्रदेश के वन्यजीव प्राधिकारियों को जब कभी मेंढकों और अन्य पशुओं को गैर-कानूनी रूप से पकड़ने और उनके व्यापार के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है, तो वे छापे मारते हैं।

बोधघाट जल विद्युत परियोजना पर पुनर्विचार

2325. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री पीयूष तीरकी :

श्री रविराम :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कानूनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश में इन्द्रवती नदी पर बोधघाट जल विद्युत परियोजना पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना से उत्तम साल वनों की 5704 हेक्टेयर भूमि नष्ट होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति देने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) कोयघाट पन-बिजली परियोजना को 1979 में और फिर 1985 में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी। वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्राप्त प्रस्ताव फरवरी, 1992 में दी गई रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन है।

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत 5704 हेक्टेयर वन भूमि प्रयोग में ली जाएगी।

(घ) इस परियोजना को 1979 में और फिर 1985 में पर्यावरणीय मंजूरी जलग्रहण, वनस्पतिजात और प्राणिजात के क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययनों के बारे में कतिपय निर्धारित शर्तों और एक वृहद पुनर्वास योजना तैयार करने की शर्त पर दी गई थी।

फर्रुखाबाद और शिकोहाबाद के बीच नई रेलवे लाइन

[हिन्दी]

2326. श्री उदय प्रताप सिंह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे में शिकोहाबाद जंक्शन से फर्रुखाबाद तक की पुरानी घिसीपिटी रेल लाइन के स्थान पर नई रेल लाइन बिछाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार इस लाइन का रखरखाव किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गया-किऊल सेक्शन का संवर्धन

2327. श्री राजेश कुमार :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया-किऊल सेक्शन पर सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने के लिए इसका संवर्धन करने/नवीनीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सात स्टेशनों पर 2.36 करोड़ रुपये की लागत पर मानक-III के अन्तर्पाशन की व्यवस्था करके गया-क्यूल खंड का ग्रेडोन्नयन किया जा रहा है। इस खंड पर फिलहाल सुपरफास्ट गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय महिलाओं का अवैध व्यापार

[अनुवाद]

2328. श्री विजय नवल पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बाहर रहने वाले विदेशी नागरिकों के साथ शादी की आड़ में भारतीय महिलाओं का अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(ग) इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय महिलाओं के ऐसे किसी अवैध व्यापार की सूचना उनके पास नहीं है। किन्तु उन्होंने यह सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत से बाहर रहने वाले विदेशी नागरिकों के साथ अवयस्क लड़कियों के विवाह के चार मामले सामने आए हैं लेकिन इन मामलों में अनैतिक पणन (दमन) अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है।

(ग) भारतीय महिलाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए सरकार महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान को एक बुनियादी आवश्यकता समझती है। इस उद्देश्य से सरकार महिलाओं को आर्थिक सामर्थ्य, शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने के लिए अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने निकासी स्थान (एग्जिट प्वाइंट्स) पर तैनात आप्रवासन (इमिग्रेशन) अधिकारियों को सतर्क किया गया है कि अवयस्क लड़कियों के यात्रा सम्बन्धी कागजातों की जांच करते समय उनके पारपत्रों (पासपोर्ट) में उनकी आयु-संबंधी को गई किसी गलत प्रविष्टि का पता लगाने के लिए वे अधिक ध्यान दें।

विश्व बाजार में भारतीय चीनी की मांग बढ़ाने हेतु उपाय

2329. श्री विजय नवल पाटील :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बाजार में भारतीय चीनी की मांग बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी का निर्यात करने से चीनी उद्योग को घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) उत्पादित चीनी की गुणवत्ता में सुधार, जिससे कि वह विश्व बाजार में स्वीकार्य हो, की जिम्मेदारी मूल रूप से चीनी फैक्ट्रियों की होती है तथा यह चीनी फैक्ट्रियों की तकनीकी एवं प्रबन्धकीय दक्षता पर निर्भर करती है।

(ग) से (ङ) इस समय चीनी के निर्यात का कार्य चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के तहत उद्योग के एक निकाय भारतीय चीनी एवं सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम द्वारा किया जा रहा है। चीनी का निर्यात करने में लाभ/घाटे का पता, निर्यात के लिए आबंटित की गई सम्पूर्ण मात्रा के नौभरण तथा लेखों को अन्तिम रूप देने के बाद ही चल पाएगा।

गेहूं का आयात

[हिन्दी]

2330. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

प्रो० के० वी० थामस :

श्री प्रबीन डेका :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री मदन लाल खुराना :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

श्री बलराज पासी :

प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :

श्री पवन कुमार बंसल :

डा० असीम बाला :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

प्रो० राम कापसे :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

श्री जितेन्द्र नाथ दास :

श्री वसुदेव आचार्य :

श्री के० पी० सिंह देव :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री दाऊ दयाल जोशी

श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

कुमारी उमा भारती :

श्री खारे लाल जाटव :

श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

श्री मुमताज अंसारी :

श्रीमती गिरजा देवी :

श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री जनार्दन मिश्र

श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं का निर्यात कर रही है और उसका आयात करने पर भी विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष और आगामी दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देशवार कितनी मात्रा में गेहूं का आयात करने का विचार है;

(घ) क्या आयात किए जाने वाले गेहूं की दर निर्यात किए जाने वाले गेहूं की दर की अपेक्षा काफी ऊंची है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अलग से डालर में उसकी दर क्या है; और

(च) आयात करने में कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) गेहूं का निर्यात करने के बारे में निर्णय उस समय लिया गया था जब केन्द्रीय पूल में गेहूं का स्टाक बफर स्टाक रखने की नीति के अधीन अनुरक्षण करने के लिए अपेक्षित स्टाक से अधिक था। यह निर्णय अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए किया गया था। उसके बाद, कम वसूली होने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बढ़ती हुई मांग की दृष्टि में इन निर्यातों को सीमित करने का फैसला किया गया था। सरकार ने हाल ही में 1992 के दौरान एक मिलियन मीटरी टन गेहूं का आयात करने का निर्णय किया है ताकि गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके और बाजार मूल्यों को काबू में रखा जा सके। तथापि, अभी तक आयात के लिए किन्हीं ठेकों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। आगामी दो वर्षों के दौरान फिल-हाल गेहूं का आयात करने का कोई विचार नहीं है।

(घ) से (च) ठेकों को अन्तिम रूप दे देने के बाद ही आयातित गेहूं के मूल्य और इसमें अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी।

गेहूं का उत्पादन

[अनुवाद]

2331. श्री प्रताप राव बी० भोंसले :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 में देश में गेहूं का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय गोदामों में गेहूं का कितना भंडार था;

(ग) वर्ष 1991 की फसल के दौरान गेहूं की कितनी खरीद की गयी; और

(घ) वर्ष 1989-1990 और 1991 के दौरान उचित दर की दुकानों के माध्यम से कितना-कितना गेहूं वितरित किया गया ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) देश में उत्पादन वर्ष 1990-91 (जुलाई-जून) के दौरान 545.22 लाख मीटरी टन गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) केन्द्रीय पूल में पहली अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार 66.45 लाख मीटरी टन गेहूं का स्टाक था।

(ग) विपणन मौसम, 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 28.2.1992 तक 77.52 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली गई है।

(घ) केन्द्रीय पूल से 1989,1990 और 1991 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए क्रमश: 70.95 लाख मीटरी टन, 64.52 लाख मीटरी टन और 89.06 लाख मीटरी टन गेहूं वितरित की गई थी।

खाद्यान्न की सप्लाई पर लाभांश

[हिन्दी]

2332. श्री अरविन्द नेताम :

श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों के लिए रियायती दरों पर खाद्यान्नों की सप्लाई पर कितना लाभांश निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या कई राज्यों ने इस लाभांश में वृद्धि करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई वास्तविक धनराशि से कम है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के खाद्य और आपूर्ति विभागों को हो रहे घाटे को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 25.00 रुपये प्रति क्विंटल।

(ख) से (घ) जी, हां। कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि अनुमत मार्जिन अपर्याप्त है और वह उनके वास्तविक ढुलाई और वितरण प्रभारों, आदि को पूरा नहीं करता है।

(ङ) ऐसे मामलों में जहां मार्जिन अपर्याप्त समझा जाता है, वहां शेष राशि को आदिवासी जनता के कल्याण के लिए राज्यों को स्वयं अपने अंशदान के रूप में वहन करना होता है।

बंगाल की खाड़ी में तेल की परत

[अनुवाद]

2333. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री चितेन्द्र नाथ दास :

डा० असीम बाला :

श्री प्रणव मुखोपाध्याय :

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर :

श्री गुरुदास कामत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी में तेल की परत से पशुओं और पौधों के जीवन को खतरा हो गया है;

(ख) क्या इस परत से सुन्दरवन में वायुशिपू वनों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ग) यदि हां, तो यह परत किस प्रकार जमी है; और

(घ) परत के सुन्दरवन की भूमि की ओर बढ़ने से पूर्व इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर आइलैंड के लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में बंगलादेश के भूभागीय जल में तेल रिसाव देखा गया है। रिपोर्ट मिली है कि तेल रिसाव तब हुआ जब सिंगापुर जाने वाले टैंकर टी०टी० एनर्जी से कच्चे तेल को चटगांव तट से दूर कुतुबदिया के आईलैंड में बंगलादेश शिपिंग कार्पोरेशन के एक छोटे टैंकर में डाला जा रहा था। यह उत्सर्जन उस समय हुआ जब टी० टी० एनर्जी पर एक पुराने टैंकर से रिसाव हुआ।

शुरू में तेल रिसाव 13 किलोमीटर क्षेत्र में फैला, लेकिन बाद में छोटे-छोटे हिस्सों में फैल गया। अब इस क्षेत्र में कोई रिसाव नजर नहीं आता, क्योंकि रिसाव पूर्णत: बिखर चुका है, इसलिए सुन्दरवन में पशुओं, पौधों और कच्छ वनस्पति के वनों को कोई खतरा नहीं है।

एक अन्तर विभागीय समन्वय दल तेल रिसाव की निगरानी कर रहा है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करती हूं कि बिहार में कानून और व्यवस्था जंगल के राज्य जैसा हो गया है। अभी-अभी कुछ दिन पहले......(व्यवधान) आपको सुनना होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अभी एक सप्ताह के अन्दर चार किडनेपिंग हुए हैं। बेगूसराय जिले में अभी परसों एक व्यापारी के बच्चे को उठाकर ले गए, उसके पहले एक डाक्टर के बेटे को ले गये और मुख्य मन्त्री से जब लोग बिहार में मिलने के लिए गये तो उन्होंने कहा कि बच्चा नाव में गंगा नदी में घूम रहा होगा और दो-तीन दिन में खुद आ जायेगा। अब आप ही बताइए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को यह कहना चाहती हूं कि भारत सरकार मूकदृष्टि बन कर नहीं रहे, इसमें उनको कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। (व्यवधान)

बारा जैसा सामूहिक नरसंहार हुआ और सारा विश्व हतप्रभ होकर देखता रहा, इस प्रकार की अमानुषिक हत्याएं हो रही हैं और किडनेपिंग की तो वहां पर आम बात हो गई है। अभी परसों बेगूसराय में एक व्यापारी श्री रोंगटा के बच्चे को उठाकर ले जाया गया। (व्यवधान) इसके पहले डा० आर० सी० राम के बच्चे को उठा कर ले जाया गया। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को आपको सुनना चाहिए।

ये जनता दल के लोग इन बातों को नहीं उठाएंगे, ये ऐसी बातों को उठाएंगे जो रचनात्मक बात होगी। इसलिए इनको देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये जनता दल के नेता लोग यहां बैठे हुए हैं। (व्यवधान) बारा जैसा अमानुषिक काण्ड यहां पर हुआ है जिसको सारे विश्व ने देखा है लेकिन फिर भी किसी ने इसको नहीं उठाया, उस पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आपको इसमें हस्तक्षेप करना होगा, भारत सरकार को आपको कहना होगा कि बिहार में ऐसी घटनाएं होना यह सारे देश के लिए शर्मिन्दगी की बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई कोर्ट नहीं है कि जहां पर सवाल किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कह रहा हूं कि आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं खड़ा हूं। क्या प्रतिदिन यह आवश्यक है कि पीठासीन अधिकारी खड़ा होकर यह कहे कि आपको एक-एक करके बोलने की अनुमति दी जाएगी? आप यह क्यों नहीं सोचते हैं कि सदस्यों को एक-एक करके बोलने दिया जायेगा। आप हर समय क्यों एक साथ खड़े हो जाते हैं और फिर बैठते हैं? मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है। मेरी बात सुननी ही होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। क्या आप बस बोलने में ही रुचि रखते हैं? क्या आप यह नहीं चाहते कि आप जो कुछ भी बोलें उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए ? यदि आप रुचि रखते है तो कृपया सहयोग करें। आपको एक-एक करके अवसर मिलेगा। मैं आपका नाम पुकारूंगा। तब आप खड़े होना और फिर बोलना।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, क्या इनको ही बोलने का अधिकार है, मुझे नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको भी अधिकार है। आपको बोलने का समय दिया गया है।

श्रीमती कृष्णा साही : इस पर राम विलास पासवान जी कुछ नहीं बोलेंगे, इस पर वी०पी० सिंह जी कुछ नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको बात समझ में नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं उनको बोल रहा था, आपको नहीं बोल रहा था। आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एक महिला सदस्य होने के नाते पहली बार अनुमति दी। आप अनावश्यक रूप से व्यवधान क्यों डाल रही हैं ? मैंने आपको पहली बार अनुमति दी। आप अभी भी आक्षेप लगा रही हैं। यह बहुत अनुचित और अन्यायपूर्ण है। मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने मेरा नाम लिया है और कहा है कि राम विलास जी को इस पर बोलना चाहिए। मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना कहा है कि राम विलास जी हाउस में बहुत एक्टिव हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही मांग भारत सरकार से करना चाहता हूं कि वह एक व्हाइट पेपर जारी करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उनके वक्तव्य को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। मैंने श्री चौधरी को बोलने

के लिए कहा है। आप अपना वक्तव्य जबरन दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : नहीं अध्यक्ष महोदय, या फिर बाद में एक लाइन के लिए मुझे समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बाद में दे देंगे।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के बारे में

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं सरकार और सभा का ध्यान एक अत्यन्त चिंताजनक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि श्री पेरुम्बुदूर में 21 मई की दुर्भाग्यपूर्ण रात को, जब भूतपूर्व प्रधानमन्त्री की जघन्यपूर्ण हत्या की गई थी, ली गई वीडियो फिल्म को मिटा दिया गया है। इस घटना से तत्काल पूर्व और पश्चात की 4 मिनट की अवधि की फिल्म को मिटा दिया गया है। दि पायनियर नामक एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने इसे मुख्य रूप से प्रचारित किया है। विगत में, इस सभा में अनेक बार हम अनेक मामले सरकार और सभा के ध्यान में लाए हैं कि इस जांच के मामले में अजीबोगरीब बातें हो रही हैं, संदिग्ध व्यक्तियों को रहस्यमय परिस्थितियों में मार डाला गया। साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं। अब यह नवीनतम समाचार आया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नहीं। यदि हां तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? यदि यह सच है तो वे इस जघन्य हत्या के महत्वपूर्ण साक्ष्य को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कारवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर मैं कहूंगा कि कम से कम सरकार को यह बताना चाहिए कि यह साक्ष्य, यह वीडियो कैसेट कैमरा कैसे नष्ट किए गए हैं? सरकार को इन सब बातों के बारे में बताना चाहिए।

12.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उसके बिना सच्चाई कभी भी सामने नहीं आएगी। सच्चाई बाहर आनी चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : हम नहीं जानते कि इस मामले में क्या हो रहा है। इस मामले में कांग्रेस (आई) के सदस्य चुप क्यों हैं? (व्यवधान)

श्री चन्द्र जीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, माननीय सदस्य श्री सैफुद्दीन चौधरी ने सभा का ध्यान हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की इस अति स्तब्धकारी हत्या की जांच के केवल एक पहलू की ओर दिलाया गया है। समाचार पत्रों में इस बारे में काफी कुछ छप रहा है जिन पर व्यापक चर्चा हो रही है कि सही ढंग से जांच पूरी न होने देने और अपराधियों को दंड न दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : यह सही नहीं है। हम यह सही ढंग से कर रहे हैं।

श्री चन्द्र जीत यादव : इससे हमें जान एफ० कैनेडी की हत्या और उसकी जांच तथा उस मामले में साक्ष्य को समाप्त किए जाने की बात याद हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए और इस सभा को, इस सभा को ही नहीं बल्कि इस देश के सारे लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि उचित जांच चल रही है और साक्ष्य को मिटाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मई की इस दुर्घटना के बाद दो बार यह सवाल सदन में उठा है और स्वाभाविक रूप से लोगों ने चिंता व्यक्त की। पत्र-पत्रिकाओं में जो समाचार छपे थे उसके आधार पर आशंकाएं प्रकट की। लेकिन इस बात का मुझे खेद है कि इतनी भयंकर, भीषण दुर्घटना हो गई, जिसमें देश के प्रधान मन्त्री की हत्या हो गयी, उसके बाद सरकार ने इसमें जवाबदारी न समझी कि एक बार आकर जो भी आज तक कार्यवाही हुई है, उससे सदन को अवगत करवाए। क्योंकि जे० के० कैनेडी का उदाहरण दिया गया, मैं समझता हूं कि सदन के सभी लोगों को पता होगा कि इतने वर्षों बाद भी वहां पर "वारन आयोग" नाम का आयोग गठित हुआ। उसने इतनी वाल्यूमनस रिपोर्ट दी, उसके बाद आज भी एक बहुत बड़ी फिल्म बनी है जिसके आधार पर सारे वारन आयोग को डिसप्रूव किया गया। जिन लोगों ने फिल्म देखी है, उन्होंने कहा है कि बड़े प्रभावी रूप से डिसप्रूव किया गया है। इस प्रकार की घटना कभी भी कहीं होती है तो शंकाओं का घेरा घिरा रहेगा। इसलिए सरकार की जवाबदारी है कि केवल मात्र पत्र-पत्रिकाओं पर न छोड़ दें। केवल पत्र-पत्रिकाओं के आधार पर हम खड़े होकर बात न करें। अपनी तरफ से साफ तौर पर आकर कहें कि यह-यह बात हमने अब तक की है, इस-इस बात के बारे में हम संतुष्ट हैं, ये पहलू हैं, जिनके बारे में हम भी असन्तुष्ट हैं। हम उसकी और छान-बीन कर रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से एक बार सदन में विस्तृत वक्तव्य देकर विश्वास में लेंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिए भी अच्छा होगा और सरकार की जो जवाबदारी है, इस मामले में वह भी पूरी होगी।

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि आडवाणी जी और सैफुद्दीन चौधरी जी द्वारा इस सवाल को उठाने से पहले सरकार की तरफ से सुओ-मोटो स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ आडवाणी जी और चौधरी जी कह चुके हैं मैं उनके समर्थन में यह कहना चाहता हूं, कुमारमंगलम जी यहां मौजूद हैं, राजीव गांधी जी देश के प्रधान मन्त्री थे, विरोधी दल के नेता थे और देश के विशिष्ट नेता थे, उनकी हत्या के बारे में अब संसद में सन्देह हो सकता है कि जिस तरीके से एवीडेंस को खत्म किया जाता है, उसके बारे में सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। कैनेडी के बारे में जिक्र किया गया, मैं भी कहना चाहता हूं, यह जानते हुए कि दुनिया में जो राष्ट्राध्यक्ष या प्राईम-मिनिस्टर हैं, मैं स्वीडन के प्राईम-मिनिस्टर के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में भी हम अखबार में पढ़ते हैं कि जो एवीडेंस हैं वे या तो खत्म किये जा रहे हैं या सामने नहीं आ रहे हैं। इसको देख कर सरकार को सावधान रहना चाहिए था।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि सरकार को इस बारे में जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं बरती। मैं जानना चाहता हूं सरकार से, आपको भी सरकार को आदेश देना चाहिए, कम से कम शुक्रवार के पहले मैं चाहूंगा कि कुमारमंगलम जी यह जिम्मेवारी लें और सदन को आश्वासन दें कि राजीव गांधी की जो हत्या के बारे में इन्क्वायरी हो रही है उसके बारे में अभी तक जो त्रुटियां हुई हैं, कमजोरियां हुई हैं, उन त्रुटियों और कमजोरियों को किस तरीके से दूर

किया जायेगा। इस सदन को विश्वास में लें और देश को विश्वास में लें।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जी की हत्या हुई और हत्या के बाद वर्मा कमीशन उसकी जांच कर रहा है। लेकिन प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि जो नये-नये तत्व सामने आ रहे हैं, उससे शंकाएं बढ़ती हैं। जब बड़े लोगों की हत्या होती है, खास तौर से जब प्रधान मन्त्री की हत्या होती है तो तरह-तरह की शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह सरकार की जवाबदेही होती है कि जो आम लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न हों उनका निराकरण किया जाए। ऐसा नहीं कि लोगों को मालूम हो कि आपने जो कमीशन बनाया है, वह जांच कर रहा है तो किसी न किसी तथ्य को छिपाने का काम किया जाता है। मैं, आग्रह करूंगा कि सरकार तथ्यों को रखें और अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है। डे-टू-डे वर्क में हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। जो शंकाएं माननीय सदस्यों के दिमाग में है और जो आम तौर से शंकाएं उत्पन्न की जाती हैं तो सरकार को निश्चित रूप से उसका निराकरण करना चाहिए। सरकार का एक स्टेटमेंट इस सदन में आना चाहिए, यह हम लोगों की मांग है।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बुरी घटना है जो तमिलनाडु में हुई है और हम सब भारतवासियों को अपने सर शर्म से झुका लेना चाहिए। चूंकि माननीय सदस्य ने उस दुर्घटना की याद दिलाई है, मैं चाहता हूं कि सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए। मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि एक भारतीय संसद सदस्य अवैध रूप से प्रभाकरन से मिला जिस पर राजीव गांधी की हत्या करवाने का आरोप लगाया गया था। उस भारतीय सांसद का, जो अभी भी सांसद है स्पष्ट वक्तव्य लेना चाहिए और यह उस भारतीय सांसद का कर्तव्य है कि वह सभा और देश को बताए कि अवैध रूप से प्रभाकरन से मिलने पर उससे उनकी क्या बात हुई। चूंकि उनकी पार्टी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पार्टी है इसलिए यह उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है (व्यवधान) वह अवैध रूप से प्रभाकरन से मिले जो राजीव गांधी की हत्या के कारण थे। मैं उन संसद सदस्य महोदय का नाम नहीं लेना चाहता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जनार्दनन जी कृपया ऐसे व्यक्तियों के नाम मत लीजिए जो यहां अपना बचाव नहीं कर सकते हैं।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : प्रभाकरन राजीव गांधी की हत्या के मुख्य कारण थे और आयोग ने उसका निर्णय किया था।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय उन्होंने केवल प्रभाकरन का नाम लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल रहा हूं।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। प्रभाकरन राजीव गांधी की हत्या का कारण था और समाचार पत्रों में इसका उल्लेख है। यह प्रकाशित हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : जनार्दनन जी आपकी चाहे जो भी मंशा हो परन्तु कृपया ऐसे व्यक्ति का नाम न लें जो अपना बचाव नहीं कर सकता।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, उन्होंने प्रभाकरन का नाम नाम लिया है जो लिट्टे के नेता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वह केवल यह कह रहे थे कि हमारे एक संसद सदस्य अवैध रूप से प्रभाकरन से मिले हैं और सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिए और सभा को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, तो फिर यह इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मुझे कहना है कि उन्होंने उस व्यक्ति, जिसका नाम समाचार पत्रों में छपा है, के अलावा से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। उसके अनुसार प्रभाकरन ने यह सब प्रबंध किया था और वह राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी था। और मैं नहीं सोचता कि इसका अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेना बताया जाएगा जो अपना बचाव नहीं कर सकता। अत: कृपया उसकी अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सब ठीक है। अब श्री थामस, क्या आपको कुछ कहना है?

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तपुजा) : महोदय, यह वास्तव में बहुत व्याकुल कर देने वाली बात है कि जांच-पड़ताल से अनेक तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं। यद्यपि हम पिछले कुछ समय से यह सुनते आये हैं और जांच-पड़ताल से भी यह पता चलता है कि इसमें अनेक लोगों अथवा अनेक संस्थाओं के विरुद्ध जो किसी न किसी रूप में सम्मिलित थे, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वास्तव में यह बात भी व्याकुल कर देने वाली है कि जो समाचार प्रकाशित हुआ था उसमें इस बात का उल्लेख था कि वीडियो कैसेट के एक भाग को, जिसमें घटना के महत्वपूर्ण भाग को दिखाया गया है, नष्ट कर दिया गया है। यदि ऐसा हुआ है तो वास्तव में यह व्याकुल कर देने वाली बात है और हम इस बात को यथा शीघ्र सभा की जानकारी में लाये बिना कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है और ऐसा कैसे हुआ है, हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रह सकते। अत: मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को अत्यंत व्याकुल कर देने वाले इस तथ्य के बारे में कि एक अत्यंत वरिष्ठ व्यक्ति, जो भारत की राजनीति में लिप्त है, 'लिट्टे' के प्रमुख से मिलने के लिए श्रीलंका गया और वह दुर्घटना से पूर्व उससे मिला, इन सभी पहलुओं पर एक वक्तव्य देना चाहिए। और इस घटना का भी इससे कुछ लेना-देना है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और सरकार को इस संबंध में तुरन्त वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप किसी भी राजनीतिक दल के संसद सदस्य का नाम नहीं ले रहे हैं। इस घटना को घटे हुए 7-8 महीने हो गए हैं। आपने दो ज्युडिशियल कमीशन बिठाए हैं एक तो एस० आई० टी० है। सारी जांच आप करवा रहे हैं। यहां पर एक सदस्य और उसके बाद दूसरे सदस्य खड़े होकर कह रहे हैं कि एक साहब यहां से वहां गये थे, वहां जाकर प्रभाकरन से मिले थे, उनका और हत्या का रिश्ता, यह सारी चीज इसी न्यूएशन और इंयूएंडो कही जाती है। मंत्री महोदय खड़े होकर बोलते हैं कि नाम लिया है कोई बात नहीं है, यह नहीं चलेगा। आपके हाथ में सारे अधिकार हैं।...अन्त में शक की सुई किसी

ओर तो इंगित करेगी ही यह अन्त में उन्हीं लोगों पर जाएगी जो इस जांच के प्रभारी हैं। आपके हाथ में इंवेस्टीगेशन करने का पूरा अधिकार है। आप लोग दूसरों के उपर शक निर्माण करने की बात कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके हाथ में सम्पूर्ण राज्य-तंत्र है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सरकार सही जांच नहीं करवा सकती तो रिजाइन करना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीस व्यक्तियों ने 10 बजे से पूर्व कार्यालय में आकर सूचना दी है। कार्यालय ने उनके नाम की सूची बनाई है। एक बजने से पूर्व हमारे पास केवल चालीस मिनट का समय शेष है। सूची के अनुसार मैं लोगों के नाम पुकारूंगा ताकि वे एक-एक मिनट का समय ले सकें। जिन लोगों ने 10 बजे से पूर्व कार्यालय आने का कष्ट उठाया है और सूची में अपने नाम दर्ज करवाये हैं, यदि हम इस प्रक्रिया को, जो हमने आज निर्धारित की है, अपनाते हैं तो इस सभा में उन लोगों का नाम नहीं पुकारा जा सकता जिन्होंने सुबह आने का कष्ट किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि यह विषय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सदस्यों ने अपनी शिकायतों पर खुले आम विचार-विमर्श किया है। वे इस विषय को सरकार के ध्यान में लाए हैं। अतः अन्य विषयों के मामले में भी हमें कतिपय नियमों और प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जब कभी कोई व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करता है तो उसे बोलने के लिए कहा जाये दूसरे व्यक्तियों को बोलने का मौका न मिले जिन लोगों की आवाज ऊंची होती है केवल वे ही ऐसे मामले में पीठासीन अधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और जिन लोगों की आवाज मन्द होती है उन्हें सुना नहीं जा सकता। यह अन्याय है। अतः इस संबंध में कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रक्रिया यह है कि आप सभी कार्यालय जायें और 10 बजे से पहले सूचना दें। समयानुसार सूची यहां पर उपलब्ध है। आज 21 लोगों ने अपने नाम दिए हैं। 1 बजे तक हमें अधिक से अधिक सदस्यों के नाम पुकारने चाहिए। एक एक करके उन्हें जल्दी-जल्दी यह बताना चाहिए कि वे क्या महसूस करते हैं और उन्हें भी अपने पश्चातवर्ती वक्ताओं को बोलने का मौका देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : स्वविवेक का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उससे किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। यह असंभव है। कोई व्यक्ति सभा में महत्वपूर्ण विषय पर खुले आम विचार विमर्श करना चाहता है और किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे मामले पर, जो अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, बोलने का मौका मिल जाता है। अतः कार्यालय ने ऐसे व्यक्तियों का पता लगाकर उनकी एक सूची तैयार की है मैं समझता हूं कि हमें उस सूची के अनुसार कार्य करना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय आपका कहना ठीक है कि सूची के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं, उदाहरण के तौर पर आज उठाया गया विषय, जिसके बारे में मैं सरकार से आशा करूंगा कि वह इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे या कम से कम सभा

को यह आश्वासन दे कि वह गृह मंत्री के साथ चर्चा करने के पश्चात अपने विचार प्रकट करेगी। इस समय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे नाम का भी ध्यान रखा जाये, मैं आप का आभारी हूं। श्री राजीव गांधी की हत्या उन बीभत्स घटनाओं में से एक है जिन्होंने इस राष्ट्र को पूरी तरह से झिझोड़ दिया है। जहां-जहां विश्व के नेताओं की हत्यायें हुई है वहां-वहां जांच की प्रक्रिया की आलोचना हुई है। हम इस बात से अवगत हैं कि दो जांच आयोग इस मामले की जांच कर रहे हैं। यह सत्य है कि समाचार पत्रों में भिन्न-भिन्न बयान आ रहे हैं। कुछ समाचार पत्रों में यह कहा जा रहा है कि इस साक्ष्य को नष्ट कर दिया गया है, कुछ कह रहे हैं कि इस साक्षी ने आत्म हत्या कर ली है और कुछ अलग-अलग किस्म की बातें कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो मामला उठता है वह यह है कि यदि सरकार इन दो जांच आयोगों की विचार धीनता के दौरान, अपने विचार प्रकट करती है कि जांच दल-विशेष जांच दल जो इसकी छानबीन कर रहा है—आयोग के समक्ष क्या कुछ प्रस्तुत कर रहा है—तो मैं नहीं समझता कि इससे आयोग को, घटना में क्या कुछ हुआ संबंधी सारी सूचना मिलने के पश्चात, सही और पूर्ण विवरण मिलने में कोई वास्तविक सहायता मिलेगी। महोदय, इस बात की संभावना है कि, हत्या के ऐसे मामले में ऐसी भी आशा हो जाती है, जांच के बारे में कीचड़ उछालने का प्रयास किया जायेगा।

मैं आवश्यक रूप से यह नहीं कह रहा हूं कि जांच दल जो कुछ कर रहा है वह ठीक है या नहीं है इस संबंध में भी आयोग ही बतायेगा। लेकिन इस बात का प्रयास रहेगा कि जांच के प्रति उदासीनता बरती जाये, वातावरण में घबराहट पैदा कर दी जाये। और यह सुनिश्चित किया जाये कि वास्तविक अपराधियों को सजा न मिले और वास्तविक कहानी का पता न चले। इस प्रकार का प्रयास किया जायेगा और इस संबंध मे सामान्य प्रक्रिया इस्तेमाल की जाऐगी। चूंकि विपक्ष मिलकर इस नतीजे पर पहुंचा है कि वे सरकार से इस संबंध में वक्तव्य देने के लिए कहेंगे तो मैं गृह मंत्री से इस बात का पता लगाऊंगा कि हम इस संबंध में वास्तव म कितना कुछ कह सकते हैं।

लेकिन मुझे विश्वास है कि सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि इस समय सब कुछ बताने के लिए सरकार की कुछ सीमायें हैं क्योंकि इससे जांच प्रभावित होगी। कुछ हद तक हम शंकाओं को दूर कर सकते हैं। हम शंकाओं को दूर करना चाहेंगे और हम यह नहीं चाहेंगे कि किसी तरह जांच प्रभावित हो। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि···(व्यवधान) मैं माफी चाहूंगा, यह भी बहुत गम्भीर बात है (व्यवधान) मैं नहीं समझता कि यह उचित है। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा है कि मैं इस बात को गृह मंत्री की जानकारी में लाऊंगा और सरकार इस संबंध में अपने विचार प्रकट करेगी (व्यवधान) लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है और मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसी कोई मुहिम शुरू न होने दें जिससे जांच प्राधिकारियों पर किसी प्रकार का कोई लांछन लगे क्योंकि इससे सच्चाई का पता न लगाने संबंधी उद्देश्य की ही पूर्ति होगी (व्यवधान) किसी को भी ऐसा न करने दें (व्यवधान)। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई ऐसा कर रहा है (व्यवधान)। मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि जिसके बारे में मैं आश्वस्त हूं कि वह इस जघन्य हत्या पर उतना ही विचलित हो गया है जितना कि हम, इस संबंध में हमें मिल जुल कर कार्य करना चाहिए और सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि···(व्यवधान) खुराना जी, जब मैं बोल रहा हूं तो यह कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : कांग्रेस के एम० पी० कमीशन के सामने नहीं जाते। इन्क्वायरी के अन्दर सहयोग नहीं कर रहे हैं। मेरा आरोप है कि कांग्रेस के एम० पी० जी... ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सदन को चलाने की यह प्रक्रिया नहीं है। (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : (व्यवधान) **

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सुरक्षा का अनुरोध करता हूं क्योंकि सदस्यगण चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कांग्रेस के एम० पी० कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन को स्कूल की कक्षा न बनाएं। यह कक्षा का कमरा नहीं है। यहां किसी को यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि किसी को कैसे बोलना चाहिए। मैं इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि दो व्यक्ति एक साथ बोलेंगे, तो उनकी कोई बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इसे भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर आप सभी बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं। मैं समझता हूं कि शून्य काल के दौरान, हमें पर्याप्त सूचना नहीं मिल पाती है। इसके लिए नियम में संगत प्रावधान है। यदि आप लोग इस विषय पर ज्यादा उत्तेजित हैं तो आप इसे सम्बद्ध नियम के अधीन उठा सकते हैं जिसमें सरकार को इसका उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़े।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इक्कीस सदस्यों ने अपना नाम दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आ रहे हैं और अपना नाम दे रहे हैं। यह अस्पष्ट है। एक बार, पुन: वे नाम लिए गए। इसलिए मैं तैयार की गई सूची के अनुसार बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रिय मित्र श्री खुराना जी से बहुत स्नेह करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। हम दोनों ने कामगार यूनियनों मे अवसर ही साथ-साथ कार्य किया है। लेकिन मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि यहां हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, वह एक गम्भीर प्रकृति का है। मेरा उनसे अनुरोध है कि मेरी बात को सुनें। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। हम इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच के लिए पूर्णतया वचनबद्ध हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : इसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम। जहां तक जांच में हुई प्रगति का प्रश्न है तो मैं कहना चाहता हूं कि इसे दोनों जांच आयोगों के समक्ष रखा जा रहा है।

यदि आप प्रगति का वास्तविक ब्योरा जानना चाहते हैं तो मैं गृह मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे पुन: सभा में आएं। मैं यह बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के सभा में आने के पश्चात हम सभी तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर सभा का वातावरण उचित बनाए रखें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : विगत दो दिनों से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं पर मुझे इसका अवसर नहीं प्रदान किया गया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यही कठिनाई है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। अब मैं श्री वी० धनंजय कुमार को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : हमको भी चांस देना चाहिए। हमने भी नोटिस दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन सभी व्यक्तियों का नाम यहां दर्ज हैं जिन्होंने अपना नाम दिया है। मैं सूची के अनुसार ही उनको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन सभी माननीय सदस्यों का नाम, जिन्होंने इसकी सूचना 10 म० पू० के पहले दी है, यहां दर्ज है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मुझे उन सभी इक्कीस सदस्यों का नाम पढ़ना पड़े तो इसमें इक्कीस मिनट लगेंगे। थोड़ा रुकिए। आइये हम कुछ समय की बचत करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालयोगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलोर) : महोदय, मैं इस श्रद्धास्पद सभा तथा सरकार का ध्यान कर्नाटक में हुई चिन्ताजनक राजनैतिक स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे विचार से कर्नाटक में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है इस महीने की तीन तारीख को विधानपालिका में बजट प्रस्तुत किया जाना था (व्यवधान) इस संबंध में एक आरोप लगाया गया है। (व्यवधान)

महोदय, संसदीय लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सत्ताधारी दल के सदस्य ने बजट लीक के मामले को लेकर अपना विरोध जताया हो, अब मैं उससे सम्बद्ध नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब, आपकी चिन्ता क्या है ?

श्री वी० धनंजय कुमार : मेरी चिन्ता का विषय यह है कि तीन तारीख को बजट प्रस्तुत करने के पश्चात से कर्नाटक विधान सभा के दोनों सदन उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन किसी भी निर्वाचित सरकार का यह एक अनिवार्य व्यक्ति होता है कि वह विधानपालिका का उचित रूप से कार्य संचालन करे। लेकिन वहां सम्पूर्ण विपक्ष के लोग विधान-पालिका का बहिष्कार किया हुआ है। (व्यवधान) बहुसंख्यक सत्ताधारी दल के सदस्य भी मुख्य मंत्री में अपना विश्वास खो चुके हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल द्वारा कर्नाटक

में हुई इस राजनीतिक स्थिति की, कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मुख्य मंत्री विपक्ष तथा सत्ताधारी दल के सदस्यों का विश्वास खो चुके हैं इस तरह वह कर्नाटक के लोगों का भी विश्वास खो चुके हैं। (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में राज्यपाल द्वारा कोई रिपोर्ट दी गई है या क्या इस संबंध में राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंगे···(व्यवधान)···महोदय, इस संबंध में, माननीय मंत्री महोदय को, जो कि यहां उपस्थित हैं, प्रकाश डालना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद मंजेरी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि राज्यों संबंधी मुद्दे यहां नहीं उठाए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, 3 मार्च, 1992 को आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के तुनी के रापाका गांव में हरिजन तथा भूमिहीन निर्धन लोगों के करीब तीन सौ सत्तर परिवार आग से प्रभावित हुए। इनमें अधिकतर लोगों का सामान नष्ट हो गया और वे बेघर हो गए। इन लोगों का केवल घर ही नष्ट नहीं हुआ अपितु उनका सारा घरेलू सामान नष्ट हो गया और वे अब दहशत की दशा में रह रहे हैं। इन आग से प्रभावित व्यक्तियों के सहायतार्थ मैं माननीय प्रधान मंत्री से उन निसहाय व्यक्तियों को उपयुक्त सहायता देने का अनुरोध करूंगा जिससे उनका शीघ्रातिशीघ्र पुनर्वास कराया जा सके। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुमान मल लोढ़ा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और प्रधान मंत्री जी का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां बहुत से जिलों में सूखा और अकाल है। कल प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा बहुत सस्ता धान बेच रहे हैं परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जहां हमें 139 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है, ताकि हम प्रति व्यक्ति को कम से कम 10 किलो धान दे सकें, उसके बदले हमें केवल 75 हजार किलो धान दिया जा रहा है। इसी प्रकार चावल के कोटे में भी कटौती कर दी गई है, शक्कर के कोटे में भी कटौती कर दी गई है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि राजस्थान में 10 किलो प्रति व्यक्ति धान मिल सके, इसके लिए पूरी सप्लाई राजस्थान सरकार को की जाए। गेहूं, चावल और इसके साथ-साथ लेवी शूगर का जितना कोटा है, वह पूरा किया जाए अन्यथा वहां पर आज राशन की शॉप्स पर भारी भीड़ लगी हुई है। धान लोगों को मिलता नहीं है, चावल मिलता नहीं है। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से पत्र लिखकर राशन का कोटा बढ़ाने का निवेदन किया है। मेरी मांग है कि राजस्थान को आवश्यकता के हिसाब से सप्लाई तुरन्त भेजी जाए। धन्यवाद। (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० राजागोपालन श्रीधरन (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मुझे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला

उठाना है। परन्तु आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। आप विपक्ष के प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए कह रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए समय देना वास्तव में असम्भव है।

डा० राजागोपालन श्रीधरन : नहीं महोदय, आप हमें समय दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपका नाम सूची में है तो आपको बोलने के लिए कहा जाएगा। श्रीसूरज मंडल।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीधरण, कृपया बैठ जाओ। मैं बार-बार कह रहा हूं कि आपको केवल तभी बोलना चाहिए जब आपकी बारी आती है।

डा० राजागोपालन श्रीधरन : महोदय, मैं अपने दल के नेता को कुछ मिनट का समय देने का आपसे निवेदन कर रहा हूं और उससे अधिक कुछ भी नहीं मांग रहा हूं। आपने इन सभी व्यक्तियों को बोलने का अवसर दिया है। हम जो मामला उठाना चाहते हैं वह देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से आशा की जाती है कि वे प्रातः 10 बजे कार्यालय में इस बाबत नोटिस दें। यदि आपका नाम सूची में होगा तो आपको निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। आप अनावश्यक रूप से उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?

डा० राजागोपालन श्रीधरन : महोदय, हमने नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम सूची में ग्यारहवां है। उन्हें बुलाया जाएगा। आप अनावश्यक रूप से उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? इस प्रकार से हमारा पूरा समय बर्बाद हो जाता है। और अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर समाप्त हो जाता है। आखिर इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कृपया आप बैठ जाएं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर समस्या की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो सरकार तबाह भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है। दिल्ली का आज जिस आर्थिक भरोसे पर टिकाव है वह भी कमजोर हो सकता है। झारखंड राज्य के बारे में कई बार हम सवाल उठा चुके हैं। इस सदन में मेरा और मेरे दल का आने का एक ही मकसद है कि भारत सरकार इस मसले को सोल्व करे नहीं तो साफ कहे कि हम नहीं करेंगे, हम फिर से जंगल में चले जाएंगे।

पिछले दो दिसम्बर को सरकार ने यहां पर मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था। मुख्य मंत्रियों के बदले 20 जनवरी को दो गृह सचिवों की बैठक की। फिर बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्री यहां आए, उसके बाद दो मुख्य मंत्री आए और उस समस्या पर कोई चर्चा नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि जब बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्री आए थे तो उन दोनों से बात करके इस सवाल पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए था। हम झारखंड मुक्ति मोर्चे की तरफ से 21 तारीख से पूरा झारखंड बन्द करने जा रहे हैं और वहां से कोयला, लोहा, बिजली, खनिज सम्पदा बन्द कर देंगे।

आज भारत सरकार झारखंड को कश्मीर, आसाम, पंजाब की तरह मजबूर होकर, वहां के लोगों को ए० के० 47 पकड़ने पर मजबूर करना चाहती है। आदिवासी इलाके के लोग यदि अपने हाथ में हथियार उठा लेंगे तो पंजाब और कश्मीर से भी ज्यादा खतरनाक होगा। आप पुलिस, सी०आर०पी० की बदौलत उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि इस महीने की 15 तारीख आखिरी दिन है, उसके बाद हम सरकार से बात नहीं करेंगे। सरकार 15 तारीख तक बात करे और इसका समाधान निकाले।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : सेशन के बाद बात कीजिए।

श्री सूरज मंडल : टालमटोल की स्थिति नहीं चलेगी। साफ कहिए नहीं तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर हमें दूसरे देशों से तेल मंगाने को विवश होना पड़ता है, वहां दूसरी तरफ राजस्थान में अबकी बार सरसों के सपोर्ट प्राइस अभी तक तय नहीं किए गए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि कृषि मंत्री राजस्थान के होते हुए भी आज तक सरसों के सपोर्ट प्राइस तय नहीं कर पाये हैं। वह आज की तारीख में काश्तकारों से सरसों खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। परसों की तारीख में कोटा जिले में 16 हजार बोरी सरसों की मंडी के अन्दर पड़ी रही और उसकी कोई खरीद नहीं हुई। इसके कारण 500 रुपये क्विंटल सरसों के दाम एक साथ गिर गये। कृषि मंत्री जी हमें इसके बारे में जवाब दें और कृपा करके बताएं कि सरसों के सपोर्ट प्राइस कब तय हो रहे हैं व सरकार कब राजस्थान में सरसों खरीदने की व्यवस्था कर रही है जिससे राजस्थान के किसान बरबाद होने से बच जाएं। अधिक तिलहन होने का जो एक नया वातावरण बना था, वह समाप्त हो गया है। मैं पुरजोर शब्दों में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी सरसों के सपोर्ट प्राइस शीघ्र से शीघ्र तय करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको बोलने का अवसर मिलता है तो आपको यह याद रखना चाहिए कि अन्य सदस्य भी हैं जो वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं।

[हिन्दी]

इतना समझ में रखना जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री हाराधन राय : हमने भी नोटिस दिया हुआ है। हमें क्यों नहीं बुलाया जाता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले से तैयार की गई सूची के अनुसार वक्ताओं के नाम बुला रहा हूं।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। तमिलनाडु सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रही है। केन्द्रीय सरकार को एल०टी०टी०ई० (लिट्टे) पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाकर कानून और व्यवस्था बनाये रखने के राज्य सरकार के कार्य को

आह्वान बनाने के लिए आगे आना चाहिए।

लिट्टे से सहायता प्राप्त करके तमिलनाडु में अनेक मोर्चा संगठन पनप गये हैं। वे राजद्रोही और पृथकतावादी आन्दोलन से संबन्धित भाषणों में शामिल हैं। वे पदमनाभा और श्री राजीव गांधी की हत्या के मामलों में संलिप्त प्रभाकरन और शिवरासन का खुले रूप से गुणगान करते हैं। विशेष जांच दल द्वारा प्रभाकरन को श्री राजीव गांधी के मामले में अपराधी घोषित कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार को एक उद्घोषणा के द्वारा लिट्टे पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए।

अपना पदभार ग्रहण करने के पश्चात गत 8 महीनों के दौरान तमिलनाडु की मुख्य मंत्री के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद यह एक रहस्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक लिट्टे पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास क्यों नहीं किया? तमिलों की एकता को बढ़ावा देने के बहाने, लिट्टे के राजनैतिक संगठनों द्वारा अनेक सम्मेलन और बैठकें आयोजित की गई जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दी गई है। इन बैठकों में वक्ता केन्द्रीय और राज्य सरकार की भर्त्सना करते हैं और उसे तमिलों का मुक्तिदाता बताते हुए प्रभाकरन का गुणगान करते हैं। वे बार-बार घोषणा करते हैं कि तमिलनाडु को भारतीय संघ से अलग हो जाना चाहिए और एक स्वतन्त्र देश बन जाना चाहिए। यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है। इस प्रकार की राष्ट्र-विरोधी गतिविधि को आरम्भ में ही दबा दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हां, प्रत्येक बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

श्री पी० जी० नारायणन : जब राज्य सरकार और पुलिस ने इन बैठकों की अनुमति देने से इंकार किया और संबन्धित व्यक्तियों को हिरासत में लिया, तो विपक्ष ने शोर शराबा किया जिसका मुख्य तर्क यह है कि जब लिट्टे पर भारत में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तो उसे समर्थन देने के उनके कार्य को अपराध क्यों माना जाए। अतः,···

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ यह भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उनका भाषण पूरा हो चुका है। आपने पहले ही पांच मिनट···से अधिक समय ले लिया है।

(व्यवधान)*

श्री पी० जी० नारायणन : बैठक में भाषण···

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हां, श्रीमती बासवा राजेश्वरी

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय, जल के नलकूपों का विद्युतीकरण करने का सरकार का कार्यक्रम संकट में है क्योंकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा वाणिज्यिक बैंकों की योजना इसे सहायता देना बन्द करने की है। गत समय में अधिकांश नलकूपों के विद्युतीकरण की वित्त व्यवस्था विशेष परियोजना कृषि' कार्यक्रम के अन्तर्गत 'नाबार्ड', वाणिज्यिक बैंकों और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा बराबर-बराबार की गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने एक

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दस्तावेज में इस बात का उल्लेख किया है कि 'नाबार्ड' और अन्य बैंकों ने कार्यक्रम में अपने सहयोग को कम कर दिया है और अपना पूर्ण समर्थन वापस लेने के अपने इरादे का संकेत दे दिया है। इसने नलकूपों के विद्युतीकरण को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है। इसका कृषि उत्पादन से महत्वपूर्ण संबंध है।

'नाबार्ड' और अन्य बैंकों से निरंतर सहायता प्राप्त करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, योजना आयोग और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के संयुक्त प्रयासों को अभी तक सफलता नहीं मिली है।

नलकूप विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का एक मुख्य घटक है। अतः, मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह इस ओर शीघ्र ध्यान दे तथा यह सुनिश्चित करे कि 'नाबार्ड' और वाणिज्यिक बैंक नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए सहायता दें।

श्री पी० जी० नारायणन : महोदय, सिट्टे पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हम सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया चाहते है।

श्री हाराधन राय : महोदय, 29 फरवरी, 1992 को रात्रि 8.30 बजे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सशस्त्र जवानों ने बिहार में धनबाद जिले के सिनीडीह गांव में प्रवेश किया और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया। उन्होंने गांव के हरिजनों पर गोलियां चलायी जिसमें छः हरिजन और दो आदिवासी गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। घायल छः हरिजनों में से दो महिलाएं थीं। इस गोलीबारी का कारण यह है कि ग्रामीणों ने एक दुर्घटना के मामले में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जीप चालक को डांट दिया था। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान अपने बैरकों से, जोकि सिनीडीह गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है निकल पड़े और उन पर गोलीबारी की। इसके विरोध में ग्रामीणों ने बाममाडा क्षेत्र में 'बन्द' का आह्वान किया और हिन्दुस्तान जिंक फैक्ट्री, टुंडी के उस दरवाजे पर अवरोध खड़ा कर दिया जहां औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात थे।

मैं मांग करता हूं कि इस अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदार औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए तथा पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाए।

श्री पी० जी० नारायणन : महोदय, हम सिट्टे मुद्दे पर सरकारी प्रतिक्रिया चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह गुप्त रूप से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आप चिन्ता न करें। वे आपके निवेदन का उत्तर देंगे।

[अनुवाद]

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : उपाध्यक्ष महोदय, परमाणु अप्रसार के मुद्दे और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के प्रश्न पर ढील न देते संयुक्त राज्य अमेरिका अब भारत को कश्मीर के मुद्दे पर दबाव में लाना चाहता है।

तीन सप्ताह पहले, जब पाकिस्तान में रह रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष श्री अमानुल्लाह खां ने वास्तविक नियन्त्रण रेखा को पार करके कश्मीर घाटी में घुसने का प्रयास किया था, यह बात साफ हो गयी। जब भारत ने श्री खान की योजनाओं, जिनको पाकिस्तान का गुप्त सहयोग मिल रहा बताते हैं, में निहित भयंकर परिणामों के बारे में अमेरिका सहित पांच बड़ी शक्तियों को सावधान किया था तब इन शक्तियों ने इस्लामाबाद को सलाह दी कि वह जम्मू कश्मीर

लिबरेशन फ्रंट के नेता को रोकें नहीं तो इस बारे में इस्लामाबाद की ढील से सीमा पर संघर्ष भड़क सकता है।

अमेरिका का इस्लामाबाद से खान की यात्रा को रोकने के लिए कहने की यह भी अर्थ है कि उसने भारत से सीधे यह कह दिया है कि इसके साथ ही भारत कश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ तथा कथित सार्थक समझौता वार्ता प्रारंभ करे। चूंकि यह हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है, अतः मुझे आशा है कि हमारी सरकार अमेरिका द्वारा पैदा किए गए जैसे दबावों की निश्चित ही निंदा करेगी।

श्री पी० जी० नारायणन : हम लिट्टे के मामले में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, अब हम पीछे नहीं लौट सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय निश्चय ही आपकी बात का उत्तर देंगे। अब उमा भारती बोलेंगी। कृपया आप अपनी बात दो मिनट के भीतर समाप्त करिए। संक्षिप्त कीजिए इसे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : ठीक है। मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगी। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भोपाल के केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, जिसका सालाना बजट पांच करोड़ रुपया है वहां पर अभी तक प्रभारी निदेशक नियुक्त नहीं है जब कि निदेशक के लिए इन्टरव्यू अगस्त महीने में हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ राजनैतिक कारणों से उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, सलेक्शन भी हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप 36 वैज्ञानिक उस संस्थान के इधर-उधर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के चक्कर लगाते फिर रहे हैं और इन अनियमितताओं के कारण करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि अगस्त महीनें के इंटरव्यू में जिनका सलेक्शन हो चुका है उनको अतिशीघ्र भोपाल के केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान में निदेशक के रूप में नियुक्त करें और अनियमितताओं की जांच करें।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी : 1991-92 की खरीफ की फसल और 1991-92 की रबी की फसल के दौरान महाराष्ट्र में कभी वर्षा न होने और कभी भारी वर्षा होने के साथ अनियमित वर्षा ने खरीफ और रबी दोनों फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। समय समय पर की गयी अस्थायी पैसावारी में यह देखा गया कि बहुत से गांवों की पैसावारी 50 पैसे अथवा उससे कम है। 14 जनवरी, 1992 को महाराष्ट्र सरकार ने 29,27[illegible] गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया।

महाराष्ट्र सरकार ने अभाव की मौजूदा स्थितियों से चौतरफा मोर्चा लेने का निर्णय लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री अन्ना जोशी : 31 मार्च, 1992 तक 52[illegible].09 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है और जून, 1992 तक की अवधि के लिए 210 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह स्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजे और महाराष्ट्र राज्य को केन्द्र से शीघ्र सहायता दें।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : मान्यवर, मैं बिहार राज्य से आता हूं और बिहार राज्य देश के आबादी में सबसे बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर है। वहां पटना में उच्च न्यायालय और सीजनल बोकेशन में रांची में आया जाता है। न्यायालयों में बड़े पैमाने पर काफी मामले लम्बित हैं और गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, विधि मंत्री बैठे हैं, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बिहार की आबादी और वहां न्यायालयों में काफी मामले लम्बित हैं, उनको देखते हुए उत्तर-बिहार में मुजफ्फरपुर में उच्च न्यायालय का एक पीठ स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : जिस व्यवस्थित ढंग से आप शून्यकाल को कार्यवाही चला रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहां हरेक मुखर नेता हैं और हर कोई हो-हल्ला मचा सकता है। इसलिए उन्हें दूसरों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए और न हो-हल्ला मचाना चाहिए। उन्हें अध्यक्ष पीठ की सहायता करनी चाहिए और दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। यहां उपस्थित प्रत्येक सदस्य से मेरा यही कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद। आप ठीक कह रहे हैं। यह एक अच्छी सलाह है।

श्री भोगेन्द्र झा : आज अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के हजारों कर्मचारी संसद मार्ग, नई दिल्ली पर धरने पर बैठे हैं।

1 सितम्बर, 1987 को उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की नियुक्ति की गयी थी। उस न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दिया था। अब ये कर्मचारी उस निर्णय को कार्यान्वित करवाने के लिए धरने पर बैठे हैं।

यदि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं देती है तब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 17,000 कर्मचारी 27 मार्च, 1992 को एक की हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद हड़ताल जारी रहेगी। इससे समूचा ग्रामीण भारत अस्त-व्यस्त हो जाएगा। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि सरकार को वह अवार्ड कार्यान्वित करना चाहिए।

यदि सरकार यह अनुभव करती है कि उन्हें उनकी बकाया राशि देने से मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका है तो मेरा अनुरोध है कि उनके बकाया की राशि सावधि जमा में जमा करायी जाए ताकि मुद्रास्फीति की कोई आशंका नहीं होगी।

आपके माध्यम से मैं वित्तमंत्री महोदय से उनके शिष्ट मंडल से मिलने और उनकी मांगें सुनने का अनुरोध करता हूं ताकि इस हड़ताल को टाला जा सके।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मार्ग और राज मार्ग में बार-बार

दुर्घटनाएं हो रही हैं और अभी गुजरात के भावनगर जिले के बलीपुर" ताल्लुका के पास दुर्घटना हुई उसमें 18 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 50 घायल हुए, परिणामस्वरूप वहां के काफी कर्मचारी मर

1.00 म० प०

गए हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों पर जो इस तरह की दुर्घटनाएं होती है और जो लोग मारे जाते हैं, उनके आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाए, इस तरह की सरकार द्वारा कोई स्कीम बनाई जाए, ताकि अनाथों को सहारा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण अहमदाबाद-बोटाद लोकल ट्रेन और अहमदाबाद-भावनगर इंटरसिटी ट्रेन का बंद हो जाना है। इस वजह से जिस बस में 50 सवारियां बैठनी चाहिए, उसमें 68 सवारियां जा रही थी, जिसमें से 18 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और दुर्घटना में मृत तथा घायल लोगों के आश्रितों को उचित मुआवजा देने के लिए कोई स्कीम बनाई जाए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जलजला आया और बहुत बड़ी तबाही हुई। आज उनके रिलीफ का सवाल है। यह कोई अकेले उत्तर प्रदेश का या उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे देश की पीड़ा है, पूरे देश का दर्द है, पूरे देश का प्रश्न है। मुझे अफसोस के साथ आपको यह कहना पड़ता है कि आज भी दिल्ली में 60 गांवों के लोग धरना दिए हुए है, उनको अभी तक रिलीफ नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कितनी सहायता की मांग की थी और कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल-जल पीड़ित लोगों की सहायता, पुनर्वास और आने वाली बरसात का सामना करने के लिए एक स्कीम बनानी चाहिए, ताकि उनकी रक्षा हो सके। इस बारे में जो भी सहायता मांगी गई है, उसकी पूर्ति शीघ्र होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से बहुत अधिक धन की मांग की है, लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात पूरी तरह से देश के सामने आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या मांग केन्द्र सरकार से की है और केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता अभी तक उपलब्ध कराई है। यदि वह सहायता बहुत कम है तो ऐसा क्यों है।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को मृत्योपरांत भारत रत्न देने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय का देश के विभिन्न भागों से और उनके परिवारजनों और सम्बन्धियों ने भी भारी विरोध किया है।

नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के मामले में मृत्योपरांत शब्द का प्रयोग करना भारी आश्चर्य और पीड़ा की बात है जबकि सरकार और जनता नेताजी के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के बाद कुछ

नहीं जानते और इसके अलावा जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार और मोरारजी देसाई की सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब हो जाने की जांच करने के लिए गठित दो आयोगों अर्थात कर्नल शाहनवाज आयोग और न्यायमूर्ति खोसला आयोग के निष्कर्षों को खारिज कर दिया था।

स्वतंत्रता के कम वर्षों के बाद नेताजी को भारत रत्न देना उनके प्रति अनादर प्रदर्शित करना और भारतीय जनता के मन में उनके कद्र को कम करना है।

देश हमारे स्वाधीनता संघर्ष में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका को कभी नहीं भूलेगा। महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष नेताओं के भी नेता हैं। उनकी देशभक्ति हमारे देश के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है।

इस बारे में अलग-अलग मत हैं कि क्या भारत को आजादी दिलाने में महात्म गांधी की भूमिका नेताजी से अधिक है या नहीं। इस बहस में पड़े बिना हम कहेंगे कि यह तथ्य निर्विवाद है कि दोनों ने अपने-अपने तरीके से हमारे स्वाधीनता संघर्ष में अधिकाधिक योगदान किया। आज नेता जी को और फिर कल महात्मा गांधी को भारत रत्न देने का कोई लाभ नहीं है।

मुझे आशा है कि सरकार नेताजी को मृत्योपरांत भारत रत्न देने के अपने निर्णय को वापस ले लेगी।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रामपुर जनपद की रजा टेक्सटाइल मिल 6 महीने से बंद होने से वहां के 4000 मजदूरों के सामने जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया है। केन्द्र सरकार ने आजकल रुग्ण मिलों को लेना बंद कर दिया है। इस प्रकार की जो मिलें मिस-मैनेजमेंट की वजह से इस स्थिति को पहुंची हैं, उनके बारे में सरकार को कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए, ताकि 4000 श्रमिकों के जीवन-मरण का प्रश्न चल रहा है, उनकी रक्षा की जा सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि 100 श्रमिक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक प्रावीडेंड फंड का पैसा नहीं मिल पाया है, जिसको बैंक के माध्यम से दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उस धनराशि को श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इतना रुपया उपलब्ध करा सके। इसलिए इस प्रकार की जितनी भी रुग्ण मिलें विचाराधीन हैं, उनके बारे में केन्द्र सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे मिलों को पुनर्स्थापित करने में सहायता मिल सके।

श्री अरविन्द त्रिवेदी (साबरकंठा) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में माध्यमिक और उच्च-माध्यमिक की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन वहां के शिक्षकगण हड़ताल पर हैं। वहां की सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है। मेरी केन्द्र सरकार से बिनती है कि केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करके उनकी हड़ताल को खत्म करे।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, फूड मिनिस्टर हाउस में मौजूद हैं। आपके जरिए मैं फूड मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से पश्चिम बंगाल में गेहूं बिल्कुल नहीं है, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम खत्म हो रहा है। मेरी मांग है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो, वहां गेहूं भेजा जाए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार

का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद को संवेदनशील घोषित किया गया है। वहां हत्याओं की राजनीति बहुत तेजी से बढ़ रही है। दलित और गरीब नौजवान धड़ल्ले से उग्रवादी संगठन में जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में सैकड़ों गांव, जिनकी आबादी 500 से 1000 है, उन सब गांवों में अभी तक प्राथमिक शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। इस कारण उग्रवाद तेजी से बढ़ रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार सरकार को अधिक धन देकर इस कार्य को पूरा करवाया जाए ताकि उग्रवादी शक्तियों को कमजोर करने में मदद मिले।

[अनुवाद]

श्री पी०जी० नारायणन : महोदय, सरकार से अनुरोध है कि मेरे द्वारा पहले से उठाए गए मुद्दे का जवाब दें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री पी० जी० नारायणन कह रहे थे कि तमिलनाडु सरकार ने मांग की है कि 'लिट्टे' पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। इस बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूं। हो सकता है पहले उन्होंने पत्र भेजा हो। यदि नहीं भेजा है तो एक पत्र भेजा जा सकता है। हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। (व्यवधान)

श्री पी० जी० नारायणन : हमारे मुख्यमंत्री ने काफी समय पहले सरकार से विशेष अनुरोध किया था। (व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : जब दूसरे मामले में लिट्टे प्रमुख पर संदेह किया जाता है तो उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है··· (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मुझे इस बात की जानकारी है—यह सत्य है कि तमिलनाडु में कुछ ऐसी ताकते हैं जो 'तमिल एकता' और 'तमिल अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलन' आन्दोलन के नाम पर प्रचारकरण आदि और श्री राजीव के हत्यारों के लिए जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वास्तव में राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदार दो व्यक्तियों को पहचाना गया था और अब वह जीवित नहीं हैं। उनके नाम बताए गए हैं और उनके लिए अमर रहे के नारे लगाए गए हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। मैं इसे गृह मंत्री के ध्यान में लाऊंगा। वह निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नारायण आप अपना मामला जीत गए हैं।

अब कृपया पत्र पटल पर रखें।

———

1.08 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1991; जो 29 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई०पी० 4(2)/84 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (चौथा संशोधन) विनियम, 1991; जो 18 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई०पी० 17-11/90 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1498/92]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 735(अ), जो 13 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी (साने ले जाने पर प्रतिबंध) आदेश, 1979 का विखण्डन किया गया है।

(दो) चीनी (वर्ष 1991-92 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन, आदेश, 1992, जो 21 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 53(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1499/92]

(3) वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय भाण्डागारण निगम और खाद्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1500/92]

डा० बी० बरुआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखा तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) डा० बी० बरुआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) डा० बी० बरुआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) डा० बी० बरुआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1501/92]

(3) डा० बी० बरुआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1502/92]

1.09 म०प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1991-92

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं वर्ष 1991-92 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—1503/92]

1.9½ म०प०

खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) विधेयक*

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय राज्य विधियों के अधीन खनिजों पर उपकरों और कतिपय अन्य करों के अधिरोपण और संग्रहण को विधिमान्य किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय राज्य विधियों के अधीन खनिजों पर उपकरों और कतिपय अन्य करों के अधिरोपण और संग्रहण को विधिमान्य किए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बलराम सिंह यादव : मैं विधेयक **पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 10.3.92 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खंड दो में प्रकाशित हुआ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

1.9½ म० प०

खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992

अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 के द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० —1504/92]

———

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.10 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.15 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.15 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बीना, मध्य प्रदेश होते हुए जबलपुर और दिल्ली के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एक बड़ा प्रदेश है वहां आवागमन की सुविधाएं भी यथेष्ट नहीं हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश के लगभग मध्य में स्थित है और जबलपुर सम्भाग के 6 जिलों में से तीन जिले आदिवासी बहुल्य हैं। जबलपुर से देश की राजधानी दिल्ली आने वाली केवल एक ही सीधी ट्रेन है जो न तो सुविधायुक्त है और न सुपरफास्ट। इस कारण

[कुमारी विमला वर्मा]

सम्भाग के सभी यात्रियों को भारी असुविधा है। कुछ संसद सदस्यों ने एक नई ट्रेन जबलपुर से दिल्ली वाया बीना चलाने के लिए रेल मंत्री जी से लिखित आग्रह भी किया है जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था परन्तु अभी तक यह नई व्यवस्था नहीं हो पाई है। मांग तो यह भी है कि एक और नई ट्रेन इटारसी से पिपरिया नरसिंहपुर गोरेगांव जबलपुर बीना दिल्ली चलाई जाये ताकि होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले के लोगों को सीधे भारत की राजधानी के लिए ट्रेन सुविधा उपलब्ध हो सके।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि मध्य प्रदेश में एक सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सभी सुविधाओं से युक्त जबलपुर से या इटारसी से वाया बीना होते हुए दिल्ली चलाने की कार्यवाही अतिशीघ्र करे और महाकोसल क्षेत्र के लोगों को रेल सुविधा उपलब्ध कराए।

(दो) सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चालाकुड्डी, केरल के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में काम आने वाले उपकरण और कार्यशाला सामग्री उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकन्दपुरम) : महोदय, चालाकुड्डी, केरल में केवल महिलाओं के लिए एक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अगस्त, 1990 में विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ किया गया था। चालाकुड्डी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 100 प्रशिक्षणार्थियों ने तीन व्यवसायों अर्थात रेडियो और टेलिविजन मैकेनिक, इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक (2 वर्ष का पाठ्यक्रम) डाटा प्रिपेरेशन और कम्प्यूटर साफ्टवेयर में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (एक वर्ष पाठ्यक्रम) का नियमित कोर्स किया। यह हैरानी की बात है कि उक्त पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण पूरा होने जा रहा है और प्रशिक्षणार्थी जुलाई, 1992 में होने वाली अपनी अन्तिम अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं किन्तु उन्हें अभी तक प्रशिक्षण उपस्कर, कार्यशाला सामग्री आदि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। संस्थान में एक भी कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं है किन्तु पर्याप्त प्रशिक्षक मौजूद है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करे और प्रशिक्षणार्थियों को उपस्कर उपलब्ध करवाए।

(तीन) अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री लाईता उम्ब्रे (अरुणाचल पूर्वी) : श्रीमान, अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 की 336 कि० मी० लम्बी सड़क का निर्माण 1982-83 में शुरू हुआ था। इसमें से सीमा सड़क संगठन ने राज्य लोक निर्माण विभाग से 200 कि० मी० से भी अधिक हिस्सा ले लिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभिन्न मंचों पर बार-बार किए गए अनुरोधों के बावजूद लगभग 59 कि० मी० लम्बी सड़क को निशानदेही का कार्य शेष है। सियांग तथा लोहित नदियों के सिवाय छोटी-बड़ी कई नदियों पर पुल बनाने का काम शेष है। इसी कारण से लोहित और दिबांग घाटी जिलों में आज तक सभी मौसमों में काम आने वाली सड़क नहीं बनी हैं। हर वर्ष गर्मी के मौसम में लोगों को अकथनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर पर्याप्त ध्यान दे।

(चार) मध्य प्रदेश में मोयला नामक रोग से अफीम की फसलों को हुए नुकसान का उचित सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसौर) : गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अफीम की काश्त में "मोयला" नामक बीमारी के कारण अफीम के औसत उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा किसान निर्धारित औसत देने में असमर्थ रहेंगे। अत: यह जरूरी है कि विभाग इस बारे में सर्वे कर सम्पूर्ण स्थिति का ठीक से आकलन करे। प्राय: यह शिकायत की गई है कि अधिकारी मनमाने ढंग से सर्वे का कार्य करते हैं तथा प्रभावित किसानों की शिकायतों को अनदेखा कर देते हैं चूंकि इस बीमारी का प्रकोप एक खेत से दूसरे खेत तथा एक ही गांव में कम ज्यादा मात्रा में है। अत: इसे व्यक्तिगत हानि की दृष्टि से भी देखा जाना जरूरी है। मंदसौर तथा रतलाम जिले के अफीम काश्तकार इस "मोयला" बीमारी से काफी प्रभावित हैं। मंदसौर जिले के सैकड़ों किसानों ने इस आशय की प्रार्थना की है कि उनके साथ न्याय किया जाए तथा रोग से हुई हानि का ठीक से आकलन किया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी किसानों के व्यापक हितों की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि इसमें काफी सतर्कता बरती जावे।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से पुन: आग्रह है कि इस मामले में शीघ्र ही आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

(पांच) एशियाटिक सोसायटी, मुम्बई को अनुदान जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : 187 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूर्व 1804 में स्थापित "दि एशियाटिक सोसाइटी आफ बाम्बे" मुम्बई के एक प्राचीन संगठनों में से है। इसमें विश्व के सर्वोत्तम पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय विद्यमान है जो भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पुस्तकालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे भारत सरकार से पुस्तक समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 के अधीन वार्षिक अनुदान मिलता है। किन्तु इस पुस्तकालय में वित्तीय संकट पैदा हो गया है क्योंकि भारत सरकार से 1991-92 के लिए 20,11,100 रुपये का अनुदान नहीं मिला है जबकि इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है और कई बार लिखा भी गया है। वित्तीय संकट के कारण सोसाइटी स्टाफ को वेतन नहीं दे सका है। कर्मचारी असंतुष्ट है और वे सीधी कार्रवाई कर सकते है जिससे केन्द्रीय पुस्तकालय पूर्ण रूप से बन्द हो जाएगा। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्री को 20,11,100 रुपये के अनुदान का भुगतान तुरन्त करना चाहिए।

(छ:) पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : बिहार शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा प्रदेश है। साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों में 38.24% है। वहीं बालिकाओं में यह प्रतिशत केवल 23.10% है। संख्या की दृष्टि से ही नहीं गुणवत्ता की दृष्टि से भी बिहार पिछड़ा हुआ है। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में नालन्दा बिहार में ही है। प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न दिशाओं से विद्यार्थी आकर्षित

[श्रीमती गिरिजा देवी]

करने वाले प्रदेश के शिक्षार्थी आज दूसरे प्रदेश में आने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालयों म तीन केवल दिल्ली में ही स्थित हैं तथा दो उत्तर प्रदेश में। इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए एक भी आई० आई० टी० नहीं है। इन कारणों से शिक्षा की संख्या के साथ-साथ शिक्षा के स्तर में भी पिछड़ापन बढ़ता जाता है।

बिहार का पटना विश्वविद्यालय देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से है जो अपनी शिक्षा के स्तर के लिए सुविख्यात रहा है। मनीषियों को भी शिक्षा देने का गौरव रखता है। अतः केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि बिहार के शिक्षा की बेहतरी के लिए पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए।

(सात) संथाल परगना, उत्तरी तथा दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र को, बिहार में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुंआ निर्माण योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पहाड़ी इलाके में केन्द्र के अनुदान से कूप-निर्माण की योजना बनाई गई है। यह योजना काफी कारगर एवं जनोपयोगी सिद्ध हुई है।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि पूरे झारखंड इलाके (संथाल परगना तथा उत्तरी और दक्षिणी नागपुर क्षेत्र) को इस कूप-निर्माण योजना में शामिल किया जाये ताकि क्षेत्र का विकास हो सके।

(आठ) चण्डीगढ़ में सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पट्टाधृति प्रणाली को समाप्त किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : जहां तक चण्डीगढ़ में पट्टा प्रणाली समाप्त करने की आवश्यकता का प्रश्न है, कतिपय सम्पत्तियों की पट्टा प्रणाली को फ्री-होल्ड प्रणाली में बदलने का मामला दिल्ली के मामले के साथ जोड़ दिया गया था। अब दिल्ली के बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है कि चंडीगढ़ के लोगों को अभी इससे वंचित रखा गया है। यह लोगों की बहुत पुरानी मांग है जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। ऐसा करने से मालिकों को तो राहत मिलेगी ही, सरकार को भी काफी राजस्व मिलेगा। इससे लोग नौकरशाही के हथकंडों से बच जाएंगे और प्रशासन के एक हिस्से का सुधार हो जाएगा।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चंडीगढ़ में भी पट्टा प्रणाली समाप्त करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करे।

———

2.25 म० प०

नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में संकल्प और नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 8 और 9 को एक साथ लेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह अध्यादेश जो कृषि मंत्री जी द्वारा लाया गया है···(व्यवधान)···

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अच्छा होता अगर जाखड़ जी स्वयं आ जाते और इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक पर उनके विचार हम सुनते, लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न जिस विधेयक को लेकर आपका प्रस्ताव है, उस विधेयक पर है। इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में एक वाक्य है :—

[अनुवाद]

"नई बीज नीति के अन्तर्गत बीजों तथा पौधों से संबंधित सामग्री को ओपन जनरल लाइसेंस के अधीन लाया गया था जिसके परिणामस्वरूप उनका भारी आयात हुआ।"

[हिन्दी]

हम इस वाक्य का अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं। यह आपकी न्यू सीड पालिसी कब अमल में आयेगी, कब आपने सब बीज को ओपन जनरल लाइसेंस में डाल दिया। क्या 27 अक्तूबर, 1989 का आदेश था, उसके अन्दर आपने लाया था अथवा सीड पालिसी रही, इसकी सफाई हुए बगैर हम क्या चर्चा करें?

[अनुवाद]

आपने इस नई बीज नीति पर कारंवाई कब की? क्या इसे 27 अक्तूबर, 1989 के राजपत्र में अधिसूचना में शामिल किया गया था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं वाद-विवाद के अपने उत्तर में ये सब बताऊंगा।

श्री आर्ज फर्नान्डीज : जब तक हमें इस नई बीज नीति के बारे में ज्ञात नहीं होगा तब तक इस बारे में विाद-विवाद कैसे कर सकते हैं ।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : अब संकल्प प्रस्तुत किये जाते समय इस पर कितनी चर्चा हो सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम उनके विचार तो सुन लें ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मिस्टर डंकल के प्रस्ताव के ऊपर इस सदन के अन्दर एक प्रश्न उपस्थित किया गया था । उस समय सरकार की ओर से यह उत्तर दिया गया कि डंकल प्रपोजल के बारे में सरकार अपनी राय बनाने से पहले इस आदरणीय सदन में उस पर बहस करायेगी और देश भर में बहस कराएगी और सदन और देश में बहस के बाद जो अन्तिम राय सर्वसम्मति से बनेगी, उसके अनुसार अपनी राय सरकार डंकल प्रपोजल के बारे में देगी । लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड रहा है कि यह बीज का आयात इस देश के अन्दर डंकल प्रपोजल का एक हिस्सा है और जब यह उसका हिस्सा है और इस सदन में इस बात को मानने के बारे में इस सरकार का बयान इस सदन में बहस के उपरान्त दिया जाना है तो ऐसी स्थिति में इस विधेयक का अध्यादेश के जरिए प्रस्तुत किया जाना क्या इस बात का सबूत नहीं है कि यह सरकार डंकल प्रपोजल को छदम और गुप्त रूप से अपनी सहमति दे चुकी है और एक के बाद एक उस तरह के कानून इस देश के अन्दर लाए जा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब सरकार उस पर बहस कराने जा रही है, उसके पूर्व ही इस विधेयक को लाए जाने का क्या औचित्य है ?

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस : इस चरण में विधेयक के पुरःस्थापन के बाद उस पर विचार किया जाना है ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : श्रीमान, मैं नहीं जानता कि ये आपत्तियां अब उठाई जा सकती हैं या नहीं जबकि माननीय कृषि मंत्री ने कुछ दिन पूर्व ही यह विधेयक पुरःस्थापित कर दिया है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्रीमान, मुझे खेद है कि न तो माननीय मंत्री और न ही कांग्रेस के माननीय सदस्य ने, जिन्होंने हस्तक्षेप किया है, मेरी बात को समझने का प्रयास किया है ।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि आपके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में दिया है कि क्यों आपको विधेयक लाना पड़ा । यह विधेयक जनवरी महीने की 25 तारीख को जो अध्यादेश जारी किया था, उसको कानून बनाने के वास्ते है । 25 जनवरी को आपने जो अध्यादेश जारी किया, वह अध्यादेश 27 अक्तूबर, 1989 का जो आपका गजट नोटिफिकेशन था कि विदेश से बीज आयात करने का या उसके ऊपर आपका इंस्पेक्शन, फ्यूमिगेशन, डिसइनफेक्शन, सुपरवीजन इस पर है

बोलूंगा जब बिल पर बोलूंगा। आपकी नीयत क्या थी उस पर बाद में बोलूंगा।

अभी मैं केवल एक कानूनी मुद्दे को लेकर, आपके सामने खड़ा हूं। मैं अपनी व्यवस्था का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि :

[अनुवाद]

"नई बीजनीति के अन्तर्गत, बीजों तथा पौधों से संबंधित सामग्री के आयात को ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत लाया गया था जिससे उनका भारी आयात हुआ।"

[हिन्दी]

यह जो आपने कहा, यह नीति कब आई।

[अनुवाद]

यहां आपने एक वाक्य ऐसा रखा है जो न तो अक्तूबर, 1989 की अधिसूचना से और न ही राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबद्ध है। यह क्या है? यह वाक्य इस विधेयक के उद्देश्यों में से नहीं है इस पर चर्चा से पूर्व मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, अभी विपक्ष के एक माननीय बड़े नेता जी ने जो आपत्तियां उठायीं,**

मैं समझता हूं कि बड़े मंत्री जी को यहां सदन में बुलाया जाये। (व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : माननीय सदस्य, जिस तरह से बड़े मंत्री और छोटे मंत्री के लिए व्यवहार करते हैं, उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि वह ओब्जेक्शनेबल है और उसे कार्यवाही से निकाला जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे सभी जिम्मेदार मंत्री हैं। आपको उनमें इस प्रकार फर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा कहना अनुचित है। इसे कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। किन्तु वास्तव में व्यवस्था का प्रश्न है ही नहीं। उन्होंने किस नियम के अधीन इसे उठाया है? कौन से नियम का उल्लंघन हुआ है? इस विधेयक को पहले ही ठीक ढंग से पुरःस्थापित किया जा चुका है और पुरःस्थापन के समय माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य भी दिया है। उस समय तो कोई आपत्ति नहीं की गई। अब विधेयक पर विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये जाने वाले प्रश्नों पर उनके द्वारा इस संबंध में बोलने के पश्चात् विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

अपने प्रश्न उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी तो विचारण किया जा रहा है। अब सदस्य वाद-विवाद में भाग लें और ऐसा करते समय कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है और माननीय मंत्री के वाद-विवाद का उत्तर देते समय उन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए।

इस समय व्यवस्था के प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। मैंने नियम 376 (2) के अधीन औचित्य का प्रश्न उठाया है।

"औचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा :"

इस समय हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इस समय क्या उल्लंघन किया गया है? आप स्पष्ट कीजिए। आप इस समय बाधा क्यों डाल रहे हैं? कौन से नियम का उल्लंघन हुआ है? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दूंगा। आपको मौका मिलेगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज की बात का पूर्ण समर्थन करता हूं। हो सकता है पहले इसका पता न चला हो लेकिन यदि अब इसका पता चला है तो इसका अर्थ नहीं है कि सभा गलती करती जाए। हम किसी अनुमान के आधार पर किसी विधेयक या अन्य विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। वह नई बीज नीति क्या है जिसके कारण ऐसा विधेयक लाना आवश्यक हो गया। सभा में नई बीज नीति पर ही तो चर्चा होगी। तभी ऐसे विधेयक का प्रश्न उठेगा अन्यथा नहीं। हम गलत काम नहीं कर सकते।

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : मैं यह कहना चाहता हूं कि नई बीज आयात नीति 1 अक्तूबर, 1988 को आठवीं लोक सभा के दौरान लाई गई थी। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कोई नई नीति नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय मैं सभी को मौका दूंगा।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सीड पालिसी कब ऐनाउंस की गई और क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ा स्पष्टीकरण करें?

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : उद्देश्यों और कारणों के कथन का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस विधान का आशय पहले से ही एकत्र कर ली गई उगाही राशि को

कानूनी रूप प्रदान करना है उगाही राशि पहले ही एकत्रित कर ली गयी है जिसे मुंबई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों ने अवैध ठहराया है। एक बीज नीति विद्यमान है जिसके अन्तर्गत भारी मात्रा में बीज का आयात किया गया था। कुछ उगाही राशि एकत्र की गयी थी और उसे उच्च न्यायालय ने अवैध और शून्य घोषित कर दिया था। ऐसा वे क्यों कह रहे हैं कि कोई नीति नहीं है ?

श्री आर्स्कर फर्नान्डीज : मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन से दो वाक्य पढ़ूंगा :

"नई नीति के अन्तर्गत बीज और पौधा सामग्री का आयात खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप इनका भारी मात्रा में आयात हुआ। अतः सरकार को पौधा संगरोधन संगठन की आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं को सुदृढ़ करना होगा ताकि ऐसी आयातित वस्तुओं के माध्यम से आने वाली विदेशी बिमारियों पर रोक लगायी जा सके।"

[हिन्दी]

यह कोई नई चीज यहां पर चर्चा कर रहे हैं। यह 1988 के बाद की चर्चा नहीं हो रही है। 1988 को जो कुछ हुआ, हमें नहीं मालूम। 27 अक्तूबर, 1989 को आपने आदेश जारी किया। उस आदेश के अन्तर्गत आपको जो कुछ करना था वह आपने कर दिया। उसको लेकर अदालत में कुछ मुकदमें हुए। वह सब चीज हम जानते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन ये जो दो वाक्य हैं :

[अनुवाद]

ये बहुत ही अशुभ वाक्य हैं। मैं माननीय मंत्री से इस बारे में बहुत स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि यह नई बीज नीति क्या है।

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था तथा इस विधेयक का आशय उसका स्थान लेना है। बस इतना ही है। विवाद का प्रश्न यह है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम का उद्देश्य किन्हीं विदेशागत कीड़ो, फंगस या अन्य कीड़ों, जो कि फसल के लिए हानिकारक हों, को रोकना है इस विधेयक का यही उद्देश्य है। इसके लिये पौधा संगरोधन संगठन है। पौधा संगरोधन संगठन को कुछ धन की आवश्यकता है। इसे कर-दाताओं की कीमत पर नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए, राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि, जिस किसी भी चीज का आयात किया जाए, उस पर नियंत्रण रखा जाए। इसी उद्देश्य से इस विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है तथा हमें इस पर विचार तथा पारित करना है।

मेरे विचार से यह उचित नहीं है क्योंकि इस नई बीज नीति जिसके अधीन बीजों और पौधों के आयात को खुली सामान्य विज्ञप्ति के अन्तर्गत लाया गया है, इस विधेयक के उद्देश्य से किसी भी तरह सम्बन्धित है। यह मात्र एक व्याख्यात्मक टिप्पणी दिया गया है।

मेरे विचार से सदस्यों को उगाही राशि को वैध बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए तथा सामान्य अनुज्ञप्ति के अधीन इस नई बीज नीति पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो सवाल उठाया है वह बहुत ही वैलिड है। सरकार की सीड संबंधी नई नीति क्या है, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। हमें लगता है कि सरकार डंकल प्रपोजल को लाना चाहती है। डंकल प्रपोजल के खिलाफ सदन में और सारे देश में चर्चा हुई है। सदन में इस बात की चिन्ता है कि डंकल प्रपोजल के जरिए देश में साम्राज्यवाद की नीति को लागू करना चाहते हैं जो देश के हित में नहीं है।

[अनुवाद]

यह पुरानी नीति है या नई नीति। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें उनकी बात सुननी चाहिए। हमें यह जानना चाहिए क्योंकि उनके अनुसार कोई मुद्दा है।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : वे बारम्बार वही मुद्दा उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : रमेश चेन्नितला जी यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमें बताया गया है कि बीज नीति की घोषणा काफी पहले, वर्ष 1988 में की गयी थी। इस नीति के बारे में सभा में कभी भी चर्चा नहीं की गई।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सभा के समक्ष यह कभी भी नहीं आयी।

श्री बसुदेव आचार्य : सभा में इस पर कभी भी चर्चा नहीं हुई। हमें किसी ऐसी नीति के बारे में जानकारी नहीं है जिसे सरकार बहुत पहले स्वीकार कर चुकी हो। जब इस नीति को काफी पहले स्वीकार कर लिया गया था, तो इसकी आवश्यकता उस समय क्यों नहीं महसूस की गयी? सरकार को हुई कठिनाईयों को उन्होने क्यों नहीं अनुभव किया। अतः, मेरा कहने का आशय यह है कि सबसे पहले उस नीति पर चर्चा की जानी चाहिए और उसके पश्चात यदि विधान को अधिनियमित करना आवश्यक समझा जाये तो उसे अधिनियमित किया जाए। मेरा कहने का आशय यही है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कौन सा पहाड़ टूटने जा रहा था, जिसके कारण से आपको यह अध्यादेश लाना पड़ा और आज आप यह बिल लेकर आ रहे हैं। लोक सभा का सत्र आने वाला था और ऐसी क्या जल्दी थी जिससे वह अध्यादेश लाना पड़ गया। कृपा करके आप हमें यह बतायें। दूसरी बात यह कि इस सदन में अनेक बार पेप्सी फूड को लेकर चर्चा हो चुकी

है। टमाटर का बीज 35 हजार रुपये किलो हिन्दुस्तान में बेचा जायेगा तो कैसे आगे कुछ हो पायेगा। देश में नई तकनीक विकसित करने के नाम पर ही आप विदेशी कम्पनियों को यहां लेकर आ रहे हैं। कृपया बिल पेश करने से पहले यह सब स्पष्ट करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है। उस व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा करते हुये मेरे विद्वान मित्र ने कहा : कि विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है तथा चर्चा के दौरान वह प्रश्न कर सकते है, जिनके उत्तर मंत्री महोदय दें। मेरे विचार से यह प्रक्रिया कुछ भिन्न होनी चाहिए। यदि विधेयक के उद्देश्यों वाले भाग में कोई त्रुटि है तो ऐसी स्थिति में, मंत्री महोदय को पहले इसे स्पष्ट करना चाहिए और उसके बाद ही हमें सम्पूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करनी चाहिए। यह व्यवस्था का प्रश्न किसी भी समय उठाया जा सकता है। मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हू। आप हमे यह जानकारी दीजिए कि क्या आप मंत्री महोदय से अभी इसका उत्तर दिलवाएंगे या बाद में। मेरे विचार से उन्हें तुरन्त उत्तर देना चाहिए और तभी हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीज जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, बहुत ही वाजिब है और इसी स्टेज पर इसका निष्पादन हो जाना चाहिए। यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी ? इनकी तथाकथित नई सीड पालिसी है। उसके अन्दर जो उन्होंने उद्देश्य और कारण बताये हैं, उसी से स्पष्ट है कि बाहर से अगर सीड मंगाया जायेगा तो वह अपने साथ कई प्रकार के रोगों को लेकर आयेगा। यहां की जो क्लाइमेटिक कंडिशन है, उसके हिसाब से विदेश के बीज यहां सूटेबल नहीं हैं। वह यहां की कंडिशन से एक्लिमटाइज नहीं होगा। माननीय सदस्य ने बताया कि 1988 में नई सीड पालिसी आई। यही कारण है कि आग उस पर अमल नहीं किया गया। आज बैंक के दबाव में उसे आप अमल करवाना चाहते हैं। डायरेक्टर जनरल बैंक के दबाव में नई सीड पालिसी के नाम पर इसे करना चाहते है। आप साफ-साफ नई सीड पालिसी को रख दें। यह कौन-कौन सा सीड लाना चाहते हैं; वह हिन्दुस्तान के पूरा क्लाइमेटिक कंडिशन के लिए सूटेबल है या नहीं और उसके आने से यहां का फसल मारा जायेगा, इन तमाम बातों का निष्पादन होना चाहिये और अभी की स्टेज में हो जाना चाहिए, वरना इस बिल का कोई मतलब नहीं है। यहां सीधे नई सीड पालिसी पर बगैर बहस किए हुए खुला छूट देना मल्टी-नेशनल्स को कि यहां अपना व्यापार करो, उचित नहीं है। इस का इंडिकेशन बजट में भी दिया गया है। उस इंडिकेशन के मुताबिक यहां कई तरह की बीमारियां सीड्स लेकर आयेंगे। यहां की जमीन के लिए, यहां की जलवायु के लिए हमारे जो परम्परागत सीड्स है, उनको समाप्त करेंगे और धीरे-धीरे हमारी खेती चौपट होगी। यह अमरीका की साजिश है कि हिन्दुस्तान खाने के मामले में आत्म-निर्भर होता जा रहा है, उसकी आत्म-निर्भरता को समाप्त किया जाए। हमारे सामने फिर वह पी० एल०-480 के जमाने की तरह कटोरा लेकर भीख मांगे और हमारे सामने आए—यही आप की न्यू सीड पालिसी है। पहले आप यहां नई बीज नीति को ला दें कि आपकी कौन सी नई सीड पालिसी है ताकि हम देख सकें कि

[श्री नीतीश कुमार]

उससे यहां के किसानों और खेती पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, तब जाकर इस पालिसी का कोई औचित्य है ।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि अभी 1992-93 के बजट में बीजों, पौधों, फूलों, आदि के आयात को उदार बनाने की बात कही गयी है । पहले के बजट में कभी ऐसा नहीं कहा गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नई बात है । निश्चय ही यह एक नई नीति है जिसकी चर्चा यहां की जा रही है तथा जिसके बारे में पहले कभी चर्चा नहीं हुई । जब तक इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो जाती मेरे विचार से माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीज का यह कहना सही है कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती (व्यवधान) ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, श्री जार्ज फर्नांडीज ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । मेरे विचार से यह कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि वह जिस नई बीज नीति का उल्लेख कर रहे हैं वह सरकार द्वारा 1-10-1988 को घोषित की गयी थी ।

वह उसी नीति का उल्लेख कर रहे हैं । इस विधेयक के अधीन बीजों, पौधों के आयात को खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के तहत रखा गया है । इसके फलस्वरूप, जैसा कि अनुमान था, बीजों और पौधा सामग्री का भारी मात्रा में आयात किया गया । भारी मात्रा में बीजों और पौधों के आयात के फलस्वरूप देश को विदेशीगत कीड़ों और बीमारियों से बचाने हेतु सरकार को अत्याधुनिक तथा मंहगे उपस्कर प्राप्त करके बुनियादी सुविधाओं तथा पौध संगरोधन संगठन की सेवाओं को सुदृढ़ बनाना पड़ा । केन्द्रीय सरकार ने नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 अक्तूबर, 1989 की अधिसूचना द्वारा पौधे, उर्वरक और बीज विनियमन और आयात आदेश 1989 जारी किया । ऐसे आदेश के अन्तर्गत शुल्क लगाना या आयात परमिट जारी करना तथा निरीक्षण और धूमीकरण शुल्क लेने का भी उपबंध किया गया था । (व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : हम विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । हम मन्त्री महोदय से केवल यह जानना चाहते हैं कि नई बीज नीति के निदेश पद क्या है । (व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : इस नीति की घोषणा सभा में 1-10-1988 को की गई थी । (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं मन्त्री महोदय की बात का खंडन करता हूं । इस समय मेरे पास राजपत्र अधिसूचना मौजूद है तथा इस समय मन्त्री महोदय जो कह रहे हैं तथा राजपत्र अधिसूचना में जो दर्ज है, वह एक-दूसरे का विरोधाभास है । यह कृषि मंत्रालय के कृषि तथा सहकारिता विभाग की दिनांक 27 अक्तूबर, 1989 की राजपत्र अधिसूचना है । इसके अनुसार :

"भारत में पौधों, फलों तथा बीजों के आयात विनियम आदेश, 1984 का अधिक्रमण

करते हुए, उस अधिक्रमण से पूर्व के की गई बातों या छोड़ दी जाने वाली बातों के सिवाय नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इसमें उल्लिखित कृषि वस्तुओं का भारत में आयात प्रतिषिद्ध करने तथा विनियमित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आदेश देती है...।"

1988 का आदेश कहां है ? आप सभा को गुमराह कर रहे हैं। आपके अधिकारी सभा को गुमराह करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ? (व्यवधान) आपको अपना कार्य करना चाहिए। आपको अपने अधिकारियों से कहना चाहिए कि वे आपके कार्य में आपकी मदद करें। आप सभा को इस तरह गुमराह नहीं कर सकते (व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दें। (व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं। भारत सरकार ने 1-10-1988 को नई बीज नीति की घोषणा की थी। मैं कभी भी सभा को गुमराह नहीं करना चाहता हूं : (व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत : इस विधेयक का आशय केवल एक खास कार्य करना है और इसीलिए इसे अनुमति प्रदान करने के लिए... (व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : 1988 में सरकार ने सभा में बीज नीति की घोषणा की थी। वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? आप यह कहना चाहते हैं कि सभा में बीज नीति की घोषणा नहीं की गई थी ?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि यह इस ढंग से लिखित है। शुरू-शुरू में इस सम्बन्ध में एक अध्यादेश जारी किया गया था। चूंकि फीस के संग्रहण को वैध बनाने के लिए न्यायालय का कोई निर्णय है, इसलिए इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जा रहा है और यह प्रस्ताव है कि इसे पारित किया जाये। नई बीज नीति के अन्तर्गत इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में जो कुछ कहा गया है वह खुली सामान्य विज्ञप्ति के अन्तर्गत लाये गये बीज और पौध सामग्री के आयात के बारे में है जिसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं का भारी आयात होगा। यही समस्या है।

यह प्रश्न कि क्या भारी मात्रा में आयात हुआ था या नहीं, सरकार ने यह महसूस किया कि यह फीस के संग्रहण के लिए अधिकृत है लेकिन न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। अत: इस विधान के माध्यम से इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि न्यायालय के रद्द करने के प्रयास को टाला जा सके कि गलती यह है, जैसा कि उन्होंने बाद में बिल्कुल सही कहा है, मन्त्री महोदय की शायद सरकार के अंग के रूप में इस विधेयक के बारे में अत्यधिक रुचि नहीं है। इसी कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है (व्यवधान) यदि यह वाक्य वहां नहीं होता तो ठीक होता। मैं समझता हूं कि विदेशी आकाओं को

[श्री निर्मल कांति चटर्जी]

लाभ पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में उन्होंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है। (व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह 'विदेशी आका' क्या हैं ? कल प्रधान मन्त्री जी ने इसे पूर्णतया स्पष्ट किया था (व्यवधान) उन्हें इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वह क्या है ? हमारे स्वामी कौन है ? जनता हमारी स्वामी है (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं किसी मन्त्री अथवा सदस्य से एक ही राग नहीं अलापे जा रहा हूं। मेरी ऐसी मंशा भी नहीं है कि··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी कौन-सी बात है जो प्रत्येक व्यक्ति को इतना उत्तेजित कर रही है ? क्या हमें दूसरों की राय के बारे में नहीं सुनना चाहिए ? इस संबंध में कानून है। उनका कहना है कि ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया था लेकिन इधर के लोगों का कहना है कि कानून पारित किया गया था।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : ऐसा कानून पहले कभी पारित नहीं किया गया था। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वर्तमान बजट में सीमा शुल्क के रूप में कतिपय रियायतें दी गई हैं। पहले हम दो चीजों में अन्तर करें। एक मद खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत लाई जा सकती है अर्थात इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उप पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि किसके दबाव में आयात को सरल बनाने हेतु इन वस्तुओं के आयात के लिए इस वर्ष के बजट पर विशेष महत्त्व दिया गया है। मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा··· (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : वह कौन से दबाव के बारे में बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : लेकिन उस अर्थ में और कोई नई बीज नीति नहीं है सिवाय आयात के रूप में इसे खुली सामान्य विज्ञप्ति के अन्तर्गत रखा गया है। (व्यवधान) कृपया पहले मुझे अपना भाषण समाप्त कर लेने दीजिये। इसके पश्चात आप अपनी बात कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल। महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय आपको हमेशा सभा की भावना को समझना चाहिए। हमें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए (व्यवधान)

श्रीराम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : कृपया मुझे उन्हें समय और गणित का सही बोध कराने दीजिये। वह नहीं जानते हैं कि समय से क्या अभिप्राय है। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : मैं भी जानता हूं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अत: समस्या यह है कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में एक असंगत वाक्य सम्मिलित है। मैं समझता हूं कि यदि आप उस विशिष्ट वाक्य को वापस ले लें तो शांति स्थापित की जा सकती है। विधेयक को पारित करने के लिए उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बिल्कुल असंगत वाक्य है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्रीराम नाईक और इसके पश्चात श्री शोभनाद्रीश्वर राव को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। लेकिन श्री शोभनाद्रीश्वर राव जी, आप इस विषय पर पहले भी बोल चुके हैं। अब मैं श्रीराम नाईक जी को बोलने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, और कितने सदस्य इस विषय पर बोलेंगे ? आप सभा के कार्य के बारे में जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके बैठ जाइए।

श्री राम नाईक : मुझे भी अपना प्रश्न कर लेने दीजिये। महोदय, अब एक नया कानूनी मुद्दा उठ रहा है। श्री बलराम जाखड़ जी प्रभारी मन्त्री हैं। उनके उपमन्त्री यहां उपस्थित हैं। लेकिन सभा की परम्परा यह रही है कि सभा में कम से कम एक केबिनेट मन्त्री उपस्थित रहना चाहिए। इस समय सभा में कोई भी केबिनेट मन्त्री उपस्थित नहीं हैं। दूसरे जब कभी विधि सम्बन्धी कोई मुद्दा उठता है, और इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में अब मैं श्री कौल एवम् शकधर की पुस्तक पढ़ता हूं। इसमे पृष्ठ 844 पर इस बात का उल्लेख है और अध्यक्ष महोदय ने भी यह टिप्पणी की थी कि :

> "जब सभा की बैठक हो रही हो तो विधि मन्त्री को या उसके किसी उपमंत्री को विधिक मामलों, जो किसी भी चर्चा के दौरान उत्पन्न हो सकती है, पर राय देने के लिए सभा में उपस्थित रहना चाहिए।"

अब, विधि मन्त्री भी यहां उपस्थित नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : इसमें कौन से विधिक मामला है ? यदि यह स्वीकार किया जाता है तब विधि मन्त्री को सारा दिन सभा में उपस्थित रहना पड़ेगा।

श्री राम नाईक : केवल चिल्लाने से आप किसी प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकते हैं। इसका निर्णय उपाध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रीकान्त पाणिग्राही : महोदय, वास्तव में कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : आप प्रश्न के बारे में निर्णय नहीं ले सकते।

श्री ए० चार्ल्स : क्या आपने इस विधिक मामले के संबंध में कोई सूचना दी है ? (व्यवधान)

श्री राम नाईक : कृपया मुझे अपना भाषण पूरा करने दीजिए। यह पुस्तक कौल और शकधर द्वारा लिखी गई थी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चार्ल्स जी, क्या यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे ऊंची आवाज प्राप्त है, उचित है कि वह सदन में किसी अन्य माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को दबाये ?

श्री ए० चार्ल्स : तो मेरी बात भी सुनी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन कहता है कि आपकी बात नहीं सुनी जायेगी ? एक माननीय सदस्य के नाते, हमें उनकी बात शालीनता से सुननी चाहिए, उनके विचार जानिए और यदि वे गलत बोल रहे हैं तो आप अपनी बारी आने पर इसका खंडन कर सकते हैं, आप ऐसा एक शिष्ट ढंग से कर सकते हैं ताकि गलत बात कहने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से स्वयं को ठीक कर सके। मान लीजिए, हम किसी व्यक्ति विशेष को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं देते हैं और उसे चुप करा देते हैं तो यह उचित नहीं है। यह बड़ों की सभा है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आपको तो श्री चार्ल्स के लिए एक विशेष कक्षा आरम्भ करनी होगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे मन में श्री चार्ल्स के प्रति और सबके प्रति सम्मान है। अतः दूसरों के विचार भी जानने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, वे पूरे समय सदन पर अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं।

3.00 म० प०

श्री राम नाईक : मैं प्रभारी-मंत्री की बात कह रहा था। यह कहा गया है कि प्रभारी-मंत्री को सदन में उपस्थित होना चाहिए। कौल और शकधर ने इस बारे में पृष्ठ 844 पर जो लिखा है, वह यह है :

> "अध्यक्ष महोदय ने समय-समय पर टिप्पणियां की हैं कि प्रभारी मंत्रियों को उस समय उपस्थित रहना चाहिए जब प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनके मंत्रालयों और विभागों से संबंधित कार्य सभा के समक्ष हो···"

वह प्रभारी मंत्री नहीं हैं। वह राज्य मंत्री हैं। प्रभारी मंत्री श्री बलराम जाखड़ हैं। स्पष्ट है कि राज्य मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि उस एक वाक्य को कैसे जोड़ दिया गया है। वे इसका स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं हैं। अतः सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रभारी मंत्री को बुलाया जाए, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए और तत्पश्चात हम आगे बढ़ें। कृपया यह सुनिश्चित करें

कि प्रभारी मंत्री यहां आएं, स्थिति स्पष्ट करें और फिर मामला आगे बढ़े। यह बहुत आसान है तथा उसे किया जाना चाहिए। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विधि मंत्री को बुलाइये, कृषि मंत्री को बुलाइये। मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों को बुलाइये। ताकि यहां पर जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उस पर चर्चा की जा सके।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : क्या मैं जान सकता हूं कि वह किस नियम के अन्तर्गत एक राज्य मंत्री और एक केबिनेट मंत्री के बीच अन्तर कर रहे हैं ? यहां राज्य मंत्री मौजूद हैं जो अपने विभाग के पूर्ण प्रभारी मंत्री हैं। वह सक्षम हैं और उन्हें सरकार की ओर से बोलने का अधिकार है।

इस मुद्दे पर यह बिलकुल स्पष्ट है कि हमारा तात्पर्य केवल 27 अक्तूबर, 1989 की अधिसूचना से है। अन्य सभी बातें अनुपूरक हैं। इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है।

जहां तक कौल और शकधर द्वारा दी गई व्यवस्था का प्रश्न है, कानूनी प्रश्न पर नोटिस दिया जाना चाहिए। केवल तभी विधि मंत्री उस पर ध्यान देते हैं और सदन में आते हैं। केवल इस प्रकार की कोई व्यवस्था होने का यह तात्पर्य नहीं है कि विधि मंत्री को हमेशा सदन में उपस्थित होना चाहिए। यह आशय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : बी०एस० राव जी। हमें संगत बात ही करनी चाहिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि 1 अक्तूबर, 1988 को तत्कालीन सरकार ने एक नई बीज नीति पेश की थी। वह नीति संबंधी वक्तव्य था। उसी समय पूरे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने नई नीति के सम्भावित असर और प्रतिकूल प्रभावों के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त की थीं। वे पौध के संगरोधन और अन्य प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना चाहते थे ताकि भविष्य में हमारी फसलों को किसी घातक बीमारी से नुकसान न हो। मेरे विचार से नीति के अनुसरण में 27 अक्तूबर की अधिसूचना जारी की गई है। उसके कार्यान्वयन के पश्चात, जब न्यायालयों ने उसके कुछ उपबन्धों को रद्द कर दिया तो मेरे विचार से तब सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक लाया गया है।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : श्री राव ने आपके समक्ष सही स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था और यह विचार किये जाने की अवस्था में है। यदि फिर भी इसमें कोई संवैधानिक और कानूनी उनुपयुक्तता है तो उसे उसी समय सभा के सामने लाना चाहिए था। हमारे लिए यह उचित नहीं है कि केबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में कनिष्ठ मंत्री को परेशान किया जाए।

[श्री पी० एम० सईद]

मेरे माननीय मित्र श्री राम नाईक ने कौल और शकधर की पुस्तक से कुछ पढ़ा है और कहा है कि प्रभारी मंत्री में राज्य मंत्री सम्मिलित नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है ? मैं उसे समझ नहीं पाया। अत: आप अपने विवेक से इन सभी आपत्तियों को अस्वीकार कीजिए और निदेश दीजिए कि विधेयक पर विचार आरम्भ किया जाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बारी समाप्त हो गई है। अन्य सदस्य भी इस बारे में कुछ कहने को उत्सुक हैं। हमें उनकी बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : महोदय, व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया गया था और उस पर यहां चर्चा की गई। जो सदस्य कुछ कहना चाहते थे तथा अपने विचार रखना चाहते थे, उन सभी को अवसर दिये गये थे। इससे पहले कि इसे निपटाया जाता, श्री राम नाईक ने व्यवस्था का एक और प्रश्न उठाया कि क्या मंत्री सक्षम हैं तथा प्रभारी मंत्री कौन है आदि। सदन में अत्यधिक भ्रान्ति है। मैं यही बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त, यह समय इस मुद्दे को उठाने का नहीं है। आरम्भ में ही हमने जोर देकर कहा था कि यह समय इन सभी आपत्तियों को उठाने का नहीं है। अब हम सीधे इस पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान) यह विचार करने के चरण में है। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो यह वाद-विवाद से संबंधित होना चाहिए; वे अपने सुझाव, अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं जिन पर विचार किया जायेगा तथा मंत्री के उत्तर के दौरान उनका उत्तर दिया जायेगा। यह स्थिति है। हमें इस पर सदन का और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय सदस्यों, विशेषकर श्री राम नाईक के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 2 (1) का हवाला देना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि :—

"विधेयक के प्रभारी सदस्य का तात्पर्य उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुर:स्थापित किया है और किसी सरकारी विधेयक के मामले में किसी भी मंत्री से है।" (व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैंने कहा है कि केबिनेट मंत्री को सदन में उपस्थित होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो मैं मंत्री की परिभाषा पढ़ देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है; प्रत्येक ने उसे पढ़ लिया है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : इसमें कहा गया है :

"मंत्री से अभिप्राय है मंत्रिपरिषद का सदस्य, राज्य मंत्री, उप-मंत्री या संसदीय सचिव।"

महोदय, यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे उठाया जाना चाहिए था पूरे सम्मान के साथ मैं यह कहूंगा और जो कुछ पहले कहा जा चुका है यह शायद उसकी पुनरावृत्ति है भी हो सकती है। किन्तु मैं इस पर बल देने के लिए ही कहना चाहता हूं। हमने विधेयक और सांविधिक संकल्प पर चर्चा आरम्भ की। यह केवल विधेयक ही नहीं है। यह एक अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प भी है जो दूसरे पक्ष—भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया। वह इसे पुर:स्थापित करने के लिए उठे थे। यदि वह कुछ कहना ही चाहते थे तो इस मामले पर विचार शुरू होने से पहले कह सकते थे। किन्तु उस समय इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। मैं यह कहूंगा कि यह उचित नहीं है; इससे पूर्वोदाहरण स्थापित नहीं होगा। यदि आपको किसी नियम का सहारा लेना था— चाहे यह नियम 109 है या कोई अन्य नियम है—तो भी इस प्रकार चर्चा में व्यवधान डालकर और कोई अन्य मसला उठाकर हम कोई सही पूर्वोदाहरण स्थापित नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मेरे विचार से सामान्य प्रक्रिया के तहत मंत्री महोदय के बारे में की गई टिप्पणी वापस ली जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय, यह कहना कि प्रभारी मंत्री विधेयक पुर:-स्थापित नहीं कर सकते, सही नहीं है। उन्हें विधेयक पुर:स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। वह सदन में विचार के लिए है। इस समय पुर:स्थापन के पश्चात यह कहना सही नहीं है कि इसे वापस लिया जाए और कोई अन्य मंत्री इसे प्रस्तुत करे। यह ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि 1914 के मूल अधिनियम के स्थान पर 29 अक्तूबर, 1989 के अध्यादेश को लाया गया है। न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह अध्यादेश अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए, यह अत्यन्त आवश्यक था। यह विधेयक एक अध्यादेश के जरिए लाया गया था। यह विधेयक जिस पर हम विचार कर रहे हैं वह एक अध्यादेश का प्रतिस्थापना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुर:स्थापित करने का प्रक्रम समाप्त हो चुका है। मेरे विचार से उन्होंने पुर:स्थापना के समय इस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। पुर:स्थापना के समय कोई आपत्ति नहीं हुई। (व्यवधान) बहुत से सदस्य बोले हैं। निर्णय देना आपका काम है। मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से यह निर्णय देंगे कि इस विषय पर आगे चर्चा न की जाए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अभी जो जार्ज साहब का पाइंट आफ आर्डर चल रहा था इस बीच में राम नाईक का पाइंट आफ आर्डर आना ही आऊट आफ आर्डर है। इसमें उन्होंने कहा है कि मिनिस्टर आफ स्टेट कम्पीटेंट है इस बिल को पायलट करने के लिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन जो जार्ज साहब का सवाल था जिस पर रिस्पोंड किया है उसमें वह एड करना है कि उनका जो 1988 का सी-कॉफ्ड न्यू साइड का पालिसी था इस बिल का उसको आगे की

[श्री मोतीश कुमार]

सरकार ने जान लिया···(व्यवधान)···इसीलिए यह बिल लाया गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय देता हूं। उद्देश्यों और कारणों के कथन की किसी कमी को विधेयक पुरःस्थापित करते समय बताना चाहिए। विधेयक पर विचार किए जाने के समय इस संबंध में उठाया गया कोई मुद्दा मान्य नहीं होगा।

दूसरे, श्री राम नाईक ने आपत्ति की है कि मंत्री महोदय को विधेयक पुरःस्थापित करने का कोई अधिकार नहीं है। विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए श्री बलराम जाखड़ द्वारा श्री रामचन्द्रन को लिखा गया एक प्राधिकृत पत्र है। वैसे भी मंत्री को विधेयक प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है और हम इस संबंध में कोई भेद-भाव नहीं कर सकते।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : हम अभी तक नहीं जानते कि पहली अक्तूबर, 1988 की नीति की विषय वस्तु क्या है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1992 को प्रख्यापित नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को श्री रामचन्द्रन जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं···

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : इंट्रोड्यूस नहीं, कंसीडरेशन के लिए कर रहे हैं।

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, वरिष्ठ मंत्री द्वारा पहले ही वक्तव्य दिया जा चुका है। इसीलिए यह कहने की कोई तुक नहीं है कि मैं ऐसा ही एक और वक्तव्य दूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अभी कोई कंसिडरेशन की स्टेज पर नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अध्यादेश निकाला है उसको अस्वीकार करने के बारे में मेरा प्रस्ताव है। बलराम जी भी होते तब भी कोई विरोध नहीं था, क्योंकि उनके साथ राम भी है बल भी है। इनका भी नाम राम है और मैं राम का भक्त हूं इसलिए मैं इसका विरोध करने वाला नहीं, क्योंकि मैं राम जी की कृपा से ही यहां आया हूं।

मैं दो बातें यहां निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय को बल देने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 के जरिये इस आर्डिनेंस के जरिये केन्द्र सरकार को भारत में जो आयात किये जाने वाले पौधे, फूल व बीज के लिए निरीक्षण के लिए आप शुल्क लगाने का अधिकार देना चाह रहे हो, बल्कि यह अधिकार तो था। आपने कहा है कि "एनी फीस"। कितनी फीस होगी, एक रुपया होगी, दो रुपया होगी या सौ रुपया होगी, इसका जिक्र इस आर्डिनेंस में नहीं किया गया है। आप यह अधिकार दे रहे हैं आर्डिनेंस के द्वारा और दूसरी बात यह है कि जो शुल्क आपने पहले लगाया था उसको भी मान्य करार कर दिया। कैसे कर दिया कि उस शुल्क को नहीं लगाने के बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्णय लिया, बम्बई हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि जो शुल्क लगाया गया है उसको आप वापस लौटा दें। वापिस लौटा देने वाली बात भी हाईकोर्ट ने कही कि आप शुल्क नहीं लगा सकते। यह बात आप कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने नहीं कही। उन दो बातों के ऊपर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश आपात-काल में निकालना चाहिए, उस समय उसका उपयोग होना चाहिए। वह आप न करके जब हाउस हो रहा था तो साधारण बिल भी आप ला सकते थे। यह मेरी पहली आपत्ति आपसे है।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिल का उद्देश्य तो ठीक है लेकिन मेरी आपत्ति आर्डिनेंस के बारे में है कि इसको निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। फिर आपने आर्डिनेंस निकाला है तो हाईकोर्ट का जो निर्णय है, उससे तो न्यायपालिका की कोई कद्र ही नहीं रही। यदि न्यायपालिका कुछ कर देगी तो आपके पास महामहिम राष्ट्रपति हैं जो आर्डिनेंस निकाल देंगे और फिर न्यायपालिका व कार्यपालिका में टकराव होने का काम बन जायेगा। हाई कोर्ट कुछ कहती है, बम्बई हाई कोर्ट कुछ कहती है। तो क्या आप इसको वापिस नहीं करेंगे और इसको आगे बढ़ाये रखना चाहेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जितनी भी पश्चिम की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ऐसी कीटनाशक दवाओं का उत्पादन करती हैं, वे इन रासायनिक दवाओं को भारत में भेज रही हैं क्योंकि वहां पर इन दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जब उन दवाओं का भारी मात्रा में छिड़काव होता है, उससे फसलें नष्ट हो रही हैं। भारत में कीटनाशक विध्वंसी दवाओं की खपत सालाना 8 प्रतिशत बढ़ गयी है। सन् 1986 में यह 60 हजार टन था, अगले वर्ष पांच हजार टन की वृद्धि हो गयी। इस प्रकार चार वर्ष में एक लाख से ऊपर बाहर से दवायें आ रही हैं। उन दवाओं के कारण दूध देने वाले पशुओं—गाय, भैंस से आदमी के शरीर में रसायनिक खतरनाक पदार्थ की मात्रा बढ़ गयी है। चूंकि पश्चिमी देशों में इन दवाओं पर प्रतिबंध है, वहां पर लोग कैंसर से मर रहे हैं। वहां पर डी० डी० टी० पर प्रतिबंध है और हमारे यहां जब दवाइयां छिड़की जाती हैं तो न हाथों में दस्ताने होते हैं, न नकाब होते हैं उनके बचाव के लिए। इस प्रकार तमिलनाडु में प्रति वर्ष 50 से 75 मरीज ऐसे हैं जिनको टी० बी० का रोग हो गया है।

हमारे भारतवर्ष में कीटनाशक दवाइयों के कारखानों की संख्या 400 है जिसमें 25 हजार श्रमिक काम करते हैं। उनके पास न दस्ताने हैं और न नकाब ही हैं। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में कोई न कोई कार्रवाई आप अवश्य करें। यह नियम 1971 का बना हुआ है। मेरे साथी संसद सदस्य

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

तर्क कर रहे थे और मैं उनकी बातों को सुन रहा था। चूंकि वे मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता था फिर भी मैंने उनसे ज्ञान अर्जन किया है। तो सन् 1971 के नियम में आप व्यापक संशोधन लाना चाहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्ययन बताता है कि भारतवर्ष में कई कृषि उत्पादों में कीटनाशक से ज्यादा डी० डी० टी० काम आ रही है और यहां आधे से ज्यादा यह काम में आती है जिस पर आपको रोक लगाने की बात करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, विदेशों से जो कीटनाशक दवायें भेजी जा रही हैं, उनको इस प्रकार का सर्टिफिकेट देना चाहिए कि भारतवर्ष को जो दवायें भेजी जा रही हैं, उनके देशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है। तो यह बात भी जरूरी है कि जो दवायें आएं उन पर नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे। इन दवाओं के छिड़काव के लिए प्रशिक्षण लोगों को दिया जाए।

अन्त में मेरा निवेदन है कि जो शुल्क लगा हुआ है, उसको वापिस लौटाना चाहते हैं, आगे इस शुल्क को लगाना चाहते हैं या कितना शुल्क लेंगे, इस पर कोई बात नहीं कही है। नाशक कीट और नाशक जीव विधेयक, 1914 का आपने इसमें संशोधन सम्बन्धी विधेयक पेश किया था।

इसमें आप ने सारी बात को नई नीति के तहत, आप कहते हैं कि बीज और पौधे इत्यादि का आयात खुले लाइसेंस के तहत किया जायेगा। इस कारण से आप फीस लगाना चाहते हैं और फीस लगाकर आपका खर्च मिट जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि जब इसको दो हाई कोर्ट की मान्यता है--एक की मान्यता यह है कि आप फीस लगा नहीं सकते, दूसरे कि मान्यता यह है कि जो आप ने फीस ले ली है उसको वापस करें, तो अध्यादेश लाकर जो आप उस फीस को नियमित करना चाहते हैं, भविष्य में आप जो फीस लगाना चाहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव के लिए आप जो अध्यादेश के जरिए ला रहे हैं, बिल के जरिए लाते तो दूसरी बात होती। इसलिए मूलत: जो अध्यादेश महामहिम राष्ट्रपति जी से आपने जारी करवाया है, मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं और जो फीस नहीं लगाने की बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने कही है, बम्बई हाई कोर्ट ने फीस वापस करने की बात कही है, इस पर पुन: अपना जोर देता हूं। इसलिए राष्ट्रपति महोदय ने जो अध्यादेश लागू किया है, उसको निरस्त किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 15 जनवरी 1992 को प्रख्यापित नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

मन्त्री महोदय अब विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं श्री बलराम जाखड़ की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 में और संशोधन करने

वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

अब विचारण के प्रस्ताव पर संशोधन ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 1 जून, 1992 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए"। (1)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 15 जून, 1992 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए"। (2)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 30 जून, 1992 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए"। (4)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : श्रीमान, यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1992 को प्रख्यापित नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश का स्थान लेने के लिए है। मूल अधिनियम का उद्देश्य फसलों को हानि पहुंचाने वाले किसी नाशक कीट, कवक या अन्य नाशक जीवों के भारत में आने और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने को रोकना है। भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को शक्तियां दी हैं कि वह, ऐसे प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन जैसी कि वह लगाए, ऐसी किसी वस्तु का या वस्तुओं के वर्ग का, जिससे किसी फसल में संक्रमण फैलना सम्भाव्य है, आयात प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकती है।

इस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 27 अक्तूबर, 1989 को एक अधिसूचना द्वारा कुछ वस्तुओं के, जैसे कि ऐसे पौधे, फलों तथा बीजों के जिन्हें भारत में आयात किया जाए, निरीक्षण, धूमीकरण, विसंक्रमण और पर्यवेक्षण सम्बन्धी विषयों के लिए एक आदेश दिया था। पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए फीस उद्‌गृहीत और संगृहीत करने का भी उपबन्ध किया गया था। नई बीज नीति के अधीन बीजों और वनस्पति-सामग्रियों का आयात खुली साधारण अनुज्ञप्ति के अधीन लाया

[श्री रमेश चेन्नितला]

गया जिससे उसका भारी मात्रा में आयात हो रहा है। अत: सरकार को ऐसे आयातित परेषणों के माध्यम से विदेशी रोगों के प्रवेश को रोकने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधायें और वनस्पति कर तीन संगठनों की सेवाओं को मजबूत करना है।

श्रीमान यह फीस निधियों की कमी के कारण लगाई गई थी। यह संगठन पर्याप्त वित्त के बिना कार्य नहीं कर सकता। यह संगठन किसानों की मदद के लिए है इसलिए मैं समझता हूं कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह किसानों के हितों की रक्षा करे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक रिट याचिका में अभिनिर्धारित किया है कि पूर्वोक्त अधि-नियम सरकार को निरीक्षण, धूमीकरण आदि के लिए कोई फीस उद्‌गृहीत करने के लिए सशक्त नहीं करता है। मुम्बई उच्च न्यायालय ने भी एक मामले में फीस के अधिरोपण को विखण्डित किया है और धन लौटाने का निदेश दिया है।

अत: सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि दी जाने वाली सेवाओं के लिए तथा वनस्पति करतीन संगठनों को चलाने के लिए फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि इससे पूर्व किया गया फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण भी विधिमान्य किया जाए। अत: इन परिस्थि-तियों में पूर्वोक्त अधिनियम में समुचित उपबन्ध किये जाने अपेक्षित थे जिससे कि केन्द्रीय सरकार को आयातित परेषणों का निरीक्षण, धूमीकरण आदि करने के लिए फीस उद्‌ग्रहीत करने के लिए सशक्त किया जाए और पहले उद्‌ग्रहीत या संग्रहीत फीस का विधिमान्यकरण किया जाए।

अत: भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया था और अब माननीय मन्त्री उस अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक ला रहे हैं। जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें कई बातों को ध्यान में रखना होगा।

हम सभी किसानों की स्थिति से अवगत हैं। लगभग सभी नकदी फसलें, विशेषकर केरल में, किसी न किसी रोग से प्रभावित हैं। इससे किसानों को बहुत कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में काफी अनुसन्धान कार्य किया गया है किन्तु उसका परिणाम कुछ नहीं निकला है। उदाहरणार्थ, काली मिर्च उगाने वाले परेशान हैं क्योंकि उनकी सारी फसल क्विक विल्ट के रोग से प्रभावित हो जाती हैं। केरल में सबसे अधिक काली मिर्च पैदा होती है। कुछ किसानों को सन्देह है कि यह रोग केरल में कुछ वनस्पति के अभाव से आया है। यह केवल एक उदाहरण है। वनस्पति तथा बीजों का आयात करते समय सरकार को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो ऐसे रोग फैल जायेंगे और खेती को नुकसान होगा।

मैं नारियल की खेती के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। नारियल के पेड़ों में एक विशेष प्रकार का रोग लगता है। पिछले कई वर्ष से नारियल की खेती करने वाले बहुत दुखी हैं। पैदावार बहुत कम हो गई है और किसानों को अपने पेड़ काटने पड़ रहे हैं। नारियल की खेती करने वालों की सुरक्षा करनी होगी।

हाल में सरकार ने नारियल को तिलहन की श्रेणी में शामिल किया है लेकिन इसके विकास के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। अतः मैं माननीय कृषि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे नारियल की खेती करने वालों की ओर पर्याप्त ध्यान दें क्योंकि वे नकदी फसलों से सम्बन्धित तथा केरल के किसानों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं।

श्रीमान मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस विधेयक का उद्देश्य वनस्पति संगठनों को बनाये रखना है और सरकार को ऐसी वनस्पति की जांच करने के लिए तथा इन संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए काफी धन व्यय करना होगा ताकि वनस्पति, बागान तथा किसानों का संरक्षण किया जा सके। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, हम ऐसे कानून के संशोधन के लिए यहां पर चर्चा चला रहे हैं जिसको 1914 में अंग्रेजों ने पारित किया था। अंग्रेजों ने जब यह कानून बनाया था तब उसमें उनके दो बड़े जुमले थे—एक विदेश से जो बीज या अन्य चीजें देश में लाई जाती थीं उसमें यदि किसी प्रकार का रोग हो तो उसका इलाज, उसको कैसे रोकेंगे। इस कानून में दूसरा जुमला यह था कि हिन्दुस्तान के भीतर यानि अंग्रेज जिस हिन्दुस्तान में राज कर रहे थे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी बीज और अन्य चीजों का यदि किसी भी प्रकार का व्यापार होना है और एक प्रदेश में बीज या अन्य चीजों को कोई रोग लगता तो उस पर काबू पाने के लिए उनके इस कानून का मकसद था। आज जब यह कानून यहां पर लाया गया है, मैंने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस बात को सबसे पहले यहां पर छेड़ा कि यह नई सीड पालिसी क्या है।

मंत्री महोदय के कहने के अनुसार और अन्य कांग्रेस के सदस्यों के कहने के अनुसार नई सीड पालिसी का अर्थ यह है कि विदेश से बड़ी मात्रा में हिन्दुस्तान में बीज लाना है। बीज ही नहीं बल्कि उसके साथ अनेक अन्य चीजों को भी लाना है क्योंकि जब बजट पेश हुआ था तब वित्त मंत्री ने जो सम्पूर्णतः आयात कर विदेशी बीज पर न लगाने का फैसला किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि बड़ी मात्रा में हिन्दुस्तान में विदेश का बीज हमें लाना है। इसलिए मैं इस कानून से बहुत परेशान हूं क्योंकि मेरी समझ यह है कि यह कानून इस देश में तीन चीजों को आयात करने के लिए अपने ढंग का दरवाजा खोलने का काम कर रहा है। बीज तो हो ही गया, आपने लिखा है कि हमारी नई बीज नीति है और हम विदेश से बीज को लाएंगे। मगर इसके साथ आप इस कानून को विशेष रूप से पारित करते हुए यह भी कबूल कर रहे हैं कि विदेश का जो बीज हिन्दुस्तान आएगा उस बीज के साथ विदेश के बीज की बीमारी को भी हिन्दुस्तान में लाने का काम करेंगे। बात वहीं नहीं रुक जाती क्योंकि जब विदेश का बीज अपने रोग के साथ हिन्दुस्तान आएगा तो उसके इलाज को लाने के लिए भी आपको विदेश जाना है। वैसे तो अपने देश में भी बीज को रोग है। खेत में जिस प्रकार की परेशानी है, जहां दवाई की आवश्यकता है वहां आज भी विदेश से दवाई को मंगाने का काम करते हैं। पेस्टीसाइड्स, इनसेक्टीसाइड्स भारी मात्रा में हम विदेश से आयात करते हैं। मगर इस नई बीज नीति के चलते, जिसके कारण यह कानून लाना जरूरी हो गया, जैसा कि आपने कहा है :

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

[अनुवाद]

"नई बीज नीति के अधीन बीजों और वनस्पति-सामग्रियों का आयात खुली साधारण अनुज्ञप्ति के अधीन लाया गया जिसके परिणामस्वरूप उसका भारी मात्रा में आयात हो रहा है। अतः सरकार को, ऐसे आयातित परेषणों के माध्यम से विदेशी रोगों के प्रवेश को रोकने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं और वनस्पति करंतीन संगठनों की सेवाओं को मजबूत करना है।"

[हिन्दी]

बीमारी आयेगी, रोग आयेगा, यह आप कबूल कर रहे हैं। इसको रोकना है, यह स्वाभाविक है, कर्त्तव्य हम लोगों का है, मगर उसको रोकने के लिए विदेश से दवाइयां भी मंगानी हैं, पेस्टि-साइड्स भी मंगाना है और नये किस्म के पेस्टिसाइड्स नये रोगों के लिये मंगाने हैं, यह बात भी इसके साथ स्पष्ट हो जाती है। इसका मतलब इसके पीछे भी नीति है। आपने ठीक कहा है कि इस छोटे से कानून को यहां सामने लाकर इससे हल होने वाली यह बात नहीं है, बहुत परेशानी होगी और हमारी खेती को बहुत नुकसान की दिशा में ले जाने वाले जुमले इस कानून के साथ जुड़े हैं। अब इस सदन में इसके ऊपर बहस हो जाये और इस पर दिय गये समय की फिक्र न करते हुए इस मसले पर बहुत ही खुल कर बहस हो जाये। इस संदर्भ में 2-3 मोटी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। डंकल का नाम यहां रोज आता है और जब बीज का प्रश्न आता है तो डंकल सामने आ जाता है। हम बीज और डंकल को अलग नहीं कर सकते हैं, बीज और गेट को अलग नहीं कर सकते हैं। मेरे पास यहां वह दस्तावेज है जिस को अंकटाड के भूतपूर्व डायरेक्टर डा० सुरेन्द्र पटेल ने लिखा है। जब यह सारा विवाद शुरू हो गया, आपकी नई आर्थिक नीति को लेकर, उस विवाद के संदर्भ में उन्होंने यह दस्तावेज तैयार किया। इसके दो जुमले आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पुस्तक का नाम है। इसमें डा० सुरेन्द्र पटेल कहते हैं।

[अनुवाद]

"डंकेल्स ड्राफ्ट टेक्स्ट"

आर्थिक प्रभुसत्ता को खतरा

"अब पेटेंट उपबंधों के बारे में, बीजों, वनस्पति तथा आनुवंशिक क्रांति द्वारा की गई संपूर्ण खोज तथा नवीन प्रणालियों को बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अन्तर्गत लाया जाएगा ताकि यह फसल के उत्पादन के बाद न केवल समर्थन प्रणाली रह जाए बल्कि नई फसल उत्पादन के साधनों की भी क्रांतिकारी खोज की जाए।"

3.37 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

आगे जाकर डा० सुरेन्द्र पटेल कहते हैं।

"जब आपको बीज मिल जाएंगे, नई बनस्पति मिलेगी, बायोजिनेटिक इंजीनियर मिल जाएंगे और जब आप नई-नई तकनीक अपनायेंगे तब नियंत्रण स्थापित होगा ताकि यदि प्रतिवर्ष बीजों को नहीं बदला जाएगा तो हम एक बड़े कृषि-संकट में पड़ जाएंगे जो वर्तमान नीति में विद्यमान है।"

[हिन्दी]

मैं चाहूंगा कि इसका अर्थ हम सभी लोग यह समझ लें, कि सदन समझ ले और विशेषकर मंत्री महोदय समझ लें कि आज जो नई नीति आप लोग चला रहे हो, जिस के अन्तर्गत विदेश से बीज हिन्दुस्तान में लाने की बात कर रहे हो, इसके अन्तर्गत अमरीका आज आपको कह रहा है कि डंकल-डंकल छोटे लोग हैं। इनको सुबह रखा जाता है और शाम को हटाया जाता है। असली टकराव अमरीका से है और अमरीका के बारे में अभी चर्चा करने का वक्त नहीं है। शायद जब वक्त आयेगा तब हम बहस करेंगे, लेकिन आपका असली झगड़ा है, इस राष्ट्र से जो इस बात को छिपाता नहीं है। आज विश्व के अन्दर हमारी ही बात चलेगी, हमारा ही आधिपत्य चलेगा। रूस मुकाबला करने की कुछ शक्ति रखता था, अब उसकी शक्ति को क्षीण करने का काम हो गया। असल में उसका अनेक टुकड़ों में बांटने का काम हो गया, अब हमारी बात चलेगी। आप इस नई सोच पालिसी के द्वारा देश को कहां ले जा रहे हो। 1914 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून है, जिसमें आप संशोधन करने के लिए यहां सदन में आए है। अंग्रेज चाहता था कि हिन्दुस्तान में जो हम लोगों की अपनी खेती है, अपनी फसल है, अपनी जड़ी-बूटी है, अपना गेहूं-चावल है, अपना बीज है, उनको बीमारियों से बचाया जाए। आप तो उससे भी आगे जा रहे हो। आप यह तय कर रहे हो कि विदेशों से ये सारी चीजें लाई जायें और उसके साथ-साथ उनकी बीमारियों को भी हिन्दुस्तान में लाया जाए। मगर बात यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाती है, बात इससे भी आगे बढ़ती है। यहां गैट के सारे प्रस्ताव, जिसके ऊपर आपको आज नहीं तो कल निर्णय लेना होगा और अगर आपने विदेशों से इस तरह से बीज को हिन्दुस्तान में लाने का सिलसिला जारी रखा तो पांच साल के अन्दर हिन्दुस्तान को अमरीका का एक तरह से गुलाम बनाने जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। मंत्री जी, यह आपका मर्जेट है। कल प्रधान मंत्री जी ने कहा कि देखिए हम देश तो इस देश के मान-सम्मान को कहीं भी चोट नहीं लगने देंगे। शब्द एक होते हैं, लेकिन आपकी कथनी-और-करनी में जब अंतर हो जाता है तो हम आपके शब्द की इज्जत क्यों करें, आपके शब्द को हम क्या मानें। आपका इस नई नीति से होना क्या है? जब आप विदेश से इतनी भारी मात्रा में बीज ला रहे हो, आप बहुत तरह के बीज ला रहे हो, आप गेहूं का बीज ला रहे हो, और भी आप बहुत तरह के बीज ला रहे हो। यह आपका नोटिफिकेशन है, जिसको आप यहां सदन में लेकर आए है।

[श्री आर्स्कर फर्नान्डीज]

सन 1984 में आपकी कोई नीति होगी, उसका मुझे मालूम नहीं है। आपका जो नोटीफिकेशन है अनुबंध अनुसूची II में वह इस प्रकार है :

[अनुवाद]

(एक) अलीयुम के सभी बीज; (दो) कोका और स्टेरक्यूलोसो और बांस के सभी बीज; (तीन) निम्बूवंश, नाबू, कागजी नाबू, संतरा और छोटा चकोतरा के सभी बीज; (चार) नारियल के बीज और काको के सभी बीज; (पांच) काफी के पौधे और बीज तथा काफी के सभी बीज; (छः) कपास के बीज और जोसीसीयम के सभी बीज; (सात) जंगली पेड़ों के बीज; (आठ) मूंगफली के बीज और आरबीज के सभी बीज; (नौ) बूकीन और मेडीकागो के सभी बीज; (दस) आलू और मकोय के सभी बीज (ग्यारह) रबड़ और हावेआ के सभी बीज (बारह) गन्ना और सेकरयम के सभी बीज, (तेरह) तबाकू और निकोटिआना के सभी बीज; (चौदह) बरकाम और ट्रिफालियम के सभी बीज; (पन्द्रह) सूरजमुखी और हलीयानटस के सभी बीज; (सोलह) गेहूं और ट्रिटिकम के सभी बीज — बीने, पौधे लगाने और खपत के लिए इन्हें भूलिए मत— (सत्रह) धान के सभी बीज और ओरिजा, (अठारह) फूलों और प्रदर्शनीय पौधों की कटाई, लालवृक्ष और कालिया (उन्नीस) फलों और इसके बाद जो, अल्कलाक्षा आदि के बीज और पौधों की सामग्री।

[हिन्दी]

इस प्रकार आपकी कौन सी चीज बाकी रह गई, यह आपका ही मजेंट है। मैं एनेक्सचर शेड्यूल-II पढ़ रहा हूं। इन सारी चीजों को आपने हिन्दुस्तान में लाने का फैसला किया है। पांच साल तक आप इसको इस्तेमाल करिए। वहां से पेस्टीसाइड्स लाइए, उनके बीज को बचाने का काम करिए। पांच साल में यह डंकल, यह गैट और यह अमरीका, अंत में अमरीका ही आपको कहेगा कि अब आपको पूरा-का-पूरा बीज अमरीका से ही लेना है, विदेश से ही लेना है। चूंकि हमारे बीज की नसल खत्म हो जाएगी और उनके जो अपने प्रपोजल्स है, जो सारे इन्टलेक्चुअल्स है, ट्रिप्स और ट्रिम्स की जो बात है, यह आपको क्या कहती है। यह आपको केवल इतना ही कहती है कि हमने जिस चीज को किया है, उसको आप अपने यहां फिर से देश में नहीं बना सकते हो। हमसे जो बीज खरीदोगे, उस बीज का इस्तेमाल केवल अपने खेत में इस्तेमाल के लिए कर सकते हो, लेकिन उस बीज का निर्माण करने के लिए आप कोई कदम नहीं उठा सकते हो। यही सारा मामला है और झगड़ा है। हम देश की आजादी बनाए रखे रहें यहां खड़े होकर रणभीम देवा भाषण करना बड़ा आसान है, लेकिन आपका व्यवहार, आपका एक-एक निर्णय, आपका एक-एक फैसला अगर देश की सार्वभौमिकता को केवल धक्के में डालने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसको मिटाने का काम कर रहा है। यहां तक मिटाने का काम कर रहा है कि कल हमारा किसान कहां से बीज लाएगा और हमारे बीज का दाम अमरीका तय करेगा। अमरीका हमारे बीज का दाम तय करेगा, अमरीका तय करेगा कि हम अभी कौन से बीज का इस्तेमाल करें और फिर एक वक्त आ जाएगा, आप मेरी बात को मान लीजिए अमरीका यह भी तय करेगा कि हमारी नीति को विश्व के लिए अगर आप नहीं

मानोगे तो तुम्हारे पड़ोसियों के साथ तुम्हारा क्या नाता होगा और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करते हुए तुम्हारा क्या रूख होगा। हमारी बात को अगर नहीं मानोगे तो हम तुम्हें बीज नहीं देंगे, अगर यह फैसला लेकर अमरीका खड़ा हो जाएगा तो किसान क्या करेगा, आपका देश क्या करेगा, क्योंकि आपके पास अपना बीज तो खत्म हो गया है, अपने पूरे बीज का नस्ल तो आपने खत्म ही कर दिया है और फिर इस देश में क्या बचा, कौन सी आपकी आजादी हिन्दुस्तान में बची रहेगी, कौन सी चीज आपकी बची रहेगी।

इसलिए नम्बर एक, इस कानून पर जो मैं आपत्ति उठा रहा हूं वह कानून को लेकर नहीं, मगर वह कानून जिस संदर्भ में आ रहा है, जिस मकसद से आ रहा है, कानून से मेरा झगड़ा नहीं है मगर जिस मकसद के लिए यह कानून आ रहा है उसको लेकर मैं उन बातों को बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। हम सरकार को और देश को आगाह करना चाहते हैं कि बहुत ही खतरनाक दिशा में यह सरकार हम लोगों को आगे ले जाने का काम कर रही है।

दूसरी बात यह है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और ज्यादा लम्बा भाषण देने की जरूरत भी नहीं है मैं संक्षिप्त में ही कहूंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : जार्ज साहब, इस पर 12-13 लोग और बोलना चाहते हैं इसलिए आप जल्दी खत्म कीजिए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, इससे बढ़ कर और कौन सा मसला है, सारी खेती खत्म हो रही है। (व्यवधान) यह आपके और हमारे विवाद का मामला नहीं है इसमें आपका और हमारा सोच एक होना चाहिए। मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि हमारे किसान के साथ और हमारे जो खेती के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं तो उनके साथ आप कितना जुल्म कर रहे हैं। यह सरकार के आंकड़े हैं कि 1984-85 में हमारे किसानों ने बीज तैयार किया अड़तालीस लाख छयालिस हजार क्विंटल बीज पैदा किया, 1990-91 में बहत्तर लाख एक हजार क्विंटल का बीज पैदा किया और हर चीज का है पलसेसे, फाइबर, पोटेटो, आयल सीड्स और इसमें अन्य हैं तथा इसमें सब कुछ है। इतनी सारी हम लोगों के पास दौलत है 1950-51 में हमारे देश ने कुल अनाज पैदा किया था पांच करोड़ दस लाख टन और आज हम लोग अनाज पैदा कर रहे हैं 17 करोड़ से 18 करोड़ टन, कोई अमरीका नहीं आया कोई बंकल नहीं आया किसी विदेश की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी, विदेशियों को हिन्दुस्तान से हटाकर हम लोगों ने अपने देश को बनाने का काम किया और आज फिर उसके दरवाजे आ रहे हो, उसका दरवाजा खटखटाने का काम कर रहे हो,। बीज चाहिए और उस बीज के साथ आपके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। एक्जोटिक डिजीज यानी, गोरे लोगों की बीमारी भी हम लोगों को बड़ी खूबसूरत लगती है, उनके बीज मांगने आ रहे हो और उसके साथ उनके एग्जोटिक डिजीज को देश में लाने की बात कर रहे हो। तो इसलिए सभापति जी, हम चाहेंगे कि हमारे किसान के साथ इस प्रकार का अन्याय न हो।

मैं अपना आखिरी जुमला कह कर समाप्त करूंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

मेरा कहना यह है कि इस कानून के साथ, चूंकि बीज आएगा और बीज से बीमारी को नाश करने के लिए आपको पेस्टीसाइड लाना है तो इस पेस्टीसाइड को लेकर मुझे दो बातें कहनी हैं, क्या मन्त्री महोदय मेरी इस बात से इन्कार करेंगे कि सारे विश्व में, विश्व के अधिकांश मुल्कों में जिन पेस्टीसाइड्स को आयात करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए मना है उस पेस्टीसाइड्स को अमरीका से हिन्दुस्तान मंगा रहा है। मैं एक पेस्टीसाइड का नाम लेता हूं जिसके ऊपर बड़े लेख अपने देश में भी लिखे हैं उनका नाम है—यह पेस्टीसाइड्स अमरीका का वैल्स कॉल केमीकल कार्पोरेशन बनाता है। इस पेस्टीसाइड्स पर दुनिया के 48 मुल्कों में पाबंदी है। अमरीका इसको इस्तेमाल नहीं करता, 48 देश इस्तेमाल नहीं करते मगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के आंकड़े मेरे पास हैं, 1987 में हिन्दुस्तान ने 1,17,136 पाउंड और पाकिस्तान ने 3,0 4 पाउंड इसका आयात कर लिया, जबकि 48 देशों में इस पर पाबंदी लगी हुई है। यही एक पेस्टीसाइड्स नहीं है, और भी है जैसे— बूटाक्लोर, हेसोक्सीफोप, न्यूरीमोल और प्रोथीफास।

इस सारे पेस्टीसाइड्स के खिलाफ अमरीका में आंदोलन चल रहा है। "ग्रीन पीस एक्शन" के लोग सारे विश्व में आंदोलन चला रहे हैं कि इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाओ और अमरीका में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है, दुनिया में इसका इस्तेमाल न हो, इसलिए ये लोग लड़ रहे हैं और आंदोलन चला रहे हैं पेस्टीसाइड्स सर्कल आफ पाइजन, एक्सपोर्ट पेस्टीसाइड्स एण्ड क्रिएट प्राब्लम्स। हमारे यहां 1 .11 करोड़ पाउंड प्रति वर्ष पेस्टीसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है और इस पेस्टीसाइड्स से कितने लोग मर रहे है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। इनका कहना है कि 25 मिलियन एग्रीकल्चरल वर्कर हर साल कीटनाशकों से प्रभावित होते हैं। आक्सटन रिपोर्ट यह कहती है कि 4000 लोग हर साल इससे मर रहे हैं, इस पेस्टीसाइड्स के इस्तेमाल से, लेकिन हम लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भोपाल गैस कांड हो गया, 4 दिन हम सब लोगों ने हल्ला मचाया, आज फिर वही स्थिति है। पेस्टीसाइडस कब से बना, शुरूआत कहां से हुई। जहरीली गैस, जिसे नाजी जर्मन ने सेकण्ड वर्ल्ड वार में बनाया। युद्ध समाप्त होने के बाद यह प्रश्न आया कि इसका इस्तेमाल क्या करें तब यह बात सामने आई कि जिस गैस का इस्तेमाल इन्सान को मारने के लिए किया जाता था, उसमें थोड़ा-सा फर्क करके उसका इस्तेमाल कीटनाशक के तौर पर किया जा सकता है। आज उसको विदेशी बीज के साथ हिन्दुस्तान में लाओगे और इस देश को अमरीका के सामने और विश्व के बड़े औद्योगिक राष्ट्रों के सामने झुकने के लिए और दब जाने के लिए कदम उठाओगे। तो सभापति महोदय, मेरी नम्रतापूर्वक इस सदन से प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दें। मैं दलीय प्रश्न समझकर इसको नहीं छेड़ रहा हूं, राष्ट्र के बचाव का प्रश्न समझकर इसको छेड़ रहा हूं, हर दृष्टि से राष्ट्र के बचाव का प्रश्न समझकर विचार कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यह विधेयक तो आप जरूर स्वीकार करेंगे, विधेयक पर मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों को मैंने उठाया है, उन पर इस सदन में फिर बोलने का अवसर मिलेगा तब विस्तार से बोलूंगा, अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन मुद्दों को मैंने छेड़ा है, उन पर सरकार गौर करे। इंकल और इसके

साथ जुड़े सारे मसविदों को अस्वीकार करें और इस देश को बचाने के काम में सबको साथ लेकर चलें।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसौर) : सभापति महोदय, यह विधेयक देखने में अत्यन्त सरल दिखाई देता है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं. उन प्रभावों के बारे में सदन में चर्चा हुई है प्रारम्भ में जब इस विधेयक पर चर्चा होने वाली थी, तब माननीय सदस्यों की तरफ से कई बातें उठाई गई थीं। नई बीज नीति के तहत आपको विदेशों से बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाइयां लाने की और उनके साथ अन्य उपकरण लाने की आवश्यकता पड़ी।

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो बीज आएगा उसके साथ बीमारियां भी आएंगी। जैसा कि सभी का मत है कि आज कीटनाशक दवाइयां विदेशों में बन्द कर दी गई हैं, वहां जिनका चलन नहीं है आज भी हमारे देश में उनका चलन जारी है। उनके प्रभाव से, उनके प्रयोग से लोग मर रहे हैं। यह स्थिति आज हमारे देश में है। मैं ऐसा समझता हूं कि इसके कारण किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। किसान भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। किसान अपनी शक्ति और सामर्थ्य से, अपनी बुद्धिकुशलता से कृषि में नये वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा, अपने देशी वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा, हमारे यहां के कृषि वैज्ञानिक इतने अच्छे हैं, जिन्होंने बीज के क्षेत्र में क्रान्तिकारी काम किया है, चाहे गेहूं के बीज हों, ज्वार के बीज हों या ग्राउंड-नट का बीज हो या अन्य बीज हों, उन्होंने क्रान्तिकारी काम किया है। आज हम अपने ही देश में इन फसलों को दुगुना-चौगुना करने में समर्थ हुए हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे यहां पर इतने अच्छे कृषि वैज्ञानिक हों, इतनी अच्छी व्यवस्था हो और किसान इतने समर्थ हों फिर भी हम बाहर के देशों पर निर्भर रहें और वहां से पेस्टीसाइड्स या कीटनाशक दवाइयां मंगवाने का काम करें। यह ठीक है कि हमारे नये आर्थिक प्रबन्ध हुए हैं, जिनकी यहां पर चर्चा की गई है। उन आर्थिक प्रबन्धों का दबाव हो सकता है कि हम इस प्रकार का आयात निश्चित रूप से करें। यदि नहीं करते तो शायद जो हमारे आर्थिक प्रबन्ध हैं उनको मानने में कहीं न कहीं कठिनाई होगी। मैं चाहता हूं कि भले ही हमारे नये आर्थिक प्रबन्धों में कुछ बातें कही हों; लेकिन इस देश की विशाल जनसंख्या इस बात को लेकर चलती है, वह जनसंख्या जिस पर आधारित है वह हमारी कृषि है। यदि सबसे बड़ा कोई उद्यम है तो वह कृषि है, सबसे बड़ा रोजगार का साधन कृषि है, यदि हम कृषि को इस प्रकार से समाप्त करने की सोचेंगे या व्यवस्था करेंगे तो आगे चलकर अत्यधिक संकट पैदा होंगे। यह इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है।

4.00 म० प०

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने नई पालिसी की घोषणा की। वह क्या थी, किस प्रकार की थी? उसके बाद ओ० जी० एल० के तहत भारी मात्रा में, ओपन जनरल लाइसेंस के तहत भारी मात्रा में पेस्टीसाइड्स लेने का दरवाजा दिया। जब इस प्रकार का दरवाजा खोला तो हमारे माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट और बम्बई हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी दी, मैं समझता हूं कि सरकार उस टिप्पणी को मानने को तैयार नहीं है। वह समझती है कि इस टिप्पणी को समाप्त कर दिया जाए। यदि सरकार ने सोच-समझकर पहले कदम उठाया होता तो जो विसंगतियां रह जाती हैं, कमी रह जाती है उसको ठीक किया होता तो निश्चित रूप से इस प्रकार का आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता न

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

पड़ती और न इस सदन के सामने आकर यह कहना पड़ता कि हमने जो कुछ किया है वह गलती से हो गया है, आप इसको ठीक कर दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने 27 अक्तूबर, 1989 का जो नोटीफिकेशन है, उसके तहत जो कार्यवाही की है, हमारा ऐसा मत है कि वह देश के हित में नहीं है। आगे चलकर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जैसे अभी जार्ज साहब कह रहे थे। कितने ही प्रकार के बीज हैं, कुछ भी तो छूटा नहीं है उसमें। यदि आप बरसिम का बीज बाहर से लाने का प्रयत्न करो तो मैं समझता हूं कि घास का बीज भी बाहर से आएगा। हो सकता है कि सरकार की अगर यही नीति रही तो हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त होगी और हमारी स्वायत्तता भी समाप्त होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमने जो कदम उठाया उसका भारत की कृषि पर विपरीत असर न पड़े, भारत की उपजाऊ जमीन पर विपरीत असर न पड़े। अन्यथा देखा जा रहा है कि जैसे-जैसे पेस्टीसाइड्स या नये-नये बीजों का प्रयोग करते जा रहे हैं उसका विपरीत असर होता जा रहा है। क्योंकि हर वर्ष रैनोवेशन होता नहीं है। अगर एक बार गेहूं के खेत में 10 क्विंटल या 15 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होता है तो दोबारा में 7 या 8 ही रह जाता है। इसका कारण यह है कि बीजों की उत्पादन क्षमता कम है, हम यह तो कहते हैं, लेकिन पेस्टीसाइड जो है वह हमारी खेती की उर्वरता और भूमि की उर्वरता को समाप्त कर देता है। भूमि की उर्वरता बनाए रखें, इस बारे में भी चिन्ता आवश्यक है। साथ ही, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक के बारे में बहुत-कुछ तो मुझे कहना नहीं, लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस सबको करते समय भारत की स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता और भारत की आर्थिक नीति पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े, कृषि वैज्ञानिक प्रोत्साहित होते रहें, किसान प्रोत्साहित होते रहें, उन पर विपरीत असर न पड़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक अर्थात नाशक बीज और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 का जो कि नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 का और संशोधन करने के लिए है, समर्थन करता हूं।

महोदय, जैसा कि विपक्ष के माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने ठीक कहा है कि यह अधिनियम स्वाधीनता से पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान अधिनियमित किया गया था। बीजों और पौधों आदि के प्रतिबन्धित आयात और आयात किये जाने पर बीजों आदि के कतिपय परिष्करण करने हेतु भी ब्रिटिश शासन के समय से ही यह अधिनियम इस देश में लागू है। महोदय इस अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत केवल हाल में अर्थात 1989 में सरकार ने आयात की प्रक्रिया में इन सभी वस्तुओं के निरीक्षण और परिष्करण हेतु कुछ शुल्क (लेवी) आदि संग्रहीत करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की थी। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अब तक इस विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है और यह एक सादा विधेयक है, इसे अब तक स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए लेकिन मुझे विपक्ष की, खास तौर पर कुछ माननीय सदस्यों की एक विशेषता मान लेनी चाहिए··· (व्यवधान) आप बेचैन क्यों हो रहे हैं ? जब श्री जार्ज फर्नान्डीज बोल रहे थे तब मैं चुप बैठा था

और कोई व्यवधान पैदा नहीं कर रहा था (व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य को केवल पांच मिनट मिलेंगे। इसलिए यदि आप इस तरह उनसे टोका-टाकी करेंगे तो आपका समय खत्म होगा। कृपया सभापति को सम्बोधित करके अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : महोदय हमने देखा है कि इस सम्मानित सभा का मूल्यवान समय किस तरह व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्नों के द्वन्द्व में बर्बाद हो गया है। लेकिन एक बात मैं मानता हूं। वे राई का पहाड़ बना सकते हैं और यही उन्होंने किया है। उन्होंने बहुत कुछ कहा है जब कि कोई बात एक दम थी ही नहीं। मैं कहूंगा कि जिस नई बीज नीति पर कुछ माननीय सदस्य बरस पड़े हैं वह 1 अक्तूबर, 1988 को है और जिस अधिसूचना का उल्लेख किया गया है वह 27 अक्तूबर, 1989 की है। जब नई बीजनीति और यह अधिसूचना इतनी अधिक खराब थी तो क्यों नहीं श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इन्हें उस समय रोक दिया जब वह मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यह मामला सभा में केवल आज आया है। (व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : 27 अक्तूबर, 1989 की इस अधिसूचना के उपबन्धों के अन्तर्गत शुल्क इकट्ठा किया गया था। अब उस बारे में उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि जब तक इसे विधिमान्य नहीं कर दिया जाता, यह शुल्क वापस कर देना चाहिए और इसी कारण यह विधेयक हम लोगों के विचारार्थ सभा के समक्ष लाया गया है। माननीय सदस्य इतने समय तक क्या कर रहे थे। (व्यवधान) केवल तभी जब वे विपक्ष में बैठते है तब उनकी प्रज्ञा जागृत होती है। और जब वे सरकारी पक्ष में बैठते हैं तो वे इन सब चीजों को भूल जाते हैं।

महोदय, व्यवस्था के प्रश्नों के द्वन्द्व में गुण-दोषों पर विचार किया गया है और इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े पैमाने पर बीजों के आयात की आशंका व्यक्त की है। मैं यह एकदम स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस बारे में मेरे अपने विचार हैं। हमें मजबूरी वाली स्थिति में ही आयात करना चाहिए। धीरे-धीरे सारा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है। इसलिए आयात करने में हमें क्यों हिचकना चाहिए ? हमें अपनी आवश्यकताओं को अपने देश में ही पूरा करने के सभी प्रयास करने होंगे। उसके बावजूद यदि कोई कमी रहती है तो हमें उस कमी को बर्दाश्त करना चाहिए अथवा उससे विदेशों से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। चीजें बदल रही है, प्रौद्योगिकी बदल रही है और अधिक पैदावार देने वाली बीजों की किस्में अब है। इन सब बातों पर विचार किया गया है। यदि हमें अच्छे बीज कहीं और से मिलते है तो हमें क्यों नहीं उनका आयात करना चाहिए ? लेकिन इसकी समुचित रूप से जांच की जानी होगी और समुचित परिष्करण करना होगा। इस पर वहन होने वाला व्यय सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना होगा। इस बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : प्रश्न यह है कि आप आयात कर सकते हैं, इसका विकास नहीं कर सकते।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : मेरी बात एकदम स्पष्ट है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आप किसी उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय को ऐसा मौका ही क्यों देते हैं कि वह हमारे नीति सम्बन्धी निर्णयों को निष्प्रभावी कर सके ?

मैं चाहूंगा कि जब मन्त्री महोदय अपना उत्तर दें तो यह बतायें कि क्या विधि मन्त्रालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था या नहीं और क्या विधि मन्त्रालय से परामर्श किया गया था या नहीं और विधि मन्त्रालय की क्या राय थी तथा अब तक कितनी धनराशि एकत्र की गई है।

कीटनाशकों का इस्तेमाल भारत सहित विश्व में सर्वत्र अधिक मात्रा में किया जा रहा है और अब मैं इनके कुप्रभावों के बारे में बताता हूं। आज कृषि के लिए कीटनाशक एक महत्वपूर्ण आदान है। इनसे पौधों की रक्षा होती है जिससे पैदावार बढ़ती है। इसकी मांग काफी अधिक है तथा अधिक उपज वाले बीजों की किस्म का पता लगने के बाद यह मांग और भी बढ़ गई है तथा अब और अधिक कृषि क्षेत्र पर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में कुल कृषि भूमि के लगभग एक-चौथाई भाग पर इसका प्रयोग किया जाता है। कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन डी० डी० टी०, बी० एस० सी० और मैलाथियान का होता है। ये सबसे सस्ते हैं और छोटे किसानों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बढ़ते प्रयोग के बावजूद होने वाली वार्षिक हानि वास्तव में चिंता का विषय है। कीट-कीड़ों और बिमारियों के कारण होने वाली वार्षिक क्षति जो 1976 में लगभग 3300 करोड़ रुपये की थी, अब बढ़कर 6,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की हो गई है। इसमें अनाज की क्षति भी शामिल है। हमारा वार्षिक बजट घाटा लगभग 6,000 करोड़ रुपये से 7,000 करोड़ रुपये तक है। यदि इस मुद्दे पर हम ध्यान दें तो इस क्षति को पूरा किया जा सकता है। कीड़ों, बिमारियों और भंडारण के दौरान अनाज की हानि, आदि के कारण हमें लगभग 6,000 करोड़ रुपये की क्षति होती है।

भारत में कीटनाशकों की खपत में भारी वृद्धि हुई है और स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय छठें दशक के आस-पास इसकी खपत केवल 2,000 मी० टन थी जो अब बढ़कर 80,000 मी० टन हो गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसमें कितना विष आ रहा है ?

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : फसल संरक्षण के अन्तर्गत आने वाला फसल क्षेत्र भी बढ़कर 80 लाख हेक्टेयर हो गया है। एक दशक पूर्व यह केवल 64 लाख हेक्टेयर था।

आज के विकासशील विश्व में व्यावसायिक खतरे के अतिरिक्त, इसके अन्धाधुन्ध प्रयोग से मानव सभ्यता को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। कीटनाशकों के कुप्रभावों और बड़े पैमाने पर कीटनाशकों के प्रयोग के कारण पूरी मानव सभ्यता का धीमी गति से विष खिलाया जा रहा है। इसके कुप्रभाव सर्वत्र है, वायु में भी, पानी में भी तथा खाद्यान्नों और गेहूं में भी उसके अवशेष मौजूद हैं। कृषि रसायन भोजन और पानी में अपने अवशेष छोड़ देते है और जब इनकी मात्रा सहन सीमा के स्तर से बढ़ जाती है तो बुरा प्रभाव डालती है। यह बहुत चिंताजनक बात है। ओटावा स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र ने दावा किया है कि प्रति वर्ष,—श्री जार्ज फर्नान्डीज ने 4,000 व्यक्तियों के मरने का उल्लेख किया है परन्तु एक प्रतिवेदन के अनुसार मेरे आंकड़े 10,000 व्यक्तियों के हैं—

अर्थात इनसे विशेषकर विकासशील देशों में प्रति वर्ष 10,000 व्यक्ति मरते हैं और इनके अतिरिक्त 40 लाख व्यक्ति कीटनाशकों के विष के विभिन्न कुप्रभावों से पीड़ित होते हैं। प्रभावित होने वाले अधिकांश व्यक्ति छोटे किसान और मजदूर हैं।

इसलिए हमें इसके बारे में सावधानीपूर्वक अपना दृष्टिकोण बनाना होगा और इसके सुरक्षित प्रयोग के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए। पुनः, कीटनाशकों के विष से मरने वाले लोगों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि का कारण विषैले रसायनों की बढ़ती संख्या तथा उनकी विष मात्रा की जांच किए बिना बड़े पैमाने पर उनका प्रयोग करना है। क्लोरडेन, हेपटाक्लार आदि जैसे अनेक रसायनों पर विकसित देशों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। परन्तु इसके बावजूद भी अमरीकी कम्पनियां इन निषिद्ध वस्तुओं, कीटनाशकों को भारत सहित तीसरे विश्व के देशों में भेज रही हैं। सच तो यह है। मैं विरोध के लिए इसका विरोध नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसका उचित प्रयोग सुनिश्चित करे। हम इनका प्रयोग वनस्पति संरक्षण उपायों के रूप में करना चाहते हैं। हमें इन कीटनाशकों का प्रयोग केवल उसी काम के लिए करना है। परन्तु यह सोचना होगा कि उन कुप्रभावों को किस प्रकार न्यूनतम किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जांच का कार्य ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए और उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कृषि भूमि पर कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरणीय संतुलन गड़बड़ा गया है। कीटनाशकों का उचित मात्रा में प्रयोग करने से न केवल कीड़े समाप्त होंगे बल्कि उनके प्राकृतिक शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे।

मैं एक बात और बताना चाहूंगा। महोदय, यह पाया गया है कि एक औसत भारतीय के दैनिक भोजन में लगभग 0.27 मि० ग्रा० डी० डी० टी० होता है और एक औसत भारतीय के शरीर में डी० डी० टी० का जमाव 12.8 और 31.0 पी० एम० के बीच है जो विश्व में सर्वाधिक है। इसलिए, यह भारी चिंता का विषय है। यह ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह एक अहानिकर विधेयक है। सभा में इस विधेयक की स्वीकृति पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। इसके साथ-साथ जब परिवर्तन हो रहा है तो हमें इसके साथ-साथ चलना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें अच्छी किस्म के बीज प्राप्त करने चाहिए। हमें अपने पौधों के संरक्षण के लिए कीटनाशकों का भी आयात करना है। परन्तु प्रश्न यह है कि जिन कीटनाशकों पर भारत से बाहर विकसित देशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम उनको नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ-साथ, उचित सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार को इस दिशा में यथा सम्भव सभी कुछ करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम 1941 को ऐसे नाशक कीट कवक (फंगस) या अन्य नाशक जीव के आयात और परिवहन को रोकने के लिए बनाया गया था जो फसलों के लिए हानिकारक हों। बीज नीति के अन्तर्गत बीज और वनस्पति सामग्री को खुला साधारण लाइसेंस योजना के अन्तर्गत लाया गया जिसके परिणामस्वरूप अमरीका, पश्चिम जर्मनी, यू० के० आदि जैसे अन्य विकसित देशों से भारी आयात हुआ।

महोदय, यह इस बात का अनूठा उदाहरण है कि किस प्रकार खुला लाइसेंस नीति से कृषि के

[डा० असीम बाला]

क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को क्षति पहुंचेगी। लाइसेंस की खुली नीति अपनाने के फलस्वरूप वनस्पति सामग्री और बीजों आदि का बिना सोचे-समझे आयात किया जा रहा है। शायद सरकार भयानक और विदेशागत वनस्पति रोगों की रोकथाम के लिए यह संशोधन लाई है। इस सम्बन्ध में मैं कलकत्ता और मुम्बई उच्च न्यायालयों के मामले को नहीं देखूंगा। सरकार का इस संशोधन को लाने का आशय केवल वनस्पति करंतीन कार्यालयों को चलाने के लिए कुछ लेवी और शुल्क एकत्र करना है न कि कीटनाशक और कृमिनाशक औषधियों की गुणवत्ता में कुछ सुधार करना। परन्तु कीटनाशकों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से पर्यावरणीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। इन औषधियों से न केवल कृमि या कीट नष्ट हुए हैं बल्कि महत्वपूर्ण वनस्पतियों और वन्य जीवों का भी नाश हुआ है। कीटनाशकों की खुली उपलब्धता, पर्याप्त संरक्षण का अभाव, अनुचित भंडारण तथा अत्यधिक व बिना आवश्यकता के प्रयोग करने के फलस्वरूप तीसरे विश्व के गरीब लोगों को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। और इससे पर्यावरणीय प्रदूषण भी फैल रहा है। कभी-कभी भोजन में भी इसके अवशेष मिलते हैं जिससे मानव जाति को खतरा उत्पन्न होता है। विशेषकर तीसरे विश्व के देशों में कीटनाशकों के प्रयोग में प्रति व्यक्ति लगभग 100 ग्राम की वृद्धि हो रही है।

विशेषकर तीसरे विश्व के लिए कीटनाशकों का खतरा चिंताजनक बनता जा रहा है। वर्ष 1972 में कीटनाशकों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति ने अनुमान लगाया है कि तीसरे वर्ष में प्रति वर्ष कीटनाशकों के विष के कारण लगभग 5 लाख दुर्घटनाओं के मामले होते हैं। अब तो इसमें कई गुना वृद्धि हो गई होगी। कीटनाशकों के अन्धाधुन्ध प्रयोग के कारण आंख के रैटिना को नुकसान, याददाश्त कम हो जाना और मनोवैज्ञानिक विकार जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। यह डी० डी० टी० को गलत ढंग से प्रयोग करने का परिणाम है।

एक डीलड्रिन नाम का रसायन है जो एक स्पष्ट कैन्सरजन है और जिसे डी० डी० टी० से चालीस गुना अधिक जहरीला बताया जाता है।

आपको 1984 में हुई भोपाल रसायन संयंत्र त्रासदी की याद होगी जिसमें मिक गैस के श्वासन से लगभग 4000 व्यक्ति मारे गए थे और 30,000 व्यक्ति अक्षम बन गए थे और उस बहु-राष्ट्रिक कम्पनी को बिना दंड दिए छोड़ दिया गया था। उसने इस त्रासदी से प्रभावित हुए भारत के लोगों को केवल 47 करोड़ डालर के बराबर मुआवजा दिया है। अमरीका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० पर सरकारी प्रतिबन्ध लगा हुआ है। परन्तु भारत अभी भी इन दोनों भयानक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है। भारत में कीटनाशकों के कारण हुई मौतों के समाचार है। वर्ष 1986-87 में गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब में 137 मौतें हुई थीं। हमारे देश के लिए यह अधिक बेहतर होगा यदि हम कुछ स्वदेशी कीटनाशक विकसित कर सकें। मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है कि नीम की पत्तियों को कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। यदि हम स्वदेशी उत्पाद का विकास करें तो इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को भी इस संबंध में रुचि लेनी चाहिए और अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन विधेयक में किए गए उपबन्धों पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मैं सरकार को सचेत करना चाहूंगा कि वह विभिन्न पहलुओं पर विचार करे और बड़ी सावधानीपूर्वक काम करे। आपको पता है कि चार दशक के नियोजित विकास के पश्चात् भी हमारा कृषि उत्पादन का स्तर काफी नीचा है। जहां हम लगभग 1 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर भूमि से करीब 1 करोड़ 75 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन कर सके हैं वहां हमारा पड़ोसी देश चीन ने इससे भी कम क्षेत्र में 3 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पैदा कर दिया है। जहां चीन में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रति वर्ष 300 कि० ग्रा० है वहां हमारे यहां यह केवल 200 कि० ग्रा० प्रति वर्ष है। इसका मुख्य कारण कम उत्पादकता ही है। उत्पादकता बढ़ाने के आदानों में से एक है। अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग जब हम उस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे देश में 4 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर में से केवल 3 करोड़ हेक्टेयर धान के खेतों में अधिक उपज वाले बीजों से खेती की जा रही है। यह ठीक है कि गेहूं की खेती वाले 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ज्वार, बाजरा और मोटे अनाजों के संबंध में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है; यह 45 प्रतिशत के लगभग है तथा मक्का के मामले में केवल 35 प्रतिशत क्षेत्र में ही अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है। और इसी कारण से उपज बहुत कम है।

आपको पता है कि दलहनों और तिलहनों के मामले में हम आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और वास्तव में दलहनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तीन दशक पहले की उपलब्धता से केवल आधी है। और तिलहनों के संबंध में भी जहां न्यूनतम पोषाहार स्तर 12 कि० ग्रा० प्रति वर्ष होना चाहिए। वहां हम अपने देश में केवल 6 कि० ग्रा० ही दे पा रहे हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में तिलहनों और दलहनों के संबंध में अधिक उपज वाले बीजों का आयात किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि हमारे देश में बीजों की अधिक उपज वाली किस्मों के उत्पादन के लिए वैज्ञानिकों द्वारा काफी प्रयास किए गए हैं, परन्तु इस क्षेत्र में किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं थे और इसीलिए सरकार ने सभा में नई बीज नीति प्रस्तुत करते समय यह इच्छा व्यक्त की कि वह उनका भारी मात्रा में आयात करेगी। परन्तु इस संबंध में मैं सरकार को सचेत करना चाहूंगा कि अति उदारता से आयात करने से हमारे राष्ट्रीय हितों और किसानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। केवल उन्हीं क्षेत्रों में जहां अत्यधिक आवश्यकता है, हमें उनका आयात करना होगा। उदाहरण के लिए तिलहन के क्षेत्र में। हम खाद्य तेल और तिलहनों के आयात पर हजार करोड़ रुपये से भी अधिक तथा दालों के आयात पर भी कुछ सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। परन्तु चावल या गेहूं और अन्य चीजों जैसे अन्य क्षेत्रों में हमारे पास अधिक उपज वाले बीज हैं। परन्तु मुख्य समस्या यह है कि इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं। कम उपज के कारणों में से एक यह भी है।

मैं सरकार से यह कहने का सुझाव दूंगा कि बीजों के आयात पर निर्भर न रहा जाए। हमें अपने देश में भी उन्नत बीज तैयार करने होंगे। सरकार को अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और फिर हमारी आवश्यकताएं निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। इस सदी के अन्त तक हमारा लक्ष्य 3 करोड़ क्विंटल बीज पैदा करने का है। परन्तु यदि हमें वह लक्ष्य प्राप्त करना है तो अनेक कदम उठाने होंगे। इस समय हमारे राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगम के

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

अतिरिक्त अनेक वाणिज्यिक संगठन भी हैं जो बीजों का काफी व्यापार कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसानों को निम्न स्तर के बीज सप्लाई किए जाते हैं। इन निम्न स्तर के बीजों के कारण कपास उत्पादकों, गेहूं उत्पादकों और अन्य किसानों को काफी हानि हुई है। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है; परन्तु सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उन संगठनों और वाणिज्यिक फर्मों से जिन्होंने नकली या निम्न स्तर के बीज सप्लाई किए हैं, उन किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिलवाया जाता जिन्होंने अपनी जेब से लगाई पूंजी गंवा दी है। सरकार को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

पौध संगरोधन के उपायों को निश्चित रूप से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। यह देखने के लिए कि पौध संगरोधन प्रक्रियाओं का प्रयोग कम अवधि के न हों, पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए सरकार को अधिक धनराशि भी आवंटित करनी चाहिए। क्योंकि पहले ऐसे उदाहरण हैं जब कुछ बीजों का आयात किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया गया था, बाद में यह पाया गया कि उनका बहुत विनाशकारी प्रभाव हुआ था। इसलिए सरकार को इन बीजों के आयात के सम्बन्ध में सभी आवश्यक पूर्वोपाय बरतने चाहिए।

मैं कृमि नाशकों और कीटनाशकों के बारे में चन्द शब्द कहना चाहूंगा। मेरे अनेक मित्रों ने इस पर विस्तार से बोला है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं सरकार को यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि यद्यपि कोरिया, जहां कीटनाशकों और कृमिनाशकों की खपत लगभग 6 कि० ग्रा० है, जैसे अनेक अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में इनकी खपत काफी कम है। जबकि हम लोग केवल 295 ग्राम का सेवन कर रहे हैं, तथापि विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह सिद्ध हो चुका है कि डी० डी० टी० जैसे कीटनाशकों और कृमिनाशकों के प्रयोग से खाद्यान्नों पर होने वाला प्रभाव हमारे देश में कफी ज्यादा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अनेक बार इन रसायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण ये भूमिगत जल में मिल जाते हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर काफी गम्भीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं के वह नाशक जीव अधिनियम, 1968 में आवश्यक संशोधन करे तथा उन कीटनाशकों और कृमिनाशकों पर प्रतिबन्ध लगाये जिन पर अमेरिका जैसे देशों में पहले ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है परन्तु उन्हें हमारे देश में भेजा जा रहा है क्योंकि बहु-राष्ट्रिक कम्पनियां इन उत्पादों से धन अर्जित करना चाहती हैं जिन पर पहले ही उनका एकस्व अधिकार है और वे उनका निर्माण कर रही हैं। ये दवाइयां इस देश के आम लोगों के लिए बहुत हानिकारक हैं। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कीटनाशक अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए भी संशोधन लाए कि सरकार ऐसे कृमिनाशकों या कीटनाशकों के उत्पादन को प्रोत्साहन दे जो लोगों के लिए ज्यादा हानिकारक न हो। उन्हें नीम के बीजों आदि से तैयार किए जाने वाले प्राकृतिक कीटनाशकों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिन्हें अनेक देशों में पहले ही विकसित किया जा रहा है। कीट जैवकिय नियंत्रण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बड़े पैमाने पर समन्वित कीट प्रबन्ध अभ्यास शुरू किया जाना चाहिए तथा इन कीटनाशकों और कृमिनाशकों को न्यायोचित प्रयोग का विस्तार करने से काफी लाभ होगा। सरकार को उस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए तथा इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : सभापति महोदय, मैं इस अधिनियम में संशोधन का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 को अधिनियमित करने का मुख्य उद्देश्य किसी ऐसे नाशक कीट, फंगस या अन्य नाशक जीव, जो कि फसलों के लिए हानिकारक हो या कोई ऐसी चीज जो भारत के सामान्य वातावरण के लिए हानिकारक हो, के आयात और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाना था।

आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने एक पौध संरक्षण संगठन बनाया। इस संशोधन का आशय इसके लिए आवश्यक कोष तथा आधारभूत ढांचा बनाना है। इसलिए, यह सराहनीय है तथा इसमें विरोध करने वाली कोई बात नहीं है।

परन्तु, मैं यहां एक विशेष उद्देश्य से बोल रहा हूं। मेरे विचार से यह अधिनियम अपने आप में अपर्याप्त है। यह अधिनियम वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। विभिन्न सदस्यों ने बीजों, कीटनाशकों, इत्यादियों के आयात के संबंध में अनेक शंकाएं जाहिर की हैं। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं क्योंकि उनकी कुछ आशंकाएं वास्तविक हैं। आधुनिक समय में, हम अलग-थलग नहीं रह सकते हैं। हमें एक-दूसरे पर अन्तर्निभर रहना होगा। अत:, जीवनाशक जीवों और कीटनाशकों का कुछ हद तक आयात करनाहोगा। लेकिन, यही भय है और इसीलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि भली-भांति ज्ञात है कि कुछ ताकतें निरंतर इस देश को अस्थिर करने में लगी हुई हैं। इसके लिए आर्थिक अस्थिरता के अलावा या उससे अच्छा साधन और क्या हो सकता है।

आधुनिक समय में परम्परागत युद्ध या आक्रमण सम्भव नहीं है। लेकिन, रसायनों या रासायनिक युद्ध तथा परमाणु युद्ध सम्भव है। परन्तु, एक अन्य रास्ता भी है—अति प्रभावशील गोपनीय रास्ता--जिसका विभिन्न देशों द्वारा प्रयोग किया गया है और वह है कीटाणु युद्ध। यहीं पर हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यह एक घोषित युद्ध न होकर अघोषित युद्ध होता है। आज, मैं संक्षेप में यही बात कहना चाहता हूं।

इस राष्ट्र ने कीटाणु युद्ध के पहलू की परम्परागत तौर पर उपेक्षा की है, इस सभा ने भी परम्परागत तौर पर इसकी उपेक्षा की है क्योंकि मुझे एक बार की भी याद नहीं है जब कभी कीटाणु युद्ध के संबंध में यहां चर्चा की गई हो। जब हम नई बीज नीति तथा कीटनाशकों तथा जीवनाशकों के आयात की बात करते हैं तब हमें कीटाणु युद्ध के सम्बन्ध में ध्यान केन्द्रित करना होगा। कीटाणु युद्ध के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जैविक हथियार मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कहा गया है कि जैविक हथियारों को, उनके प्रभाव को, स्थान तथा समय की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और मनुष्य तथा प्रकृति पर उनका अनिवार्य प्रभाव हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1970 में कहा था कि जैव एजेंट वे होते हैं जो अपने प्रभाव के लिए लक्षित अवयवों के भीतर गुणनधर्म पर निर्भर करते हैं और जिनका आशय मनुष्यों, पशुओं तथा वनस्पति में रोग फैलाना होता है।

आधुनिक समय में आनुवंशिकी इंजीनियरी तथा अन्य जीव-आनुवंशिकी प्रौद्योगिकियों में प्रगति के फलस्वरूप नये प्रकार के जैव हथियार विकसित किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन हथियारों का प्रयोग केवल युद्ध के दौरान ही किया जाता हो। अपितु, इन हथियारों का प्रयोग किसी देश को आर्थिक

[श्री सुधीर सावन्त]

रूप से अस्थिर करने के लिए नियमित रूप से किया जा सकता है। और इसी बात का हमें ध्यान रखना है।

ऐतिहासिक दृष्टि से, वर्ष 1925 में जनेवा नयाचार द्वारा किसी भी तरह के रसायनिक तथा जैव युद्ध पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। द्वितीय,विश्व युद्ध के पश्चात, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन हथियारों को समाप्त करने का आह्वान किया (व्यवधान)। जैव तथा विषैले हथियारों का विकास, उत्पादन और भंडारण तथा उन्हें नष्ट करने के संबंध में 10 अप्रैल, 1972 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 26 मार्च, 1975 को यह समझौता लागू हुआ।

जैव हथियार समझौता की तीसरी समीक्षा, : 1992 संबंधी प्रतिवेदन मेरे पास है। इसके अनुसार :

"इस समझौते में न तो प्रतिबंधित वस्तुओं को परिभाषित किया गया है और न ही प्रतिबंधन से संबंधित लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है।"

मैं चर्चा के लिए जो प्रश्न उठा रहा हूं वह यह है कि आज इस प्रकार के युद्ध में किसी भी तरीके का प्रयोग किया जा सकता है तथा इससे बचने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्षा उद्देश्यों के लिए जैव युद्ध पर अनुसंधान करने का अपना अधिकार आरक्षित रखा है। हालांकि यद्यपि उसने जैव हथियारों के प्रयोग को समाप्त किया है, और यद्यपि 1972 में हुए इस विशेष समझौते के लिए 1992 तक 112 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तथापि, पर्याप्त सुरक्षोपाय नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है :

"जैव युद्ध समझौते के अन्तर्गत जैव एजेंटों तथा टोक्सीन का विकास करने, उत्पादन करने, संचय करने या अन्यथा ग्रहण करने या रखने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यह केवल प्रकारों और मात्रा पर लागू होता है जिनका 'रोगनिरोधन', 'संरक्षण' या 'अन्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनों' के लिए कोई औचित्य नहीं है।"

मेरा कहने का आशय यह है कि इस समझौते के बावजूद, वे देश जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जैव हथियारों का प्रयोग करने के लिए स्वच्छंद हैं तथा इनका जोरदार ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। यहीं यह अधिनियम अस्तित्व में आता है। हमें इस अधिनियम की परिकल्पना करनी है। अब अनेक देशों ने अपने देशों में इस तरीके के युद्ध से बचाव के लिये विभिन्न उपाय अपनाये हैं। भारत में ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। यहां एक मात्र अधिनियम यही है जो आज हमारे समक्ष संशोधन के लिए आया है। अधिनियम बनाया जा रहा है जिसमें धनराशि की व्यवस्था की गई है। मेरा यह अनुरोध है कि हमें ऐसी बुनियादी सुविधाओं और यान्त्रिकी का निर्माण करने के लिए कोई अधिनियम बनाना चाहिए जिससे कि देश को किसी धोखेबाजी या अप्रत्यक्ष आक्रमण अर्थात पौधों, कीट नाशकों के माध्यम किए जाने वाले आक्रमण से बचाया जा सके। इस अधिनियम का अधिनियमन विलम्बित है अतः इसे शीघ्र अधिनियमित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से पहला सवाल यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने आपके इस कानून को चैलेंज करते हुए, फीस वसूल न करने का फैसला दिया। उसके बावजूद भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की। फिर बम्बई हाई कोर्ट ने भी फीस न वसूल करने की रूलिंग दी और साथ ही यह भी निर्देश दिया कि आपने जो फीस वसूल की है, उसको भी वापिस करें। आप कृपा करके जवाब दें, तो बतायें कि दो कोर्ट्स ने आपके कानून के खिलाफ निर्णय देने के बावजूद भी कदम नहीं उठा सके। ऐसा लगता है कि आपके वकील सही पैरवी नहीं कर सके और दोनों ही जगहों पर आपकी हार हुई। अब आप इस कानून में संशोधन करके, किसानों की दुहाई देकर, आप हम से इस कानून को पास कराने जा रहे हैं। इसका मुझे बहुत ही खेद है। आप कह रहे हैं—दी गई सुविधाओं के लिए एवं वनस्पति करंतीन संगठनों को बनाए रखने के लिए आप यह फीस ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दी गई सेवाओं के लिए आप यह कानून में संशोधन ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने सेवायें कौन सी की है? अगर आपने सेवायें की होती, तो दो हाई-कोर्ट्स ने आपके खिलाफ निर्णय नहीं दिया होता और उसके बावजूद भी आप काश्तकारों पर जबरदस्ती टैक्स लगा कर इस फैसले पर कार्यवाही करने जा रहे हैं। कृपा कर जब आप जवाब दें, तो यह स्पष्ट करें, वे कौन से वकील थे, जिनके कारण आप हारे और अब कानून में संशोधन करने के लिए सदन का समय बर्बाद करने जा रहे हैं।

मेरा यह निवेदन है कि यह जो बिल है उसमे आपने जो बात कही है कि जब हम पौध मंगाएंगे तो उसकी मेडीसन हमको मंगानी पड़ेगी। यह दुनिया भी जानती है कि जब देश के अन्दर अंग्रेज आया तो उसके साथ उसकी बीमारियां भी आई। मैंने आयुर्वेद पढ़ा है, भारत की जो तीन पुस्तकें लिखी है वह है: चरक, सुश्रुत और वागभट्ट। इन तीनों किताबों के अन्दर फिरंग उपदंश सुजाक नाम की बीमारी कहीं नहीं है, अगर उक्त रोग यहां पर आया, तो 17 सौ साल पहले जो माधव निदान आचार्य ने लिखा उसमे उक्त बीमारी का वर्णन है, तो उसकी मेडीसन भी बाहर से आई। चाप चीनी नाम की एक लकड़ी है और वह इस रोग के लिए अच्छी मेडीसन है और वह हिन्दुस्तान में पैदा नहीं होती और आज भी पैदा नहीं होती, हमको विदेश से मंगानी पड़ती है वही स्थिति इन पौध के साथ भी है कि अगर हम पौध मंगाएंगे तो पौध के साथ हमको विदेशी दवाएं भी मंगानी पड़ेगी।

हिन्दुस्तान में प्रमाणित हो चुका है कि एलोपैथिक मेडीसन हिन्दुस्तान के लिए किसी भी मूल्य पर सूटेबल नहीं है। एंटीबायोटिक के जो साइड इफेक्ट है उसके कारण सारा हिन्दुस्तान आज त्रस्त है। आज एलोपैथी चिकित्सा के मामले में, शल्य के मामले में मैं नहीं कहता, लेकिन चिकित्सा के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि एलोपैथी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और आज एंटीबायोटिक के जो रिएक्शंस हैं उनके लिए कोई मेडीसन नहीं है।

आज यह एड्स कहां से आ गया, यह वहीं से आया, इससे पहले कैंसर की दवाई यहां नहीं है और इसलिए नहीं है कि हमने कभी सोचा ही नहीं हमारे आचार्य ने लिखा है एक अदभूत बीमारी है जिसका कोई विश्लेषण नहीं होता था—टी॰बी॰, हमारे यहां नहीं थी। अगर आपने हिन्दुस्तान में इस

[श्री बाऊ दयाल जोशी]

प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कि, अगर आपने पौध वहां से मंगाना शुरू किया तो यह मान करके चलिए कि हमको वहां से दवाइयां मंगानी पड़ेंगी और दवाइयां जो होती हैं यह दो प्रकार के पेटेंट होते हैं – एक प्रोसेस पेटेंट और दूसरा प्रोडक्ट पेटेंट, अगर प्रोडक्ट पेटेंट हिन्दुस्तान में आया तो मनमानी कीमतें वसूल होंगी। अगर प्रोसेस पेटेंट है तब हम उस दवा को यहां पर भी बना सकते हैं, अगर प्रोडक्ट पेटेंट आ गया तो वे लेकर आएंगे, तो आप यह मान कर चलिए कि हिन्दुस्तान दिवालियापन की तरफ बढ़ता चला जाएगा।

मुझे आश्चर्य होता है कि हमारा काश्तकार अभी तक कोई दवाई नहीं जानता, मेरे कोटा जिले में आज की तारीख में मसूर नाम की एक दाल होती है, आज उसकी मेडीसन नहीं रही और इसलिए नहीं रही क्योंकि जंगल समाप्त हो गए। आज से 25 साल पहले मसूर के अन्दर मेरे काश्तकार जंगल के उप्पल थे उनमें गंधक मिला कर डालता था और उसके बाद वह बीमारी मिट जाती थी, लेकिन आज वह नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी आपको कहता हूं कि इस बीमारी को मिटाने के लिए क्या आपके पास कोई मेडीसन है या नहीं, आपके पास कोई मेडीसन नहीं है। मेरा काश्तकार इस बात को ठीक तरह से जानता था। "यश्य देशस्य योजन्तु, तत्रम तश्योषद्धम हितम्", जिस देश के अन्दर जो औषधि है वह उस देश की जलवायु के आधार पर उसी देश के लिए उपयोगी है। यह जितनी मेडीसन आएंगी, विदेशों से आएंगी। (व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया के सारे राष्ट्र नयी-नयी खोज करके, बीजों के सम्बन्ध में सर पटक-पटक कर मर गए, क्या दुनिया के किसी भी राष्ट्र ने बासमती चावल पैदा किया है, बासमती चावल कहीं होता है, बासमती चावल केवल मेरी धरती पर पैदा होता है। भारत की धरती सुगंधा है, शस्य श्यामला है, अन्नदायिनी है, अन्नपूर्णा है, इसलिए इस धरती पर बासमती चावल पैदा होता है, विश्व में और कहीं बासमती चावल पैदा नहीं होता। इसी तरह से हमारा पूसा इंस्टीट्यूट, जिसने नए-नए बीजों का और तकनीक का आविष्कार किया और विदेशी लोग वहां की गाइडलाइंस पर और टेक्नीक पर चलते हैं, यहां से पौध लेकर जाते है, नई नई खोज यहां पर हुई हैं, जिसके कारण हमारी धरती शस्यश्यामला है, अन्नपूर्णा है, जिन वैज्ञानिकों ने यह कर दिखाया है, उनकी योग्यता को कुंठित मत कीजिए। विदेशों से बीज मत मंगाइए, नहीं तो जैसी कहावत है कि— जैसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन, जब विदेशी अन्न खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी विदेशी बन जाएगी। इसलिए कृपा कर के भगवान के नाम पर विदेशी चीजों को यहां पर मत लाइए।

अन्त में एक बात और बताना चाहता हूं जो विदेशों के बारे में है। आप तो सामर्थ्यवान हैं, जाकर देख सकते हैं, मैं तो सिर्फ सुनता हूं, वही चीज आपको बताना चाहता हूं। विदेशों में दो तरह की सब्जी की दुकानें है, एक तो रासायनिक खाद द्वारा उत्पन्न और दूसरी देशी खाद द्वारा उत्पन्न सब्जी मिलती है। देशी खाद द्वारा उत्पादित सब्जी की कीमत रासायनिक खाद द्वारा उत्पादित सब्जी से 6 गुनी अधिक होती है, लेकिन फिर भी लोग देशी खाद द्वारा उत्पादित सब्जियों को ही पसन्द करते हैं। देशी खाद द्वारा उत्पादित वस्तुएं हर कीमत पर, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं और लोग 6 गुनी अधिक कीमत देकर भी उनको खरीदते हैं। इसी तरह से भारत

से निर्यात की हुई चीजों को विदेशों में इसलिए पसंद किया जाता है। आज यहां पर लंगड़ा आम क्यों नहीं मिलता, क्योंकि निर्यात होता है। आज यहां पर अच्छा केला उपलब्ध नहीं है, क्योंकि विदेशों में पसंद किया जाता है, लेकिन हमारी नई नरसिंह राव सरकार की समझ में यह बात कैसे आएगी, हम विदेशी अनाज और टेक्नालाजी मंगाकर देशवासियों के साथ कौनसा न्याय करने जा रहे हैं, कौनसा भला करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके इस बिल को अस्वीकार किया जाए। अभी तो मैंने इस बारे में थोड़ी सी बात कही है, लेकिन जो बीज और पेस्टीसाइड्स आप लेने वाले हैं, जब इस बिल पर आगे चर्चा होगी तो और जोरदार शब्दों में इसका विरोध करूंगा। आप यह जो नए प्रकार का कर वसूल करने का अधिकार ले रहे हैं मेरी सदन से प्रार्थना है कि निश्चितरूप से इसको रिजेक्ट किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बलूर) : मैं अपने दल अ०भा०अ० द्र० मु० क० की ओर से नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

महोदय, नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम सर्वप्रथम 1914 में अधिनियमित किया गया था ताकि किसी कीट, फफूंद या अन्य जीवों जो फसलों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, के आयात और परिवहन पर रोक लगाई जा सके। यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि वह किसी वस्तु या वस्तुओं की किसी श्रेणी के आयात पर, जिससे किसी फसल के संक्रमित हो जाने की संभावना है, रोक लगा सकती है अथवा उसे विनियमित कर सकती है। वर्ष 1989 में पौधों, फलों और बीज जैसी कुछ वस्तुओं, जिनका भारत में आयात किया गया था, के निरीक्षण, धूम्रीकरण, विसंक्रमण से सम्बन्धित मामलों के बारे में एक अधिसूचना जारी की गई थी। वर्ष 1992 में एक अध्यादेश दुबारा से अधिनियमित किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि पहले जारी अधिसूचना व्यवहार्य नहीं थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निरीक्षण, धूम्रीकरण, आदि के लिए कोई फीस लेने के लिए सरकार को अधिकार नहीं दिया था। उसी समय बम्बई उच्च न्यायालय ने एक मामले में फीस लेने पर रोक लगा दी और फीस वापस करने का निदेश दिया।

सरकार की नई बीज नीति के अन्तर्गत पौधों के आयात को खुला सामान्य अनुज्ञप्ति के तहत लाया गया था जिसके फलस्वरूप आयात में भारी वृद्धि हुई। अतः सरकार को अब एक नया विधेयक पेश करना पड़ा है। सरकार के अनुसार पौध संगरोधन संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं और इस संगठन के रखरखाव पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए शुल्क लगाया गया तथा संग्रहित किया गया।

लगभग तीन दशक पहले पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत गेहूं का आयात करता था। इस

[श्री ए० अशोकराज]

आयातित गेहूं के साथ-साथ कुछ खरपतवार, भी जो गेहूं में मिल जाता है, भारत में लाया जाता था। ये खरपतवार जो अपने आपको सभी प्रकार की जलवायु के अनुकूल बना लेते हैं, हमारे खेतों में उत्पन्न होते हैं और इससे खेतों के नजदीक रह रहे असंख्य लोगों को अस्थमा की बीमारी हो जाती है। मेरा अनुरोध है कि बीज या पौधों का आयात करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार इस खरपतवार में हो रही वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च कर रही है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह देखे कि नाशक जीवमार और कीटनाशी दवाओं का आयात करते समय किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो। यदि इसे उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो इस कानून को बनाने का कोई अर्थ नहीं है।

हम यहां संसद में कानून बनाते हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इन अधिनियमनों का उचितरूप से क्रियान्वयन हो पाता है अथवा नहीं।

गांवों में हम देखते हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है तो वह इन औषधियों, जो विभिन्न पौधों की बीमारियों के इलाज के उद्देश्य से मंगाई जाती है, का सेवन करता है। मैं कहना चाहूंगा कि जब इन बीजों का आयात किया जाता है, उस समय सरकार को, यह देखने के लिए कि बीजों का पूर्ण रूप से परीक्षण किया गया है, कड़े उपाय करने चाहिए।

सरकार का कहना है कि पौध संगरोध ने संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं और इस संगठन के रखरखाव पर हो रहे व्यय को पूरा करने के लिए फीस लगाई जाती है और इसका संग्रहण किया जाता है मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या ये संगठन सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं या निजी विभागों द्वारा। यदि वे निजी विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं तो सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं, क्या उपाय कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि जब हम कोई कानून गरीब वर्ग के कल्याण के प्रयोजनार्थ बनाते हैं तो ये सभी उपाय इसमें सम्मिलित किए गये हों।

ये सभी नाशक जीवमार और कीट नाशी गांवों में दुकानों पर बेचे जाते हैं। वे पुरानी दवाइयां बेच रहे हैं। अतः वे स्वतः अधिक खतरनाक बन जाते हैं।

5.00 म० प०

अतः इस संबंध में कड़े उपाय किये जाने चाहिए। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : महोदय, नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 लाने में विलम्ब किया गया है जबकि आनुपातिक दृष्टि से खतरे वाली बात ज्यादा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि, सरकार, उच्च न्यायालय द्वारा यह घोषित किए जाने से पूर्व कि सरकार की कार्यवाही अवैध है, शुल्क लगाने और शुल्क एकत्रित करने के लिए उपबंध नहीं कर सकी।

महोदय, विधेयक में केन्द्रीय सरकार को उन व्यक्तियों पर शुल्क लगाने और उनसे शुल्क

एकत्रित करने की शक्ति दी गई है जो कीट, फफूंदी अथवा अन्य जीव या अन्य वर्ग की वस्तुएं जो हमारे देश में फसल के लिए हानिकारक हैं, आयात करेंगे। यह इस विधेयक का उद्देश्य है। अब तक सरकार द्वारा एकत्रित किए गए शुल्क को उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है। इसलिए सरकार शुल्क एकत्र किए जाने को वैध बनाना चाहती है और मुझे उस पर आपत्ति है।

हमारे मौलिक अधिकारों में किसी व्यक्ति को, जिसे किसी एक आरोप में सजा दी गई है, बाद में बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा दूसरा दण्ड नहीं दिया जा सकता। सरकार ने पहले ही इस बारे में विधान क्यों नहीं बनाया।

दूसरे, शुल्क का भार अकेले आयातकर्ता को ही वहन नहीं करना चाहिए, क्रेताओं से भी यह शुल्क लिया जाना चाहिए। अंततोगत्वा, यह शुल्क भार छोटे और सीमांत किसानों को वहन करना पड़ेगा। सरकार ने उर्वरकों पर आर्थिक राजसहायता वापस ले ली है। कृषि उत्पादन की लागत बढ़ गई है। इस कारण भारत के लोग पीड़ा झेल रहे हैं। शुल्क का यह प्रभाव पुनः छोटे किसानों पर डाल दिया जाएगा और कृषि उत्पादन की लागत और बढ़ जाएगी।

महोदय, तीसरे, हमारे विशाल देश में, जहां फल और पौधे पैदा होते हैं। भारी मात्रा में आयात शुरू किया जा रहा है। इसके बावजूद फलों का आयात किया जा रहा है। वे लोग कौन हैं जो विदेशों से आयात किए गए फलों का उपभोग कर रहे हैं? महोदय, मैं इस पर आपत्ति करता हूं। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे फलों का आयात न हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे किसान हमारे देश के लिए पर्याप्त मात्रा में फलों की पैदावार करने में सक्षम हैं। लेकिन सरकार अभी भी फलों का आयात करने के लिए लाइसेंस दे रही है।

महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। चूंकि इस अधिनियम के अंतर्गत भारी आयात किया जा रहा है, फसल आयातकर्ता खूब लाभ कमा रहे हैं।

इसलिए, मैं सरकार से कहूंगा कि वह कदम उठाए ताकि इन वस्तुओं को आयात करने का प्रयोजन हमारे देश के हितों के लिए हानिकारक न हो। भ्रष्ट आयातकर्ताओं को दण्डित किया जाना चाहिए क्योंकि वे देश की जनता के हितों की ओर नहीं देख रहे हैं; वे विदेशों के दूसरे लोगों के हितों की चिन्ता कर रहे हैं। इसलिए, भ्रष्ट आयातकर्ताओं से स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए और उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति जी, मन्त्री महोदय जो बिल यहां लाये हैं मेरी समझ में भारत के कृषि वैज्ञानिकों, किसानों और उनसे सम्बन्धित उद्यमियों ने जो सफलता प्राप्त की है, सबको इससे करारा थप्पड़ लगा है। इसका परिणाम क्या होगा, इस विषय पर जार्ज फर्नान्डीज जी ने विस्तार से बताया है। आप लोग विदेशों से एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें फल, सब्जी, के बीज और ऐसे बीज जो हिन्दुस्तान में आई० सी० ए० आर० के वैज्ञानिकों ने उगाने में सफलता प्राप्त की है और बहुत हद तक आत्मनिर्भरता पर हमें ला दिया है उसका पूरी तरह से उल्लंघन होगा। क्योंकि इससे

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

मल्टी नेशनल इम्पोर्टर्स लाभ उठायेंगे और इस सबका बोझ हमारे किसानों पर पड़ेगा। नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान में अपनी प्रकृति के अनुसार बीजों को पैदा करना, अंकुरित करना, अपनी सोवरनिटी के आधार पर नये-नये प्लांट्स लगाना और नये प्लांट्स के उत्पादन में तरक्की करना यह सब बन्द हो जायेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत मेहनत से सफलता प्राप्त की है। आप लगभग सभी बीजों का आयात करने जा रहे हैं, इसमें केवल एक ही आइटम बाकी बची है वह है इनसानों के बीज इम्पोर्ट करना। सरकार ने अभी इसको विदेशों से मंगाना शुरू नहीं किया है।...(व्यवधान)... जानवरों के तो मंगाना शुरू कर दिया है। यह भी भविष्य में सम्भव है कि सरकार इनसानों के बीज भी बाहर से मंगा सकती है। यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। आप देश की प्रभुसत्ता को, देश के आत्म-सम्मान को, देश की आत्मनिर्भरता के विकास पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल का नेचर तो ठीक दिखाई देता है, बहुत इन्सेंट बिल है, लेकिन परिणाम इसके भयावह होंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एकमत से राय जाहिर की है कि यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। यूरोप और अमरीका में पेस्टीसाइड्स कल-कारखानों से निकलते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, मल्टी नेशनल कम्पनीज के पास इनका स्टाक जमा है उसको बेचने के लिए उन्होंने हिन्दुस्तान को चुना है। वे यहां पर ले आयेंगे।

आपने खुद बतलाया है कि इनके इस्तेमाल से हजारों लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। इनके इस्तेमाल से आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हम रोज अपने भोजन में कितनी ही मात्रा डी० डी० टी० की लेते हैं, इसकी कोई रोकथाम नहीं है। जब खुले बाजार की नीति चल रही है तो उसमें लाभ ही प्रधान चीज रहती है, आम जनता का उससे कोई वास्ता नहीं होता है। मल्टी नेशनल इनसाइड और आउट साइड कितनी सामान इम्पोर्ट करेंगे, फुंगस वाला बीज देंगे, यह सवाल हमारे सामने रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि फैक्टरी का मालिक जनता के लिए सामान नहीं बनाता, वह तो अपने मुनाफे के लिए बनाता है और वही वह देखता है कि कितना मुनाफा इसमें होगा।

मुनाफे की बात हो जायेगी तो आपको कृषि नीति पर, आत्मनिर्भरता की नीति पर कुठाराघात होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान से सोचिए कि कैसी नीति अख्तियार की जानी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि आप बीज बाहर से मत मंगायें। आज के युग में गेहूं, चना, दलहन, तिलहन के बीज मंगाकर देश की आबोहवा में उसका इस्तेमाल करके उसकी उपज बढ़ायें, इसमें कोई दो मत नहीं हैं लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि सभी तरह के पेस्टीसाइड्स, सीड्स, खाद, बीज फल-फूल के बाहर से मंगाने के लिए दरवाजे खोल दें। इसको कंट्रोल करना चाहिए और कानून लागू करना चाहिए जिसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। क्या आप पेस्टीसाइड्स-सीड्स आदि पर परीक्षण करने के लिए कोई कारगर कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं? इस देश में केरल, पंजाब, बिहार आदि की भूमि पर बीज का असर अलग-अलग होता है। विदेश से मंगाए गए बीजों का असर किस प्रकार होगा, क्या आपने इस बात की ओर ध्यान दिया है? इस बात से पता लगाया जा सकेगा कि जहां आवश्यक हो, वहां के लिए विदेश से बीज मंगाए जाएं लेकिन साथ ही साथ अपने देश के कृषि वैज्ञानिक और कृषक उत्साहित हों। आज देश के किस मामले में आत्मनिर्भ

रता का दम भरते हैं ? आप गेहूं मंगा रहे हैं, किस भाव पर मंगा रहे हैं और देश के लोगों को किस भाव पर बेच रहे हैं, इस पर पार्लियामेंट में चर्चा हो चुकी है। आप अन्दाज कीजिए की जो गेहूं आप बाहर भेज रहे हैं, उसका प्रति टन मूल्य कितना मिल पा रहा है और जो बाहर से मंगा रहे हैं, उसका कितना दाम दे रहे हैं ? नतीजा यह होगा कि खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों को मंगाने से किसानों का उत्पादन का खर्च बढ़ जायेगा। इसमें एक बात जरूर है कि बड़े-बड़े फार्म वालों को लाभ हो सकता है लेकिन छोटे किसानों को, जिनकी आबादी 70 फीसदी है और जिनके पास 42 प्रतिशत जमीन का हिस्सा है, वे लोग तबाह हो जायेंगे। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है ? क्या मल्टी नेशनल कम्पनियों के मुनाफे के लिए आप छोटे किसानों के स्वार्थ को ठुकरा दीजिएगा ? यह उद्देश्य-पूर्ण काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मेरा यह भी कहना कि आपकी यह नीति बिल्कुल इनइफेक्टिव रहेगी। इसलिए आप बीजों, खाद, फलों-फूलों के बीज मंगाने पर गौर कीजिए और देश की आत्मनिर्भरता को त्याग कर बेलगाम बाहर से इन सब चीजों को मंगाने का विरोध करता हूं। याद रखिए आप देश की राष्ट्रीय मर्यादा, उसकी प्रतिभा और कृषि के मामले में वैज्ञानिकों द्वारा खोज करने के मामले में कितना विकास कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से इसको सोचें। यद्यपि इस बात को देखने से भले ही यह इन्नोसेन्ट मालूम पड़ता है, कोई गड़बड़ नहीं है लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपकी कृषि नीति, उद्योग नीति या बीज के क्षेत्र में जो हो रहा है, उससे सब जगह पर वर्ल्ड बैंक या आई० एम० एफ० का असर होता जा रहा है। पता नहीं आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक की नीति का अनुसरण करके देश को किधर ले जायेंगे ? यह तो आपको मालूम होगा। आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक ने देश की प्रतिष्ठा को, प्रभुसत्ता को खत्म करने में सहयोग दिया है। इसलिए फिर से सोचिये और इस बिल पर विचार करके उन "लूपहोल्ज" पर विचार कीजिए जिसके जरिए देश के कृषकों और कृषि वैज्ञानिकों को लाभ पहुंच सके और साथ ही साथ उसका उद्देश्य भी पूरा हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बिजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, मैं नाशक जीव और नाशक कीट (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, विधेयक का क्षेत्र सीमित है। परन्तु इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य बीजों का आयात करते समय पौधों की बीमारी को देश में आने से रोकना है। बीजों का आयात करने में कोई बुराई नहीं है बशर्ते कि हम पर्याप्त उपाय करें। और यही इस विधेयक का उद्देश्य है। जहां कीट-नाशक के प्रयोग की आवश्यकता है वहां बीमारी की स्थिति से बचने के लिए हमें विधेयक में बताए गए इन पर्याप्त उपायों को करना होगा।

केवल एक विकसित देश से एक विकासशील देश को ही बीमारियों का अन्तरण नहीं होता है बल्कि एक विकसित देश से दूसरे विकसित देश को भी यह अन्तरण होता है। मैं यह अनुभव कराने के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बीमारी का प्रवेश कैसा अनर्थकारी है। नवीनतम रिकार्ड से

[श्री विजय कृष्ण हान्डिक]

ज्ञात होता है कि कैसे डच एल्म बीमारी 1930 में विनीर उद्योग के लिए आयातित एल्म बर्ल लाग्स के द्वारा यूरोप से अमेरिका पहुंच गई। यह एक फंगस बीमारी है। जीव वृक्ष की जल वाहिकाओं पर आक्रमण करता है और जहरीला स्राव रस में मिल कर फैल जाता है तथा प्राकृतिक रस के अभाव में वृक्ष की शाखाएं मुरझा जाती हैं और वृक्ष समाप्त हो जाता है। यह बीमारी बीमार वृक्षों से एल्म बर्क कीड़ों के द्वारा स्वस्थ वृक्षों में फैल जाती है। एल्म्स की फंगस (फफूंदी) बीमारी पर नियन्त्रण रखने के लिए इस बीमारी को फैलाने वाले कीटों पर नियन्त्रण के वृहत प्रयास किए गए हैं। अत: महोदय, जैसा कि विधेयक में बताया गया है प्रधूमन, रोगाणुनाशन तथा वनस्पति जीवन से सम्बन्धित देश में आयातित किसी भी वस्तु का कड़ा निरीक्षण आवश्यक है।

परन्तु महोदय, यह उपाय यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। हमें इस पहलू को पर्यावरण की दृष्टि से भी देखना है।

हम एल्म्स की बीमारी की कहानी पर आते हैं तो पाएंगे कि इसका उपचारात्मक उपाय अति विनाशकारी था। शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए भारी छिड़काव किया गया था और इस भारी छिड़काव के बाद का दृश्य भयंकर था—पक्षी जीवन का सर्वनाश और मानव सहित सभी जीवों के जीवन का धीरे-धीरे अपकर्ष। यह रचेल कार्सन की पुस्तक 'साइलेन्ट स्प्रिंग' के कारण है जो मानव निर्मित 'अक्सीर मृत्यु' से आगाह करने वाले और भारत के पर्यावरण सम्बन्धी आन्दोलन की प्रेरणा मानी जाती है।

महोदय, कृषि और पर्यावरण, दोनों ही दृष्टि से सरकार को कीटों के देश में प्रवाह को रोकने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये कीट सर्वप्रथम तो हमारे वनस्पति जीवन को कुप्रभावित करते हैं और तत्पश्चात, उसके समाधान के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय त्रासदी और एक ऐसी प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है जिसके द्वारा मानव अपने प्राकृतिक वास को तेजी से नष्ट करता रहा है।

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने कीटनाशक दवाइयों के अन्धाधुन्ध प्रयोग के बारे में कहा हैं। एक उदाहरण के रूप में, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक दुखद घटना घटी थी जिसमें 1500 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु कीटनाशकों से दूषित गेहूं खाने से हो गई थी तथा इस विशेष प्रकार की घटनाओं से कुछ तर्कसंगत प्रश्न उठते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पौधे की रक्षा के रूप में कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग आज एक महत्वपूर्ण आदान बन चुका है।

अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों के आ जाने के बाद से कीटनाशक दवाइयों की मांग में वृद्धि हो रही है। परन्तु जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, कीटनाशकों के अन्धाधुंध प्रयोग ने तबाही ला दी है। इसके परिणामस्वरूप, अब यह पाया गया है कि औसतन भारतीय के प्रतिदिन के भोजन में लगभग 0.27 मिली ग्राम डी० डी० टी० और औसतन भारतीय के शरीर में एकत्र डी० डी० टी० की मात्रा विश्व में सबसे अधिक है जो 12.8 पी० एम० से 31.0 पी० एम० तक है। एक माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है।

मुम्बई और कलकत्ता से खाद्य के नमूनों का विश्लेषण किया गया है और उनमें डी० डी० टी०, बी० एच० सी०, मेलाथियन सिम्बेन तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के अवशेष पाए गये हैं। यहां तक कि मिट्टी में रिसाव के कारण भूमिगत जल संसाधन भी संदूषित हो गए हैं। हमारे बिल्कुल समीप यहां दिल्ली में यमुना के जल में भारी मात्रा में डी० डी० टी० के अवशेष हैं। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, इस स्थिति का उत्तर वनस्पति आधारित कीटनाशकों का पता लगाना है।

एक माननीय सदस्य ने नीम का जिक्र किया है। परन्तु यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। अमेरिका में नीम का प्रयोग पहले से ही किया जा रहा है। इस स्थिति का उत्तर यह है कि कृषि मन्त्रालय को कुछ वनस्पति आधारित कीटनाशकों और कृमिनाशकों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम फसलों में लगने वाली बीमारी की इस समस्या का समाधान कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार वनस्पति पर आधारित कीटनाशकों का पता लगाने की सम्भावना का पता लगाएगी। जो माननीय सदस्य इन कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में अत्यधिक आशंकित हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कीटनाशकों और रसायनों के प्रयोग को कम करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि हम सचेत और सावधान हैं तो हम उत्पन्न किसी भी स्थिति का समाधान कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं अब उन तीन माननीय सदस्यों—श्री मोहन सिंह, श्री शाहाबुद्दीन और श्री रावत—जिन्होंने अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं, से निवेदन करता हूं कि उनमें से प्रत्येक पांच मिनट बोले क्योंकि हमें इस विधेयक पर विचार पूरा करना है। अब श्री मोहन सिंह।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, देखने में तो यह विधेयक बहुत संक्षिप्त है और इसका उद्देश्य भी बड़ा सीमित दिखलाई पड़ता है कि जो सरकार की कीटनाशक दवाओं को मंगाने की नीति थी, उसमें सरकार ने कुछ पैसा अपनी तरफ से लागू कर दिया, परन्तु हाईकोर्ट में जाने के बाद, उसे निरस्त कर दिया गया। अतः मूल विधेयक में एक पैरा और जोड़ने के लिए सरकार को, कानूनी तौर पर एक अध्यादेश जारी करना पड़ा। वैसे इतनी जल्दी नहीं थी, पार्लियामेंट का सत्र प्रारम्भ होने वाला ही था। मैं सुझाव के तौर पर सिर्फ दो बातें ही कहना चाहता हूं।

मुकम्मिल तौर पर इस कानून में यदि संशोधन की गुंजाइश है, और होनी चाहिए, तो उसके लिए सरकार को एक संसदीय समिति बना देनी चाहिए क्योंकि 1914 का अंग्रेजी राज का जो मूल अधिनियम है, उसमें आज की बदली हुई परिस्थितियों में विचार करने, नये संशोधनों और नये परिवेश का मुकाबला करने में सक्षम बनाने योग्य, एक नये विधेयक और मुकम्मिल कानून की जरूरत है। उसके लिए केवल संसदीय समिति ही सक्षम है क्योंकि सरकार और सरकार में लगे हुए लोग इसी तरह के पीसमील, एक-एक करके, छोटे-छोटे विधेयक और संशोधन लाएंगे जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह निरंतर खारिज होते चले जाएंगे।

आज हमारी परेशानी क्या है कि निरंतर हम परावलम्बन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। गांधी जी ने हमें और इस देश को यह सबक सिखलाया था कि स्वतः-स्फूर्त हुनर से इस देश को स्वावलम्बी

[श्री मोहन सिंह]

बनाकर यहां की परिस्थितियों के अनुसार, अनुकूल बीजों को उभारकर, हम अपने देश की तमाम चुनौतियों का मुकाबला करें। लेकिन अब हम बीज बाहर से लाते हैं। उसके पीछे उसकी बीमारी आती है। उन बीमारियों की रोकथाम के लिए उनकी दवाओं को लाते हैं, फिर उसका नया उपचार ढूंढते हैं। इससे परिस्थिति गम्भीर से गम्भीरतम होती चली जाती है।

हमारे देश की कृषि की फल उद्यान की और खासतौर से पशुधन और दुनिया के हर देश में उनके विकास की जो सम्भावनाएं हैं, वहां के वायुमंडलीय प्रभाव के चलते होती है। अपने देश में ही देखें, कोयम्बटूर में जो गन्ने का बीज हम उत्पादित करते हैं वह उत्तर प्रदेश के हिस्से में उसी रूप में उत्पादित नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में भी जो सोन संस्थान है सिवरही का, वहां जो गन्ने के बीज उत्पादित किए जाते है वह उसी इलाके में प्रयोग में नहीं आ पाता है जो शाहजहांपुर का गन्ना शोध केन्द्र है। बीज के क्षेत्र में हर बीज की अलग-अलग परिस्थितियां और वायुमंडलीय प्रभाव है। उसी तरह का फल उद्यान के क्षेत्र में भी है। जो सन्तरा नागपुर के इलाके में उत्पादित कर लेते हैं क्या उसी सन्तरे को, उसी रूप में हम नैनीताल की तराई में भी उत्पादित कर सकते हैं? यदि कोई ऐसा सोचता है तो मैं समझता हूं कि वह गलत है। लखनऊ के दशहरी आम को क्या हम महाराष्ट्र में ले जाकर उसी रूप में वही स्वाद और पद्धति पैदा कर सकते हैं? यदि कोई ऐसा सोचता है तो गलत है। इसलिए फल उद्यान के क्षेत्र में अपने ही देश के भीतर भिन्न-भिन्न इलाके के वायुमंडलीय प्रभाव हैं। उसके अनुसार ही उसके बीज का विकास और विस्तार किया जा सकता है यह स्वतः में प्रमाण है।

हमारे देश की जो भैंस है पाकिस्तान और हिन्दुस्तान मे होने वाली, क्या पश्चिम यूरोप के उस शीत प्रभावित उस इलाके में भी उस भैंस को उसी रूप में, जो हरियाणा की भैंस है, ले जाकर आप उतने ही दूध का उत्पादन कर सकते हैं और उसे जिन्दा रख सकते हैं। यदि कोई ऐसा सोचता है तो व्यर्थ है। इसलिए जो फल उद्यान है, पशुधन और बीज है, यह हमारे देश की अपनी प्रकृति, अपनी व्यवस्था और अपनी परिस्थिति के अनुकूल होगा और उसका विकास और विस्तार पिछले चालीस वर्षों में भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ही बखूबी और अच्छे से किया है।

सरकार की बीज के मामले में जो आयात करने की नीति है, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों का सारे शोध की पद्धति और प्रक्रिया, जिसका हम विकास कर रहे थे, उसको नष्ट करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस तरह के छोटे-छोटे विधेयक लाने के बजाए इस संसद की एक समिति बनाएं और वह समिति एक मुकम्मिल कानून इस देश में किन-किन क्षेत्रों में बीज का निर्यात और कीटनाशकों का आयात कर सकते हैं, इस सदन के सामने लाए।

मैं इन्हीं सुझावों के साथ अपने संशोधन पर बल देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीस और एक अन्य मित्र का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक की कई अन्तर्निहित त्रुटियों

और इस विधेयक के बहुत से छिपे हुए पहलुओं को उजागर किया। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, विदेशी बीजों पर निर्भरता और कीटनाशकों के अन्धाधुन्ध इस्तेमाल और उसके परिणामस्वरूप पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण, पारिस्थितिकी और अनिक ह्रास के बारे मे इस सदन के तल पर अभिव्यक्त आशंकाओं का समाधान करेंगे।

हम में से हर कोई जानता है कि यह विधेयक मुख्यत: प्रक्रिया संबंधी है।

इसलिए, मैं इस सदन मे उठे उपद्रव की ओर खींचना नही चाहता। मैं चाहता था कि मंत्री महोदय ने इस विधेयक के उद्देश्यों और प्रयोजनों का प्रारूप अधिक सही तैयार किया होता—यह बताने के लिए कि नई बीज नीति है तथा एक तारीख निर्धारित की जा सकती है। जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें उच्च न्यायालय के आदेशों की तारीखें नहीं दी गई है और इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया कि सरकार को जनवरी, 1992 में अध्यादेश की उद्घोषणा क्या करनी पड़ी। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात की क्या जल्दी थी। दो उच्च न्यायालयों के आदेशों और अध्यादेश की उद्घोषणा के बीच कितना अन्तराल था? मै जानना चाहता हू कि इस प्रकार के अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी जब ससद का बजट सत्र उस अध्यादेश के चार सप्ताह के भीतर होने वाला था। मेरे विचार से यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि सभापति महोदय सरकार को आवत सभा के पुन: समवेत होने की प्रतीक्षा किए बिना, अध्यादेश जारी करने की हो गई है।

महोदय, पौधों की रक्षा की प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है। हम यह जो अनुभव करते हैं कि ऐसी प्रणाली, जहां तक सम्भव हो स्ववित्त पोषित होनी चाहिए। किन्तु हमें टैरिफ, दरों की अनुसूची या अन्तर्ग्रस्त धन के बारे मे बताया गया। इसलिए हमे टेरिफ या अनुसूची की दरों वित्तीय बोझ के बारे में बताया जाना चाहिए जिसके कारण सरकार को इस विधेयक की उद्घोषणा करनी पड़ी।

महोदय, अन्त में मैं इस प्रश्न पर आता हू। मुझे इस विधेयक में स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है। यह हम 1988 में उद्घोषणा तथाकथित नई बीज नीति की चर्चा कर रहे है। हमने बीजों के आयात को ओ० जी० एस० के अन्तगत रखा है, अर्थात हमने लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी है। ठीक है। सरकार के पास ऐसा करने का कारण होना चाहिए। किन्तु बीजों का आयात करने के लिए आवेदनपत्र देने के लिए शुल्क क्यो लगाया गया है? क्या मंत्री महोदय इस मूलभूत विरोधाभास का कोई स्पष्टीकरण देंगे? मैं देखना चाहता हूं कि एक ओर तो आप बीजों को देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए इतना आवश्यक और मूल्यवान मानते है और दूसरी ओर आप बीजों के आयात के लिए आपके समक्ष आवेदनपत्र रखने वाले से शुल्क वसूल करते है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती। इसलिए मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हू।

सभापति महोदय, अन्त में मैं सोचता हूं कि पूर्व व्याप्त प्रभाव एक संवैधानिक खराबी है। मैं इसे बिल्कुल गैर-कानूनी नहीं बता रहा हूं। इसकी वैधानिकता या वैधता को भी चुनौती नहीं दे रहा हूं। किन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि सामान्यत: पूर्व व्याप्ति का सहारा तभी लेना चाहिए जब एक संवैधानिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक हो जाए। यहां कोई ऐसी

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

स्थिति नहीं है और इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह यह क्यों कह रहे हैं कि वह उन सभी सम्भव देयों को वसूल करेंगे, जिनकी वसूली माननीय न्यायालय द्वारा रोक दी गई थी।

श्री ए० चार्ल्स : क्योंकि यह एक साधारण स्थिति है। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : सभापति महोदय, उच्च न्यायालय ने केवल यह कहा है कि संविधान में इस शुल्क की उगाही का उपबन्ध नहीं है। बस इतनी-सी बात है। इसलिए, पीछे किस लिए जाना? आप अब शुल्क की उगाही नहीं कर सकते। और इसीलिए महोदय, मैंने यह साधारण-सा संशोधन पेश किया है, किन्तु मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस सदन में व्यक्त की गई आशंकाओं की ओर ध्यान दें और सरकार को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से यह बता दें कि वह उन बीजों और कीटनाशकों के आयात में अत्यन्त सावधानी बरतेगी जो इस उप-महाद्वीप की जीवन पद्धति और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, बाढ़ के बारे में कहा जाता है कि भारत प्रकृति का पलना है कि हिन्दुस्तान प्रकृति का पालना रहा है और परमात्मा ने कृपा करके हमारे भारत का निर्माण इस प्रकार से किया कि एक तरफ हिमालय है, पर्वतीय क्षेत्र है, गंगा-यमुना है, थार का रेगिस्तान है और दूसरी तरफ दक्षिणी पठारी प्रदेश है और समुद्र तटीय मैदान हैं। ये सब प्रकृति की सुन्दर चीजें हैं। हिन्दुस्तान की जलवायु के अनुकूल ही हिन्दुस्तान की धरती में हिन्दुस्तान का बीज, या यहां की वनस्पति या यहां के जीव-जन्तु पनप सकते है, पैदा हो सकते हैं। आप विदेशी बीज को हिन्दुस्तान के अन्दर लाकर उसको यहां उपजाना चाहते हैं। यह कहां की बुद्धिमानी होगी? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। सफेद का पेड़ जो सारे हिन्दुस्तान में मकड़ी के जाल की तरह फैल गया है, वह सारे वनों के अन्दर दिखता तो बड़ा हरा-भरा है, लेकिन इसके पत्ते को न जानवर खाते हैं और यह पेड़ जहां पर लगाया जाता है, वहां की धरती की उर्वरा शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। यह सफेदे के पेड़ का बीज विदेशों से आया और यहां की धरती मे लगा। ठीक है, यह कागज बनाने के काम आता है, लेकिन इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। मै यह बात आपके ध्यान मे लाना चाहता हूं।

अजमेर के पास पुष्कर नाम का स्थान है। वहां अमरूदों के बड़े-बड़े बगीचे थे, लेकिन खतरनाक दवाओं के प्रयोग से न मालूम कौन-सी दवा ऐसी लग गई कि सारे के सारे बगीचे सूख गए। मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे अपने विभाग के अधिकारियों को भेजकर इसकी जांच करवायें कि कैसे सारे के सारे बगीचे सूख गए?

वहां के किसानों ने जब इसकी रिपोर्ट की, कृषि इकाइयों ने जब इसकी रिपोर्ट की तो वहां दिल्ली से बड़े-बड़े एक्सपर्ट भेजे गए। वे वहां जाकर वापिस आ गए और कहने लगे कि हमें इसकी बीमारी का पता नहीं लगता है। वे अमरूद के सारे बगीचे नष्ट हो गए और वहां की धरती बंजर होने लगी है। जहां अमरूदों के पेड़ लगे हुए थे, वहां किसानों का बड़ा भारी नुकसान हुआ। यह सारा

इसलिए हुआ, क्योंकि हरित क्रान्ति आने के बाद विदेशों से कीटनाशक दवाएं और नाना प्रकार की चीजों को हिन्दुस्तान की धरती पर पनपाने का प्रयास किया गया, जबकि यहां की धरती उसके अनुकूल नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती प्रयास किया गया। थोड़े दिनों तक तो उसके परिणाम अच्छे निकले, लेकिन अन्ततोगत्वा वे राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि जिस हड़बड़ाहट के साथ यह अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जारी करवाया गया है, उचित नहीं है। संसद की बैठक होने वाली थी, संसद की उपेक्षा करके पहले अध्यादेश को जारी करवा दिया गया और लागू करवा लिया गया और अब उसको नियमित करने के लिए यहां संसद में यह बिल लाया गया है।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने और बम्बई हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ निर्णय दिया है। एक ने तो यह भी निर्णय दिया है कि फीस लेना ठीक नहीं है और दूसरे ने फीस को वापिस देने की बात भी कही है। ऐसा लगता है कि हमारे माननीय न्यायाधीशों को भी इसमें कहीं-न-कहीं पर दाल में काला नजर आया और पुराने कानून की कमी को दूर करने के लिए सरकार अब यह बहाना बना रही है। अब मैं कीटनाशकों से सम्बन्धित कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। कृषि में हरित क्रान्ति के बाद देश में कीटनाशक उद्योग और कृषि में कीटनाशकों की खपत लगातार बढ़ रही है। करीब 50 संगठित कीटनाशक उत्पादक इकाइयां हैं और एक हजार छोटी उत्पादक इकाइयां हैं। 1988-89 में देश में 650 करोड़ रुपये के बराबर 60 हजार टन कीटनाशक दवाओं का उत्पादन हुआ था। इनमें मुख्य कीटनाशक हैं—बी० एच० सी०, डी० डी० टी०, मिथाईल पैराटीन और कॉपर ऑक्साइलोक्लोराइड, आईसोप्रोटीन और जिंक फासफाईड। ये यहां पर पैदा होती हैं और अब आप विदेशों से मंगवाएंगे, उन कीटनाशक दवाओं को प्रोत्साहन देंगे, उनको खुली छूट देंगे और बीज मंगाएंगे, तो हमारे यहां की इकाइयों पर इसका दुष्परिणाम पड़ेगा। अशिक्षित लोग इसके बारे में तनिक भी जानकारी नहीं रखते हैं। महिलाएं आत्म-हत्याएं करने के लिए, नारी उत्पीड़न की शिकार महिलाएं उन दवाओं को खाकर अपनी जान दे देती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी जलवायु के अनुकूल, यहां के पर्यावरण को शुद्ध करने वाली, यहां की परिस्थितियों के ऊपर दुष्परिणाम न डालने वाली, यहां के पदार्थों की रक्षा करने वाली और यहां के स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने वाली चीजों को अपनाना चाहिए। अन्यथा, ऐसे ही विषैले दुष्परिणाम छोड़ने वाली चीजों को हमें दूर से ही सलाम कर देना चाहिए।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, प्रारम्भ में मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। इस विधेयक का सम्पूर्ण उद्देश्य नई बीज नीति की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य अधिक उत्पादन करना और यह सुनिश्चित करना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए देश में पर्याप्त खाद्यान्न उगाए जाएं। भूमि तो बढ़ने वाली है नहीं किन्तु जनसंख्या बहुत तेजी बढ़ रही है और अब सवाल यह है कि क्या हम इस सीमा तक आत्मनिर्भर होंगे।

महोदय, हमें हमेशा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं, कितना

[श्रीमती बासवा राजेश्वरी]

उत्पादन करने जा रहे हैं और भावी पीढ़ियों के लिए हमारी आवश्यकता क्या होगी। इस बीच बीजों का आयात करके हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं और वह भी मूल्य वर्धित उत्पादों के साथ। हमें यह भी देखना होगा कि नई प्रौद्योगिकी तथा नये कीटनाशक अपनाकर किसानों को लाभकारी मूल्य मिले और हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन उत्पादों का वह उत्पादन करता है उन्हें निर्यात कर सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें नई तकनीक को इस्तेमाल करने का प्रयत्न करना चाहिए। बीजों का आयात करने में कोई बुराई नहीं है। हमें मालूम है कि पहले क्या हुआ। माननीय सदस्य ने इस बारे में बताया है। मैंने उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि सम्पूर्ण देश की प्रगति रुक जाए? नहीं। हमें अपने आपको नई परिस्थितियों में ढालना होगा। क्या हमने रूस से गिलहनों और सूरजमुखी का आयात नहीं किया है?

क्या हमने विदेशों से अधिक उपज देने वाले कपास के बीजों का आयात नहीं किया है?

क्या आप जानते हैं कि विदेशों से यह बीज प्राप्त करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है?

यह कहानी है। कर्नाटक में कपास की अधिक उपज देने वाला एक बीज है। वे बड़ी कठिनाई से केवल पांच बीज ला सके और उसी को बढ़ाते गए। हमें इस बात का गर्व है कि आज हम कपास के अधिक उपज वाले बीजों का निर्यात कर रहे हैं।

अपने बचपन में मैं मानचेस्टर कपास के बारे में सुना करती थी जिसका इस्तेमाल कुछ लोग ही किया करते थे। अब उसी कपास का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है। आज हम एक एकड़ में जितनी कपास का उत्पादन करते हैं, वह 15 से 20 क्विंटल के बराबर है जिसे हम पाउंड में परखते थे। हम यह बीज विदेशों से लाए। हमें उन्हें प्राप्त करना चाहिए।

हमें ऐसी चीजों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

रेशम उत्पादन की क्या स्थिति है? हम चीन और जापान से रेशम का आयात कर रहे हैं। जबकि हमारी भूमि इसके लिए बहुत उपयुक्त है। इतना ही नहीं, रेशम-उत्पादन में सबसे छोटे किसानों को भी लाभ होगा। इससे न केवल मूल्य वर्धित उत्पाद मिलता है बल्कि किसानों को लाभकारी मूल्य भी मिलता है। इससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। हमें नई प्रौद्योगिकी अपनानी होगी।

क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम चीन और जापान से बायोल्टीन बीज लें? क्या हमारे लिए बीज आयात करना गलत है? मैं नहीं समझती कि इसमें कुछ भी गलत है।

कल हम गेहूं के आयात के बारे में काफी कुछ बोल रहे थे। हम आयात क्यों करें? भूमि बहुत उपयुक्त है। हमारे किसान कुछ भी उगाने को तैयार हैं।

हमें बायोल्टीन लेना होगा क्योंकि इससे रोजगार मिलता है। 'फिशिंग के' बारे में क्या है।

एक ओर किसान लाभप्रद मूल्य मांग रहे हैं दूसरी ओर उपभोक्ता कम दर पर वस्तुएं चाहता है। इस दोहरी नीति को अपनाने के लिए हमें अधिक उत्पादन करना होगा। जब उत्पादन अधिक होगा तो कीमतें निश्चित रूप से नीचे आ जाएंगी। किसानों को लाभप्रद मूल्य लेने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए। इसी के लिए सरकार ने नई बीज नीति दी है। अतः मुझे आशा है कि इस विधेयक का विरोध करने वाले माननीय सदस्य निश्चित रूप से मुझसे सहमत होंगे।

रेशम उत्पादन, बागबानी, कृषि, मत्स्य पालन और पुष्पोत्पादन में नई तकनीक तथा नये ढंग हैं।

क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम बीजों का आयात करें और हम वैज्ञानिक ढंग से पौधशालाएं बनाएं जिनमें कीटनाशी औषधियां नहीं और जिनकी तैयार होने की अवधि कम हो ताकि उसमें आसानी से वर्ष में तीन फसलें उगाई जा सकें ?

क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम ऐसी मशीनें भारत में लाएं ? हमें ऐसी तकनीक देश में लानी चाहिए।

सरकार को और निश्चित रूप से बताना चाहिए कि वे किस प्रकार के बीज आयात करना चाहते हैं क्योंकि बहुत से किसानों ने मक्का, कपास तथा ज्वार, बाजरा और कुछ अन्य अनाज की फसलों के बीजों का अधिक उत्पादन शुरू कर दिया है। यदि आप समझें कि ये अपर्याप्त हैं तो आप उनका आयात कर सकते हैं।

हमारे यहां उपलब्ध बीजों के अलावा यदि ऐसे नए बीज हैं जिनसे अधिक उत्पादन होता है और जो अच्छी किस्म के हैं और जिनमें कम समय में फसल तैयार होती है तथा जिनमें कीटनाशी का प्रभाव नहीं है। तब आप उनका आयात कर सकते हैं।

आप जानते हैं कि अधिक संख्या में बीज बनाने का काम अमरीका में बहुत महंगा पड़ता है जबकि भारत में यह बहुत सस्ता है। वे अमरीका से बीज प्राप्त कर रहे हैं। किसानों ने बीज-गुणन योजना शुरू की है। फिर हम ऐसे ही बीज अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं जिससे हम काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। क्या हम वही चीज यहां नहीं अपना सकते। हम वहां से प्रौद्योगिकी के साथ अच्छे बीज प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसानों को बीज-गुणन के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए, हमारे किसान कोई भी नया तरीका अपनाने के लिए तैयार हैं। वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ऐसी बातों को चुनौती के रूप में लेना चाहिए क्योंकि हमारे किसान ऐसी चीजों का आयात करने की स्थिति में होंगे। यह मेरा सुझाव है।

अन्त में मुझे दो सुझाव और देने हैं। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नियमित रूप से तथा उचित ढंग से किया जाना चाहिए। कीटनाशी तथा कृमिनाशी दवाइयों तथा उर्वरकों में मिलावट पर रोक लगानी चाहिए। इन सब को रोकने के लिए एक सतर्कता समिति को लगातार कार्य करना चाहिए। ऐसा किये बिना किसानों को और अधिक कठिनाइयां होंगी। जो कीटनाशी दवाइयां कीड़ों

[श्रीमती बासवा राजेश्वरी]

पर बे असर हो गई हों उन्हें नष्ट कर देना चाहिए । कई दवाइयां बेअसर हो गई हैं । उन्हें चाहे हम 101, बार छिड़कें, उससे कुछ नहीं होने वाला है । अतः उन्हें तत्काल नष्ट कर देना चाहिए । जो कीटनाशी दवाइयां अप्रभावित हो गई हैं उन्हें भी नष्ट किया जाना चाहिए उन्हें किसानों को नहीं दिया जाना चाहिए ।

बीज-गुणन और किसानों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : श्रीमान मैंने उन सभी माननीय सदस्यों की बात बड़े ध्यान से सुनी है जिन्होंने नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 पर चर्चा में भाग लिया है । वास्तव में उनके मूल्यांकन सुझावों के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं । इनके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता तथा संदेह व्यक्त किया है कि तथा अनेक बातों के बारे में उनके दिमाग में कुछ भ्रम है प्रारम्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस नये नाशककीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 का डंकल प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार बीजों के आयात के मामले में अपने आर्थिक अधिकारों को किसी देश का बंधक नहीं रखेगी ।

श्रीमान इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यों के विशिष्ट तथा संगत प्रश्नों का उत्तर दूं एक बार फिर मैं उन परिस्थितियों को दोहराना चाहता हूं जिनके अन्तर्गत यह विधेयक सभा में लाया गया है ।

जैसाकि मैंने पहले कहा था भारत सरकार ने 1.10.1988 को नई बीज नीति की घोषणा की थी । इस नीति के अधीन बीजों तथा वनस्पति सामग्रियों के आयात के खुली साधारण अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत लाया गया था । बीज विकास संबंधी नई नीति का उद्देश्य भारतीय किसानों को विश्व में उपलब्ध सर्वोत्तम पौध-सामग्रियां उपलब्ध कराना है ताकि उत्पादकता, कृषि-आय तथा निर्यात-आय आदि में वृद्धि हो सके ।

इसके साथ ही बीज और पौधों का आयात करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी विदेशी कीट, रोग या खरपतवार के देश के भीतर प्रवेश को रोकने के लिए पौध संगरोधन प्रक्रिया संबंधी जरूरतों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा । इतने भारी आयात के परिणामस्वरूप देश में विदेशी कीटों और रोगों के आगमन को रोकने के लिए सरकार को अति आधुनिक/मंहगे उपस्कर आदि प्राप्त करके पौधा संगरोधन संगठनों की आधार भूत सुविधाओं और सेवाओं को मजबूत बनाना होगा ।

केन्द्रीय, सरकार ने नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 अक्तूबर, 1989 को अधिसूचना द्वारा

फल और बीज (भारत में आयात का विनियम) आदेश 1989 जारी किया। उक्त आदेश के अन्तर्गत आयात परमिट जारी करने के लिए शुल्क और निरीक्षण और धूम्रीकरण के लिए शुल्क की वसूली का उपबन्ध है ? पी० एफ० एस० आदेश 1989 के अन्तर्गत निरीक्षण शुल्क आदि की वसूली के सरकारी आदेश को लकड़ी के लट्ठों, दालों और पटसन आदि के आयातकों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय और बम्बई उच्च न्यायालय जैसे विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी। बम्बई तथा कलकत्ता उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया कि नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम 1914 केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को इस प्रकार का शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं देता और माननीय न्यायालयों ने निर्णय दिया कि निरीक्षण और धूम्रीकरण आदि के लिए शुल्क की उगाही को जारी नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार 1989 के पी० एफ० एस० आदेश द्वारा शुल्क का लगाया जाना अधिकारातीत घोषित किया गया। उच्च न्यायालयों ने यह निदेश भी दिया कि भविष्य में इस प्रकार का शुल्क वसूल नहीं लिया जाए और यदि कोई एकत्र किया गया है तो उन सभी याचिका दाताओं को, जिन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसी किस्म की याचिकाएं दायर की हैं, वापस किया जाए। यदि सरकार को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुल्क वसूल करने की अनुमति नहीं दी जाती हो—तो संगरोधन केन्द्रों के रखरखाव और उन्हें मजबूत करने का सारा व्यय सरकार को वहन करना होगा। इसलिए सरकार को आयातित माल की जांच आदि के लिए शुल्क वसूल करने की शक्ति प्रदान करने तथा पी० एफ० एस० आदेश, 1989 के अन्तर्गत पहले से वसूल किए गए शुल्क को वैध करार देने के लिए नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914-कीट) में उपयुक्त उपबन्ध शामिल करना आवश्यक समझा गया।

क्योंकि यह मामला आवश्यक किस्म का था और चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 के 2) में एक अध्यादेश के द्वारा उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक समझा गया। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 25 जनवरी, 1992 को नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 प्रख्यापित किया।

वाद-विवाद में भाग लेते हुए माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कुछ आशंका व्यक्त की है। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। जबकि मैं उनके विचारों से सहमत हूं मैं माननीय सदस्य को बताता हूं—उन्हें हमारे देश में बीजों का आयात करने की सरकार की नीति में दोष नजर आता है, उन्होंने किसी पुस्तक का भी हवाला दिया है जिसकी प्रमाणिकता को मैं चुनौती नहीं देना चाहता—सरकार की नीति बीजों के निर्यात को बढ़ावा देने की भी है। भारत सरकार केवल बीजों का आयात ही नहीं कर रही वह बीजों के निर्यात को भी बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए नवम्बर, 1989 से हमने 30.75 लाख मीट्रिक टन बीजों का निर्यात किया। हालांकि कीट नाशकों का प्रश्न इस विषय से सीधा संबंध नहीं रखता किन्तु मैं माननीय सदस्यों को इस बारे में बताऊंगा कि सरकार ने कीट नाशकों के इस्तेमाल को तर्कसंगत बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। देश में 9 कीट नाशकों के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाया गया है 12 अन्य को सीमित इस्तेमाल के लिए अधिसूचित किया गया है तथा 18 कीटनाशकों का पंजीकरण करने से इन्कार किया गया है। महोदय नई बीज नीति के संबंध में हम कीटनाशकों की उपलब्धता के मामले

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

में लगभग आत्मनिर्भर हैं, कीट नाशकों की वास्तविक खपत लगभग 750 लाख मीट्रिक टन थी। आयात केवल 3000 मीट्रिक टन का किया जा रहा है। हम कीट नाशकों का निर्यात भी कर रहे हैं। यह है ताजा स्थिति।

कीट नाशकों के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए एक एकीकृत कीट प्रबन्ध कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपयुक्त सांस्कृतिक प्रथाएं, जैविक नियंत्रण यांत्रिक नियंत्रण और कीटनाशकों का जैविक इस्तेमाल शामिल है। माननीय सदस्या डा० असीम बाला ने एक अत्यंत संबद्ध प्रश्न उठाया है जिन्होंने नीम पर आधारित कीटनाशकों का जिक्र किया है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि नीम पर आधारित कीटनाशकों को भारत में इस्तेमाल तथा निर्यात प्रयोजनों के लिए पंजीकृत किया गया है। हमने पचास से अधिक कीट नाशकों के निर्माण भी प्रौद्योगिक विकसित की है।

मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारे वैज्ञानिक विश्व बेहतरीन वैज्ञानिकों में से हैं और उनकी उपलब्धियां सराहनीय हैं। हमारे सदस्यों का बीजों के आयात को लेकर उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं है। जैसाकि आप जानते हैं हमारा देश खाद्यान्नों के मामले में आत्म निर्भर है। किन्तु हमने कुछ अन्य मोटे अनाजों, तिलहनों, सब्जियों और बागबानी के क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि अभी हमारी प्रौद्योगिकी इस सीमा तक विकसित नहीं हुई है इसलिए हमें अभी आयात करना पड़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिक देश में ही अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्म विकसित करने में सफल होंगे। हम आगामी महीनों में अपना जीन बैंक स्थापित करने जा रहे हैं। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और इसकी उपलब्धियां भी कम नहीं है।

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के प्रश्न पर आते हुए मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यगण इन संशोधनों को प्रस्तुत करने के मूड में होंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह इसे प्रस्तुत कर चुके हैं और इसे अब नहीं करेंगे।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं नहीं समझता कि वे अपने संशोधनों के लिए दबाव डालेंगे। अधिनियम के इन नए संशोधनों के साथ यह स्पष्ट है कि सरकार का इरादा 100 प्रतिशत नेक है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस विधेयक का समर्थन करेगा।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या आप हमें उच्च न्यायालय के निर्णयों की तारीखें बता सकते हैं।

सभापति महोदय : शाहबुद्दीन जी यह पहले बताई जा चुकी है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जून 1990 में और बम्बई उच्च न्यायालय ने जुलाई, 1991 में इस बारे में निर्णय दिया था।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल, क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति जी, मैंने अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा था

लेकिन माननीय मन्त्री जी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप पहले बोल चुके हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय मंत्री जी मेरी बात का उत्तर नहीं दे सके तो इसमें मेरा दोष नहीं है।···(व्यवधान)

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार की लेवी लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

6.00 म० प०

बम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि भविष्य में यह चार्ज नहीं किया जाये जो ले लिया गया है उसको भी वापस किया जाये। मैं समझता हूं इतना बड़ा लेकुना हो हाईकोर्ट जब इस बात को कहे और उसके कहने के बावजूद मंत्री जी इस प्रकार से अध्यादेश को निकलवायें तो मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : उसमें कुछ कमियां थी इसलिए हम यह संशोधन लाए हैं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) श्रीमान, 6 बज चुके हैं। आप इसे कल ले सकते हैं।

सभापति महोदय : क्या सभा चाहती है कि हम इस सभा की बैठक को इस विधेयक के पारित होने तक बढ़ायें ?

अनेक माननीय सदस्य : हां श्रीमान।

सभापति महोदय : तो हम 10-15 मिनट और बैठकर यह कार्य पूरा करेंगे। श्री गिरधारी लाल भार्गव अपनी बात जारी रखें और संक्षेप में अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है कि इस प्रकार के फिर आर्डिनेंस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बिल लाना चाहिए था। यह देश के लिए घातक होगा या नहीं, इसके बारे में माननीय सदस्यों ने बातें यहां रखी हैं। नई पालिसी के बारे में कहा है और इसका रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्टिव होगा इसके बारे में भी बताया है। आपने जो लेवी मनी जमा कर ली है उसको भी वापस भी नहीं करना चाहते और भविष्य में भी उसको कंटीन्यू कर रहे हैं।

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। हम बाहर से जो भी खाद या बीज मंगायें वे घातक न हों उसके लिए निवेदन है कि जो भी बीज मंगायें वहां से भी आयात की जा रही है उस देश में यदि

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

उसके उपयोग पर प्रतिबंध है तो उस खाद या बीज को नहीं मंगाना चाहिए। क्योंकि वहां जो नुकसान दायक हैं यहां भी नुकसान देंगी और लाभ भी उनको मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि उसकी जांच करेंगे, हर प्रकार का फर्क करेंगे। जो भारत में खाद या बीज के कारखाने हैं उनमें जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए जो व्यक्ति खाद छिड़के वह सही उपकरणों का उपयोग करे और उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाये। जो सही उपकरण हैं उनका सही तरह से उपयोग किया जाये। यदि भारत में कीटनाशक कारखानें चल रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जाये। इसलिए एक तो बाहर से जो सामान खरीदा जाये उस पर ध्यान दें और दूसरा जो यहां से एन० ओ० सी० हमें दें वह पूरा गौर करके दें यदि देश के लिए घातक है।

क्योंकि हमारा भारतवर्ष देश कृषि प्रधान देश है, एक हरा भरा देश है और आपको मालूम है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी हरा निशान है, वह भारत के कृषि प्रधान देश होने का सिम्बल है। यदि बाहर से गेहूं मंगायेंगे, खाद मंगायेंगे और बाहर से इस प्रकार की चीजों को मंगायेंगे तो यह उसके विपरीत बात होगी। इसलिए बाहर से जो चीजें आयें, उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिले। हमारे देश के जो कारखानें हैं, उनके लिए माननीय मन्त्री जी मेरे रचनात्मक सुझाव को निश्चित रूप से मान लें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल की भावना ठीक है और मुझे बिल वापिस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। माननीय मन्त्री जी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे खुशी होगी और यही मेरा विनम्र निवेदन है।

[अनुवाद][1]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैंने माननीय सदस्यों के सुझावों पर ध्यान दिया है :

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं अपने सांविधिक संकल्प को वापस लेने की सदन से अनुज्ञा चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, जी हां।

सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा में विचार करने के प्रस्ताव में दिए गए संशोधनों पर विचार किया जाएगा।

श्री दाऊ दयाल जोशी।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेने की सदन से अनुज्ञा चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

संशोधन संख्या-1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेने की सदन से अनुज्ञा चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

संशोधन संख्या-2 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेने की सदन से अनुज्ञा चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

संशोधन संख्या-4 सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा।

खंड 2—1914 के अधिनियम 2 की धारा 3 में संशोधन

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशन गंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, —

पंक्ति 11 और 12

"आयात करने के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करने या उसका' का लोप किया जाए। (6)".

श्रीमान जी मैंने जो प्रश्न उठाया था उस पर माननीय मन्त्री ने कुछ नहीं कहा है। मैंने पूछा था कि खुली साधारण अनुज्ञप्ति तथा पुलिस तथा आवेदन के लिए भी शुल्क नियत करने के बीच विवाद क्यों है।

सभापति महोदय : क्या आप अपने संशोधन पर जोर डाल रहे हैं ?

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : यदि माननीय मन्त्री सन्तोषजनक उत्तर दे दें तो मैं इसे वापस ले लूंगा।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : यह कोई कर नहीं है। यह केवल रख-रखाव के प्रयोजनार्थ है (व्यवधान) इससे अधिक कुछ नहीं है। यह कर बिल्कुल नहीं है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

संशोधन संख्या 6 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3—विधिमान्यकरण

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 6-7,—

"आयात करने के अनुज्ञापत्र के लिए,

आवेदन करने या उसका" का लोप किया जाए" (7)

समापति महोदय : क्या आप अपने संशोधन पर जोर डाल रहे है ?

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : नहीं, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

समापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां ।

संशोधन संख्या 7 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

समापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

समापति महोदय : खण्ड 4 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

समापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : श्रीमान जी मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम अगली मद को लेते हैं—सांविधिक संकल्प तथा लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक मद 10 और 11 एक साथ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री लोक नाथ चौधरी उपस्थित नहीं हैं। श्री इन्द्र जीत गुप्त भी नहीं हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, उपस्थित नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : यह उचित नहीं है। इसे कल ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। सभा कल प्रातः 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.14 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 11 मार्च, 1992/21 फाल्गुन 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053